चतुर्दश माला, खंड 4, अंक 21

सोमवार, 23 अगस्त, 2004
1 भाद्रपद 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

खण्ड 4 में अंक 21 से 24 तक हैं

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

आर. एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

[चतुर्दश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 21, सोमवार, 23 अगस्त, 2004 / 1 भाद्रपद, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 382 से 401	4–60
अतारांकित प्रश्न संख्या 3598 से 3827	60–441
सभा पटल पर रखे गए पत्र	447–453
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	453
पहला से चौथा प्रतिवेदन	453
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	454
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	454
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	454
पहला प्रतिवेदन	454
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	454–455
एक सौ नौवां और एक सौ दसवां प्रतिवेदन	457–460
दिनांक 12.07.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	457–460
(एक) जल की कमी	457
(दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण	457
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	458
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	459–460
रबड़ की कीमतों में गिरावट	459
श्री सुरेश कुरूप	459
श्री कमल नाथ	459–460
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधियां (निरसन)	461
विधेयक पुरःस्थापित	461
नियम 377 के अधीन मामले	461
(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 'जरावाओं' के हितों का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता	
श्री मनोरंजन भक्त	461–462
(दो) दिल्ली में अधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन कुमार	462
(तीन) राजस्थान में राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	462–463
(चार) जम्मू और कश्मीर में ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को बेहतर वेतन और सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
चौधरी लाल सिंह	463

(पांच) गौड़सरगिगुडा गांव में बंद पड़ी चीनी मिल का अधिग्रहण करने तथा उसे चालू करने के लिए उड़ीसा के कालाहांडी जिले में नवगठित चीनी सहकारिता को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव 463–464

(छः) मध्य प्रदेश में बेतुल और हरदा जिलों में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल सेवा के कार्यकरण को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता 464

श्री विजय कुमार खंडेलवाल 464

(सात) मैक्सी-इंदौर-दाहौद-गोधरा रेल लाइन पर कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन 464–465

(आठ) रोजगार सृजन कार्यक्रमों को चलाने के लिए कमजोर वर्गों को सुलभ ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया 465

(नौ) देश में समन्वित बाल विकास योजना के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को देय मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी 465

(दस) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थानीय युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से वहां पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति वर्धन सिंह 466

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक 466

(बारह) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के पेंशनभोगियों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी 466–467

(तेरह) महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में धान का समर्थन मूल्य एक हजार रुपये प्रति क्विंटल घोषित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. महादेवराव शिवनकर 467–468

(चौदह) टेलीफोन कनेक्शनों के लम्बित मामलों को निपटाने के लिए बिहार के सारण जिलें में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 467–468

(पंद्रह) उत्तर बिहार में गड़हारा (बरौनी) में रेलवे स्पेयर पार्ट्स फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सूरज सिंह 468

रेल बजट, 2004-2005 - अनुदानों की मांगें 468–472

कटौती प्रस्ताव 469–472

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2004 473–476

विचार करने के लिए प्रस्ताव 475

श्री लालू प्रसाद 473–464

खंड 2, 3 और 1 476

पारित करने के लिए प्रस्ताव 476

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 477

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 477–484

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 485–486

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 485–486

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महा सचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

सोमवार, 23 अगस्त, 2004/1 भाद्रपद, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैंने क्वैश्चन आवर सस्पैन्ड करने का नोटिस दिया है। देश में एक बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हुई है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के मुख्य मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए चली है। अगर यह परिस्थिति इसी प्रकार से रही...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, अगर इसी तरह की परिस्थिति रहेगी तो सारे हिन्दुस्तान में सभी मुख्य मंत्रियों को दूसरे राज्यों की पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। उनका कुसूर क्या है? राष्ट्रीय झंडा फहराने पर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति दी है। हम उन्हें सुनें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : राष्ट्रीय झंडा फहराने पर और तिरंगा झंडा फहराने पर वहां पर जलियांवाला बाग की तरह से उस समय की कांग्रेस सरकार ने छः आदमियों को, निहत्थों को गोलियों से भून डाला। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ असंसदीय या अनुचित है, तो मैं उसे देखूँगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : *

...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन पर झंडा फहराने का नहीं, दंगा फैलाने का आरोप है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। एक बार तो स्पीकर को थोड़ी इज्जत दीजिए। सब एक साथ बोलते हैं।

[अनुवाद]

सारा देश देख रहा है। मुझे विश्वास है कि वे इस बात पर आश्चर्य कर रहे होंगे कि लोक सभा का गठन क्यों किया गया है। चुनाव कराने का क्या औचित्य है? चुनाव कराने पर करोड़ों रूपये खर्च किए जाते हैं। मैंने बार-बार कहा है कि यह मेरी सभा नहीं है, यह आपकी सभा है, यह सभा इस देश के लोगों की है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक मामला उठा। जो कुछ होगा, लेकिन हाउस को तो चलने दीजिए। हमने कभी मना नहीं किया। दोनों साइड हैं।

[अनुवाद]

दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश न करें। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ; मैं किसी खास माननीय सदस्य या दल से निवेदन नहीं कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : सर, हम भी बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाने से किसी को मौका नहीं दूँगा।

[अनुवाद]

मैंने श्री मल्होत्रा को बोलने की अनुमति दी है। कृपया उन्हें शीघ्र अपनी बात कहने दीजिए। उसके बाद, यदि आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें तो कृपया यह देखने के लिए प्रतीक्षा करें कि मैं आपको अनुमति देता हूँ या नहीं। यहां तक कि आप मुझे सभा की कार्यवाही का संचालन नहीं करने दे रहे हैं। यहां हर कोई सुपर अध्यक्ष है। सबको यह निर्णय करना होगा कि अध्यक्ष के बगैर सभा कैसे चलेगी। इसे सहन नहीं किया जा सकता। यदि वह अपनी बात दो-तीन मिनट में समाप्त कर लेते हैं तो सभा के नेता यहीं हैं। वह

कुछ बोल सकते हैं या यदि कोई अन्य माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं उन्हें अनुमति दूंगा।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम, मैं आपको बोलने की अनुमति दूँगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास बन्डु आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कहना चाहता हूँ।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन आवर के बाद आपको भी मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, 1993 में तिरंगा झंडा फहराने के लिए उमा भारती जी वहां गईं। वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या बात कर रहे हैं? आपको सुनना भी चाहिए। खाली यहां भाषण देने के लिए नहीं आते हैं। सुनने की भी जरूरत है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, सारे शहर को बन्द कर दियार गया, पुलिस बैठा दी गई और सेना को बुलाकर तैयार रहने के लिए कह दिया गया और ठीक जलियांवाला कांड की तरह से वहां गोलियों की...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, उमा भारती के बारे में कहें या हुबली कांड के बारे में, लेकिन जलियांवाला कांड को इससे न जोड़ें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठिए।

[अनुवाद]

मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना वक्तव्य शालीनता से दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां की कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने केस वापस लेने का फैसला कर लिया। श्री एस.एम. कृष्णा, भू.पू. मुख्य मंत्री ने केस वापस लेने का फैसला कर लिया और 2 जुलाई, 2004 को यह दर्ख्वास्त दी कि केस वापस ले लिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि तिरंगा झंडा फहराने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है और ऐसा करने पर किसी के ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता, परंतु 15 अगस्त के बाद* वह दर्ख्वास्त वापस ले ली गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं कार्यवाही वृत्तांत से सब कुछ निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत से सब कुछ निकाल दें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) और पेंशन खातों के निपटान के लंबित मामले

*382. **श्री अजय चक्रवर्ती** :
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

(क) क्या आज की स्थिति के अनुसार देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) और पेंशन खातों के निपटान संबंधी मामले भारी संख्या में लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है:

(ग) इतनी भारी संख्या में मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) दिनांक 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि, पेंशन के निपटान संबंधी कुल 50.32 लाख मामलों में से 2.55 लाख मामले निपटान हेतु लंबित थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा रखी जा रही राज्य-वार/क्षेत्र-वार सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) मामलों को निपटाने में देरी के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

(*i*) नियोजकों द्वारा अंशदान जमा न किया जाना/विवरणियां (रिटर्न) प्रस्तुत न किया जाना;

(*ii*) सदस्यों द्वारा फार्म को पूरी तरह से भर कर प्रस्तुत न किया जाना आदि।

(घ) संगठन के फील्ड कार्यालयों के कामकाज को और अधिक कारगर बनाया गया है। विवादों और मामलों के निपटान में देरी से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए भविष्य निधि अदालतें लगाई जा रही हैं। दावों के निपटान को कम्प्यूटर प्रणाली के द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है।

विवरण

दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन के मामलों से संबंधित स्थिति

क्रम संख्या	क्षेत्र	मामलों की कुल संख्या	अन्तिम रूप से निपटाए गए कुल मामले	लंबित मामले
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	355720	352776	2944
2.	बिहार	34645	34590	55
3.	छत्तीसगढ़	34020	32650	1370
4.	दिल्ली	318156	304435	13721
5.	गोवा	29714	28383	1331
6.	गुजरात	376896	368465	8431
7.	हिमाचल प्रदेश	26158	26036	122
8.	हरियाणा	275312	275004	308
9.	झारखंड	51391	50734	657
10.	कर्नाटक	560940	540319	20621
11.	केरल	231103	230973	130
12.	महाराष्ट्र	743755	570853	172902
13.	मध्य प्रदेश	123054	122438	616
14.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	23288	23287	1
15.	उड़ीसा	74300	73902	398

1	2	3	4	5
16.	पंजाब	240571	237403	3168
17.	राजस्थान	131101	130855	246
18.	तमिलनाडु	948731	926078	22653
19.	उत्तरांचल	21725	21423	302
20.	उत्तर प्रदेश	232053	230483	1570
21.	पश्चिम बंगाल	199784	195849	3935
	योग	5032417	4776936	255481

[अनुवाद]

अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अंतर्गत लाभार्थी

***383. श्री विक्रम केशरी देव :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) शुरू होने के बाद इसके अन्तर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और अधिक परिवारों को इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान राज्य-वार कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया;

(ङ) क्या इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि की जाएगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस विस्तृत अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले परिवारों की पहचान कर ली है;

(ज) यदि नहीं, तो पहचान की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(झ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अन्त्योदय अन्न योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कौन-कौन सी ठोस योजनाएं तैयार की जानी हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) अंत्योदय अन्न योजना दिसम्बर, 2000 में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में से एक करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए शुरू की गई थी। जून, 2003 में इस योजना के दायरों में 50 लाख और परिवारों को शामिल करते हुए इसका विस्तार किया गया था। इस योजना के तहत 2 रुपये प्रति कि.ग्रा. गेहूं और 3 रुपये प्रति कि.ग्रा. चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह देने का प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विवरण I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की पहचान की है और उन्हें विशिष्ट राशन कार्ड जारी किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 1 अगस्त, 2004 से अंत्योदय अन्न योजना के दायरे में अन्य के साथ-साथ भूखमरी के साए में रह रहे सभी परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे के 50 लाख और परिवारों को शामिल करते हुए इसका विस्तार किया गया है। इन परिवारों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं जिसमें निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं :

(i) भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे किसान, कुम्हार, चर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई जैसे ग्रामीण कारीगर/दस्तकार, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले तथा भारवाहक, कुली, रिक्शावालक और हथठेलावालक, फल और फूल बेचने वाले, संपेरा, कूड़ा बीनने, मोची आदि जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर अपनी जीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति, निराश्रित और ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में, इसी प्रकार की श्रेणियां।

(ii) वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा है अथवा असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति या अपंग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति हैं और जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है अथवा जिन्हें सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं हैं।

(iii) विधवाएं अथवा असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति या 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के व्यक्ति या अकेली महिला अथवा अकेला पुरुष जिन्हें कोई पारिवारिक अथवा सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है या जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नही है।

(iv) सभी आदिम आदिवासी परिवार।

इन परिवारों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) अपेक्षित सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ङ) और (च) योजना के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत और अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के अधीन खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच का अन्तर केंद्रीय सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में वहन किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अंत्योदय अन्न योजना के प्रत्येक विस्तार और भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत में वृद्धि के साथ राजसहायता में तदनुरूपी वृद्धि की गई है।

(छ) विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना के अधीन अतिरिक्त परिवारों की पहचान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत 3 अगस्त, 2004 को ही जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि वे लाभभोगियों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें।

(ज) और (झ) इस योजना की राज्यों और केंद्रीय सरकार द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन खाद्यान्नों का उठान क्रमशः 85 प्रतिशत और 84 प्रतिशत रहा है।

विवरण I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या (लाख में)	अंत्योदय अन्न योजना के विस्तार के अधीन 1.08.04 से कवर किए जाने वाले प्रस्तावित परिवार (लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9.345	2.991
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.228	0.073
3.	असम	2.815	1.352
4.	बिहार	10.000	4.802
5.	छत्तीसगढ़	4.313	1.380
6.	दिल्ली	0.320	0.301
7.	गोआ	0.110	0.035
8.	गुजरात	3.250	1.561
9.	हरियाणा	1.815	0.581
10.	हिमाचल प्रदेश	1.182	0.378
11.	जम्मू और कश्मीर	1.693	0.542
12.	झारखंड	3.665	1.762
13.	कर्नाटक	7.197	2.303
14.	केरल	3.574	1.144
15.	मध्य प्रदेश	9.488	3.037
16.	महाराष्ट्र	15.028	4.810

1	2	3	4
17.	मणिपुर	0.255	0.122
18.	मेघालय	0.421	0.135
19.	मिज़ोरम	0.156	0.050
20.	नागालैंड	0.285	0.091
21.	उड़ीसा	5.055	2.428
22.	पंजाब	0.717	0.345
23.	राजस्थान	5.537	1.790
24.	सिक्किम	0.099	0.032
25.	तमिलनाडु	7.143	3.580
26.	त्रिपुरा	0.452	0.217
27.	उत्तरांचल	0.763	0.367
28.	उत्तर प्रदेश	24.562	7.861
29.	पश्चिम बंगाल	7.329	3.813
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.043	0.021
31.	चंडीगढ़	0.035	0.017
32.	दादर व नगर हवेली	0.028	0.013
33.	दमन व दीव	0.006	0.003
34.	लक्षद्वीप	0.004	0.002
35.	पांडिचेरी	0.125	0.062

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2003/04 और 2004/05 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन	
		2003-04	2004-05 (जून, 2004 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3.379	0.981
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.063	0.019
3.	असम	1.182	0.296
4.	बिहार	4.200	0.050
5.	छत्तीसगढ़	1.556	0.453
6.	दिल्ली	0.134	0.034
7.	गोआ	0.031	0.008

1	2	3	4
8.	गुजरात	1.365	0.341
9.	हरियाणा	0.477	0.144
10.	हिमाचल प्रदेश	0.331	0.083
11.	जम्मू और कश्मीर	0.474	0.119
12.	झारखंड	1.539	0.385
13.	कर्नाटक	2.183	0.756
14.	केरल	1.181	0.375
15.	मध्य प्रदेश	3.301	0.996
16.	महाराष्ट्र	4.511	1.531
17.	मणिपुर	0.107	0.027
18.	मेघालय	0.118	0.034
19.	मिज़ोरम	0.055	0.016
20.	नागालैंड	0.100	0.030
21.	उड़ीसा	2.123	0.531
22.	पंजाब	0.301	0.075
23.	राजस्थान	1.818	0.581
24.	सिक्किम	0.036	0.010
25.	तमिलनाडु	3.000	0.750
26.	त्रिपुरा	0.190	0.047
27.	उत्तरांचल	0.321	0.080
28.	उत्तर प्रदेश	8.309	2.579
29.	पश्चिम बंगाल	3.078	0.769
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.018	0.005
31.	चंडीगढ़	0.009	0.002
32.	दादर व नगर हवेली	0.012	0.003
33.	दमन व दीव	0.003	0.001
34.	लक्षद्वीप	0.002	0.001
35.	पांडिचेरी	0.044	0.013

वर्षा जल संचयन परियोजनाएं

***384. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित देश में वर्षा जल संचयन परियोजनाओं से गिरते भू-जल स्तर को पुन: बढ़ाने में सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न चालू परियोजनाओं से एकत्रित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्षा जल को व्यर्थ बह जाने से किस प्रकार बचाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सहित देश में "भूजल के पुनर्भरण विषयक अध्ययन" संबंधी अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रतिनिधिक कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों का प्रभाव मूल्यांकन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण वर्षा जल को व्यर्थ बह जाने से रोकने का दायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने वर्षा जल को व्यर्थ बह जाने से रोकने की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की दृष्टि से जन जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। युवा एवं बच्चे, महिलाएं, किसानों एवं ग्रामीणों, नीति एवं विचारकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्ष्य समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस कार्य के लिए प्रिंट मीडिया, दूरदर्शन पर स्पाटों का प्रसारण, रेडियो पर संदेश प्रसारित करना, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के आयोजन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :-

(i) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मैनुअल/दिशानिर्देश परिचालित करना।

(ii) भवन उपनियमों में संशोधन करते हुए शहरी क्षेत्र में छत के वर्षा जल के संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए राज्यों से आग्रह करना। संबंधित राज्यों में भवनों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में छत के वर्षा जल संचयन के प्रावधान को अनिवार्य बना दिया गया है।

(iii) वर्षा जल संचयन संरचनाओं के डिजाइन के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार की एजेंसियों, संस्थानों, व्यक्तियों और उद्योगों आदि को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।

विवरण

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों का प्रभाव आकलन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कीम का नाम	स्कीम का प्रकार	परिणाम
1	2	3	4
चंडीगढ़	सी एस आई ओ चंडीगढ़ में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन की प्रणाली	3812 घन मीटर वर्षा जल वार्षिक रूप से पुनर्भरित किया गया।
	बेसिक साइंस ब्लॉक, पंजाब विश्व विद्यालय, चंडीगढ़ में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन की प्रणाली	1985 घन मीटर वार्षिक रूप से वर्षा जल (कुल सृजित अपवाह जल का 93%) का पुनर्भरण किया गया।
हरियाणा	डी सी ऑफिस, फरीदाबाद में छत/फुटपाथ पर वर्षा जल संचयन प्रणाली	छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन की प्रणाली	एक वर्षा मौसम में 2370 घनमीटर वर्षा जल पुनर्भरित किया गया।
	ब्रह्म सरोवर, जिला कुरूक्षेत्र से बेकार जल का प्रयोग करके भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	पुनर्भरण शाफ्ट्स	वर्ष के दौरान 0.3496 एमसीएम वर्षा जल का पुनर्भरण हुआ। लाभग्राही क्षेत्र में जल स्तर की गिरावट दर

1	2	3	4
			0.25 मी./वर्ष रही जबकि इस क्षेत्र में सामान्य गिरावट दर 1.175 मी./वर्ष की है।
कर्नाटक	मुलबगुल और गौरीबिदनूर तालुका, कोलार जिले में वर्षा जल संचयन	चेक बांध, वाटरशेड सुधार, ग्रेविटी पुनर्भरण कुआं	भूजल संरचनाओं का स्थायित्व 2 से 3 गुना बढ़ा। फसल सघनता 2 से 3 गुना बढ़ी।
मध्य प्रदेश	उतावली वाटर शेड, बुरहानपुर ब्लॉक, खंडवा जिले के धोबीघाट और चिंताहरण में उप-सतही डाइकों का निर्माण	उप-सतही डाइक	प्रतिप्रवाह क्षेत्र में भूजल स्तरों में वृद्धि देखी गई। नदी के अनुप्रवाह में सतही प्रवाह में कमी आई।
	खरगौन जिले में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन	उप-सतही डाइक	इन डाइकों के आसपास के क्षेत्र में उत्खनित कूओं के कमान क्षेत्र की वृद्धि से भूजल स्तर में वृद्धि का पता चला। नदी के सतही प्रवाह में उल्लेखनीय कमी हुई हैं।
	लोंधरी वाटरशेड, नारायण गांव, देवास जिले में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन	उप-सतही डाइक चेक बांध	प्रतिप्रवाह क्षेत्र में मौजूदा नलकूपों के जल स्तर में 0.30 से 2.00 मीटर की वृद्धि पाई गई।
	बरवा कलां, राजगढ़ जिले में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन	उप-सतही डाइक	उत्खनित कूपों में जल स्तर में 0.80 से 3.80 मीटर तक और हैंडपंपों में 6 से 12 मीटर की वृद्धि पाई गई।
	सुखेड़ी, मंदसौर जिले में परिस्रवण तालाबों से कृत्रिम पुनर्भरण	परिस्रवण तालाब	तालाब के कमान क्षेत्र अनुप्रवाह के जल स्तर में 1-4 मीटर की वृद्धि पाई गई।
	देवास शहर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	1000 भवनों के माध्यम से छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	इस स्कीम के माध्यम से लोगों की सहभागिता का प्रदर्शन किया गया जिसमें केवल ऑनलाइन फिल्टर की आपूर्ति मुफ्त में की गई तथा छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन की अन्य व्यवस्थाएं लाभग्राहियों द्वारा की गई। कम वर्षा के बावजूद नलकूपों से जल प्राप्ति में वृद्धि और भूजल संसाधनों में सुधार दर्ज किया गया।
	वाल्मी फार्म में उप-सतही डाइक का निर्माण	उप-सतही डाइक	सतही जल के तालाब के सूख जाने के पश्चात डिमान्सट्रेशन फार्म में

1	2	3	4
			भूजल की उपलब्धता में वृद्धि दर्ज की गई। भूजल स्तर में औसतन 10 सेमी./दिन से 6 सेमी/दिन की कमी आई है।
महाराष्ट्र	बासाल्टिक क्षेत्र, वरूद तालुका, अमरावती जिले में कृत्रिम पुनर्भरण	परिस्त्रवण तालाब, चेक बांध	लाभान्वित क्षेत्र-प्रति परिस्त्रवण तालाब लगभग 60 से 120 हेक्टेयर, प्रति चेक बांध 3 से 15 हेक्टेयर जल स्तर वृद्धि-1.5 मी. तक।
	यावल तालुका जलगांव जिले में कछारी जलभृतों का पर्वतीय अग्रभाग पुनर्भरण	परिस्त्रवण तालाब, पुनर्भरण शैफ्ट, उत्खनित कुओं	लाभान्वित क्षेत्र-5 वर्ग किमी. तक लाभान्वित क्षेत्र 400 हेक्टेयर जलस्तर में वृद्धि-1 से 5 मीटर
	किट्स, रामटेक, नागपुर जिले में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	संचित किए गए वर्षा जल के 90% का पुनर्भरण किया गया। जल स्तर में वृद्धि हुई। पास के कुंओं में जल उपलब्धता में वृद्धि पाई गई।
	जिला अमरावती में पंचायत समिति कार्यालय परिसर की छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	अनुमान है कि 280.17 घनमीटर वर्षा जल का (कुल अपवाह जल का 90%) पुनर्भरण किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	जे.एन.यू. एवं आई.आई.टी. में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	चेक बांध	चेक बांधों के आसपास के क्षेत्र में जल स्तर 2.55 मीटर ऊपर हो गया है और प्रत्येक चेक बांध से लाभान्वित क्षेत्र 30 हेक्टेयर तक है।
	आई.आई.टी. में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	787 क्यूबिक मीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया। 0.12 से 0.78 मीटर जल स्तर में वृद्धि हुई है।
	प्रेसिडेंट इस्टेट में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	विद्यमान खोदे गए कुएं, पुनर्भरण शाफ्ट, पुनर्भरण कुएं के माध्यम से छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	जल स्तर में 0.94 से 2.32 मीटर की वृद्धि हुई।
	श्रमशक्ति भवन में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	एक बारिश के मौसम में 3000 क्यूबिक मीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया। जल स्तर में 1.42 से 2.17 मीटर की वृद्धि हुई।
	लोधी गार्डन में फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	जल स्तर में 0.67 से 0.72 मीटर की वृद्धि हुई।

1	2	3	4
पंजाब	धुरी संपर्क नाली जिला संगरूर से कछारी जलभृतों में कृत्रिम पुनर्भरण	लेटरल शैफ्ट इंजेक्शन वेल्स/ वर्टिकल शैफ्टस	16.51 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पुनर्भरण तथा लैटरल शाफ्ट के आस पास के क्षेत्र में भूजल स्तर में 1.38 मीटर तक वृद्धि हुई।
	इसूई गांव, लुधियाना में गांव के तालाब से कृत्रिम पुनर्भरण	इंजेक्शन कुएं के साथ पुनर्भरण शाफ्ट	आकलित वार्षिक पुनर्भरण सतही जल का 14400 घन मीटर।
	खेती भवन, अमृतसर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के वास्ते संचयन प्रणाली	वार्षिक रूप से लगभग 474 घन मीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया।
	स्वर्ण मंदिर क्षेत्र, अमृतसर में सरोवर जल के पुनर्भरण की स्कीम	पुनर्भरण कुएं	भूजल स्तर की गिरावट दर 0.9 मी. से घटकर 0.24 मी. तक रह गई।
	भाट्टियन केनाल कालोनी, ब्लॉक खन्ना, जिला लुधियाना की खन्ना डिस्ट्रीब्यूटरी के अधिशेष जल का उपयोग करते हुए भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	पुनर्भरण कुएं	भूजल स्तर में 0.31-0.66 मीटर की वृद्धि देखी गई।
	ग्राम चान्नियन, नकोदर ब्लॉक, जिला जालंधर में नहर और सरोवर के अधिशेष जल का प्रयोग करते हुए भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	पुनर्भरण कुएं	जल स्तर गिरने की दर 1.39 मी./माह से घटकर 0.29 मी./माह तक हो गई।
	सरहिंद चोई, नाभा ब्लॉक, जिला पटियाला में अपवाह द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण	खाइयाँ	जल स्तर में 0.32-0.70 मीटर की औसत वृद्धि देखी गई।
राजस्थान	मैनपुरा, झुंझुनू जिले में कृत्रिम पुनर्भरण	चेक बांध पर उप सतही बैरियर	वर्षा जल संचयन-88000 क्यूबिक मीटर जल स्तर में वृद्धि-0.65 मीटर।
	मुख्य मंत्री के निवास पर छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में .725 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	राज भवन, जयपुर पर छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 490 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन के लिए प्रणाली	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 1106 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	विट्ठा भवन, जयपुर में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 1106 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।

1	2	3	4
	एम आर ई सी जयपुर में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 1640 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	सी जी डब्ल्यू बी, कार्यालय भवन, जयपुर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 350 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	जी डब्ल्यू डी कार्यालय भवन, जयपुर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 321 क्यूबिक मीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया।
	राज्य सचिवालय भवन (भाग I एवं II), जयपुर में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 2320 क्यूबिक मीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया।
पश्चिम बंगाल	कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना-पुरूलिया जिला	खेत तालाब, नाला बन्ध, उप-सतही डाइक	जल स्तर में वृद्धि 0.15 मीटर
	सलतोरा ब्लॉक, बांकुरा जिला में कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना	उप-सतही डाईक	निर्माण पूर्व अवधि (1997) की तुलना में मानसून पूर्व अवधि के दौरान डाइकों के प्रतिप्रवाह के भूजल स्तर में 0.45 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई।

खाद्यान्नों की उपलब्धता

385. **श्री रामदास बंधु आठवले :**
श्री काशीराम राणा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आयी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) : मौसम की स्थितियों की असामान्य भिन्नताओं के कारण खाद्यान्न उत्पादन में घट-बढ़ के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में उतार-चढ़ाव रहा है। वर्ष 1998-99 से 2002-03 की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति निवल खाद्यान्न उपलब्धता के आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं।

प्रति व्यक्ति निवल खाद्यान्न उपलब्धता

(किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)

वर्ष	प्रति व्यक्ति निबल उपलब्धता
1998-99	170.0
1999-2000	165.9
2000-2001	151.9
2001-2002	179.7
2002-2003	159.9

जैसा कि ऊपर दर्शाए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है, यद्यपि प्रति व्यक्ति निवल खाद्यान्न उपलब्धता वर्ष 1998-99 के 170 किलोग्राम प्रति वर्ष से घटकर वर्ष 2000-01 में लगभग 152 किलोग्राम प्रति वर्ष रह गई, तथापि वर्ष 2001-02 में यह बढ़कर लगभग 180 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गई है। हालांकि वर्ष 2001-02 में 212.85 मिलियन मी.टन रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ लेकिन वर्ष 2002 का गंभीर सूखा, जिसने देश में कई राज्यों को बुरी तरह से प्रभावित किया, वर्ष 2002-03 में खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से गिरावट का

कारण बना और यह घटकर 174.19 मिलियन मी. टन हो गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2002-03 में देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई।

सारणी में दी गई प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के आंकड़े निवल उत्पादन के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर परिकलित किये गये हैं जो खाद्यान्नों के अनुमानित सकल उत्पादन और खाद्यान्न की मात्रा, जो मानव द्वारा खपत के लिए उपलब्ध नहीं है, अर्थात बीज, चारा और छीजन जिसका सकल उत्पादन का 12.5% का अनुमान लगाया गया है, के बीच के अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि खाद्यान्न के निवल निर्यात (निर्यात-आयात) का तात्पर्य घरेलू उपलब्धता में कमी है, अतः इसे निवल उत्पादन में से घटाया जाता है। निवल उत्पादन और निवल निर्यात के बीच के अंतर का स्टॉक में परिवर्तन के लिए समंजन किया जाता है। चूंकि स्टॉक में वृद्धि का तात्पर्य खपत हेतु उपलब्धता में कमी है जबकि स्टॉक (निर्यात को छोड़कर) की कमी का तात्पर्य खपत हेतु उपलब्धता में वृद्धि है, अतः स्टॉक में वृद्धि होने के लिए निवल उत्पादन का नीचे की ओर समंजन किया जाता है। जबकि स्टॉक में कमी करने के लिए ऊपर की ओर समंजन किया जाता है। मानव द्वारा खपत के लिए उपलब्ध खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष निवल मात्रा निकालने के लिए समंजित निवल उत्पादन को आबादी से विभाजित किया जाता है।

(ग) उपलब्धता का तात्पर्य अनिवार्य रूप से पहुंच नहीं है जो मुख्य रूप से क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। अतः सरकार जनसंख्या के जरूरतमंद तबके की खाद्यान्नों तक पहुंच बढ़ाने के लिए रोजगार सृजन और कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित करती है। इनमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) मध्याह्न भोजन योजना और अंत्योदय अन्न योजना शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार पूरे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक के तंत्र के माध्यम से व्यवस्थाएं भी करती है।

किसानों की बढ़ रही जनसंख्या से मांग में होने वाली वृद्धि का खाद्यान्न के साथ-साथ ताल मेल करने सहित मुख्य कृषि जिन्सों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) निश्चित करती है। इसके अलावा, खाद्यान्नों सहित कृषि जिंसों के समग्र उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिगत, सरकार ने ध्यान केन्द्रित किए जाने और प्राथमिकता पर ध्यान दिए जाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है।

* तीन वर्षों में ग्रामीण ऋण को दोगुना करना, कर्ज के बोझ और उच्च ब्याज दर को कम करना;
* शुष्क भूमि कृषि, बागवानी उत्पादन और जल प्रबंध का संवर्धन;
* अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं सृजित करना;
* अच्छे और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों के उत्पादन को विपणन समर्थन;
* विभिन्न कृषि एवं बागवानी उत्पादन कार्यक्रमों के अधीन किसानों को सहायता;
* प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली उत्पादन हानियों के तहत फसलों का बीमा।

धान खरीद केन्द्र

***386. श्रीमती करूणा शुक्ला :**
डॉ0 लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित धान खरीद केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में ऐसे और अधिक खरीद केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों से इन राज्यों में ऐसे केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) धान की वसूली करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार स्थापित केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। पहली अक्तूबर, 2004 से शुरू हो रहे आगामी खरीफ विपणन मौसम के दौरान भी राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम ने पिछले वर्ष के पैटर्न के आधार पर वसूली करने वाले सभी राज्यों में पर्याप्त संख्या में वसूली केन्द्र खोलने का निर्णय किया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि पिछले वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार आगामी खरीफ मौसम के दौरान धान की वसूली करने के लिए पर्याप्त केन्द्र स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार पिछले वर्ष के पैटर्न को अपनाते हुए धान वसूली केन्द्र स्थापित करेगी, जबकि राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम राज्य में अपेक्षित संख्या में धान वसूली केन्द्र खोलेगा।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 2001-2002 से 2002-2003 के दौरान धान की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए वसूली केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

राज्य	2001-02				2002-03				2003-04			
	भा.खा. नि.	संयुक्त रूप से	राज्य एजेंसी	जोड़	भा. खा. नि.	संयुक्त रूप से	राज्य एजेंसी	जोड़ नि.	भा.खा.नि.	संयुक्त रूप से	राज्य एजेंसी	जोड़
पंजाब	432	107	1114	1653	391	164	908	1463	357	156	945	1458
हरियाणा	31	35	154	220	25	35	162	222	22	36	165	223
उत्तर प्रदेश	-	-	1587	1587	-	-	1500	1500	-	-	1562	1562
दिल्ली	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2
राजस्थान		12	-	-	12	-	-	12	12	-	-	12
आंध्र प्रदेश	173	-	296	469	125	-	175	300	167	-	171	338
मध्य प्रदेश	-	-	488	488	43	-	331	374	205	-	233	438
बिहार	40	-	756	796	100	-	853	953	100	-	600	700
उड़ीसा	-	-	-	-	20	-	-	20	40	-	42	82
हिमाचल प्रदेश	4	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	4
महाराष्ट्र	-	-	823	823	-	-	749	749	-	-	886	886
जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
छत्तीसगढ़	-	-	1680	1680	-	-	1443	1443	-	-	1443	1443
उत्तरांचल	-	-	50	50	-	-	50	50	-	-	50	50
गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
तमिलनाडु	-	-	968	968	-	-	347	347	-	-	571	571
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	630
झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
अंडमान व निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
जोड़	694	142	7916	8752	722	199	6518	7439	919	192	7323	8434

भा.खा.नि. - भारतीय खाद्य निगम

[अनुवाद]

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी०पी०डी०एस०) के दुष्परिणाम

*387. **श्री सुरेश कुरूप :**

श्री पी०सी० थामस :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय राज्य सरकारें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) को 1 जून, 1997 से आरंभ करने के पश्चात् गंभीर दुष्परिणामों का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि "सार्वभौमिक राशनिंग प्रणाली" को बहाल किया जाए जिसके अंतर्गत गरीबी के ऊपर (ए.पी.एल.) और गरीबी से नीचे (बी.पी.एल.) जैसा वर्गीकरण किए बिना राज्य की पूरी जनसंख्या को शामिल किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) पहली जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू होने के बाद कुछ राज्य सरकारों ने गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना में परिवारों के श्रेणीकरण के लिए आधार, प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए सब्सिडि की मात्रा, उचित दर दुकानों की अव्यवहार्यता, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लेवी चीनी रिलीज न करने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इस मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र के लिए आबंटन

*388. **श्री के. सी. सिंह "बाबा"** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए किए जाने वाले आबंटन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के लिए नौवीं योजना और साथ ही दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित परिव्यय (बी ई) निम्नवत है :-

अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपये)

वर्ष	कृषि मंत्रालयन्वित
1	2
1997-98	2066.32
1998-99	2854.07
1999-00	2896.40
2000-01	2879.55
2001-02	2954.00
2002-03	3242.00
2003-04	3242.00
2004-05	4150.00

(ग) और (घ) परिव्यय वर्ष 2000-01 को छोड़कर आनुक्रमिक वर्षों में सामान्यतः बढ़ता रहा है और इसलिये कृषि उत्पादन पर कोई गोचर प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहा है जैसा कि समग्र उत्पादन आंकड़ों में प्रतिबिंबित होगा।

[अनुवाद]

मछुआरों के लिए योजना

*389. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मछुआरों को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से राज्यों में यह योजना आरम्भ की गयी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सहित प्रत्येक राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितने गरीब मछुआरे लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं। सरकार ने मछुआरों को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए देश में कोई केन्द्रीय योजना शुरू नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आलू और प्याज का उत्पादन

*390. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज और आलू के प्रचुर उत्पादन के बावजूद देश में इनके मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्याज और आलू का कुल कितना निर्यात किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इन वस्तुओं की घरेलू मांग को उचित मूल्य पर पूरा करने हेतु इनके निर्यात कोटे में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2001-02 से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्याज और आलू के निर्यात का उपलब्ध ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(मात्रा : मी.टन, मूल्य : करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्याज		आलू	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2001-02	441850.00	332.43	8282.00	3.34
2002-03	588712.00	361.80	24365.00	11.82
2003-04	477846.00	355.26	48815.00	18.40

(घ) प्याज और आलू के निर्यात के लिए कोई कोटा प्रणाली नहीं है। तथापि, विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के अनुसार प्याज का निर्यात राज्य सरकारों के अभिनामित अभिकरणों तथा कुछ पब्लिक सैक्टर एजेन्सियों के जरिए विनियमित किया जा रहा है।

भूमि की उर्वरता का प्रभाव

*391. **श्री अजय माकन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केवल गेहूं और धान की फसलों की ही लगातार खेती करने के कारण भूमि की उर्वरता पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मृदा को अनुर्वरता से बचाने के लिए फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा गेहूँ और धान की लगातार खेती के कारण भूमि की उर्वरता पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए दीर्घकालीन स्वरूप का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि हरियाणा और पंजाब में मुख्य फसलों की उत्पादकता के रुख का गहराई से विश्लेषण करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 1997 में फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। समिति के निष्कर्षों से पता चलता है कि अनाज आधारित फसल प्रणाली की लगातार खेती के कारण मृदा के जैविक कार्बन अंश में कमी आई है। पोषक तत्व पृथक्करण (रिमूवल) के विश्लेषण से भी यह संकेत मिला है कि गेहूँ और चावल की लगातार खेती के कारण पौधों द्वारा अधिक पोषक तत्वों का संचयन किया जा रहा है जिसके कारण मृदा की स्थिति (सायल हैल्थ) में गिरावट आई है।

(ग) और (घ) चक्रीय एकल फसल प्रणाली (साईक्लिड मोनोक्रॉपिंग) और प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन (एक्सप्लायटेशन) से सृजित मृदा उर्वरता में गिरावट आदि जैसी समस्याओं को हल करने के लिए 10वीं योजना के दौरान सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को अभिवृद्धि क्षेत्रों में से एक के रूप में अभिज्ञात किया गया है। सरकार कृषि-जलवायु विषयक स्थितियों, बाजार तक पहुंच और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मांग के तुलनात्मक लाभ के आधार पर तिलहन, दलहन, बागवानी, पुष्प कृषि, औषधीय और सुगन्धित पौधों जैसी अधिक मूल्य/अधिक लाभकारी फसलों के लिये कृषि विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है।

[हिन्दी]

सिंचित भूमि

*392. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री अनंत नायक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में सिंचित भू-क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार और अधिक भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में कितने हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) राज्य सरकारों ने नौवीं पंचवर्षीय योजना (2001-02) के अंत तक सकल सिंचित क्षेत्र के संबंध में योजना आयोग को सूचना भेज दी है जो संलग्न विवरण में दी गई है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई के अंतर्गत और भूमि को लाने के लिए सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और वित्तपोषण के लिए प्रमुखतः राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। तथापि, निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत राज्य सरकारों को वर्ष 1996-97 से केन्द्रीय सहायता (सीएलए) प्रदान कर रही है। वर्ष 1999-2000 से पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम, पहाड़ी राज्यों जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल तथा उड़ीसा के सूखा प्रवण कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों समेत विशेष श्रेणी के क्षेत्रों की लघु सिंचाई स्कीमों के लिए भी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग को दी गई सूचना के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-07) के दौरान पूरे देश में सिंचाई के अंतर्गत 10360880 हैक्टेयर अतिरिक्त सकल क्षेत्र लाए जाने का लक्ष्य है जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात का क्रमशः 956080 हैक्टेयर और 1282600 हैक्टेयर शामिल है।

विवरण

सकल सिंचित क्षेत्र (नौवीं योजना तक)

(आंकड़े हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सकल सिंचित क्षेत्र (नौवीं योजना तक)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5832810
2.	अरूणाचल प्रदेश	77400
3.	असम	668480
4.	बिहार	5474290
5.	छत्तीसगढ़	1083600
6.	गोवा	35330
7.	गुजरात	3176970
8.	हरियाणा	3428090
9.	हिमाचल प्रदेश	145810
10.	झारखण्ड	701540
11.	जम्मू और कश्मीर	535520
12.	कर्नाटक	3386560
13.	केरल	1162630
14.	मध्य प्रदेश	3025110
15.	महाराष्ट्र	4704960
16.	मणिपुर	173340
17.	मेघालय	47310
18.	मिजोरम	14080
19.	नागालैंड	65630
20.	उड़ीसा	3131720
21.	पंजाब	5853810
22.	राजस्थान	4675670
23.	सिक्किम	23610
24.	तमिलनाडु	3668810
25.	त्रिपुरा	100590
26.	उत्तर प्रदेश	23613620
27.	उत्तरांचल	586210
28.	पश्चिम बंगाल	4625240
29.	संघ राज्य क्षेत्र	39350
	अखिल भारत	80058090

उर्वरकों के प्रयोग का प्रभाव

393.* **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतों में रसायनों और उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मृदा शनैः शनैः अपनी उर्वरता खोती जा रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने इस संबंध में कोई परीक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने पोटाश का कोई विकल्प तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा किसानों को जैव खेती हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) देश में उर्वरकों एवं कीटनाशियों की औसत खपत क्रमशः 92.1 किलोग्राम/हेक्टेयर तथा 0.57 किलोग्राम/हेक्टेयर (सक्रिय घटक) एक्टिव इनग्रेडियेंट है जो अनेक विकासशील/विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। खपत के इस स्तर से यह नहीं माना जाता कि मृदा उर्वरता में कमी आएगी और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर) द्वारा उर्वरक उपयोग एवं कीटनाशी अवशिष्ट के बारे में दीर्घावधिक अध्ययन किए गए हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि उर्वरकों के लंबे समय तक एवं असंतुलित प्रयोग से पोषक तत्वों की कमी संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और मृदा स्वास्थ्य एवं फसल उत्पादकता में गिरावट आती है। अतः इस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंध को प्रोत्साहन दे रही है जिसमें मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को कायम रखने के उद्देश्य से जैविक खाद तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग के साथ-साथ मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों का संतुलित एवं युक्ति संगत उपयोग शामिल है। रासायनिक कीटनाशियों के दुरुपयोग से संबंधित दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार समेकित कीट प्रबंध को भी प्रोत्साहन दे रही है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फसल अवशिष्ट के पुनः प्रयोग (रिसाइकलिंग) की सिफारिश कर रही है, जिसमें अवशोषित (एब्सार्बड) पोटाश की मात्रा 75% से अधिक होती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फास्फोकंपोस्ट को वेस्ट माइका, जो देश में उपलब्ध पोटाश युक्त खनिज है, से संपन्न करने के बारे में प्रयोग किए जा रहे हैं।

(च) "राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना" को 57.05 करोड़ रुपये के परिव्यय से अनुमोदित किया गया है, जिसका कार्यान्वयन दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाएगा और इसमें पायलट आधार पर जैविक उत्पादों का उत्पादन, प्रोत्साहन, मंडी विकास तथा प्रमाणीकरण किया जाएगा।

[अनुवाद]

पर्यटन परियोजनाएं

*394. **श्री एन०एन० कृष्णदास** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की जा रही विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पर्यटन के विकास के लिए कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) आगामी वर्षों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देश में अवसंरचना सृजित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं :

(*i*) उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास;

(*ii*) पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास;

(*iii*) भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं हेतु सहायता;

(*iv*) ग्रामीण पर्यटन के लिए योजना।

इलेक्ट्रानिक/प्रिंट एवं इंटरनेट मीडिया के तत्वों को अभिमुख करते हुए एक एकीकृत अभियान के माध्यम से भारत को एक "इन्क्रेडिबल इंडिया" ब्रांड के रूप में भी अवस्थित किया गया है। विभाग ने पर्यटक सूचना ब्रोशरों, पोस्टरों, स्क्रोलों, आदि जैसी उच्च स्तर की प्रचार सामग्री तैयार की है।

(ग) और (घ) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त की गई आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अगस्त 1991 से मई 2004 तक (क्षेत्र होटल एवं पर्यटन) की अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) और विदेशी प्रौद्योगिकी मामलों के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	पर्यटन परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	गुजरात	14
3.	हरियाणा	8
4.	हिमाचल प्रदेश	9
5.	जम्मू एवं कश्मीर	1
6.	कर्नाटक	29
7.	केरल	30
8.	मध्य प्रदेश	4
9.	महाराष्ट्र	114
10.	नागालैण्ड	1
11.	उड़ीसा	3
12.	पंजाब	2
13.	राजस्थान	15
14.	तमिलनाडु	86
15.	उत्तर प्रदेश	12
16.	उत्तरांचल	1
17.	पश्चिम बंगाल	16
18.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3
19.	चंडीगढ़	5
20.	दिल्ली	142
21.	गोवा	79
22.	मिजोरम	1
23.	पांडिचेरी	5
24.	दर्शाए नहीं गए राज्य	148
	कुल	733

गन्ने का उत्पादन

*395. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य-वार प्रत्येक वर्ष के दौरान गन्ने का कुल कितना उत्पादन दर्ज किया गया और इसकी खेती कितनी भूमि पर की गई;

(ख) विश्व में गन्ने की औसत उपज की तुलना में देश में गन्ने की औसत उपज कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में गन्ने की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और इसकी नयी किस्मों का विकास करने के लिए किसी संस्था का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान गन्ने के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने अपनी रिपोर्ट "प्रोडक्शन ईयरबुक, 2001" में सूचित किया है कि वर्ष 2001 में भारत में गन्ने की औसत उपज 70.62 मी. टन प्रति हेक्टेयर थी, जो विश्व औसत 65.20 मी. टन प्रति हेक्टेयर से अधिक थी।

(ग) गन्ने की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-"गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत विकास" 20 राज्यों एवं एक केन्द्र शासित प्रदेश में शुरू की गई थी। इस स्कीम का व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 90:10 के आधार पर वहन किया जाता है।

इस स्कीम में खेतों पर प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों में प्रौद्योगिकी अन्तरण, किसानों/विस्तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण, कृषि उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से किसानों के संसाधन आधार को प्रोत्साहन देने, बीज उत्पादन में वृद्धि करने एवं कीट नियंत्रण उपायों पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को (i) खेतों पर प्रदर्शन (ii) किसानों के प्रशिक्षण (iii) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (iv) उपकरण (क) बैल चालित (ख) ट्रैक्टर चालित (v) बीज बहुलीकरण (सीड मल्टीप्लीकेशन, (vi) ऊष्मा उपचार

संयंत्र (हीट ट्रीटमेंट प्लांट) (vii) ड्रिप के आधारभूत ढाँचे (viii) आकस्मिक व्यय के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

अग्रणी प्रदर्शन, प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण जैसे घटकों के लिए भारत सरकार द्वारा 100% धनराशि दी जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के अंतर्गत दो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान अर्थात भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर एवं उनके क्षेत्रीय केन्द्र तथा अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना एवं इसके 22 अनुसंधान केन्द्र, जो देश भर में फैले हुए हैं, गन्ने की नयी किस्मों तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास में सतत कार्यरत हैं।

(घ) और (ङ) पिछले कुछ समय के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली ने गन्ने की अनेक बेहतर किस्मों, जिनके रस में शर्करा की मात्रा काफी अधिक है, का विकास किया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित किस्मों को अधिसूचित किया गया है :-

(क) सी.ओ. 8371, सी.ओ. 85004, सी.ओ. 86032, सी.ओ. 87025, सी.ओ. 87044, सी.ओ. 94008-प्रायद्वीप (पेनिनसुलर) क्षेत्र के लिए संस्तुत

(ख) सी.ओ. 87263, सी.ओ. 89029, सी.ओ. 87268-उत्तर मध्य क्षेत्र के लिए संस्तुत

(ग) सी.ओ. 86249-पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र के लिए संस्तुत

(घ) सी.ओ. 94012-महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त

(ङ) सी.ओ. 89003-उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए उपयुक्त

(च) सी.ओ. 92020-उत्तरी कर्नाटक के लिए उपयुक्त

उपर्युक्त किस्मों के अलावा शर्करा की अधिक मात्रा वाली निम्नलिखित किस्में भी राज्य कृषि विश्व विद्यालयों के अन्य केन्द्रों द्वारा रिलीज की गई है :-

(क) 84 ए 125, सी.ओ.ए. 92081, सी.ओ.वी. 95101, 83 आर. 23, सी.ओ.वी. 92102, सी.ओ.वी. 94101 तथा सी.ओ. 89085-आंध्र प्रदेश के लिए उपयुक्त

(ख) सी.ओ.एन. 95132 गुजरात के लिए उपयुक्त

(ग) सी.ओ.एस. 8436, सी.ओ.एस. 88230, सी.ओ.एस. 95255, सी.ओ.एस. 96268, सी.ओ.एस.ई. 00235, सी.ओ.एस.ई. 01235, सी.ओ.एस.ई. 95422, सी.ओ.एस.ई. 96234, सी.ओ. पन्त 84211 उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त

(घ) सी.ओ.एच. 92201 हरियाणा के लिए उपयुक्त

(ङ) सी.ओ.जे. 81 पंजाब के लिए उपयुक्त

(च) सी.ओ.बी. 94161, सी.ओ.बी. 94162, बी.ओ. 120 पूर्वी मध्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त

गन्ने से संबंधित अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत गन्ना प्रजनन केन्द्र, कोयम्बतूर तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के नेतृत्व में किया जाता है। विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी इससे लाभान्वित होते हैं और गन्ने की गुणवत्ता युक्त किस्में, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, निर्गत करते हैं।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान गन्ने का राज्य-वार क्षेत्र एवं उत्पादन

('000 हेक्टेयर) उत्पादन ('000 मी. टन)

राज्य/क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04*	2001-02	2002-03	2003-04*
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	218.0	234.0	203.0	18082.0	15387.0	14616.0
अरूणाचल प्रदेश	1.0	0.7	#	18.9	15.3	#
असम	27.2	25.2	25.0	1011.4	916.1	908.0
बिहार	113.4	187.1	103.0	5211.1	4601.3	4222.0
छत्तीसगढ़	3.5	9.0	11.0	9.0	20.7	27.0

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	175.8	202.9	155.0	12464.6	14071.3	10850.0
गोवा	1.2	1.2	#	70.6	65.5	#
हरियाणा	161.0	180.0	161.0	9270.0	8000.0	9340.0
हिमाचल प्रदेश	3.0	3.0	3.0	82.7	83.0	5.0
जम्मू और कश्मीर	0.1	0.1	#	0.0	0.5	#
झारखण्ड	3.8	7.0	4.0	144.9	130.0	136.0
कर्नाटक	407.0	385.0	237.0	33016.6	32479.0	15800.0
केरल	3.3	3.1	3.0	269.8	273.0	290.0
मध्य प्रदेश	41.6	52.7	52.0	1616.0	2084.0	2180.0
महाराष्ट्र	578.0	599.0	526.0	45140.0	37015.0	26982.0
मणिपुर	0.7	0.7	#	21.2	22.2	#
मेघालय	0.1	0.1	#	0.2	0.3	#
मिजोरम	0.4	1.4	#	9.4	7.4	#
नागालैण्ड	1.0	2.0	#	50.0	80.0	#
उड़ीसा	11.0	14.2	15.0	644.0	753.2	858.0
पंजाब	142.0	154.0	123.0	9250.0	9290.0	7870.0
राजस्थान	9.1	10.0	6.0	432.2	421.7	309.0
तमिलनाडु	321.0	283.6	185.0	32620.0	30282.2	19714.0
त्रिपुरा	1.0	1.2	#	52.7	56.2	#
उत्तर प्रदेश	2035.0	1852.0	2030.0	117982.0	116324.0	112754.0
उत्तरांचल	125.9	130.0	128.0	7555.3	7708.0	7651.0
पश्चिम बंगाल	23.3	19.5	17.0	1983.4	1281.3	1268.0
अण्ड. निको. द्वीप समूह	0.1	0.1	#	2.4	3.9	#
पांडिचेरी	2.1	2.5	#	197.4	202.7	#
अन्य			8.0			396.0
अखिल भारत	4411.6	4361.3	3995.0	297207.8	281574.8	236176.0

* दिनांक 05.08.2004 के अनुसार अग्रिम अनुमान

अन्य में शामिल

नदियों की भंडारण क्षमता

*396. **श्रीमती अर्चना नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी नदियों के जल के कुल प्रवाह के केवल 8.5% भाग का ही सिंचाई और विद्युत के लिए भंडारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार नदियों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि विद्युत और सिंचाई की मांग को पूरा किया जा सके?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) अब तक सृजित की गई भण्डारण क्षमता देश में उपलब्ध औसत वार्षिक जल का 11% है। इसमें पूरे देश की वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से सृजित की गई भण्डारण क्षमता शामिल है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, भण्डारण परियोजनाओं सहित जल संसाधन स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। मौजूदा आकलन के अनुसार, विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल अनुमानित भण्डारण क्षमता लगभग 76 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) तथा तैयार की जा रही परियोजनाओं की कुल अनुमानित भण्डारण क्षमता लगभग 108 बीसीएम है। भारत सरकार ने निर्माणाधीन जल संसाधन स्कीमों को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया है।

सिंथेटिक घी की बिक्री

*397. **श्री अवतार सिंह भडाना :**
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में, विशेषकर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में, सिंथेटिक घी का व्यापार फल-फूल रहा है और जहां एगमार्क के साथ नकली ब्रांड नामों पर प्रतिदिन सैकड़ों टन सिंथेटिक घी बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सिंथेटिक घी की बिक्री को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है/किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) घी का अर्थ दूध अथवा दही अथवा देशी (कुकिंग) मक्खन अथवा उस क्रम जिसमें कोई रंग पदार्थ अथवा परिरक्षक नहीं मिलाया गया हो, से प्राप्त शुद्ध सुस्वच्छ वसा से है। वह घी, जो खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करता, को "मिलावटी" कहा जाता है। कन्टेनर पर अंकित ग्रेड के मानदण्डों को पूरा न करने वाले घी को कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग तथा मार्किंग) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों के अंतर्गत "मिसग्रेडेड" कहा जाता है। एगमार्क नकली ब्राण्ड के अंतर्गत बेचे गए घी के मामलों तथा एगमार्क विशिष्टताओं के अनुकूल न होने वाले घी के नमूनों को नोटिस किया गया है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त नमूनों तथा एगमार्क के अंतर्गत मिसग्रेडिंग के ब्यौरों को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) एगमार्क के अंतर्गत विपणन किए गए घी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत पैकर्स द्वारा पैक किए गए घी की नियमित जांच कृषि मंत्रालय के संबंद्ध कार्यालय, विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई.) द्वारा की जा रही है। एगमार्क के साथ नकली ब्रान्ड नामों में सिन्थेटिक घी की बिक्री की रिपोर्टों के प्राप्त होने पर, प्राधिकृत पैकर्स के परिसरों और बाजारों में विशेष नमूनाकरण अभियान चलाने के लिए डी.एम.आई. के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे। झूठे फैबरीकेटेड तथा फेक एगमार्क मोहर की समस्या को हल करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पुलिस प्राधिकारियों के पास ऐसे मामले की शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। विशेष नमूनाकरण अभियान के दौरान देश के विभिन्न भागों से 286 जांच नमूने प्राप्त किए गए थे। 277 जांच नमूनों का विश्लेषण किया गया तथा बाकी 9 नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। कन्टेनर पर मार्क किए गए ग्रेड हेतु 12 जांच नमूनों को एगमार्क मानदण्डों के अनुकूल नहीं पाया गया। एगमार्क मानदण्डों के अनुकूल न पाए जाने वाले नमूनों के विरुद्ध नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है। कन्टेनर पर मुद्रित "एगमार्क के अनुसार" के साथ नकली ब्रान्ड का एक मामला ध्यान में आया था तथा उसकी पुलिस प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की गई, क्योंकि वह एगमार्क प्राधिकृत पैकर नहीं था।

घी सहित खाद्य मदों की मिलावट तथा मिसब्रान्डिंग के बारे में खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बाजारों में बेचे गए घी सहित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में विशेष अभियान चलाने के साथ-साथ कड़ी नजर रखने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सुझाव देता है।

विवरण

एगमार्क प्रमाणित घी की जांच के लिए डी.एम.आई. द्वारा चलाए गए घी का विशेष जांच नमूनाकरण अभियान

राज्य का नाम	प्राप्त किए गए जांच नमूनों की संख्या	मिसग्रेडेड जांच नमूनों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	14	शून्य
बिहार	4	विश्लेषण के अधीन
चण्डीगढ़	3	शून्य
दिल्ली	24*	शून्य
गुजरात	5	शून्य
हिमाचल प्रदेश	4	शून्य
जम्मू व कश्मीर	8	शून्य
कर्नाटक	32	शून्य
केरल	46	शून्य
मध्य प्रदेश	12	शून्य
महाराष्ट्र	26	3
उड़ीसा	5	विश्लेषण के अधीन
पंजाब	47*	1
राजस्थान	8	2
तमिल नाडु	11	1
उत्तर प्रदेश	29	4
पश्चिम बंगाल	8	1
	286	12

*दिल्ली से लाए गए दो नमूने तथा पंजाब से लाया गया एक नमूना हरियाणा स्थित प्राधिकृत पैकर्स से संबंधित था।

गंगा सफाई योजना

***398. श्री जुएल ओराम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा सफाई योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ख) इस सफाई योजना पर अभी तक वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) गंगा की सफाई के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या देश में बड़ी नदियों के लिए ऐसी ही सफाई योजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को नदी जल गुणता को स्नान योग्य बनाने के लिए प्रदूषण निवारण की निम्नलिखित स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

- खुले नालों के माध्यम से नदी में प्रवाहित होने वाले कच्चे मलजल को रोकने के लिए अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन कार्य और शोधन के लिए उनका दिशा परिवर्तन।
- दिशा परिवर्तित मलजल के शोधन के लिए मलजल शोधन संयंत्र।
- नदी किनारों पर खुले में शौच को रोकने के लिए अल्प लागत शौचालय।
- लकड़ी के प्रयोग से बचने के लिए और श्मशान घाटों पर लाए गए मृत शरीरों का उचित दाह संस्कार करने के लिए विद्युत शवदाहगृह और उन्नत काष्ठ शवदाहगृह।
- स्नान घाटों आदि के सुधार जैसे नदी तटाग्र विकास कार्य।
- वनीकरण, जन भागीदारी, जन जागरूकता आदि जैसे अन्य छोटे-छोटे विविध कार्य।

गंगा कार्य योजना चरण 1 वर्ष 1985 में 462 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम राज्यों के 25 शहरों में शुरू की गई थी। योजना 31.3.2000 को कुल 261 स्कीमों में 259 स्कीमें पूरी होने पर पूरी हो गई थी। सीवेज शोधन संयंत्रों की शेष बची दो अधूरी स्कीमें बिहार में हैं। योजना के अन्तर्गत लक्षित 882 मिलीयन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल शोधन की तुलना में 865 मिलियन लीटर प्रतिदिन तैयार की गई है।

गंगा और इसकी सहायक नदियों यथा यमुना, गोमती और दामोदर को शामिल करके वर्ष 1993 और 1996 के बीच 2286 करोड़ रुपये

की लागत से गंगा कार्य योजना चरण 2 को अनुमोदित किया गया था और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। 526 स्वीकृत स्कीमों में से अब तक 333 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। योजना के अंतर्गत 2211 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल शोधन लक्ष्य की तुलना में अभी तक 783 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता तैयार की गई है। गंगा कार्य योजना 1 और 2 पर अब तक वर्ष-वार खर्च की गई राशि नीचे दिए अनुसार है :-

(लाख रुपये)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशि	
	गं.का.यो. चरण-I	गं.का.यो. चरण-II
1985-86	652.00	-
1986-87	2580.00	-
1987-88	4300.00	-
1988-89	5689.00	-
1989-90	6000.00	-
1990-91	5174.00	-
1991-92	4981.00	-
1992-93	5369.00	-
1993-94	4685.01	1193.00
1994-95	2721.95	839.55
1995-96	1228.15	1311.72
1996-97	1210.78	9423.02
1997-98	329.60	8081.09
1998-99	250.00	8600.00
1999-00	-	8853.51
2000-01	-	5086.60
2001-02	-	16419.13
2002-03	-	15613.50
2003-04	-	4985.50
2004-05	-	500.00
कुल	45170.49	80906.62

(घ) और (ङ) गंगा कार्य योजना चरण 2 सहित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी सहित कुल 4688 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत से 18 राज्यों में 31 नदियों के प्रदूषित किनारों पर स्थित 157 शहरों में प्रदूषण निवारण के कार्यों को शामिल करके कार्यान्वयन किया जा रहा है। नदी-वार विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 157 शहरों की नदी-वार अनुमोदित लागत

क्र.सं.	शहर	राज्य संख्या	राज्य	अनुमोदित लागत
1	2	3	4	5
I	आडयार			
II	क्यूम			
1	चेन्नई	1	तमिलनाडु	49152.00
	उप-जोड़			49152.00
III	बेतवा			
2	भोपाल	2	मध्य प्रदेश	234.77
3	मण्डीदीप		मध्य प्रदेश	165.24
4	विदिशा		मध्य प्रदेश	463.87
	उप-जोड़			863.88
IV	भद्रा			
5	भद्रावती	3	कर्नाटक	459.49
	उप-जोड़			459.49
V	ब्राह्मणी			
6	चान्दबाली	4	उड़ीसा	97.36
7	धर्मशाला		उड़ीसा	220.32
8	तेलचर		उड़ीसा	676.62
9	पुरी (तटीय क्षेत्र)		उड़ीसा	4829.00
	उप-जोड़			5823.30
VI	कावेरी			
10	भवानी		तमिलनाडु	349.73

47

1	2	3	4	5
11	इरोड		तमिलनाडु	1488.60
12	के.आर. नगर		कर्नाटक	80.36
13	कोलेगल		कर्नाटक	70.65
14	कुमारप्लायम		तमिलनाडु	593.85
15	नानजगुड		कर्नाटक	175.23
16	पल्ली पलायम		तमिलनाडु	540.76
17	कुरूर		तमिलनाडु	3850.00
18	कुम्बकोनम		तमिलनाडु	5060.00
19	मलयदुथुरई		तमिलनाडु	4620.00
20	त्रिचिरापल्ली		तमिलनाडु	13200.00
21	श्रीरंगपाटन		कर्नाटक	183.97
22	त्रिची		तमिलनाडु	654.81
	उप-जोड़			30867.96
VII	चम्बल			
23	केशोरायपाटन	5	राजस्थान	76.39
24	कोटा		राजस्थान	1244.61
25	नागदा		मध्य प्रदेश	372.10
	उप-जोड़			1693.10
VIII	दामोदर			
26	अन्दाल	6	पश्चिम बंगाल	141.34
27	आसनसोल		पश्चिम बंगाल	761.42
28	बोकारी-कांगली	7	झारखण्ड	115.46
29	चिरचुन्डा		झारखण्ड	172.12
30	दुग्धा		झारखण्ड	123.80
31	दुर्गापुर		पश्चिम बंगाल	161.51
32	झारिया		झारखण्ड	193.35
33	रामगढ़		झारखण्ड	295.38
34	रानीगंज		पश्चिम बंगाल	154.91

48

1	2	3	4	5
35	सिन्दरी		झारखण्ड	0.85
36	सुदामडीड		झारखण्ड	99.83
37	तेलुमोचु		बिहार	21.27
	उप-जोड			2241.24
IX	गंगा			
38	इलाहाबाद	8	उत्तर प्रदेश	3272.36
39	अनूपशहर		उत्तर प्रदेश	549.07
40	आरा	9	बिहार	255.20
41	भद्रेश्वर एवं चम्बादानी और कंचनपाड़ा		पश्चिम बंगाल	3378.84
42	बद्रीनाथ		उत्तरांचल	67.54
43	बैद्यवती		पश्चिम बंगाल	1291.11
44	बांसबेरिया		पश्चिम बंगाल	2680.59
45	बड़हिया		बिहार	41.26
46	बाढ़		बिहार	68.69
47	बैरकपुर		पश्चिम बंगाल	2395.18
48	भागलपुर		बिहार	516.77
49	बिजनौर		उत्तर प्रदेश	718.20
50	बज-बज		पश्चिम बंगाल	985.37
51	बक्सर		बिहार	76.14
52	चिकडाह		पश्चिम बंगाल	235.06
53	छपरा		बिहार	167.62
54	चुनार		उत्तर प्रदेश	468.30
55	सरकुलर कनाल		पश्चिम बंगाल	901.82
56	देव प्रयाग	10	उत्तरांचल	381.19
57	धुलियान		पश्चिम बंगाल	371.05
58	डायमंड हार्बर		पश्चिम बंगाल	342.53

1	2	3	4	5
59	फारूकाबाद		उत्तर प्रदेश	51.02
60	फतवा		बिहार	66.56
61	गढ़मुक्तेश्वर		उत्तर प्रदेश	153.90
62	गरूलिया		पश्चिम बंगाल	1035.82
63	गाजीपुर		उत्तर प्रदेश	771.78
64	गोपेश्वर		उत्तरांचल	97.42
65	ग्यासपुर, हलीलशहर		पश्चिम बंगाल	2591.60
66	हरिद्वार-ऋषिकेश		उत्तरांचल	648.00
67	हाजीपुर		बिहार	292.63
68	जांगीपुर		पश्चिम बंगाल	335.09
69	जीजगंज आजीमगंज		पश्चिम बंगाल	556.54
70	जोशीमठ		उत्तरांचल	43.82
71	केहलगांव		बिहार	206.92
72	कानपुर		उत्तर प्रदेश	8573.88
73	कर्ण प्रयाग		उत्तरांचल	29.23
74	कटवा		पश्चिम बंगाल	357.61
75	खर्दा विस्तारित		पश्चिम बंगाल	986.17
76	कोनागार		पश्चिम बंगाल	1486.50
77	महेशतला		पश्चिम बंगाल	1275.72
78	मिर्जापुर		उत्तर प्रदेश	369.60
79	मोकामा		बिहार	176.68
80	मुगल सराय		उत्तर प्रदेश	409.02
81	मुंगेर		बिहार	116.38
82	मुर्शीदाबाद		पश्चिम बंगाल	488.65
83	नईहाटी		पश्चिम बंगाल	2322.05
84	नार्थ बैरकपुर		पश्चिम बंगाल	1922.23
85	पटना		बिहार	1163.57
86	रानीपुर		उत्तरांचल	746.09

1	2	3	4	5
87	रिसरा		पश्चिम बंगाल	1191.24
88	रूद्र प्रयाग		उत्तरांचल	209.38
89	साहेबगंज		झारखण्ड	47.50
90	सैदपुर		उत्तर प्रदेश	61.62
91	श्रीनगर		उत्तरांचल	707.85
92	सुल्तानगंज		बिहार	93.81
93	टोली नाला		पश्चिम बंगाल	3545.36
94	उत्तर काशी		उत्तरांचल	918.08
95	उत्तरपाड़ा कोटरूंग		पश्चिम बंगाल	1069.93
96	वाराणसी		उत्तर प्रदेश	4505.97
	उप-जोड़			58789.11
X	गोदावरी			
97	भद्राचलम	11	आंध्र प्रदेश	294.36
98	मंचरियाल		आंध्र प्रदेश	456.72
99	नन्देड़	12	महाराष्ट्र	1449.79
100	नासिक		महाराष्ट्र	6889.19
101	राजामुन्दरी		आंध्रप्रदेश	2391.12
102	त्रिम्बकेश्वर		महाराष्ट्र	1164.00
103	रामागुन्डम		आंध्र प्रदेश	1961.13
	उप-जोड़			14606.31
XI	गोमती			
104	जौनपुर		उत्तर प्रदेश	566.38
105	लखनऊ		उत्तर प्रदेश	31100.96
106	सुल्तानपुर		उत्तर प्रदेश	470.03
	उप-जोड़			32137.37
XII	खान			
107	इन्दौर		मध्य प्रदेश	4219.08
	उप-जोड़			4219.08

1	2	3	4	5
XIII	कृष्णा			
108	कराड		महाराष्ट्र	1330.64
109	सांगली		महाराष्ट्र	1483.73
	उप-जोड़			2814.37
XIV	क्षिप्रा			
110	उज्जैन		मध्य प्रदेश	2492.13
	उप-जोड़			2492.13
XV	महानदी			
111	कटक		उड़ीसा	1404.00
	उप-जोड़			1404.00
XVI	मण्डवी			
112	पणजी	13	गोवा	1409.52
	उप-जोड़			1409.52
XVII	नर्मदा			
113	जबलपुर		मध्य प्रदेश	1380.77
	उप-जोड़			1380.77
XVIII	पाम्बा			
114	पाम्बा (सबरीमाला)	14	केरल	1845.00
	उप-जोड़			1845.00
XIX	पेनियार			
115	बंगलौर		कर्नाटक	4627.00
	उप-जोड़			4627.00
XX	साबरमती			
116	अहमदाबाद	15	गुजरात	9383.39
	उप-जोड़			9383.39
XXI	सतलुज			
117	जालंधर	16	पंजाब	5454.86
118	लुधियाना		पंजाब	15715.54
119	फगवाड़ा		पंजाब	715.98
120	फिल्लौर		पंजाब	74.98
121	कपूरथला		पंजाब	1256.26
122	सुल्तानपुर लोधी		पंजाब	240.74
	उप-जोड़			23458.36
XXII	सुवर्ण रेखा			
123	घाटशिला		झारखण्ड	196.86
124	जमशेदपुर		झारखण्ड	1705.42
125	रांची		झारखण्ड	1161.81
	उप-जोड़			3064.09
XXIII	ताप्ती			
126	बुरहानपुर		मध्य प्रदेश	525.79
	उप-जोड़			525.79
XXIV	तुंग			
127	शिमोगा		कर्नाटक	708.93
	उप-जोड़			708.93
XXV	तुंगभद्रा			
128	दावणगेर		कर्नाटक	644.47
129	हरी हार		कर्नाटक	249.60
	उप-जोड़			894.07
XXVI	ताम्रबरनी			
130	तिरूनवेली		तमिलनाडु	6600.00
	उप-जोड़			6600.00
XXVII	तेन्नार			
131	तंजौर		तमिलनाडु	7700.00
	उप-जोड़			7700.00
XXVIII	वैगई			
132	मदुरई		तमिलनाडु	16500.00

1	2	3	4	5
	उप-जोड़			16500.00
XXIX	वैन गंगा			
133	छपरा		मध्य प्रदेश	58.71
134	कियोलारी		मध्य प्रदेश	77.57
135	सिवनी		मध्य प्रदेश	129.30
	उप-जोड़			265.51
XXX	यमुना			
136	आगरा		उत्तर प्रदेश	7463.23
137	चिंचरौली	17	हरियाणा	102.54
138	दिल्ली	18	दिल्ली	18656.42
139	फतवा		उत्तर प्रदेश	943.09
140	फरीदाबाद		हरियाणा	7804.26
141	घरौन्डा		हरियाणा	173.37
142	गाजियाबाद		उत्तर प्रदेश	9172.24
143	गोहाना		हरियाणा	335.60
144	गुड़गांव		हरियाणा	2681.70
145	इन्दरी		हरियाणा	128.15
146	करनाल		हरियाणा	2729.62
147	मथुरा		उत्तर प्रदेश	2798.87
148	मुजफ्फरनगर		उत्तर प्रदेश	1282.90
149	नोएडा		उत्तर प्रदेश	2814.79
150	पलवल		हरियाणा	1056.18
151	पानीपत		हरियाणा	4392.59
152	रादौर		हरियाणा	181.09
153	सहारनपुर		उत्तर प्रदेश	2551.54
154	सोनीपत		हरियाणा	2403.51
155	वृन्दावन		उत्तर प्रदेश	961.58
156	यमुनानगर		हरियाणा	2867.23
	ग.का.यो. II			57380.00
	उप-जोड़			128880.55
XXXI	मूसी			
157	हैदराबाद		आंध्र प्रदेश	34408.00
	उप-जोड़			34408.00
	कुल जोड़ (31 नदियां)			449214.32
स.बहि.शी.स. कलकत्ता (गंगा)				6500.00
स्था.एवं अनु एवं वि				13072.52
	समग्र कुल जोड़			468786.84

वायु प्रदूषण के लिए योजना

*399. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं योजना के दौरान वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक योजना (रोड मैप) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस योजना के लिए एकत्रित आंकड़े लगभग पांच वर्ष पुराने हैं;

(घ) यदि हां, तो इससे किस सीमा तक वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सकेगा; और

(ङ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख)भारत सरकार ने ऑटो फ्यूल पॉलिसी पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसने देश के चुनिंदा प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के नीतिगत उपाय तथा उनके क्रियान्वयन के लिए योजना प्रस्तावित की थी जिसमें स्वच्छ ईंधन, ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकियों तथा प्रवर्तन उपयों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ)देश के प्रमुख शहरों में स्थापित 296 परिवेशी वायु गुणवत्ता स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से परिवेशी वायु

गुणवत्ता आंकड़ों का नियमित तौर पर संग्रहण, मिलान तथा इन्हें अद्यतन किया जाता है।

(ङ) सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विभिन्न कमद उठाए हैं जिनमें शामिल हैं :-

- सामान्य तथा स्रोत विशिष्ट उत्सर्जन मानकों का अधिसूचन।
- नए वाहनों के लिए विनिर्माण की अवस्था में ऑटो एग्जोस्ट इमिशन मानकों का प्रवर्तन।
- उन्नत ईंधन गुणवत्ता।
- ताप विद्युत संयंत्रों में लाभकारी कोयले का प्रयोग।
- उद्योगों की 17 श्रेणियों के संबंध में पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कॉरपोरेट दायित्व संबंधी चार्टर का क्रियान्वयन।

पनधारा का निर्माण

***400. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश मे पनधाराओं (वाटर शैड) के निर्माण के लिए व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी;

(घ) इस योजना के अंतर्गत वित्तिय सहायता के रूप में राज्यों को कुल कितनी धनराशि वितरित की गयी; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इनकी कितनी प्राप्ति की गयी?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) पनधारा विकास के बारे में राष्ट्रीय कृषि नीति (2000) में कहा गया है कि :-

"पनधारा आधार पर भूमि संसाधनों के प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। झूम खेती वाले क्षेत्रों के सतत विकास के लिए भी उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पनधारा आधार पर वानस्पतिक उपायों के माध्यम से वर्षा जल के संरक्षण द्वारा वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समेकित एवं समग्र विकास तथा पनधारा समुदाय की सहभागिता से कृषि तथा फार्म वानिकी के माध्यम से बायोमास के उत्पादन में वृद्धि करना। पनधारा के स्थान संबंधी सभी घटकों अर्थात कृष्य भूमि, गैर कृष्य भूमि तथा ड्रेनेज लाइनों को एक जीयो-हाइड्रोलॉजिकल इकाई माना जाएगा। पशु आहार तथा चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए चारागाहों के प्रबंध पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। भारत के दो तिहाई फसल क्षेत्र, जो वर्षा पर निर्भर है, के विकास के लिए पनधारा दृष्टिकोण के माध्यम से सतत वर्षा सिंचित कृषि से संबंधित दीर्घावधिक संदर्श योजना का शीघ्रता से कार्यान्वयन किया जाएगा।"

(ग) से (ङ) छः स्कीमों के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को स्वीकृत एवं संवितरित कुल धनराशि, लक्ष्य एवं उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये छः स्कीमें इस प्रकार हैं (i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन. डब्ल्यू. डी. पी. आर. ए.), (ii) नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आर. वी. पी. एवं एफ. पी. आर.), (iii) कृषि मंत्रालय की स्कीम - झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास (डब्ल्यू. डी. एस. सी. ए.), (iv) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.), (v) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी. डी. पी.), (vi) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम।

विवरण

कृषि मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत एवं निर्गत धनराशि तथा लक्ष्य एवं उपलब्धियों का वर्ष-वार विवरण

वित्तीय (करोड़ रू० में) भौतिक (क्षेत्र है० में)

स्कीम	स्वीकृत परिव्यय			निर्गत राशि			लक्ष्य			उपलब्धि		
	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एन०डब्ल्यू०पी०आर०ए०	235.20	179.56	179.12	195.82	151.40	173.58	509550	279450	401016	464341	179044	325516
डब्ल्यू०डी०एस०सी०ए०	15.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	30000	20000	20000	22005	19336	20082

1	2	3	4
6.	थोंडी	रामनाथपुरम	छोटा मात्स्यिकी बंदरगाह
7.	रामेश्वर	रामनाथपुरम	मछली उतारने का केन्द्र
8.	कोटापटनम	पुडुकोट्टई	मछली उतारने का केन्द्र
9.	मंडपम (पाल्क खाड़ी)	रामनाथपुरम	मछली उतारने का केन्द्र
10.	पुलीकट	थिरुवेलूर	मछली उतारने का केन्द्र
11.	मुडासालोडई	कोडालोर	मछली उतारने का केन्द्र
12.	सेथूपवस्त्रम	थंजावुर	मछली उतारने का केन्द्र
13.	जगतपटिनम	पुडुकोट्टई	मछली उतारने का केन्द्र
14.	पुनाकयाल	टूटीकोरी	मछली उतारने का केन्द्र

निर्यात मूल्य में छूट

***3600. श्रीमती कृष्णा तीरथ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम निर्यात वाले चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्य से कम मूल्य पर बेच रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भारी छूट की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए मूल्यों की तुलना में निर्यात वाले चावल का औसत मूल्य कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन होने वाले कुल उठान में से अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लगभग 90 प्रतिशत उठान होता है। अंत्योदय योजना और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित केन्द्रीय निर्गम मूल्य कभी भी चावल के प्रभावी निर्यात मूल्यों से अधिक नहीं रहे हैं। चावल का प्रभावी निर्यात मूल्य केवल गरीबी रेखा से ऊपर के लाभभोगियों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य से नीचे रहा है, गरीबी रेखा से ऊपर के लाभभोगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों का एक बहुत छोटा भाग है और इस प्रकार इससे कोई भारी छूट नहीं मिली है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-04 की अंतिम तिमाही के दौरान चावल के लिए प्रभावी निर्यात मूल्य, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं:-

(रूपये प्रति टन)

वित्तीय वर्ष	प्रभावी निर्यात मूल्य (रॉ चावल)	गरीबी रेखा से नीचे के लिए मूल्य	गरीबी रेखा से ऊपर के लिए मूल्य (ग्रेड 'ए' चावल)
2001-02	5650	5650	8300
2002-03	6510	5650	8300
2003-04	7600	5650	8300

पारंपरिक मछुआरों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

3601. डा. के. एस. मनोज: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारंपरिक मछुआरों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पारंपरिक मछुआरों के लिए बचत-सह-राहत योजना पुनः लागू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों की क्रमशः कितनी भागीदारी है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपना हिस्सा जारी कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास और मछुआरों के हित के लिए दसवीं योजना के दौरान प्रचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं इस प्रकार हैं :-

(1) अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास;

(2) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास ;

(3) मात्स्यिकी प्रशिक्षण तथा विस्तार योजना ;

(4) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना ।

(ख) बचत-सह-राहत घटक के साथ केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना को नौवीं योजना से दसवीं योजना में भी जारी रखा गया है।

(ग) बचत-सह-राहत घटक के अंतर्गत समुद्री/अंतर्देशीय मछुआरे 8/9 माह के लिए 75/50 रुपए प्रति माह का अंशदान करते हैं। लाभार्थियों के अंशदान को सरकार द्वारा दी गई समतुल्य राशि के साथ कमी वाले मौसम में 300.00 रुपए के 3/4 किश्तों में लाभार्थियों को वितरित किया जाता है ।

(घ) सरकार द्वारा दी गई धनराशि को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। संघ शासित प्रदेश के मामले में, 100 प्रतिशत लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ङ.) और (च) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सहायता कल्याण योजना के बचत-सह-राहत घटक के अंतर्गत दी जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान (2001-02, 2002-03 और 2003-04) बचत-सह-राहत घटक के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान (2001-04) मछुआरों के कल्याण पर केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत-सह-राहत घटक के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-02	2002-03	2003-04
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.24	2.24	-
2.	आंध्र प्रदेश	-	7.50	-
3.	असम	-	-	3.80
4.	हिमाचल प्रदेश	4.81	3.88	3.77
5.	कर्नाटक	9.01	120.24	-
6.	केरल	49.95	-	150.00
7.	मध्य प्रदेश	-	11.25	-
8.	उड़ीसा	-	2.68	15.04
9.	पांडिचेरी	72.74	134.58	60.00
10.	राजस्थान	-	2.25	-
11.	तमिलनाडु	710.41	568.44	553.81
12.	पश्चिम बंगाल	-	30.00	30.00
	कुल	849.16	883.06	816.42

गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न निर्यात

3602. श्री मिलिन्द देवरा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एस०टी०सी० जैसी सरकारी एजेंसियों के स्थान पर निजी व्यापारियों के माध्यम से खाद्यान्नों का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मालभाड़ा और निर्यात चढ़ाई-उतराई खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति किलो 1 रुपये की राजसहायता देने का भी है;

(घ) यदि हां, तो राजकोष पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार बफर स्टाक के अतिरिक्त गेहूं और चावल को निजी व्यापारियों को बेचने का है; और

(च) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा सहना पड़ेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) सरकार द्वारा खाद्यान्न निर्यात की नई नीति पर जो विचार-विमर्श किया जा रहा है वो अपने अंतिम चरण में है ।

(ड.) और (च) वर्तमान नीति भारतीय खाद्य निगम को निजी व्यापारियों को गेहूं और चावल बेचने की अनुमति देती है बशर्ते किसी भी समय बफर स्टाक 243 लाख टन से अधिक हो । तथापि, हाल ही में अधिशेष स्टाक में कमी होने के कारण निर्यात के लिए नए आबंटन पर 11.8.2003 से रोक लगा दी गई है और इसलिए फिलहाल इस खाते पर राजसहायता जारी करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग

3603. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों को सुचारू बनाने विशेषकर पांच श्रम अधिनियम बनाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और ये केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां ।

(ख) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों में श्रम के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे-कानूनों की समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र, महिला एवं बाल श्रम, कौशल विकास, श्रम प्रशासन आदि ।

(ग) से (ङ) श्रम कानूनों को सुचारु बनाने के लिए पांच श्रम कानूनों को अधिनियमित करने का कोई प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश में भारतीय खेलकूद प्राधिकरण (एस.ए.आई.) द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

3604. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खेलकूद प्राधिकरण (एस.ए.आई.) द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय खेलकूद प्राधिकरण (एस.ए.आई.)का विचार वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोई नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थानवार एक सूची निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	योजना का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)	1. उदय प्रताप इंटर कालेज, वाराणसी 2. शिवाजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर, गोवर्धन रोड, मथुरा 3. सरस्वती विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, घमूर, सुल्तानपुर 4. नवोदय विद्यालय, बलिया (उ०प्र०) 5. कोल्विन तालुकदार कालेज, लखनऊ 6. लेफ्टिनेंट पी. ब्रह्मदेव व एस.एन. मिश्रा मेमोरियल ट्रस्ट, गोरखपुर (अपनाया गया अखाड़ा)
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)	1. एस.टी.सी., रायबरेली 2. एस.टी.सी., सैफई, इटावा

1	2	3
		3. एस.टी.सी., लखनऊ
		4. एस.टी.सी., आगरा
		5. एस.टी.सी., इलाहाबाद
		6. एस.टी.सी., झाँसी
		7. एस.टी.सी., बरेली
3.	विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) (अपनाए हुए केन्द्र)	1. गुरूकुल तीरंदाजी अकादमी (संबद्ध केन्द्र), मेरठ
		2. इलाहाबाद जिम्नास्टिक केन्द्र (संबद्ध केन्द्र), इलाहाबाद
4.	उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)	1. सी.ओ.एक्स., लखनऊ

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कृषि को उद्योग का दर्जा

3605. श्री ए. के. मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को उद्योग का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग)सरकार कृषि क्षेत्र को यथासंभव बहुत से वे लाभ पहले ही देती आ रही है जो कि विनिर्माण क्षेत्र को उपलब्ध है, जैसे ऋण और अन्य आदानों की सुगम उपलब्धता और भण्डारण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं, विपणन और कृषि उत्पादों की आवाजाही पर स्वतंत्रता।

आलू की मांग

3606. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की स्थिति तक आलू की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान आलू की घरेलू मांग का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास फाउंडेशन, नासिक, महाराष्ट्र के अनुमानों के अनुसार आलू का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :-

(लाख मी. टन)

वर्ष	अनुमानित उत्पादन
2002-03	265.32
2003-04	244.69

एन. एच. आर. डी. एफ. ने आलू की वार्षिक आवश्यकता लगभग 26 लाख मी. टन होने का अनुमान लगाया है।

(घ) सरकार उच्चतर निवेश के जरिए उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर मण्डी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित करती है।

दिल्ली में पशुओं का खतरा

3607. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कई राज्यों विशेषकर दिल्ली में आवारा पशु, कुत्ते और बंदर एक खतरा बन चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके द्वारा काटे जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है जिससे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पशुओं की बढ़ती संख्या को रोकने और इन पशुओं को नगरों/शहरों की बाहरी क्षेत्रों में रखने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं? किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) कई शहरों एवं कस्बों में आवारा पशुओं, कुत्तों और बंदरों की बढ़ती संख्या के कारण स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) उपचारात्मक उपाय निम्नानुसार हैं :-

(i) सरकार द्वारा देश भर में पशु कल्याण संगठनों को आवारा पशुओं के लिए इन-हाउस डिस्पेंसरियों सहित आश्रय स्थलों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ा जाता है तथा दिल्ली के विभिन्न गौ-सदन एवं गौशालाओं में जिन्हें दिल्ली के बाह्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की देखरेख में चलाया जा रहा है।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर निगम को अपने-अपने क्षेत्रों में बंदरों को पकड़ने की अनुमती प्रदान कर रखी है। पकड़े गए बंदरों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा बनाए गए ट्रान्जिट सेल्टर में आश्रय दिया जाता है तथा चिकित्सीय जांच के बाद इन बंदरों को अन्य राज्यों के वन क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है।

(iii) सरकार द्वारा देश भर में पशु कल्याण संगठनों को आवारा कुत्तों (की जनसंख्या एवं रेबीज नियंत्रण) के लिए बन्ध्यीकरण एवं टीकाकरण हेतु सहायता प्रदान की जाती है। कुत्तों को पकड़ा जाता है तथा बन्ध्यीकरण एवं टीकाकरण के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों / नगर निगम को सौंप दिया जाता है।

[हिन्दी]

अशोका होटल के परिसर में कैपीटल पब

3608. श्री रमेश बैस : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) ने अशोका होटल परिसर में कैपीटल पब चलाने के लिए स्थान आवंटित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) होटल प्रबंधन और कैपीटल पब स्वामी के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख)भारत पर्यटन विकास निगम ने अशोक होटल, नई दिल्ली में कैपीटल नामक डिस्कोथेक को चलाने के लिए मेसर्स प्रेरणा मार्केटिंग प्राइवेट लि. को स्थान आवंटित किया है।

(ग) होटल प्रबंधन और मेसर्स प्रेरणा मार्केटिंग प्राइवेट लि. के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत, डिस्कोथेक और बार का साफ्ट/हार्ड ड्रिंक्स तथा सिगरेट/सिगार, आदि की बिक्री हेतु संचालन, परस्पर सम्मत निम्न शर्तों पर किया जाएगा :-

(i) डिस्कोथेक में बार के संचालन के लिए उत्पाद शुल्क लाइसेंस (एल-5) और अन्य आवश्यक अनुमति हेतु भुगतान लाइसेंसधारी करेगा, जिसका वहन समान रूप से लाइसेंसदाता और लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा।

(ii) लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता को 3,50,000/- रु. प्रति महीने की न्यूनतम प्रतिभूत राशि अथवा कुल राजस्व उगाही का 50 प्रतिशत अर्थात पेय की लागत की कटौती के बाद का राजस्व, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा।

इसके अलावा, डिस्कोथेक में खाद्य पदार्थ/स्नैक की बिक्री के संचालन हेतु लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंसधारी को उपलब्ध कराए गए स्थान के संबंध में, पक्षकारों के बीच यह सहमति है, कि खाद्य पदार्थ और स्नैक की बिक्री के एवज में लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता को लाइसेंस शुल्क के रूप में 75,000/- रु. प्रति महीने की एक निर्धारित राशि का भुगतान करेगा।

समझौते में समाविष्ट पूर्व समाप्ति के प्रावधान की शर्त पर यह लाइसेंस 1 नवम्बर, 2002 से शुरू होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया है और 31 अक्तूबर, 2007 को समाप्त होगा।

उत्तर प्रदेश में नयी कृषि नीति के अंतर्गत सहायता

3609. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी कृषि नीति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की जा रही है ; और

(ख) इससे कृषि क्षेत्र के उत्पादन में राज्य-वार किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल

भूरिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000 में भारतीय कृषि की अपार अदोहित क्षमता का लाभ उठाने, कृषि के तीव्र विकास में सहायता देने के लिए ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कृषि जिंसो का मूल्य वर्धन, कृषि-व्यापार के विकास में तेजी लाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने, किसानों, कृषि मजदूरों और उनके परिवारो का जीवन स्तर सुधारने, शहरों की ओर पलायन को रोकने तथा आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने का प्रयास किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

- कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करना ;
- ऐसा विकास जो संसाधनों के कुशल उपयोग पर आधारित हो तथा अपनी मृदा, जल और जैव विविधता को संरक्षित करे;
- समान विकास, अर्थात ऐसा विकास जो क्षेत्र दर क्षेत्र तथा किसान दर किसान उपलब्ध हो;
- ऐसी वृद्धि जो मांग के अनुसार हो और स्वदेशी बाजारों की मांग को पूरा करे तथा आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों की स्थिति में कृषि उत्पादों के निर्यात से अधिकतम लाभ दिलाएं;
- प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा आर्थिक मापदण्डों के अनुरूप दीर्घकालीन विकास

यह दीर्घकालीन कृषि, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा, प्रौद्योगिकी का सृजन और अंतरण, आदान प्रबंध, कृषि के लिए प्रोत्साहन, कृषि के लिए निवेश, संस्थागत संरचना, जोखिम प्रबंधन और प्रबंधन सुधारों से भी संबंध रखता है।

यह एक नीतिगत घोषणा है जिसमें देश में कृषि के विकास के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं के निरूपण में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के ध्यान में रखा जाता है। दसवीं योजना अवधि के दौरान वर्ष-वार कृषि और सहकारिता विभाग का वार्षिक योजना परिव्यय नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय (बजट अनुमान)
2002-03	2167.00
2003-04	2167.00
2004-05	2650.00

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उनके बीच अनुमोदित परिव्यय का आवंटन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए राष्ट्रीय नीति

3610. श्री बी. विनोद कुमार : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रयोजनार्थ गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति को कब तक घोषित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए कोई राष्ट्रीय निधि निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति के मसौदे पर सरकार द्वारा गठित एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा विचार किया गया। विभिन्न पणधारियों के साथ व्यापक परामर्श समेत अनुसरण की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, इस नीति की घोषणा के लिए एक निश्चित समय-सीमा का उल्लेख करना कठिन है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश अनिवार्यतः स्वदेशी और विदेशी दोनों निजी स्रोतों से प्राप्त होना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए, योजना स्कीमों के अन्तर्गत निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

[हिन्दी]

ताज के आस-पास प्रदूषण

3611. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताज महल और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों विशेषकर मथुरा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी.टी. जेड.) मथुरा, आगरा और निकटवर्ती क्षेत्रों सहित शहरों में अधिसूचित किया गया है जहां प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना/विस्तार करने की मनाही है। ताज सुरक्षा मिशन स्कीम के अंतर्गत मथुरा-वृंदावन और गोकुल बैराज को जलापूर्ति सहित विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि ताज महल के चारों ओर 5 कि. मी. की दूरी तक तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुकूल न होने वाले क्षेत्रों में टी. टी. जेड. परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

बांस की खेती

3612. श्री परसुराम माझी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(ग) इन राज्यों में बांस उगाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी हां, बांस रोपण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) का एक घटक है। कार्यक्रम को 10वीं योजना के दौरान वन विकास एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। वन विकास एजेंसियों को एन ए पी के अन्य घटकों के साथ बांस रोपण के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं तथापि 2001-02 के दौरान औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी उत्पाद (एन टी एफ पी) स्कीम के तहत विशिष्ट तौर पर बांस से संबंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया था।

(ख) और (ग) एन टी एफ पी स्कीम के तहत 2001-02 के दौरान बांस रोपण परियोजना के लिए राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशियों, तथा 2002-03 और 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत वन विकास एजेंसियों को जारी की गई धनराशियों संबंधी ब्यौरा विवरण में दिया गया है। एन टी एफ पी स्कीम के तहत 2001-02 के दौरान 19470 हैक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण कार्य शुरू किया गया था। योजना आयोग ने भी बांस प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पर एक राष्ट्रीय मिशन के बारे में विचार किया है तथा उक्त विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में मिशन की गतिविधियों के लिए 5 वर्षों की अवधि में 2608 करोड़ रुपये के परिव्यय पर विचार किया गया है जिसमें 2 मिलियन हैक्टेयर कुल क्षेत्र पर बांस रोपाई भी शामिल है।

विवरण

औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद (एन टी एफ पी) स्कीम तथा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) स्कीम के तहत बांस रोपण परियोजना के लिए जारी की गई निधियां

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं. राज्य	जारी की गई धनराशि		
	एन टी एफ पी	एन पी ए	
	2001-02	2002-03	2003-04
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	1.50	8.35	10.44
2. छत्तीसगढ़	0.90	5.89	10.20
3. गुजरात	0.45	3.87	3.20
4. हरियाणा	0.25	10.58	7.76
5. हिमाचल प्रदेश	0.09	0.6	6.95
6. जम्मू-कश्मीर	0.30	5.45	7.21
7. कर्नाटक	-	15.7	15.54
8. मध्य प्रदेश	0.50	13.81	10.92
9. महाराष्ट्र	0.14	4.87	11.91
10. उड़ीसा	0.45	13.14	5.96
11. पंजाब	0.00	0.25	1.74
12. राजस्थान	0.41	4.45	5.56
13. तमिलनाडु	0.00	7.82	14.64
14. उत्तर प्रदेश	0.18	20.01	21.34
15. उत्तरांचल	0.00	2.34	5.81

1	2	3	4	5
16.	गोवा	0.04	0	0.64
17.	झारखंड	0.00	1.34	9.29
18.	बिहार	0.00	0	1.88
19.	केरल	0.40	1.06	3.47
20.	पश्चिम बंगाल	0.20	2.26	5.55
	कुल (अन्य राज्य)	5.81	121.79	160.01
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.76	4.49
22.	असम	0.20	0	5.58
23.	मणिपुर	0.00	2.4	5.08
24.	नागालैंड	0.30	8.51	8.94
25.	सिक्किम	0.32	3.76	4.06
26.	त्रिपुरा	0.04	3.18	3.97
27.	मिजोरम	0.60	8.86	15.85
28.	मेघालय	0.05	0	0.00
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	1.51	29.47	47.97
	कुल योग	7.32	151.26	207.98

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष कोष

3613. श्री तापिर गाव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि से संबद्ध क्षेत्र को बढ़ावा और विकास के लिए विशेष कोष गठित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कृषि मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में "समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसके लिए वर्ष 2004-05 के लिए 1440.50 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसके अलावा, मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में उपयोग के लिए अपने बजटीय आबंटन का 10 प्रतिशत निर्धारित करता है। निर्धारित आबंटन का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है।

[हिन्दी]

गोदामों का निर्माण

3614. श्री राम कृपाल यादव:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
डा. राम लखन सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार, जम्मू और कश्मीर और मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से राज्यों में गोदामों के निर्माण के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) की गई कार्रवाई का क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार को आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम और कर्नाटक की राज्य सरकारों से गोदामों का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में निम्नलिखित भण्डारण क्षमता का निर्माण किया गया है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मित भण्डारण क्षमता (लाख मी. टन में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	19.46
2.	उड़ीसा	1.99
3.	उत्तर प्रदेश	5.96
4.	बिहार	3.00 (निर्माणाधीन)

[अनुवाद]

वर्षा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना

3615. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में विशेषकर असम में वर्षा वनों का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण (जेड एस आई) ने यह सिफ़ारिश की है कि ऐसे क्षेत्रों जहां होलोक गिब्बन की संख्या 1971-72 में 80,000 के मुकाबले केवल 5,000 रह गई है, को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) भारत में वानिकी प्रयोजन हेतु अभिज्ञात और स्वीकृत प्रमुख वन किस्में 16 हैं। उनमें से एक वर्षा वन नामक शब्द मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए इस संबंध में कोई डाटा नहीं रखा जाता।

(ख) जी, नहीं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

धनराशि जारी करना

3616. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछली पकड़ने वाली पंजीकृत नौकाओं में प्रयुक्त एच० एस० डी० पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सी० एस० एस० प्रतिपूर्ति संबंधी एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2003-04 हेतु सरकारी अनुमोदन पद्धति के अनुसार 728.00 लाख रुपये जारी करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 2003-04 हेतु कोई धनराशि जारी नहीं की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) उक्त राशि कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत समुद्री मात्स्यिकी का विकास घटक के लिए वर्ष 2003-04 के लिए प्रशासनिक अनुमोदन 20.02.2004 को जारी किया गया है तथा राज्य सरकार के इस तारीख से पूर्व के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय योजना मौजूद नहीं थी। सभी राज्यों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। वर्ष 2004-05 के दौरान, कर्नाटक सरकार को 150 लाख रुपये की राशि पहले ही मंजूर कर दी गई है।

विवरण

"20 मीटर से कम लम्बाई वाली मशीनीकृत नौकाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एच एस डी तेल पर मछुआरा विकास छूट" घटक का ब्यौरा

1. एच एस डी पर 1.50 रुपए प्रति लीटर की मछुआरा विकास छूट 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों को दी जाएगी।

2. यह छूट केन्द्र तथा राज्य के बीच 80:20 आधार पर वहन की जाएगी।

3. ऐसे राज्य जहां एच एस डी तेल पर बिक्री कर की छूट है, उनके संबंध में तथा संघ शासित प्रदेशों के मामले में भी 100 प्रतिशत लागत केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी।

4. छूट के लिए केवल पंजीकृत नौकाओं पर विचार किया जाएगा।

5. अनुमोदित बिक्री केन्द्रों द्वारा वितरित एच एस डी छूट के लिए मान्य होगा।

6. मत्स्यन प्रतिबंधों तथा एम एफ आर ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मत्स्यन जलयानों को शामिल नहीं किया जाएगा।

7. नौवीं योजना की समाप्ति के बाद बेड़े में शामिल नई नौकाएं छूट के लिए पात्र नहीं होंगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा नम्बर

3617. श्री अतीक अहमद: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) ने अपने नए सदस्यों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा नम्बर (एन एस एस एन) आबंटित करने की कार्यवाही स्थगित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एन एस एस एन आबंटित करने की कार्यवाही दुबारा कब शुरू किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कृषि पत्तन

3618. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विशेष कृषि पत्तन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

राजस्थान में खेलों और युवा कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

3619. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राजस्थान में खेलों और युवाओं के कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ अलग-अलग खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में उक्त कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) इस मंत्रालय में राज्य से संबंधित विशेष योजना नहीं है। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं सभी योजनाएं सभी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी एजेंसियों को उनके लिए निर्धारित मानकों के अनुसार सभी के लिए हैं। गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है:-

1. युवा संबंधी गतिविधियों के संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता

2. युवा छात्रावास

3. राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन

4. साहस का संवर्धन

5. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

6. खेल अवस्थापना का सृजन

7. खेल उपस्करों की खरीद और खेल मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान

8. विश्वविद्यालयों/कालेजों में खेलों के विकास के लिए अनुदान

9. ग्रामीण खेल कार्यक्रम।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त, नेहरू युवा केन्द्र संगठन राजस्थान में अपने खेल मैदान तैयार करने के माध्यम से युवा विकास गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस. ए.आइ.) अलवर और जोधपुर में एस.ए.आई. प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देता है। पुनः भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन. एस.टी.सी) के अंतर्गत राज्य में तीन स्कूलों, एक अखाड़ा और एक नवोदय विद्यालय को अपनाया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य में 84 प्रशिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों सहित अन्य एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार करके, उनके प्रयासों को पूरा करती है। दौसा जिले में खिड़ी में एक और नवोदय विद्यालय को एन.एस.टी.सी. योजना के अन्तर्गत अपनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

क्रं सं.	योजना का नाम	जारी की गई धनराशि (लाख रुपयों में)		
		2002-03	2003-04	2004-05
1.	युवा संबंधी गतिविधियों के संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता	5.14	14.97	3.20
2.	युवा छात्रावास	शून्य	शून्य	40.00
3.	राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन	4.89	17.91	3.63
4.	साहस का संवर्धन			
5.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)	143.26	198.91	101.16
6.	खेल अवस्थापना का सृजन	10.71	25.00	8.72
7.	खेल उपस्करों की खरीद और खेल मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान	11.71	25.19	5.32
8.	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में खेलों के विकास के लिए अनुदान	1.10	4.20	शून्य
9.	ग्रामीण खेल कार्यक्रम	3.00	3.00	शून्य

वनों से होकर गुजरने वाली सड़कों का निर्माण

3620. श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1980 से पहले बनाई गई और अब वनों से गुजरने वाली अनेक सड़कों को मंत्रालय से अनुमति मिलने का इंतजार है;

(ख) यदि हां, तो अनुमति हेतु लंबित ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) :(क) से (ग) केन्द्र सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़कों के निर्माण के लिए वनभूमि के वनेतर प्रयोग की नियमित रूप से अनुमति प्रदान करती है। वर्ष 1980 से केन्द्र सरकार ने वन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की 2338 परियोजनाओं को पहले ही अनुमोदित किया है। ऐसी 21 परियोजनाओं की जांच की जा रही है। इन 21 परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

17.08.2004 तक

क्रं से.	प्रस्ताव का नाम	राज्य/संघशासित प्रदेश	जिला
1	2	3	4
1.	शाओल बे-15 से 19 तक सड़क के निर्माण के लिए 5 .605 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि का वनेतर प्रयोग	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान
2.	हापोली-सरली-हुरी रोड के लिए डाइवर्जन स्ट्रेच का निर्माण	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुवनसिरी
3.	हापोली-सरली-हुरी रोड का निर्माण, चौड़ा करना और सुधार	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुवनसिरी
4.	दो लेन से चार लेन बनाना 8 ए बेमानपुर से सांख्यिली	गुजरात	कच्छ
5.	कुल्लु में-सियाल-पाशा-शाहीन रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
6.	जुब्बल-कनौटी काटधाना अमता रोड नाहन से गांव अपर सुरिया तक लिंक रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
7.	एफ/ओ ब्लाक डेवलपमेंट आफिस में धीरा से शिरमुला तक जीपेबल रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
8.	काटासेन से उत्तमवाला वारावन रोड तक लिंक रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
9.	नालागढ़ से एस के आर एन रोड पर सिरसा नदी के ऊपर 3.46 मीटर स्पेन प्रीट्रेस्ड बाक्स गिरडर का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	सोलन
10.	चालाकुड्डी और वजाहल के बीच रोड लिंक विकसित करने के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	केरल	त्रिचुर
11.	प्रधानमंत्री सड़क परियोजना द्वारा सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	खारेगांव
12.	पंचखोशी रोड़ का निर्माण	मध्य प्रदेश	उज्जैन
13.	प्रधानमंत्री सड़क स्कीम का निर्माण	मध्य प्रदेश	खारेगांव
14.	वन गांव माण्डवा से घोघंर जाने के लिए 2.5 कि.मी. सड़क का निर्माण	महाराष्ट्र	नान्देड
15.	1.2 से 8.00 कि. मी. तक पटियाला-सरहिंद रोड तक चार लेनों का निर्माण	पंजाब	पटियाला
16.	पटियाला मुख्य मार्ग से दशमेरह नायूर सड़क का निर्माण	पंजाब	पटियाला

1	2	3	4
17.	झामेरी गांव पर एच एच 22 अम्बाला कालका सड़क के एम 10.84 से 11.88 पर सेल्स टैक्स बेरियर के निकट ट्रैक का निर्माण	पंजाब	पटियाला
18.	जालन्धर पठानकोट के एम 36.625 से 71.600 आर/एस तक डबल लाइन का निर्माण	पंजाब	होशियारपुर
19.	जेनेटी बांध एफ डी रोपर के निकट कच्चे रास्ते (करचा पाथ) का निर्माण	पंजाब	रोपड़
20.	नाकचा-लाबी रोड़ का निर्माण	सिक्किम	सिक्किम (उत्तर)
21.	ब्रो द्वारा कटाओ वम्म iv मार्ग	सिक्किम	सिक्किम (उत्तर)

[हिन्दी]

ई.एस.आई.सी. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल

3621. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में ई०एस०आई०सी० के सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों में से प्रत्येक अस्पताल की स्वीकृत कर्मचारी संख्या, की गई नियुक्तियां, आवश्यक उपकरणों और खरीदी गई दवाओं तथा बहिरंग और आंतरिक मरीजों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) घातक बीमारियों के उपचार हेतु उक्त अस्पतालों को उन्नत बनाने हेतु सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अस्पतालों द्वारा असंगठित क्षेत्रों और कृषि मजदूरों के कर्मचारियों के उपचार हेतु सरकार की नीति क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रमिकों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए 20 अस्पताल (10 आदर्श अस्पतालों सहित) चला रहा है। इन अस्पतालों में से प्रत्येक अस्पताल में मंजूर स्टॉफ, तैनात स्टॉफ, अनिवार्य उपकरणों और खरीदी गई दवाइयों तथा प्रत्येक अस्पताल के बहिरंग तथा अतरंग विभाग में आए रोगियों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों को उन्नत करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

(i) कार्य योजना के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम रोग के प्रोफाइल के अनुसार उपस्करों को उपलब्ध करवा कर अस्पतालों को उन्नत कर रहा है।

(ii) कैंसर, कार्डियोवेस्कुलर, नेफ्रोलॉजी आदि रोगों के इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रख्यात सरकारी / गैर-सरकारी अस्पतालों के साथ अनुबंध किया है।

(iii) एच आई वी / एड्स की रोकथाम और इलाज के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सहयोग से 42 सैक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजिजेज (एस टी डी) निदानशालाएं, 35 स्वैच्छिक परामर्श सेवा केन्द्र, जांच केन्द्र और रक्त भंडारण सुविधाओं की स्थापना की है।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत कवर किए गए कामगारों को इलाज की सुविधा प्रदान करते हैं।

विवरण

अस्पताल का नाम	स्टाफ की स्थिति						खरीदे गए उपस्करों की स्थिति (रुपयों में)			दवाइयों की खरीद (रुपयों में)			बहिरंग/अतरंग विभाग में आए मरीजों की संख्या		
	2001-02		2002-03		2003-04		2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
	मंजूर	तैनात	मंजूर	तैनात	मंजूर	तैनात									
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. क.रा.बी अस्पताल नोएडा	411	289	422	302	430	325		351000		3100000	3400000	3400000	8381 191765	8249 196826	8577 208396
2. क.रा.बी अस्पताल बसईदारापुर	1314	1021	1561	1070	1349	1052	199629	4224556	7695920	15753000	18844000	18569000	30544 521797	29899 498360	30724 481135
3. क.रा.बी अस्पताल रोहिणी	502	202	525	232	752	315	1594310	120650	2165346	3031000	4671000	8872000	5477 120171	6613 118785	7876 134685
4. क.रा.बी अस्पताल ओखला	322	224	322	224	322	224	2713703	4064022	3909667	5061420	5476153	5832219	10647 212361	11897 219969	13931 245139
5. क.रा.बी अस्पताल झिलमिल	616	384	698	424	685	409	-	292405	405454	10017000	6570000	6825000	12329 210345	12072 204481	12384 208359
6. क.रा.बी अस्पताल जोका	385	198	385	205	385	205	1328458	140227	97497	5848729	6081534	1700472	4710 16005	5222 18415	5275 22875
7. क.रा.बी अस्पताल चिंचवाड	अस्पताल 23.1.2003 से आरम्भ हुआ।		69	60	82	73				-	211664	3020489	अतरंग सेवाएं शुरू नहीं की गई है। 4465	60876	17011
8. क.रा.बी अस्पताल पटना	दिनांक 19.12.2002 को क.रा.बी निगम ने अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया था।				155	58					7135	853323	अतरंग सेवाएं शुरू नहीं की गई हैं।		58
9. क.रा.बी अस्पताल रांची	दिनांक 20.12.2002 को क.रा.बी निगम ने अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया था।				184	46			364302		22710	42294		284 3027	740 3193
10. क.रा.बी अस्पताल बेलटोला	दिनांक 4.4.2003 को क.रा.बी निगम ने अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया था।					98			शून्य			973512			5950 911
11. क.रा.बी अस्पताल साहिबाबाद	दिनांक 11.12.2002 को क.रा.बी निगम ने अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया था।				332	116		144157	564879			3446620			1238 34092
12. क.रा.बी अस्पताल चंडीगढ़	अस्पताल 1.10.2003 से आरम्भ हुआ था।				166	88		614798	1692468		1659658	4426252	71976	अतरंग सेवाएं शुरू नहीं की गई है।	144990
13. क.रा.बी अस्पताल लुधियाना	अस्पताल 1.11.2002 से आरम्भ हुआ था।					159		478866	1479065		1496358	6398684		1255 25833	4021 76027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	क.रा.बी अस्पताल जयपुर	दिनांक 1.9.2002 को क.रा.बी निगम ने अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया था।				603	257*	-	200000	550000		5104945	7575240		39707 138301	45382 154175
15.	क.रा.बी अस्पताल राउरकेला	अस्पताल 1.5.2003 से आरम्भ हुआ था।				-	90			25936			334372			296 8076
16	क.रा.बी अस्पताल के.के. नगर, चेन्नई	601	382	601	384	601	394	10169381	13315262	22446936	4106958	10146165	1891464	12003 235419	11157 221672	12882 252735
17.	क.रा.बी अस्पताल राजाजी नगर, बैंगलूर	दिनांक 1.4.2003 को क.रा.बी निगम ने अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया था।				-	420			158000			11734501			
18.	क.रा.बी अस्पताल नागपुर	154	76	154	75	154	80	1286793	107772	-	365854	2676754	1623470	26 13003	688 20151	2872 13211
19.	क.रा.बी अस्पताल असरामम	दिनांक 1.1.2003 को क.रा.बी निगम ने अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया था।				-	155			610889			7198554			7986 66712
20.	क.रा.बी अस्पताल नचारम	दिनांक 1.8.2002 को क.रा.बी निगम ने अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया था।				497	252	-	40000	245112	-	4460000	5359000		47450 46496	48786 87414

* सुरक्षा, सफाई, लाउंड्री और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए ठेकेदारी पर सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

* वर्ष 2002-03 में विशेषज्ञ ग्रेड-2 में भर्ती - 74

* वर्ष 2003-04 में बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 में भर्ती - 310, जिसमें 4 दंत चिकित्सक और 6 आयुर्वेदिक डाक्टर शामिल हैं। पैरामेडिकल, नर्सिंग के पदों को ठेके पर भरा गया है।

चम्बा की प्रदूषण नियंत्रण योजना

3622. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत राजस्थान के कोटा और केशोरायपाटन शहरों में चम्बा की प्रदूषण नियंत्रण योजना मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परियोजना का अधिकतर भाग अभी शुरू भी नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा परियोजना का शेष काम शुरू करने हेतु क्या कार्यवाही की जानी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 1995 में राजस्थान के कोटा एवं केशोरायपाटन शहरों में चम्बल नदी की प्रदूषण उपशमन की स्कीम 13.21 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित की गई थी । योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य 1.17 करोड़ रुपए की परियोजना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर स्वीकृत की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा 0.68 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को जारी की गई है जिसमें से उनके द्वारा अब तक 0.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

(ग) और (घ) केशोरायपाटन शहर के लिए 0.53 करोड़ रुपए लागत के अल्प लागत शौचालय, नदी तटाग्र विकास, शवदाहगृह, अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन और मलजल शोधन संयंत्र की स्वीकृत परियोजनाओं में से अल्प लागत शौचालय एवं नदी तटाग्र विकास परियोजनाएं अब तक पूरी हो गई हैं जबकि शवदाहगृह, अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन और मलजल शोधन संयंत्र कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

कोटा शहर में अल्प लागत शौचालय, नदी तटाग्र विकास एवं शवदाहगृह परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ङ) केशोरायपाटन और कोटा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित और कोटा में अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन और मलजल शोधन संयंत्र की शेष परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टें स्वीकृति के लिए इस मंत्रालय को अभी भेजी जानी है।

[अनुवाद]

पर्यावरण योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि

3623. श्री किरिप चालिहा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई राशि और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार कोई नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) संघ सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पर्यावरणीय स्कीमों के अंतर्गत जारी धनराशि का और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा, विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रस्तावित स्कीम का नाम "संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव संरक्षण" है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के साथ मामले पर चर्चा की गई ।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी/आबंटित की गई राशि	पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य द्वारा प्रयोग की गई निधि
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	आंध्र प्रदेश	113.00	706.55
		बिहार	25.00	172.38
		झारखंड	0.00	51.70
		गुजरात	4031.00	5404.73
		गोवा	246.00	0.00
		हरियाणा	2537.00	4247.27
		कर्नाटक	1200.00	2143.53
		केरल	78.00	0.00
		मध्य प्रदेश	2175.00	3846.27
		महाराष्ट्र	5245.70	5694.43
		उड़ीसा	595.00	476.04
		पंजाब	6397.00	7150.09
		राजस्थान	0.00	65.65
		तमिलनाडु	19991.80	28605.63
		उत्तर प्रदेश	11581.91	10106.88
		उत्तरांचल	647.00	634.09
		पश्चिम बंगाल	5802.00	7985.39
		दिल्ली	16425.22	13905.56
2.	सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र को बढ़ावा देना	आंध्र प्रदेश	30.00	30.00
		गुजरात	253.70	155.50
		कर्नाटक	10.00	10.00
		महाराष्ट्र	523.80	127.00
		पंजाब	34.00	34.00
		तमिलनाडु	35.50	35.50
3.	राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम	असम	97.58	50.00
		जम्मू-कश्मीर	220.57	74.47
		गुजरात	20.00	20.00
		हिमाचल प्रदेश	157.13	134.16

1	2	3	4	5
		केरल	84.73	0.00
		मणिपुर	110.00	110.00
		उड़ीसा	314.99	254.99
		पंजाब	144.36	21.20
		राजस्थान	85.98	30.00
		तमिलनाडु	22.16	22.16
		त्रिपुरा	40.00	0.00
		पश्चिम बंगाल	52.70	47.95
4.	नौवीं योजना में एकीकृत वन सुरक्षा (दावानल नियंत्रण और प्रबंधन के रूप में जानी जाती हैं)	आंध्र प्रदेश	318.00	318.00
		झारखंड	276.82	276.82
		गुजरात	199.50	199.50
		गोवा	158.69	158.69
		हरियाणा	167.13	167.13
		हिमाचल प्रदेश	233.70	233.70
		जम्मू-कश्मीर	243.03	243.03
		कर्नाटक	179.00	179.00
		केरल	277.10	277.10
		मध्य प्रदेश	453.60	453.60
		महाराष्ट्र	238.92	238.92
		उड़ीसा	249.22	249.22
		पंजाब	28.80	28.80
		राजस्थान	71.00	71.00
		तमिलनाडु	250.05	250.05
		उत्तर प्रदेश	256.50	256.50
		उत्तरांचल	322.57	322.57
		पश्चिम बंगाल	292.65	292.65
		असम	516.56	516.56
		अरूणाचल प्रदेश	1109.77	1109.77
		मणिपुर	191.62	191.62
		मेघालय	544.60	544.60
		मिजोरम	1372.62	1372.62
		नागालैंड	951.95	951.95
		सिक्किम	892.21	892.21
		त्रिपुरा	1306.84	1306.84
		छत्तीसगढ़	355.00	355.00

1	2	3	4	5
5.	गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद	आंध्र प्रदेश	318.17	318.17
	(एन टी एफ पी)(नौंवी प्लान)	अरूणाचल प्रदेश	35.00	35.00
		असम	85.53	85.53
		छत्तीसगढ़	90.00	90.00
		गुजरात	139.97	139.97
		गोवा	18.47	18.47
		हरियाणा	59.33	59.33
		हिमाचल प्रदेश	67.54	67.54
		जम्मू-कश्मीर	275.91	275.91
		कर्नाटक	72.24	72.24
		केरल	44.03	44.03
		मध्य प्रदेश	96.06	96.06
		महाराष्ट्र	66.00	66.00
		मेघालय	23.00	23.00
		मिजोरम	82.84	82.84
		नागालैंड	37.00	37.00
		उड़ीसा	121.37	121.37
		पंजाब	20.00	20.00
		राजस्थान	234.40	234.40
		सिक्किम	167.53	167.53
		तमिलनाडु	19.00	19.00
		त्रिपुरा	12.48	12.48
		उत्तर प्रदेश	17.87	17.87
		पश्चिम बंगाल	88.64	88.64

1	2	3	4	5
6.	एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना			
	(आई ए ई पी) (नौवीं योजना)	आंध्र प्रदेश	228.20	228.20
		अरुणाचल प्रदेश	86.36	86.36
		असम	26.05	26.05
		झारखंड	52.31	52.31
		छत्तीसगढ़	37.05	37.05
		गुजरात	398.17	398.17
		हिमाचल प्रदेश	64.00	64.00
		जम्मू-कश्मीर	447.79	447.79
		कर्नाटक	151.49	151.49
		केरल	390.86	390.86
		मध्य प्रदेश	237.37	237.37
		महाराष्ट्र	101.07	101.07
		मणिपुर	197.22	197.22
		मेघालय	0.00	0.00
		मिजोरम	68.39	68.39
		नागालैंड	114.23	114.23
		उड़ीसा	665.24	665.24
		राजस्थान	291.34	291.34
		सिक्किम	110.25	110.25
		तमिलनाडु	100.00	100.00
		त्रिपुरा	51.33	51.33
		उत्तर प्रदेश	49.08	49.08
		उत्तरांचल	369.11	369.11
		पश्चिम बंगाल	240.91	240.91
7.	क्षेत्रोन्मुखी जलावन की लकड़ी	आंध्र प्रदेश	142.77	142.77
	और चारा परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	11.60	11.60
	(एओएफएफपी)	असम	69.06	69.06

1	2	3	4	5
	(नौंवी योजना)	झारखंड	119.92	119.92
		छत्तीसगढ़	88.20	88.20
		गुजरात	170.56	170.56
		गोवा	7.60	7.60
		हरियाणा	296.03	296.03
		हिमाचल प्रदेश	83.18	83.18
		कर्नाटक	203.45	203.45
		केरल	48.57	48.57
		मध्य प्रदेश	233.35	233.35
		महाराष्ट्र	42.37	42.37
		मणिपुर	50.00	50.00
		मिजोरम	48.11	48.11
		नागालैंड	0.00	0.00
		उड़ीसा	42.33	42.33
		राजस्थान	38.69	38.69
		सिक्किम	46.51	46.51
		तमिलनाडु	71.90	71.90
		त्रिपुरा	45.00	45.00
		उत्तर प्रदेश	96.00	96.00
		उत्तरांचल	41.66	41.66
		पश्चिम बंगाल	156.38	156.38
8.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश	1978.00	1978.00
		अरुणाचल प्रदेश	865.00	865.00
		असम	558.00	558.00
		बिहार	188.00	188.00
		जम्मू-कश्मीर	1420.00	1420.00
		झारखंड	1063.00	1063.00
		छत्तीसगढ़	1686.00	1686.00

1	2	3	4	5
		गुजरात	792.00	792.00
		गोवा	64.00	64.00
		हरियाणा	2757.00	2757.00
		हिमाचल प्रदेश	975.00	975.00
		कर्नाटक	3167.00	3167.00
		केरल	453.00	453.00
		मध्य प्रदेश	3844.00	3844.00
		महाराष्ट्र	1863.00	1863.00
		मणिपुर	748.00	748.00
		मिजोरम	2471.00	2471.00
		नागालैंड	1953.00	1953.00
		उड़ीसा	1915.00	1915.00
		पंजाब	224.00	224.00
		राजस्थान	1130.00	1130.00
		सिक्किम	1025.00	1025.00
		तमिलनाडु	2322.00	2322.00
		त्रिपुरा	741.00	741.00
		उत्तर प्रदेश	1839.00	1839.00
		उत्तरांचल	855.00	855.00
		पश्चिम बंगाल	781.00	781.00
9.	बाघ परियोजना	आंध्र प्रदेश	64.99	64.99
		अरुणाचल प्रदेश	187.39	187.39
		असम	186.70	186.70
		बिहार	125.00	125.00
		झारखंड	129.64	129.64
		छत्तीसगढ़	147.73	147.73
		कर्नाटक	740.31	740.31
		केरल	234.43	234.43

1	2	3	4	5
		मध्य प्रदेश	2362.03	2362.03
		महाराष्ट्र	1059.47	1059.47
		मिजोरम	186.38	186.38
		उड़ीसा	311.60	311.60
		राजस्थान	623.57	623.57
		तमिलनाडु	176.00	176.00
		उत्तर प्रदेश	273.74	273.74
		उत्तरांचल	550.74	550.74
		पश्चिम बंगाल	535.68	535.68
10.	पारि-विकास स्कीम (दसवीं योजना के दौरान अन्य स्कीमों में शामिल किया गया)	आंध्र प्रदेश	69.60	69.60
		अरुणाचल प्रदेश	45.15	45.15
		असम	43.81	43.81
		बिहार	33.86	33.86
		झारखंड	12.56	12.56
		छत्तीसगढ़	24.70	24.70
		गुजरात	32.56	32.56
		हिमाचल प्रदेश	131.35	131.35
		कर्नाटक	339.35	339.35
		केरल	138.27	138.27
		मध्य प्रदेश	231.97	231.97
		महाराष्ट्र	46.40	46.40
		मणिपुर	9.15	9.15
		मेघालय	17.11	17.11
		मिजोरम	226.83	226.83
		नागालैंड	28.45	28.45
		उड़ीसा	42.60	42.60
		पंजाब	12.27	12.27
		राजस्थान	80.20	80.20

1	2	3	4	5
		सिक्किम	26.23	26.23
		तमिलनाडु	6.38	6.38
		त्रिपुरा	44.35	44.35
		उत्तर प्रदेश	118.99	118.99
		उत्तरांचल	82.00	82.00
		पश्चिम बंगाल	121.95	121.95
11.	लाभोन्मुखी जनजाति विकास स्कीम	कर्नाटक	100.00	100.00
	(दसवीं योजना के दौरान बाघ	मध्य प्रदेश	300.00	300.00
	परियोजना स्कीम में शामिल किया गया)			
12.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास			
	के लिए सहायता	आंध्र प्रदेश	260.64	160.80
		अंडमान एवं निकोबार	46.34	18.44
		द्वीप समूह		
		अरुणाचल प्रदेश	416.56	169.81
		असम	326.37	217.16
		बिहार	29.17	0.00
		चण्डीगढ़	32.40	32.40
		झारखण्ड	84.51	29.89
		छत्तीसगढ़	424.91	119.87
		दादर एवं नागर हवेली	21.26	10.28
		गोवा	126.44	0.00
		गुजरात	269.71	47.99
		हरियाणा	59.33	60.85
		हिमाचल प्रदेश	374.05	170.09
		जम्मू-कश्मीर	264.72	92.01
		कर्नाटक	1681.28	344.99
		केरल	468.85	312.04
		मध्य प्रदेश	640.06	270.54

1	2	3	4	5
		महाराष्ट्र	486.82	299.45
		मणिपुर	149.11	123.09
		मेघालय	161.27	83.72
		मिजोरम	595.99	307.09
		नागालैण्ड	193.67	124.13
		उड़ीसा	340.09	220.63
		पंजाब	29.60	0.00
		राजस्थान	654.09	296.52
		सिक्किम	272.13	180.26
		तमिलनाडु	351.10	167.95
		त्रिपुरा	393.55	116.67
		उत्तर प्रदेश	381.55	192.63
		उत्तरांचल	212.51	97.44
		पश्चिम बंगाल	618.79	339.18
13.	भारतीय पारि-विकास परियोजना	गुजरात	1413.33	1591.14
		कर्नाटक	1952.33	1445.06
		झारखण्ड	773.90	934.40
		मध्य प्रदेश	1329.37	1485.58
		केरल	870.08	990.73
		राजस्थान	1089.02	1108.47
		पश्चिम बंगाल	1252.30	1130.13
14.	हाथी परियोजना	आंध्र प्रदेश	136.00	123.27
		अरुणाचल प्रदेश	169.00	136.51
		असम	344.60	264.45
		झारखण्ड	160.69	158.69
		कर्नाटक	323.66	322.59
		केरल	382.16	344.11
		मेघालय	135.00	130.64

1	2	3	4	5
		मिजोरम	5.00	0.00
		नागालैण्ड	163.13	163.13
		उड़ीसा	326.52	287.66
		तमिलनाडु	228.26	196.46
		त्रिपुरा	20.00	4.00
		उत्तरांचल	361.14	331.15
		पश्चिम बंगाल	301.42	277.96
15.	जैव मंडल रिजर्व	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	64.99	15.00
		अरुणाचल प्रदेश	35.00	0.00
		असम	39.31	29.35
		कर्नाटक	155.86	153.86
		केरल	142.50	126.86
		मेघालय	48.25	48.25
		उड़ीसा	136.82	95.42
		सिक्किम	130.13	130.07
		तमिलनाडु	73.64	73.64
		उत्तरांचल	196.60	196.60
		पश्चिम बंगाल	169.65	169.65

नोट : कुछ वर्षों में कोषों का अधिक उपयोग पिछले वर्षों में खर्च न की गई राशि को आगे लाने हैं और कुछ मामलों में राज्य सरकार का हिस्सा भी शामिल करने के कारण है।

यांत्रिकीय शक्ति को बढ़ावा देना

3624. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत पशुशक्ति और यांत्रिकीय शक्ति उपलब्ध है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किलोवाट में प्रति हेक्टेयर में प्रयोग की गई पशुशक्ति और यांत्रिकीय शक्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में यांत्रिकीय शक्ति की औसत खपत विकसित देशों की तुलना में काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में यांत्रिकीय शक्ति की खपत को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) छोटी और बिखरी भू जोतें और परिणामत:, किसानों का कम संसाधन आधार मुख्य कारण हैं।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फ्रण्टलाईन प्रदर्शनों, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए नए विकसित/विशिष्ट उपकरणों के प्रदर्शन, राजसहायता के एक घटक के माध्यम से कृषि उपकरणों के संवर्धन, प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन विकास तथा जांच के माध्यम से गुणवत्ता उन्नयन आदि के माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र में उपकरणों के यांत्रिक शक्ति से उपयोग किए जाने को बढ़ावा दे रही है।

विवरण

पैरा (क)-कृषि में अनुप्रमाणित और यांत्रिक शक्ति की प्रतिशतता

अखिल भारत	वर्ष	उपलब्ध अनुप्रमाणित शक्ति की प्रतिशतता	उपलब्ध यांत्रिक शक्ति की प्रतिशतता
	2000-01	10.42	89.58
	2001-02	9.89	90.11
	2002-03	9.39	90.61

भाग (ख)-के वी प्रति हेक्टेयर में अनुप्रमाणित और यांत्रिक शक्ति का उपयोग इस प्रकार है

अखिल भारत	वर्ष	उपलब्ध अनुप्रमाणित शक्ति (के वी/हे.)	उपलब्ध यांत्रिक शक्ति (के वी/हे.)
	2000-01	0.1221	0.9712
	2001-02	0.1218	1.0296
	2002-03	0.1215	1.0909

महत्वपूर्ण : राज्य-वार डाटा नहीं रखा जाता है।

स्रोत: केन्द्रीय कृषि इंजिनियरिंग, भोपाल (म.प्र.) द्वारा अनुमान।

[हिन्दी]

स्वच्छ विकास प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण

3625. श्री कृष्ण मुरारी मोघे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्वच्छ विकास प्रक्रिया परियोजना के अंतर्गत वनारोपण के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के विकास और वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने हेतु कई राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव/योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावों/योजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जानी है और इस कार्य हेतु जारी की गई/जारी की जाने वाली राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मिलावटी दूध का उत्पादन

3626. श्री पुष्प जैन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मिलावटी दूध का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए और कितने मामले न्यायालयों में लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे निंदनीय कार्यकलाप को रोकने हेतु कठोर कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण रोकथाम नियम, 1995 में यथा-निर्दिष्ट के अलावा दूध में न पाए जाने वाले पदार्थों के साथ दूध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री पी एफ ए अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत पहले से ही प्रतिबंधित है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विशेष रूप से रासायनिक पदार्थों की मौजूदगी को देखते हुए दूध की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

विवरण

पता लगाए गए सिंथेटिक दूध के मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पता लगाए गए मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश*	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश*	शून्य
3.	असम	शून्य
4.	बिहार*	शून्य
5.	छत्तीसगढ़*	शून्य
6.	दिल्ली*	शून्य
7.	गुजरात*	शून्य
8.	गोवा*	शून्य
9.	हरियाणा*	शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश*	शून्य
11.	जम्मू-कश्मीर	शून्य
12.	झारखंड	प्रतीक्षित
13.	कर्नाटक*	शून्य
14.	केरल*	शून्य
15.	मध्य प्रदेश	शून्य
16.	महाराष्ट्र*	शून्य
17.	मणिपुर*	शून्य
18.	मेघालय	शून्य
19.	मिजोरम	शून्य
20.	नागालैंड	शून्य
21.	पंजाब*	शून्य
22.	उड़ीसा*	शून्य
23.	राजस्थान	प्रतीक्षित
24.	सिक्किम	शून्य
25.	तमिलनाडु	प्रतीक्षित
26.	त्रिपुरा	शून्य
27.	उत्तर प्रदेश	प्रतीक्षित
28.	उत्तरांचल	प्रतीक्षित
29.	पश्चिम बंगाल*	शून्य
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह*	शून्य
31.	चण्डीगढ़*	शून्य
32.	दादर एवं नागर हवेली*	शून्य
33.	दमन एवं दीव*	शून्य
34.	लक्षद्वीप*	शून्य
35.	पांडिचेरी	प्रतीक्षित

टिप्पणी: *इन राज्यों से जुलाई, 2004 तथा उसके बाद सूचना प्राप्त हुई थी और अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अगस्त, 2003 में सूचना प्राप्त हुई थी।

[अनुवाद]

गिर वन के असुरक्षित कुएं

3627. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो वर्षों के दौरान छह शेरों और सत्रह अन्य जंगली जानवरों को गुजरात में सौराष्ट्र के गिर वन क्षेत्र में 'खुले कुंओं' में गिरकर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो क्या 8696 कुंओं में से केवल 637 कुंए सुरक्षित हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कुंओं से शेरों और जंगली जानवरों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) राज्य सरकार द्वारा सूचित किए अनुसार, वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान गिर वनों में कुंए में गिरने के कारण एक शेर तथा दो अन्य जंगली जानवर मारे गए हैं। इसके अतिरिक्त, गिर वनों के बाहर निजी भूमि पर खोदे गए खुले कुंओं में गिरने से सात शेरों तथा 25 अन्य जंगली जानवरों की मृत्यु हुई हैं।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान 637 कुंओं को जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित बनाया गया है। तथापि, गिर वनों की 6 कि०मी० की परिधि में निजी भूमि पर अभी लगभग 8696 खुले कुंए विद्यमान है।

(ग) राज्य सरकार लोगों को अपने कुंए के चारों ओर मुंडेरा युक्त दीवार अथवा इस तरह के अन्य ढाँचे बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि इनकी जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके।

इराक हेतु भर्ती

3628. डा0 एम. जगन्नाथ:
श्री गुरूदास कामत:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद मुंबई में आवेदक अभी भी इराक में रोजगार हेतु आवेदन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसी भर्ती के बारे में सरकार को जानकारी देने हेतु भर्ती एजेंटों को अनुदेश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जूट मिलों की ओर बकाया भविष्य निधि

3629. श्रीमती मिनाती सेन: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार पश्चिम बंगाल में जूट मिल की ओर कितनी बकाया भविष्य निधि राशि है; और

(ख) आज की तारीख के अनुसार इसकी वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार पश्चिमी बंगाल की 33 जूट मिलों से भविष्य निधि देयों के रूप में 216.52 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। चूककर्ता जूट मिलों के ब्यौरे विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2003-04 के दौरान पश्चिम बंगाल की चूककर्ता जूट मिलों के विरुद्ध अभियोजन के 8 मामले, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत 32 मामले और बैंक खातों की कुर्की के 51 मामले चलाये थे। दिनांक 31.3.2004 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इन संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप 649 लाख रुपए की वसूली हुई।

विवरण

31.3.2004 को चूककर्ता जूट मिलों की स्थिति

(रुपए लाखों में)

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	कोड संख्या	चूक की राशि
1	2	3	4
1.	गौरेपोर क. लि.	प. बंगाल/7 और 25	563.12
2.	नश्करपाड़ा जूट मिल्स	प. बंगाल/90	23.85
3.	अम्बिका जूट मिल्स	प. बंगाल/89 और 89 ए	239.86
4.	अंगुस क. लि.	प. बंगाल/63	779.88
5.	नुह्डेआ जूट मिल्स	प. बंगाल/36 और 47	1158.16
6.	कंकनर्राह क. लि.	प. बंगाल/15	185.00
7.	अगरपाड़ा क. लि.	प. बंगाल/37	477.70
8.	केल्विन जूट क. लि.	प. बंगाल/23	493.06

1	2	3	4
9.	न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स क. लि.	प. बंगाल/49, 51 और 5529	2188.96
10.	टिटागुड मिल संख्या 2	प. बंगाल/338	1276.51
11.	एन जे एम सी लि. (नेशनल)	प. बंगाल/78 और 10839	3069.76
12.	एन जे एम सी लि. (खरदाह)	प. बंगाल/11 और 43	1411.97
13.	एन जे एम सी लि. (किन्नीसन)	प. बंगाल/48 और 55	1875.80
14.	एन जे एम सी लि. (एलेक्जेंडर)	प. बंगाल/46	1022.27
15.	एन जे एम सी (यूनियन)	प. बंगाल/8	824.53
16.	कनोरिया जूट इंडस्ट्रीज लि.	प. बंगाल/97	750.30
17.	बज्ज-बज्ज क. लि.	प. बंगाल/1 और 24	296.91
18.	कलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लि.	प. बंगाल/28	254.84
19.	मेगना जूट मिल	प. बंगाल/35	568.88
20.	विक्टोरिया जूट क. लि.	प. बंगाल/62 और 71	926.21
21.	समनुग्गुर जूट फैक्ट्री कम्पनी लि.	प. बंगाल/64	936.92
22.	एम्पायर जूट क. लि.	प. बंगाल/26	255.19
23.	प्रेमचन्द जूट मिल	प. बंगाल/91 ए	63.58
24.	डेल्टा इन्टरनेशनल लि.	प. बंगाल/79	135.91
25.	बड़ानगर जूट फैक्टरी	प. बंगाल/2, 27 और 40	675.09
26	अलायंस जूट फैक्टरी	प. बंगाल/12 और 16	1.49
27.	नार्थ ब्लॉक जूट क. लि.	प. बंगाल/72	138.16
28.	हावड़ा मिल क. लि.	प. बंगाल/76, 85 और 86	204.66
29.	हुगली मिल क. लि.	प. बंगाल/30	7.24
30.	गंगा मैन्यूफैक्च्यूरिंग क. लि.	प. बंगाल/67	38.96
31.	विजय श्री लि.	प. बंगाल/77	36.55
32.	कमरहटी क. लि.	प. बंगाल/17	35.57
33.	टेपकॉन इन्टरनेशनल (इ.) लि.	प. बंगाल/88	35.60
		कुल	21652.49

अनियमितताओं की जांच

3630. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री चावल के निर्यात के बारे में 25 जुलाई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 769 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल के निर्यात में कथित अनियमितताओं के बारे में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) लोक सभा में दिनांक 25.7.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 769 को इस विभाग के दिनांक 13.8.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11012/31/2003-पार्ल. द्वारा 2.8.2004 को पूरा किया गया है। यह कार्यालय ज्ञापन विवरण में दिया गया है।

प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से "ब्रोकन की छूट" की अनुमति प्रदान करने में किसी भी अधिकारी की ओर से कोई बदनीयती नहीं पाई गई है। कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि निर्यातकों ने सुविधा का दुरुपयोग किया। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वित्तीय हानि की गणना प्रथम दृष्टया सही नहीं है क्योंकि यह परिकल्पनात्मक अनुमानों पर आधारित है। केन्द्रीय सरकार को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय हानि नहीं हुई है।

विवरण

संख्या एच-11012/31/2003-संसद
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
(संसद अनुभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 13.8.2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अतारांकित प्रश्न संख्या 769 के उत्तर में लोक सभा में दिनांक 25.7.2003 को दिए गए आश्वासन का कार्यान्वयन - आश्वासन को पूरा करने के संबंध में।

मुझे उपर्युक्त विषय पर संसदीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 13.8.2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या XIII-XIII/उ.मा.खा.(1)अता. प्र.769/लो. स./03 के संदर्भ में अतारांकित प्रश्न संख्या 769 के उत्तर में लोक सभा में दिनांक 25.7.2003 को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए रिपोर्ट की 16 प्रतियां (हिन्दी और अंग्रेजी में) भेजने का निदेश हुआ है।

2. अनुरोध है कि क्रियान्वयन रिपोर्ट सभा पटल पर शीघ्र रखने और इसे सभा पटल पर रखने की तारीख इस मंत्रालय को सूचित करने की कृपा करें।

3. यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: अनुबंध

हस्ता०/-
(वी०के०गुप्ता)
अनुभाग अधिकारी (संसद)
दूरभाष: 23389270

सेवा में,

संसदीय कार्य मंत्रालय,
(अवर सचिव कार्यान्वयन-1 ब्रांच),
86, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001.

प्रति प्रेषित:-

1. इम्पैक्स अनुभाग को यह उनकी मिसिल संख्या 6-38/2003(पार्ट)इम्पैक्स के संदर्भ में।
2. लोक सभा सचिवालय (प्रश्न ब्रांच), कमरा संख्या 321, संसदीय सौंध, नई दिल्ली-110001.

हस्ता०/-
(वी०के०गुप्ता)
अनुभाग अधिकारी (संसद)

अनुबंध

फाइल सं० 6-38/2003-इम्पैक्स
13वीं लोक सभा का 13 वां सत्र, 2003
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

पूर्ति की तारीख 02.08.2004

प्रश्न संख्या तारीख और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
श्री बसुदेव आचार्य द्वारा दिनांक 25.7.2003 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 769.	**चावल का निर्यात** (क) क्या सरकार ने एफ०सी०आई० के अधिकारियों की मिलीभगत से चावल/गेहूं के निर्यात में करोड़ो रुपये की कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ग) क्या इस संबंध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है; (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और (ड.) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/ किए जाने का प्रस्ताव है?	(क), (ख), (ग), (घ) और (ड.): चावल निर्यातकों को 'ब्रोकन' की अनुमति के रूप में दी गई छूट के संबंध में कथित अनियमितताओं के बारे में प्रेस में छपी रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए एक जांच बैठाई गई है। रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।	(क) से (ड.): इस संबंध में की गई जांच की रिपोर्ट में "ब्रोकन की छूट" की अनुमति देने में किसी अधिकारी की ओर से कोई बदनीयती नहीं पाई गई है। कोई ऐसा सबूत नहीं पाया गया हैं जिससे यह संकेत मिलता हो कि निर्यातकों ने सुविधा का दुरुपयोग किया। नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की वित्तीय हानि की गणना प्रथम दृष्टया सही नहीं है और यह परिकल्पनात्मक अनुमानों पर आधारित है। केन्द्रीय सरकार को उच्च स्तरीय समिति के निर्णयों के परिणामस्वरूप कोई प्रत्यक्ष वित्तीय हानि नहीं हुई है।	जांच रिपोर्ट की जांच की जा रही थी।

राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना के अंतर्गत समुद्र भित्ति बनाना

3631. **श्री पी. करूणाकरन :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को केरल सरकार से राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना के अंतर्गत नई समुद्र भित्ति बनाने और वर्तमान भित्ति का रख-रखाव करने के संबंध में वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) केरल सरकार ने समुद्री कटाव रोधी कार्यों के लिए 218.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ फरवरी, 2003 में केन्द्रीय जल आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तत्पश्चात केरल सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन सी पी पी) में शामिल करने के लिए 216. 96 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ जून, 2003 में एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चूंकि राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना की आयोजना विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए की गई है इसलिए तटीय संरक्षण संबंधी एक दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार किया गया और इस पर विचार करने के लिए तथा उपयुक्त विदेशी वित्तपोषक अभिकरणों की पहचान करने के वास्ते आर्थिक कार्य विभाग को भेजने हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया।

[हिन्दी]

दिल्ली प्राणि उद्यान में पशुओं तथा पक्षियों की मौत

3632. **श्री महेश कनोडीया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के प्राणि उद्यान में पक्षियों तथा अन्य वन्य पशुओं की मौत के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो माह के दौरान बताई गई ऐसी मौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख)जी, नहीं। चिड़ियाघर में पशुओं की मौतें अवश्य होती हैं, और दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में भी पशुओं की मृत्यु की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। फिर भी, ऐसी मौतों के लिए कोई ऐसी निश्चित पद्धति नहीं है जिससे साबित हो कि चिड़ियाघर के जानवरों की मौतों में वृद्धि हो रही है। पिछले दो महीनों के दौरान चिड़ियों और अन्य पशुओं की मौतों का विस्तृत ब्यौरा विवरण में है।

(ग) और (घ) सरकार केवल उन्हीं मामलों में जाँच-पड़ताल करवाती है जहाँ पर मौतें अप्राकृतिक कारणों से होने का संदेह होता है। सरकार ने एशियाई शेरों की मौत की परिस्थितियों की जाँच-पड़ताल के लिए एक तीन सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति बनाई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र सं.	दिनांक	प्रजाति का नाम	मौत का कारण
1.	5.4.2004	पायसिस्केट कामन	न्यूमोनिटिस
2.	11.4.2004	भारतीय सेरनी (सीटू)	मिश्रित इन्फेक्शन और सेलेनिटी
3.	12.4.2004	डीयर स्वैम्प	एक्युट एन्टिरिटिस
4.	18.5.2004	चौसिंगा	लड़ाई में आघात और मृत्यु
5.	21.5.2004	लंगूर ग्रे	कोलाइटिस
6.	30.6.2004	भारतीय सेरनी (सरस्वती)	पल्मोनरी एमफिकिया निक्रोसिस लीवर
7.	3.7.2004	हिप्पोपोटमस	लड़ाई में आघात और मृत्यु
8.	6.7.2004	हिरण बार्किंग	कुत्ते का काटना, आघात और मृत्यु
9.	23.7.2004	हिम ब्लैक बीयर	लू लगना
10.	25.7.2004	सियार	एक्युट मार्ईओकारडिटिस
11.	26.7.2004	कैट फिशिंग	एक्युट हेमरेजिक एन्टरिटिस
12.	27.7.2004	सियार	लड़ाई में आघात मृत्यु
13.	28.7.2004	स्टार्क ब्लैक नेकड्न्द (चिड़िया)	चौंक, आघात और मृत्यु

[अनुवाद]

सूखा पीड़ित लोगों के लिए रोजगार के अवसर

3633. श्री के. विरूपाक्षप्पा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूखा पीड़ित राज्यों विशेषकर कर्नाटक में दलित वर्गों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) सरकार ने पूंजी-सृजक लोक निर्माण कार्यक्रम आरंभ करते हुए प्रत्येक निर्धन परिवार के कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए न्यूनतम मजदूरी पर प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों के रोजगार हेतु कानूनी गारंटी प्रदान करने की एक योजना की घोषणा की है। यह योजना कर्नाटक सहित देश के समस्त राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी। इस दौरान अत्याधिक पिछड़े तथा ऐसे कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता वाले अभिनिर्धारित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत 150 जिलों में कार्य के बदले अनाज नामक एक नया कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है।

विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता

3634. श्री के. सी. पलनिसामी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र सरकार, विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को कितनी राशि दी गई और तमिनाडु में इस वित्तपोषण के द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वैज्ञानिक द्वारा दैनन्दिनी कार्य

3635. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों को वैज्ञानिकों को गैर-वैज्ञानिक प्रकृति के कार्य न सौंपने की नीति का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो परिषद के ध्यान में आए हुए उल्लंघनों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आई ए एस आर आई में गेस्ट हाउस पर्यवेक्षण, वेलफेयर आफिसर, कैम्पस इंचार्ज इत्यादि की जिम्मेदारियों का निर्वहन संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक द्वारा किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया ।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गेस्ट हाउसों की प्रचलित प्रणाली के अनुसार यह प्रशासनिक अधिकारी के कार्यक्षेत्र के अधीन है, जबकि होस्टल के वार्डन, कल्याण अधिकारी, परिसर प्रभारी के कार्य वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में अलग से कोई गेस्ट हाउस नहीं है। यहां एक होस्टल है जिसका नाम 'पांसे होस्टल' है। यह अग्रत अध्ययन केन्द्रों, समर स्कूल, विंटर स्कूल और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित विभिन्न तदर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों को आवास की सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिक और अन्य अधिकारी भी दिल्ली भ्रमण के दौरान इस होस्टल में ठहरते हैं, चूंकि, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थी पांसे होस्टल में ठहरते हैं अत: एक प्रधान वैज्ञानिक को छात्र होस्टल वार्डन, कल्याण अधिकारी और परिसर प्रभारी के कार्य सौंपे गए हैं।

वन क्षेत्र में पर्यावरणीय गिरावट और क्षीणता

3636. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पर्वतों से रेत निकलने के कारण अत्यधिक गाद और इस कारण हरित क्षेत्र के कम होने और नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में गंभीर परिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यावरण में कितनी कमी हुई है तथा वन क्षेत्र में कितनी कमी आई है ; और

(ग) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर स्थिति से निपटने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) (क) नदियों में गाद की वजह से वनावरण में कमी होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। वास्तव में, पूर्वोत्तर क्षेत्र का वनावरण भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट, 2001 के अनुसार 1999 की पिछली रिपोर्ट की तुलना में 2374 वर्ग कि० मी० बढ़ा है। पहाड़ों में अधिक वर्षा के साथ बड़े कैचमेंट क्षेत्र वाली नदियों में गाद का जमा होना तथा बहाव मार्ग में परिवर्तन होना कुछ हद तक एक प्राकृतिक घटना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अब तक की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है :

(i) इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को वन सुरक्षा के लिए एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का प्रबंधन, बाघ परियोजना तथा हाथी परियोजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत वनों के संरक्षण और पौधरोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वनों के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए लोगों से सहयोग मांगा जाता है।

(iv) कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा भी वाटरशैड प्रबंधन तथा पौधरोपण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं तक नलकूपों संबंधी परियोजना रिपोर्ट

3637. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा में भावरना तथा सोलन जिले में मंडी तथा नालागढ़ के 4181 हेक्टेयर को सम्मिलित करने हेतु सिंचाई परियोजनाओं और नलकूपों के निर्माण हेतु 9,59,81,000 रुपए की परियोजना रिपोर्ट मंजूरी हेतु भेजी गई है; और

(ख) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी नहीं, कांगड़ा में भावरना तथा सोलन जिले में मंडी तथा नालागढ़ के 4181 हेक्टेयर को सम्मिलित करने हेतु सिंचाई स्कीमों और नलकूपों के निर्माण करने के लिए 9,59,81,000 रुपये की लागत वाली कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। तथापि कांगड़ा, मंडी और सोलन जिलों में लघु सिंचाई स्कीमों के चार समूहों से संबंधित परियोजनाएँ हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई हैं और इन्हें अक्तूबर 2003 में केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शामिल कर लिया गया है। इनके विवरण नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कृष्य कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	कमान क्षेत्र विकास कार्यों की लागत (रुपये लाख में)	लाभान्वित जिले
1.	कांगड़ा के थुरल जिले आईपीएच प्रभाग के अंतर्गत 3 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	885	199.92	कांगड़ा
2.	मंडी जिले के सरकाघाट तहसील में 42 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	1087	227.07	मंडी
3.	सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में 27 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	2209	538.89	सोलन
	उप जोड़	4181	965.88	
4.	मंडी जिले के द्रांग एवं सदर ब्लाक में 40 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	1377	436.00	मंडी
	जोड़	5558	1401.88	

इन परियोजना क्षेत्रों में भूजल क्षमता सीमित होने के कारण राज्य सरकार ने नलकूपों के लिए प्रावधान नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि तथा गैर-कृषि भूमि की स्थिति

3638. श्री हितेन बर्मन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कूच बिहार के सभी जिलों में कृषि तथा गैर-कृषि भूमि की स्थिति जानने के लिए एक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण कब कराया गया था और सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सर्वेक्षण कब तक कराये जाने और पूरा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख)जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में भूमि उपयोग स्थिति का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान ब्लॉक स्तर पर नमूना सर्वेक्षण आयोजित किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, कूच बिहार जिले में 3,31,377 हैक्टेयर रिपोर्टिंग क्षेत्र में से 253539 हैक्टेयर क्षेत्र निवल बोये गए क्षेत्र के अधीन, 3,771 हेक्टेयर वन क्षेत्र के अधीन, 59,095 हेक्टेयर गैर-कृषि उपयोग के अधीन तथा शेष क्षेत्र परती भूमि, चारागाह, खेती योग्य बेकार पड़ी और वर्तमान परती भूमि आदि के अधीन है। भूमि उपयोग स्थिति वर्ष दर वर्ष भिन्न होती है जो जलवायु की स्थितियों पर निर्भर होती है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

प्रोफेसर के विरुद्ध शिकायत

3639. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान को जनवरी, 2004 में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां, जनवरी, 2004 में भारतीय कृषि सांख्यिकीय

अनुसंधान संस्थान को एक महिला कर्मचारी के उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) एक अलमारी के उपयोग की घटना ने एक महिला कर्मचारी और एक वैज्ञानिक के बीच वाद को प्रेरित किया जिसके कारण महिला कर्मचारी ने गर्माहट में अपमानजनक भाषा प्रयोग करने का आरोप लगाया जिसको आगे बताया गया है। इस मामले में दिनांक 07.01.2004 की घटना के बारे में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को आई० ए० एस० आर० आई० की एक महिला कर्मचारी से शिकायत मिलने पर दिनांक 14.01.2004 को मामले की जांच एक समिति द्वारा की गई जिसमें संस्थान में वरिष्ठतम महिला वैज्ञानिक सहित (महिला कक्ष) का प्रभारी व्यक्ति भी उपस्थित था।

(ग) मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से तय किया गया, जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की गई थी उसने उसके द्वारा प्रयुक्त अपमानजनक भाषा के प्रयोग से इन्कार किया और बताया कि उसने ऐसा नहीं किया, तथापि उसने किसी भी प्रकार के उस कष्ट के लिए खेद व्यक्त किया जो कि एक महिला कर्मचारी को महसूस हुआ हो। तदनुसार शिकायतकर्ता महिला ने दिनांक 14.01.2004 को अपनी शिकायत वापस ले ली। इसके साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की कि शिकायतकर्ता एवं जिसकी शिकायत की गई है उन्हें उनके वर्तमान स्थानों से अलग कर दिया जाना चाहिए। इस समिति की शिकायत कार्यान्वित कर दी गई है।

[हिन्दी]

कियोस्क के किराया प्रभारों का भुगतान

3640. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सरकार से व्यावसायिक दरों पर कियोस्क किराया प्रभार के भुगतान की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन विभाग ने तर्क दिया है कि पर्यटन संबंधी सूचना तथा सेवाएं प्रदान करके पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विमानपत्तनों पर कियोस्क का प्रयोग किया जाए; और

(ग) यदि हा, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई पी एफ पर ब्याज की दर

3641. श्री के. एस. राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर में हाल ही में 01 प्रतिशत की कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नयी दर अंतरिम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) आज तक ई पी एफ संगठन की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और कंपनियों के नाम क्या हैं;

(च) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या ई पी एफ बोर्ड ने सरकार से इसकी विशेष जमा योजनाओं के लिए, जहां 75 प्रतिशत ई पी एफ संग्रह निवेशित है, ब्याज दर बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ज) यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने 9.8.2004 को आयोजित अपनी 169वीं बैठक में सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के खातों में वर्ष 2004-05 के लिए 8.5 प्रतिशत की अंतरिम ब्याज दर से ब्याज जम किये जाने की सिफारिश की है।

(ड.) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, 1862.80 करोड़ रु की धनराशि चूककर्ता प्रतिष्ठानों पर बकाया थी। 10 लाख तथा इससे अधिक की चूक करने वाले प्रतिष्ठानों की क्षेत्र-वार विवरण में दी गयी है।

(च) जब कभी किसी चूक का पता चलता है, तब क भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8च, 8ख से 8(छ), 14 (1) (क), 14(1)(ख) तथा 7 (थ) अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

(छ) जी हां।

(ज) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की सिफारिशों को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

विवरण

10 लाख रुपये तथा इससे अधिक की चूक करने वाले प्रतिष्ठानों का ब्यौरा

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	111
2.	बिहार	27
3.	छत्तीसगढ़	5
4.	दिल्ली	33
5.	गोवा	3
6.	गुजरात	93
7.	हरियाणा	28
8.	हिमाचल प्रदेश	5
9.	झारखंड	20
10.	कर्नाटक	77
11.	केरल	127
12.	मध्य प्रदेश	80
13.	महाराष्ट्र	226
14.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	34
15.	उड़ीसा	86
16.	पंजाब	45
17.	राजस्थान	35
18.	तमिलनाडु	204
19.	उत्तर प्रदेश	151
20.	उत्तरांचल	34
21.	पश्चिम बंगाल	144
	कुल	1568

बीड़ी कामगारों के लिए आवास योजना

3642. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में बीड़ी कामगारों के लिए आवास योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को बीड़ी कर्मकार कल्याण कोष द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को सभी बीड़ी उत्पादक राज्यों में कब तक लागू किया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) सरकार बीड़ी कामगारों के लिए एक एकीकृत आवास योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत, विभिन्न राज्यों में बीड़ी बनाने के कार्य में लगे पात्र कामगारों को अपना मकान बनाने के लिए 20,000 रुपये जिसे हाल ही में 01 जुलाई, 2004 से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति कामगार कर दिया गया है, अथवा बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत निर्माण की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत इसमें से जो भी कम हो, प्रति कामगार की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन बीड़ी कामगारों को आवास हेतु आर्थिक सहायता संस्वीकृत की गयी, उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/जिले का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	428	315	2018
2.	असम	51	शून्य	—
3.	छत्तीसगढ़	306	शून्य	287
4.	गुजरात	52	शून्य	—
5.	कर्नाटक	83	857	1591
6.	केरल	680	687	584

1	2	3	4	5
7.	मध्य प्रदेश	899	शून्य	1021
8.	महाराष्ट्र	444	शून्य	175
9.	उड़ीसा	2530	1830	242
10.	राजस्थान	03	शून्य	06
11.	तमिलनाडु	62	1638	—
12.	उत्तर प्रदेश	27	104	481
13.	पश्चिम बंगाल	549	शून्य	538
14.	बिहार	कुछ नहीं	311	—
	कुल जोड़	6,114	5,742	6,943

नदियों के जल की शुद्धता की निगरानी

3643. श्री अधीर चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल में नदियों के जल की शुद्धता की निगरानी में सहायता करने हेतु आवश्यक संस्थाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों में नदियों में रासायनिक प्रदूषकों की निगरानी कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्य में नदियों के जल की गुणवत्ता की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत गंगा नदी सहित पश्चिम बंगाल में नदी क्षेत्र की निगरानी के लिए प्रमुख विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल करके निगरानी नेटवर्क कार्यक्रम तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल में बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी गंगा नदी की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी राज्य में नदी निगरानी कार्य में लगे हुए हैं। प्रदूषण सूचक पैरामीटर नामत: घुलित आक्सीजन, जैवरसायन आक्सीजन मांग, रसायन आक्सीजन मांग, कुल नाइट्रोजन, कुल कॉलीफार्म और फीकल कॉलीफार्म आदि के साथ स्थल विशिष्ट भारी धातु नामत: आयरन, मैगजीन, कापर, जिंक, निकल, कैडमियम और लीड की निगरानी की जा रही है जिसमें सीवेज के अवरोधन, दिशापरिवर्तन और शोधन, शवदाहगृह की स्थापना, नदी तटाग्र विकास और वनीकरण की स्कीमें शामिल हैं।

ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर वनों का विनाश

3644. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 2004 के दौरान ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई आदि के कारण वनों के विनाश का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जानी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख)सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीएएमपीए का गठन

3645. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में कंपनसेटरी अफोरस्टेशन फंड मैनेजमेंट एण्ड प्लानिंग अथारिटी (सीएएमपीए)के गठन की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों की राय मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) किन क्षेत्रों में सीएएमपीए के अंतर्गत निधियों का उपयोग किया जाना है; और

(च) राज्यों को सीएएमपीए के अंतर्गत किस प्रकार निधियां प्रदान की जाएंगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) (क) जी, हां।

(ख) 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं० 202 में आई ए सं० 566 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30 अक्तूबर, 2002 के आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंध एवं आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा) नामक प्राधिकरण का गठन किया है जिसका उद्देश्य प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्राप्त होने वाले

धन, शुद्ध वर्तमान मूल्य और कोई अन्य रकम जो उच्चतम न्यायालय के अनुपालन एवं वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन देते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसरण में वसूलने योग्य हो, का प्रबंधन करना है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की उनके विधिक परामर्शदाताओं के माध्यम से सुनवाई की और प्रतिपूरक वनीकरण निधि के सृजन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच सहमति थी।

(ङ.) और (च) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्राप्त धन का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि के वनेतर उपयोग के प्रस्तावों के साथ-साथ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त स्थल विशिष्ट स्कीमों के अनुसार उपयोग करना अपेक्षित है।

शुद्ध वर्तमान मूल्य से प्राप्त धन का उपयोग प्राकृतिक सहायता प्राप्त पुनरुद्धार, वन प्रबंधन, सुरक्षा, अवसंरचना विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन, लकड़ी एवं अन्य वनोपज बचाव उपकरण की आपूर्ति और अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए किया जाना है।

संरक्षित क्षेत्रों में वनभूमि के वनेतर उपयोग के मामलों सहित उच्चतम न्यायालय के आदेशों अथवा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त धन को एक खाते में रखा जाना अपेक्षित है और आय का उपयोग केवल राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा एवं संरक्षण कार्यों को शुरू करने के लिए किया जाएगा।

कैम्पा को संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा तैयार वार्षिक प्रचालन योजना के अनुसार राज्य स्तरीय प्रबंध समिति के माध्यम से पूर्वनिर्धारित किश्तों में संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए निधियां जारी करना अपेक्षित है।

'डुप्लीकेट ब्रांड' पर प्रतिबंध

3646. श्री पी. एस. गढवी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियां बाजार में अपने डुप्लीकेट उत्पादों को रोकने के लिए विशेष प्रतिबंध की मांग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान कानून इस संबंध में बहुत प्रभावी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) सरकार को कम्पनियों द्वारा वस्तुओं के डुप्लीकेट ब्रांडों पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रतिबंध की किसी मांग के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 मूलत: व्यापार चिह्न के पंजीकरण और लाइसेंसिंग से संबंधित है। व्यापार चिह्न का पंजीकरण विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है और खास तौर पर उपभोक्ता मदों के संबंध में ऐसे हजारों व्यापार चिह्नों का उपयोग हो रहा है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है।

व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 में व्यापार चिह्न में अन्तर्निहित बौद्धिक संपदा की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और इसमें अधिनियम के तहत विभिन्न उपबंधों के जरिए पंजीकृत व्यापार चिह्न धारक के अधिकारों की सुरक्षा के उपबंध शामिल हैं जिनको सिविल/फौजदारी न्यायालयों में उठाए जाने की आवश्यकता होती है। अपने अधिकार की सुरक्षा का पूरा दायित्व व्यापार चिह्न के पंजीकृत मालिक का है।

[हिन्दी]

यूरिया की खपत

3647. श्री राजेन्द्र कुमार:
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में यूरिया की खपत जिले-वार कितनी है;

(ख) औसत राष्ट्रीय खपत की तुलना में उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में यह खपत स्तर कितना कम या अधिक है; और

(ग) इस संबंध में सन्तुलन बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष 2002-2003 के दौरान यूरिया की खपत दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश में वर्ष 2002-2003 के दौरान यूरिया की प्रति हेक्टेयर खपत 173.18 कि. ग्रा. थी, जो कि इसी अवधि के दौरान 98.89 कि.ग्रा. की औसत राष्ट्रीय खपत की डेढ़ गुणा से भी अधिक थी।

(ग) सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंध को बढ़ावा दे रही है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आर्गेनिक खादों और जैव उर्वरकों के साथ संयोजन में मृदा जांच आधारित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग की वकालत की जाती है। 'उर्वरकों का संतुलित और समेकित उपयोग' स्कीम, जिसे अब वृहत प्रबंधन स्कीम के अधिन मिला दिया गया है, के तहत मृदा जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने और शहरी कचरे से कम्पोस्ट के उत्पादन के लिए भी वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा, सरकार आर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है जिसमें फार्मयार्ड खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट और जैव-उर्वरकों आदि जैसे पोषक तत्वों के आर्गेनिक स्रोतों के उपयोग पर जोर दिया जाता है।

विवरण

(लाख मी. टन में)

क्र.सं.	जिला	यूरिया खपत
1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1.	सहारनपुर	154468
2.	मुजफ्फर नगर	132566
3.	मेरठ	90006
4.	बागपत	57666
5.	गाजियाबाद	65441
6.	गौ. बुद्ध नगर	18404
7.	बुलन्दशहर	106201
8.	आगरा	64130
9.	अलीगढ़	54167
10.	हाथरस	51409
11.	एटा	65293
12.	फिरोजाबाद	53031
13.	मेनपुरी	43859
14.	मथुरा	45399
15.	बरेली	93934
16.	बदायूँ	79482
17.	शाहांजहांपुर	138134
18.	पीलीभीत	100977
19.	बिजनौर	110104
20.	मुरादाबाद	133761
21.	गौ.ब.प. नगर	99367
22.	रामपुर	70061
23.	फरूखाबाद	68086
24.	कन्नौज	37619
25.	इटावा	32167
26.	औरेया	27062
27.	कानपुर (नगर)	42008
28.	कानपुर (देहात)	43233
29.	इलाहाबाद	123410
30.	कौशाम्बी	33687
31.	फतेहपुर	77213
32.	प्रतापगढ़	61923
33.	झांसी	20440
34.	ललितपुर	7645
35.	जालौन	29551
36.	हमीदपुर	11248
37.	महोआ	4776
38.	बादा	9096
39.	चित्रकूट	7497
40.	वाराणसी	69288
41.	चन्दौसी	46184

1	2	3
42.	गाजीपुर	75809
43.	जौनपुर	56567
44.	मिरजापुर	21494
45.	स. रवि नगर	29817
46.	सोनभद्र	10397
47.	आजमगढ़	84622
48.	मऊ	40455
49.	बलिया	57806
50.	गोरखपुर	89313
51.	महाराजगंज	70128
52.	देवरिया	114425
53.	कुशीनगर	75176
54.	बस्ती	170767
55.	कबीर नगर	41009
56.	सिद्धार्थ नगर	64688
57.	गोंडा	60729
58.	बलरामपुर	36890
59.	बहाराइच	39544
60.	श्रावस्ती	18650
61.	लखनऊ	37363
62.	उन्नाव	45377
63.	रायबरेली	45532
64.	सीतापुर	102724
65.	हरदोई	49462
66.	खीरी	189318
67.	फैजाबाद	85666
68.	अम्बेडकर नगर	75178
69.	सुल्तानपुर	48448
70.	बाराबंकी	89233

1	2	3
उत्तरांचल		
1.	नैनीताल	10821
2.	उद्यम सिंह नगर	119608
3.	अलमोड़ा	502
4.	बागेश्वर	288
5.	पिथौरागढ़	494
6.	चम्पावत	104
7.	चमोली	223
8.	देहरादून	5850
9.	पौड़ी	299
10.	रूद्रप्रयाग	171
11.	टिहरी	302
12.	उत्तर काशी	174
13.	हरिद्वार	40337

[अनुवाद]

लक्षद्वीप में मत्स्य-प्रसंस्करण उद्योग

3648. डॉ. पी.पी. कोया : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप में रोजगार के अवसर सृजित करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विशेष विकास पैकेज के रूप में निर्यातोन्मुखी मत्स्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। लक्षद्वीप में मत्स्य-प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में लम्बित नहीं है।

तिपैमुका बांध

3649. डा. टोकचोम मैन्या : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिपैमुका बांध के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या संबंधित राज्यों ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है और इस बांध हेतु कितनी निधियां आबंटित की गयी हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) मणिपुर में बराक नदी पर तिपाईमुख जल विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना (1500 मेगावाट) को दिसम्बर, 2002 के मूल्य स्तर पर आई डी सी सहित 5163.86 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02.07.2003 को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। चूँकि विद्युत को पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर भेजने की आवश्यकता होगी इसलिए संप्रेषण लागतों को जोड़ने के बाद इसे व्यावसायिक रूप में व्यवहार्य और विक्रय योग्य बनाने की दृष्टि से शुल्क को कम करने के संबंध में कदम उठाए गए हैं।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मई, 2002 में प्रथम एवं दूसरे चरण की स्थल स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी।

(घ) और (ङ) मणिपुर सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और असम और मिजोरम राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। अभी हाल में नीपको को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी आंकड़ों को अद्यतन करने सहित परियोजना स्थल के लिए क्षेत्र अध्ययनों को पूरा करने के लिए कहा गया है।

चीनी प्रौद्योगिकी मिशन

3650. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु चीनी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन हेतु ली गयी प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(घ) चीनी उद्योग द्वारा इनको किस हद तक क्रियान्वित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चीनी प्रौद्योगिकी मिशन ने चीनी उद्योग के तकनीकी उन्नयन के लिए अभी तक तेइस प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया है इनमें से पंद्रह प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा इनमें से आठ को चीनी उद्योग में पहले ही संस्थापित कर लिया गया है। इन प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन से चीनी उद्योग को चीनी की रिकवरी प्रतिशतता में वृद्धि, चीनी की हानि और रसायनों की खपत में कमी, विद्युत तथा ऊर्जा की बचत तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की चीनी से तुलनीय बढ़िया किस्म की चीनी के उत्पादन के रूप में लाभ होने की संभावना है। प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा जिन प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन आरम्भ किया गया है और जिनका मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर लिया गया है, उनका ब्यौरा क्रमशः विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी का नाम
1	2
1.	थिन फिल्म सल्फर बर्नर
2.	निर्मलीकरण के लिए पी एल सी प्रणाली
3.	पेन बॉयलिंग के लिए मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण प्रणाली (पी एल सी प्रणाली)
4.	कम दाब निष्कर्षण प्रणाली (एल पी ई)
5.	सिरप उपचार प्रणाली
6.	नियर इन्फ्रा-रैड प्रणाली (एन आई आर)
7.	शार्ट रिटेंशन क्लैरिफायर (एस आर सी)
8.	गन्ना विलगन प्रणाली (सी एस एस)
9.	चीनी उद्योग के घटकों (जस्ता, अल्युमीनियम मिश्रधातु) के लिए लागत तथा ऊर्जा प्रभावी सामग्री का विकास

1	2
10.	मास्कवीट फिल्टर
11.	निस्तारित्र अपकेन्द्रित्र
12.	निर्वात आसवकों का अलग से स्वच्छन
13.	मेम्ब्रेन विलगन प्रौद्योगिकी
14.	उद्यमी संसाधन योजना प्रणाली (ई आर पी)
15.	रॉ मेल्ट शुगर रिफाइनरी
16.	पी टी एच प्रणाली
17.	रस निष्कर्षण
18.	संघनन व शीतल करने की प्रणाली का स्वचालन
19.	प्लेनेटरी गियर बाक्स
20.	रासायनिक रूप से आपरिवर्तित खोई (सी एम बी)
21.	सेकेंडरी रस से इथेनाल का उत्पादन
22.	आसवानी अपशिष्ट उपचार प्रणाली
23.	फिल्म टाइप सल्फर बर्नर के उन्नयन के लिए ए डी यू - एफ एस बी - डब्ल्यू एच आर संयोजन।

विवरण-II

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी का नाम	मूल्यांकन/कार्यान्वयन की स्थिति
1	2	3
1.	थिन फिल्म सल्फर बर्नर	प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है तथा 74 चीनी मिलों में इसे संस्थापित किया गया है।
2.	निर्मलीकरण के लिए पी एल सी प्रणाली	प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है तथा 5 चीनी मिलों में इसे संस्थापित किया गया है।
3.	पैन बॉयलिंग के लिए मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण प्रणाली (पी एल सी प्रणाली)	प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा इसे संस्थापित किया जा रहा है।
4.	कम दाब निष्कर्षण प्रणाली (एल पी ई)	प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है तथा 1 चीनी मिल में इसे संस्थापित किया गया है।
5.	सिरप उपचार प्रणाली	प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है तथा 40 चीनी मिलों में इसे संस्थापित किया गया है।
6.	चीनी उद्योग के घटकों (जस्ता, अल्युमीनियम मिश्रधातु) के लिए लागत तथा ऊर्जा प्रभावी सामग्री का विकास	प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा यह संस्थापित करने के लिए तैयार है।
7.	निस्तारित्र अपकेन्द्रित्र	वाणिज्यिक मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा यह संस्थापित करने के लिए तैयार है।
8.	निर्वात आसवकों का अलग से स्वच्छन	प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा 27 चीनी मिलों में इसको संस्थापित किया गया है।
9.	मेम्ब्रेन विलगन प्रौद्योगिकी	पायलट स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
10.	उद्यमी संसाधन योजना प्रणाली (ई आर पी)	इस तकनीक को कुछ चीनी मिलों द्वारा अपनाया जा रहा है।
11.	रॉ मेल्ट शुगर रिफाइनरी	प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक मूल्यांकन किया गया है तथा यह संस्थापित करने के लिए तैयार है।

1	2	3
12.	संघनन व शीतल करने की प्रणाली का स्वचालन	प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा 7 चीनी मिलों में इसको संस्थापित किया गया है।
13.	प्लेनेटरी गियर बाक्स	प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक मूल्यांकन किया गया है तथा 2 चीनी मिलों में इसको संस्थापित किया गया है।
14.	सेकेंडरी रस से इथेनाल का उत्पादन	आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए इसको संस्थापित किया जा सकता है।
15.	आसवानी अपशिष्ट उपचार प्रणाली	आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया गया है तथा आसवनी अपशिष्ट उपचार में इसे अब वाणिज्यिक रूप से संस्थापित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट के निपटान के बारे में जागरूकता

3651. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट अवैध रूप से भारत लाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका निपटान करने वाले लोगों को इसके जहरीले प्रभाव तथा निवारणात्मक उपायों के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसके बारे में लोगों को जानकारी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट, 2000 एवं 2003 में यथा संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली 1989 की अनुसूची 3 की सूची-क और सूची-ख में शामिल है। इस लिए इस अपशिष्ट के आयात के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेष अनुमति लेना अपेक्षित है। मंत्रालय ने आज तक किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की है। तथापि अवैध आयातों के बारे में मीडिया में कुछ अनिश्चित रिपोर्टें आई हैं।

(ख) और (ग) जैसा कि इस समय हमारे देश में इलेक्ट्रानिक अपशिष्टों का संग्रह एवं पुनर्चक्रण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है, सरकार ने इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय अनुकूलन प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए/कदम उठाए हैं :

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक गैर-सरकारी संगठन टाक्सिक लिंक के साथ मिलकर मार्च 2004 में इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के मुख्य शहरों में जनित ई-अपशिष्ट के शीघ्र मूल्यांकन के लिए कार्रवाई आरम्भ की है।
- ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक कार्यनीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यदल का गठन किया गया है।
- 'एन्वायरमेंटल मैनेजमेंट फार इनफार्मेशन टेक्नालाजी इन्डस्ट्रीज इन इन्डिया' पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी आई टी), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक व्यापक तकनीकी मार्ग दर्शिका प्रकाशित और प्रचालित की गई है।
- प्रिन्टेड सर्किट बोर्डों से तांबा निकालने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, पालाक्कड़, केरल में एक प्रदर्शनी परियोजना भी स्थापित की गई है।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इलैक्ट्रानिक उद्योग में पर्यावरणीय प्रबंधन पर देश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

[अनुवाद]

अशिक्षित प्रवासी खाड़ी देशों में श्रमिक के रूप में

3652. श्री तथागत सत्पथी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूवनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर प्रवासी प्राधिकारियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पता लगाया है जिसमें भर्ती एजेण्ट शामिल हैं जो अशिक्षित प्रवासियों को खाड़ी देशों में श्रमिक के रूप में भेजने हेतु जाली आव्रजन स्वीकृति की मोहर का प्रयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल और तमिलनाडु में आव्रजन अधिकारियों को संरक्षण देने वाले कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसमें शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवायी गयी है;

(ङ.) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(च) इन गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (च) तिरूवनन्तपुरम हवाई अड्डे के आप्रवासी प्राधिकारियों ने मई, 2004 में उत्प्रवास अनुमति की जालसाजी के 5 मामलों का पता लगाया है और इस संबंध में वलियाथुरा पुलिस स्टेशन, तिरूवनन्तपुरम में मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद, एक और मामले का पता चला है। इन मामलों की जांच अपराध शाखा (सी बी सी आई डी), तिरूवनन्तपुरम द्वारा की जा रही है।

[हिन्दी]

चीनी मिलों की बकाया राशि

3653. श्री मुन्शी राम: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को चीनी मिलों की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक चीनी मिलों को भुगतान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बिजनौर जिला सहित उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी मिल मालिकों को पूरी बकाया राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है, जिसमें चीनी मिलों को बकाया देयों का भुगतान करने के लिए निदेश दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सूचित किया है कि उन्हें इस प्रकार के किसी निर्णय की जानकारी नहीं है ।

चारा विकास कार्य

3654. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में समेकित वन और चारा विकास कार्यों के माध्यम से जीविकोपार्जन हेतु कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग अपने क्षेत्रीय चारा केन्द्रों के माध्यम से राज्यों के चारा विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए उनकी सहायता कर रहा है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मिनिकिट कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को गुणवत्ता चारा बीजों की आपूर्ति की जाती है ताकि उनका किसानों में मुफ्त वितरण किया जा सके। चालू वर्ष के दौरान, खरीफ, 2004 के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 13,430 चारा बीज मिनिकट उपलब्ध कराए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत की केन्द्रीय वित्त पोषण के आधार पर एक राष्ट्रीय वृक्ष रोपण कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना की क्रियान्वयन वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसियों (एफ डी ए) और ग्रामीण स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जे एफ एम सी) के विकेन्द्रीकृत ढांचे के जरिए किया जा रहा है । पाश्चर/सिल्वीपाश्चर इस योजना का एक घटक है। मध्य प्रदेश में, 10वीं योजना तक 88.06 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 30 एफ डी ए परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अब तक पाश्चर विकास घटक सहित योजना के सभी घटकों के लिए 38.65 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

खनन कार्यों पर पर्यावरण और वन नीति के प्रभाव

3655. श्री महावीर भगोरा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की पर्यावरण और वन नीति के कारण राजस्थान में खनन कार्य प्रभावित हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उन खानों की संख्या कितनी है जहां इसके कारण खनन कार्य प्रभावित हुआ है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं। सरकार की वर्तमान पर्यावरण एवं वन नीति सतत तरीके से खनन की अनुमति देती है जहां खनन कार्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 और वन (संरक्षण) अधिसूचना, 1980 के अनुसार किया जा सकता हो। इसके अंतर्गत जिन खनन यूनिटों को पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है उन्हें खनन कार्य करने की अनुमति है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुग्ध उत्पादकों को संरक्षण

3657. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित दूध ने जन स्वास्थ्य और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर दिया है जैसाकि दिनांक 18 जुलाई, 2004 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार की नीति की वजह से भारतीय दुग्ध उद्योग को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय दुग्ध उत्पादकों के संरक्षण हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) उपयुक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय दुग्ध उत्पादकों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. स्किम्ड दुग्ध चूर्ण, संपूर्ण दुग्ध चूर्ण, बटर तथा बटर आयल की संवेदनशील मदों के रूप में पहचान की गई है और आयात प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इनके आयात पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।
2. गैट के अनुच्छेद-XXVIII के अंतर्गत बातचीत के बाद 15 प्रतिशत शुल्क पर दोनों तर्जों को एक साथ करके 10,000 मी. टन वार्षिक शुल्क दर कोटा के साथ स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा संपूर्ण दुग्ध चूर्ण पर आयात शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
3. बटर आयल पर आयात शुल्क को भी बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
4. पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया गया है जिससे स्वच्छता संबंधी आयात परमिट से दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों सहित पशुधन उत्पादों के आयात के लिए अनुमति दी जा सके।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें

3657. **श्री रूपचन्द मुर्मू:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी॰डी॰एस॰) के अंतर्गत उचित दर दुकानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की संख्या और नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में इन वस्तुओं की वास्तविक आवूर्ति की वस्तुगत जांच करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी आवृत्ति क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणली के अंतर्गत और अधिक वस्तुएं लाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सारे देश में चलाई जा रही है।

(ग) केन्द्रीय सरकार इस समय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी राज्यों को उपलब्ध कराती है। कुछ राज्य भी जनता के आम उपभोग की अतिरिक्त वस्तुएं जैसे कपड़ा, अभ्यास पुस्तिकाएं, दालें, नमक, चाय आदि को उचित दर दुकानों के जरिए वितरित कराते हैं।

(घ) और (ङ) वस्तुओं की आपूर्ति का सत्यापन करने सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जिंसों का वितरण करने के लिए उचित दर दुकानों का प्रबंध राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के पास है।

(च) और (छ) फिलहाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन और अधिक जिंसों को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर दुकानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	40691
2.	अरुणाचल प्रदेश	1284
3.	असम	33229
4.	बिहार	41818
5.	छत्तीसगढ़	7869
6.	दिल्ली	3114
7.	गोआ	527
8.	गुजरात	14284
9.	हरियाणा	7302
10.	हिमाचल प्रदेश	4075
11.	जम्मू और कश्मीर	3927
12.	झारखंड	14395
13.	कर्नाटक	20603
14.	केरल	14135
15.	मध्य प्रदेश	18688
16.	महाराष्ट्र	49921
17.	मणिपुर	2551
18.	मेघालय	4302
19.	मिज़ोरम	1011
20.	नागालैंड	290
21.	उड़ीसा	23579
22.	पंजाब	13874
23.	राजस्थान	20866
24.	सिक्किम	1071
25.	तमिलनाडु	27995
26.	त्रिपुरा	1434
27.	उत्तरांचल	74788
28.	उत्तर प्रदेश	7332
29.	पश्चिम बंगाल	20441
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	488
31.	चंडीगढ़	56
32.	दादर व नगर हवेली	78
33.	दमन व दीव	51
34.	लक्षद्वीप	35
35.	पांडिचेरी	408
	जोड़	476512

[हिन्दी]

हाथी ग्राम का निर्माण

3658. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में आमेर की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए हाथी पर सवाशी करना विशेष आकर्षण है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को राज्य में हाथी ग्राम के निर्माण हेतु राजस्थान सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटक आकर्षणों का विकास मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके परामर्श से, अभिनिर्धारित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास और उत्पाद/अवसंरचना और गंतव्य विकास परियोजनाओं तथा वृहत राजस्व सर्जक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार को राजस्थान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पशु कल्याण सलाहकार बोर्डों हेतु निधियों का आवंटन

3659. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान पूरे देश में गठित पशु कल्याण सलाहकार बोर्डों को आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन बोर्डों के कार्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य पशु कल्याण सलाहकार बोर्डों को कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

(ख) इन बोर्डों के कार्य तथा लक्ष्य नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

(i) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण तथा आम तौर पर पशु कल्याण को बढ़ावा देने और पशुओं से संबंधित विधानों जैसे कि जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों और संबंधित राज्यों में मौजूद अन्य राज्य कानूनों के क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति के सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना।

(ii) गैर-सरकारी संगठनों को पशुओं के लिए कार्य शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा संगठन के सफलतापूर्वक संचालन के उद्देश्य से आम जनता विशेषकर मानव प्रेमियों और सेवा संगठनों को इस कार्य में सम्मिलित करना।

(iii) विद्यालयों में तथा आम जनता के बीच पैम्फलेटों, पुस्तिकाओं, पोस्टरों के प्रकाशन, स्लाइडों, फिल्म शो, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा प्रदर्शनियों आदि के आयोजन के माध्यन से मानवीय शिक्षा को बढ़ावा देना।

(iv) जीव जन्तुओं को कष्ट पहुंचाने के दोषियों को पकड़ना, उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा चलाना और दंड दिलवाना।

(v) सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति को बूचड़खानों के डिजाइन या पशुओं के वध से पूर्व की अवस्था में जहां तक संभव हो सके किसी भी प्रकार की अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीड़ा को रोका जा सके और जहां कहीं आवश्यकता हो पशुओं को मानवीय ढंग से मारा जा सके।

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करना कि अवांछित पशुओं को, जब कभी आवश्यकता हो स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा या तो अविलम्ब या बेहोश करके मारा जाए।

(vii) बचाव घरों, पशु आश्रय-स्थलों, अभ्यारण्यों तथा ऐसे अन्य स्थलों जहां पशु-पक्षी बूढ़े होने तथा उपयोग के लायक न रहने पर आश्रय प्राप्त कर सकें, के निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करना।

[अनुवाद]

संकर चावल

3660. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने हेतु सरकार के विचाराधीन कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु एक उपाय के रूप में संकर चावल को लोकप्रिय बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट दे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल, समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज और समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रही हैं। इन स्कीमों को अक्तूबर, 2000 से बृहत कृषि प्रबंधन प्रणाली में मिला दिया गया है ताकि राज्यों को उनके क्रियान्वयन में लचीलापन प्रदान किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को उनके द्वारा निरूपित कार्य योजनाओं के आधार पर सहायता दी जाती है। इसके अलावा, देश में तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए दसवीं योजना के दौरान अलग से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "समेकित तिलहन दलहन, ऑयल पाम और मक्का स्कीम" क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) से (ङ) समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल, जिसे अब बृहत प्रबंधन प्रणाली में मिला दिया गया है, के अधीन संकर चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों को संकर चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सलाह दी जा रही है। देश में संकर चावल की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी कई विचारगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

फसल बीमा योजना

3661. श्री एल. राजगोपाल:
श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कम्पनियां आंध्र प्रदेश के पूरे मंडल को प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसान से लिए गए प्रीमियम की राशि आज तक भुगतान किए गए कुल मुआवजा राशि से काफी अधिक है;

(ग) क्या सरकार का विचार दावों के आकलन हेतु पूरे मंडल के बजाय एक गांव या किसान को इकाई के रूप में लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में किसानों को भुगतान की गयी मुआवजे की कुल धनराशि का जिले-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं। स्वीकार्य दावों का किसानों को भुगतान किया जाता है। तथापि, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बीमा के यूनिट क्षेत्र में फसल कटाई प्रयोग शुरु करके मूल्यांकित औसत उपज के आधार पर दावों की गणना की जाती है। इस प्रकार वैयक्तिक किसान/उप यूनिट क्षेत्र के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान वास्तविक फसल क्षति के अनुरूप नहीं हो सकता है।

(ख) पिछले आठ फसल मौसमों (अर्थात् रबी 1999-2000 से खरीफ 2003) के दौरान प्रीमियम और दावे अनुमानतः 1:4 के अनुपात में हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एक क्षेत्र विशेष स्कीम है। क्रियान्वयक राज्य बीमा का समीपवर्ती यूनिट क्षेत्र अधिसूचित करते हैं जैसे ग्राम पंचायत, मंडल, होबली, सर्कल, फिरका ब्लॉक आदि, जो फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या के लिए उनकी क्षमता पर निर्भर हैं। फसल क्षति का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक क्रियान्वयक राज्य तीन वर्षों की अवधि में ग्राम पंचायत के स्तर तक पहुंचे।

(ङ) आंध्र प्रदेश में किसानों को संदत्त दावों की राज्य-वार कुल धनराशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में संदत्त जिला-वार दावे

जिला का नाम	दावा (रुपये में)
1	2
आदिलाबाद	11,62,17,724
अनंतपुर	230,09,01,090
चित्तूर	13,84,43,000
गुड्डपा	149,22,94,562
पूर्वी गोदावरी	15,16,01,095
गुन्टूर	7,62,01,190
करीमनगर	1,98,79,851
खम्मम	4,14,63,991
कृष्ण	26,64,30,214

1	2
कूरनूल	4,35,27,224
महबूब नगर	7,52,47,130
मेडक	6,03,84,385
नालगोण्डा	6,15,62,953
नेल्लौर	4,83,46,998
निजामाबाद	38,35,12,858
प्रकासम	10,03,17,229
रंगारेड्डी	1,07,28,920
श्रीकाकुलम	27,90,17,603
विशाखापत्तनम	18,67,99,885
विजयनगरम	16,70,85,085
वारंगल	4,63,75,003
पश्चिम गोदावरी	9,14,83,981
योग	615,78,21,970

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता

3662. श्री एम॰ श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विचार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश को सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से परियोजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में सूअर पालन योजना

3663. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत नक्सल प्रभावित जिलों की महिलाओं को सूअर पालन योजना के लाभों को मुहैय्या कराने हेतु 300 लाख रुपए का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) प्रस्ताव सितम्बर, 2003 में प्राप्त हुआ था तथा छत्तीसगढ़ सरकार को 4 सितम्बर, 2003 को उत्तर भेजा गया था जिसमें यह बताया गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूअर पालन योजना को जारी न रहने के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता।

स्वान नदी से नहर निकाला जाना

3664. श्री सुरेश चन्देल:
श्रीमती प्रतिमा सिंह:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि योजना आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में बहने वाली स्वान नदी के झालरा पुल से लेकर संतोखगढ़ पुल तक 16.67 कि.मी. नहर बनाने हेतु 123.93 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु जल संसाधन मंत्रालय को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। 12.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "स्वान नदी प्रबंधन और एकीकृत भूमि विकास" नामक प्रस्ताव जिसमें संतोखगढ़ पुल से झालरा पुल तक 16.67 किलोमीटर की लंबाई में स्वान नदी के दोनों तटों पर तटबंधों और स्परों के निर्माण की योजना है, जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) से वित्तीय सहायता के लिए जनवरी, 2002 में जल संसाधन मंत्रालय में प्राप्त हुई थी। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया

और जे बी आई सी को आगे भेजे जाने के लिए 4.3.2002 को आर्थिक कार्य विभाग को सिफारिश की गई थी। इस प्रस्ताव को जापान सरकार के वित्तीय वर्ष 2003 के ऋण पैकेज के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2004 ऋण पैकेज के तहत विचार करने के लिए जेबीआईसी को प्रस्ताव की दोबारा सिफारिश की है। परियोजना के लिए सहायता, जापान सरकार द्वारा इस परियोजना के चयन किए जाने के निर्णय पर निर्भर करती है।

दिल्ली में विदेशी पर्यटकों हेतु पर्यटन पुलिस

3665. श्री चन्द्रशेखर दूबे:
श्री कैलाश मेघवाल:
डा॰ कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य:
श्री के॰एस॰ राव:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में किसी पर्यटन पुलिस की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे सभी प्रमुख पर्यटक केन्द्रों में पर्यटक पुलिस बल गठित करने और तैनात करने के लिए कार्रवाई शुरु करें। 35 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में से 9 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा और दिल्ली ने विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा हेतु सभी पर्यटक केन्द्रों में पर्यटक पुलिस बल तैनात किए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। दिल्ली पुलिस ने घरेलू पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पर्यटक केन्द्रों में, अर्थात्, आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (दोनों तरफ), हजरत निमामुद्दीन रेलवे स्टेशन, राजघाट, लाल किले, कुतुब मीनार, पालिका बाजार, जनपथ और इंडिया गेट पर पर्यटक पुलिस शुरू की है।

पर्यटक सर्किट

3666. श्रीमती नीता पटैरिया:
श्री राकेश सिंह:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में जोड़े जाने वाले प्रस्तावित उन पर्यटक सर्किटों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए पर्यटक सर्किटों के समेकित विकास के एक हिस्से के रूप में 885 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट नियत किया गया है;

(ख) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट, जबलपुर का समाधि स्थल, वीरांगना रानी दुर्गावती, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, खजुराहो, अमरकंटक, पंचमढ़ी, चित्रकूट, सांची जैसे पर्यटक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके, अभिनिर्धारित पर्यटक परिपथों में विकास कार्य मंजूर किए जाते हैं। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान, क्रमशः 7 और 17 पर्यटक परिपथों में विकास कार्य स्वीकृत किए गए थे। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ली जाने वाली परियोजनाओं के अभिनिर्धारण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(ख) और (ग) भेड़ाघाट, पंचमढ़ी, सांची और खजुराहो सहित मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों में पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

एफ. पी. आई. के लंबित प्रस्ताव

3667. श्री मनोरंजन भक्त:
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:
श्री विष्णु देव साय:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार से एफ पी आई स्थापित करने/विकसित करने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त प्रस्तावों को रद्द करने/लंबित रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित/विकसित करने हेतु राज्य-वार और वर्ष-वार प्राप्त, अनुमोदित आदि प्रस्तावों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) मूल्यांकन रिपोर्ट, संपूर्ण कार्यान्वयन अनुसूची, राज्य नोडल एजेंसी की सिफारिश आदि जैसी अपेक्षित सूचना/कागजातों के लिए प्रस्ताव बंद/लंबित हैं।

(ङ) इन परियोजनाओं हेतु पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 59.59 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में परियोजनाओं की स्थिति

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव				कुल	अनुमोदित	लंबित	बंद किए गए /अस्वीकृत
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	5	85	134	82	306	32	78	196
असम	10	11	18	12	51	11	21	19
बिहार	1	3	7	3	14	0	5	9
गुजरात	3	17	25	30	75	8	40	27
हरियाणा	4	13	18	24	59	5	29	25
हिमाचल प्रदेश	5	4	8	8	25	2	11	12
जम्मू एवं कश्मीर	4	13	17	3	37	6	16	15
कर्नाटक	4	33	54	44	135	15	47	73
केरल	6	21	23	11	61	9	21	31
मध्य प्रदेश	1	14	18	17	50	5	28	17
महाराष्ट्र	39	82	87	105	313	34	145	134
मणिपुर	10	1	2	1	14	0	1	13
मेघालय	6	3	1	1	11	1	3	7
नागालैंड	8	1	5	2	16	0	2	14
उड़ीसा	3	4	13	24	44	5	8	31
पंजाब	10	59	61	10	140	20	33	87
राजस्थान	4	12	23	27	66	4	33	29
तमिलनाडु	5	49	53	43	150	26	76	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	2	5	1	1	9	3	1	5
उत्तर प्रदेश	15	30	50	42	137	26	54	57
पश्चिम बंगाल	17	14	18	25	74	11	25	38
चंडीगढ़	0	0	0	1	1	0	1	0
सिक्किम	1	0	0	0	1	0	0	1
अरुणाचल प्रदेश	2	0	1	0	3	0	0	3
दिल्ली	3	2	2	2	9	0	2	7
मिजोरम	1	2	1	1	5	0	0	5
पांडिचेरी	1	2	2	0	5	1	1	3
गोआ	1	4	2	1	8	2	2	4
झारखंड	0	0	1	0	1	0	0	1
उत्तरांचल	1	2	4	8	15	1	9	5
छत्तीसगढ़	0	1	6	8	15	0	6	9

[हिन्दी]

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना

3668. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या सीएसीपी प्रमुख फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करते समय बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों की लागत, श्रम दिवसों, किसानों द्वारा फसलों पर किए जाने वाले व्यय, फसलों को लाने-ले-जाने पर खर्चे, सिंचाई, विद्युत, भूमि की लागत पर ब्याज, उपकरणों और मशीनरी का अवमूल्यन को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने की प्रक्रिया में किसानों से परामर्श किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सीएसीपी में कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसमें सदस्यों के रूप में कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों और साथ ही ऐसे अन्य संबंधित घटकों, जिन्हें सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों को निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण समझती हो, को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर निर्णय लेती है।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय, खेती/उत्पादन की लागत, आदान उपयोग के प्रसार की प्रवृत्ति और रुख, संबंधित फसल के उत्पादन और उत्पादकता, घरेलू और वैश्विक मण्डी मूल्यों, अंतर-फसल मूल्य समानता, आपूर्ति-मांग की स्थिति, प्रापण और वितरण, व्यापार शर्तें आदि को कवर करते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आंकड़ों का विश्लेषण करता है। खेती/उत्पादन की लागत में बीजों, उर्वरकों, कृमिनाशकों, मानव दिवसों, सिंचाई, विद्युत, आदानों की ढुलाई, भूमि की लागत पर ब्याज, उपकरणों तथा मशीनरी पर मूल्यह्रास आदि की गणना की जाती है। लागत में

न केवल भुगतान की गई लागत अपितु भूमि और पारिवारिक श्रम जिसके लिए किसान नकद खर्च नहीं करते हैं, को भी शामिल किया जाता है।

(ग) मूल्य नीति की सिफारिशें तैयार करते समय किसानों और उनके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किए जाते हैं।

(घ) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सात सदस्यी निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, दो सरकारी सदस्य और तीन गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। गैर-सरकारी सदस्य कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में पर्यटक स्थलों का विकास

3669. श्री एम॰ राजा मोहन रेड्डी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व पर्यटन संगठन ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों का विकास करने हेतु अध्ययन किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू टी ओ) द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तैयार की गई पर्यटन विकास और प्रबंधन योजना, पर्यटन कार्यकलाप के विभिन्न घटकों को समन्वित करती है और वर्ष 2020 के लिए पर्यटन नीति तैयार करने तथा उद्योग की योजना बनाने के लिए निर्देश प्रदान करती है।

भंडारण और संवितरण संबंधी अध्ययन

3670. श्री सुबोध मोहिते: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और संवितरण के विकेन्द्रीकरण के संबंध में रीसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नालॉजी एंड इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्ययन की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण और वितरण के विकेन्द्रीकरण के बारे में रिसर्च फाउंडेशन फॉर साईंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी के अधीन कोई अध्ययन प्रारंभ नहीं कराया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सर्कस में बंधुआ बाल मजदूर

3671. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री अतीक अहमद:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्कस उद्योग में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सर्कस में बंधुआ मजदूरों की प्रथा को समाप्त करने और ऐसे बच्चों को पुनर्वास और उनको शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी नहीं। सरकार ने बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 को अधिनियमित किया है जिसके तहत बच्चों सहित किसी भी व्यक्ति को सर्कस सहित किसी भी उद्योग/कार्य में बंधुआ श्रमिक के रूप में कार्यरत करना देश भर में निषिद्ध किया गया है।

(ख) और (ग) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय 1978 से ही केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम का कार्यान्वयन करता रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिक के पुनर्वास हेतु 20,000/- रुपये के बराबर की आर्थिक परिसंपत्ति दी जाती है। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे गरीबी उन्मूलन संबंधी अन्य चालू योजनाओं जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना आदि को केन्द्र प्रायोजित योजना में समेकित/समन्वय करें ताकि मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के सार्थक पुनर्वास हेतु संसाधन जुटाए जा सकें।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

3672. श्री निखिल कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा अब तक प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना पर कितना खर्च किया गया है;

(ख) उक्त योजनाओं हेतु अब तक कितने कर्मचारियों ने विकल्प चुना है; और

(ग) वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1988, 1996, 2001 तथा 2002 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश की गई थी तथा उन पर क्रमशः 5.57 करोड़ रुपए, 6.95 करोड़ रुपए, 4.42 करोड़ रुपए तथा 3.59 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। जबकि 1988 तथा 1996 की योजना को सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था, 2001 में यह योजना केवल कर्मचारियों (गैर-अधिकारियों) के लिए थी तथा 2002 में योजना केवल अधिकारियों के लिए थी।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कुल 747 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का विकल्प चुना था।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में नियमित कर्मचारियों की मौजूदा संख्या 713 हैं।

[हिन्दी]

पशुओं हेतु कृत्रिम गर्भाधान सुविधा

3673. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रत्येक राज्य में विशेषकर झारखंड और बिहार में स्थित पशु चिकित्सालयों में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान कृत्रिम रूप से गर्भाधान किए गए गोपशुओं की राज्य-वार संख्या तथा जारी धनराशि का ब्यौरा विवरण-*i* तथा *ii* में दिया गया है।

(घ) सरकार अक्टूबर, 2000 से राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना क्रियान्वित कर रही है तथा 24 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। इस परियोजना के तहत तरल नाइट्रोजन भंडारण, ढुलाई तथा वितरण, हिमित वीर्य के उत्पादन और फील्ड कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। झारखंड तथा बिहार से इसमें भाग लेने तथा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीसीबीबी पर संशोधित परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण I

राज्यों में कृत्रिम गर्भाधान किए गए गोपशुओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष के दौरान किए गए कृत्रिम गर्भाधान			कुल
		2001-02	2002-03	2003-04	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2715000	2979000	3112000	8806000
2.	अरुणाचल प्रदेश	3100	3180	3420	9700
3.	असम	90842	88033	90900	269775
4.	बिहार	27000	49000	70000	146000
5.	छत्तीसगढ़	122000	151000	180000	453000

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	3166012	3196917	2769029	9131958
7.	गोवा	8559	8594	10636	27789
8.	हरियाणा	802000	899000	993000	2694000
9.	हिमाचल प्रदेश	394348	415969	419079	1229396
10.	जम्मू एवं कश्मीर	286320	288478	2945327	3520125
11.	झारखंड	1132	2538	2081	5751
12.	कर्नाटक	2936464	3202134	3308423	9447021
13.	केरल	1214896	1369112	1387102	3971110
14.	मध्य प्रदेश	390378	467550	525549	1383477
15.	महाराष्ट्र	2044532	2017041	1987839	6049412
16.	मणिपुर	8908	10935	12035	31878
17.	मेघालय	29000	24100	25500	78600
18.	मिजोरम	5739	5293	5500	16532
19.	नागालैंड	5000	10035	30452	45487
20.	उड़ीसा	335000	450000	500000	1285000
21.	पंजाब	2293200	2743652	3012814	8049666
22.	राजस्थान	531000	560000	705000	1796000
23.	सिक्किम	2508	3359	3106	8973
24.	तमिलनाडु	3235000	3228000	3139000	9602000
25.	त्रिपुरा	62120	65180	66337	193637
26.	उत्तर प्रदेश	1703224	1736259	1784005	5223488
27.	उत्तरांचल	93443	95677	108518	297638
28.	पश्चिम बंगाल	1006000	1076000	1183000	3265000
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	6651	7518	8485	22654
30.	दादर एवं नागर हवेली	300	350	350	1000
31.	दिल्ली	12280	12680	14230	39190
32.	चंडीगढ़	12000	13000	12500	37500
33.	पांडिचेरी	95000	94555	94739	284294
	कुल	23638956	25274139	28509956	77423051

विवरण II

राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत राज्य-वार की जारी धनराशि

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	कुल जारी
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	741.75	934.57	718.18	2394.5
2.	छत्तीसगढ़	274		98	372
3.	गुजरात			40	40
4.	गोवा			58.71	58.71
5.	हरियाणा	323			323
6.	हिमाचल प्रदेश		220	100	320
7.	कर्नाटक			465	465
8.	केरल	209.75	230	220	659.75
9.	मध्य प्रदेश	829.47	300	360	1489.47
10.	महाराष्ट्र			860	860
11.	मणिपुर			17.36	17.36
12.	मेघालय			65.64	65.64
13.	मिजोरम	18.93	17.97	40	76.9
14.	नागालैंड	97.3	96	182	375.3
15.	उड़ीसा	40	551.6		591.6
16.	पंजाब		120.83		120.83
17.	राजस्थान	559.3			559.3
18.	सिक्किम	168.93			168.93
19.	तमिलनाडु		570		570
20.	त्रिपुरा			95	95
21.	उत्तर प्रदेश		1063		1063
22.	उत्तरांचल	248		275	523
23.	पश्चिम बंगाल	677.02			677.02
	कुल	4187.45	4103.97	3594.89	11886.31

[अनुवाद]

सिंचाई क्षमता

3674. श्री भर्तृहरि महताब: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक्सीलिरेटेड इरीगेशन बेनेफिट प्रोग्राम अपनी क्षमता के अनुरूप खरा नहीं उतरा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से यह पता चला है कि 24 राज्यों द्वारा वर्ष 1996 से 2003 तक 13,823 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं; लेकिन सिंचाई के साधन सृजित नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सिंचाई संभाव्यता संबंधी लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ङ) ऐसी निर्माणधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो पूरी होने की अंतिम अवस्था में हैं, के त्वरित कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम की मदद से केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्राप्त कर रही 181 सिंचाई परियोजनाओं में से 29 परियोजनाएं मार्च, 2004 तक पूरी कर ली गई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मार्च 2003 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार 1996-2003 तक 24 राज्यों ने 13,823 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत 2,839.75 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। सिंचाई क्षमता के सृजन संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति उन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने पर निर्भर करती है, जो कि अब 3-4 वर्षों में पूरी होने के लिए निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

चावल की खरीद

3675. प्रो॰ महादेवराज शिवनकर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने विशेष योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करने के बजाय महाराष्ट्र के कुछ जिलों में चावल की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चावल की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) महाराष्ट्र में, लेवी चावल की वसूली का कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंपा जाता है, जबकि धान की वसूली राज्य सरकारों द्वारा राज्य एजेंसियों के जरिए की जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यदा-कदा शिकायत प्राप्त होने पर, इनकी जांच की जाती है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

कृषि विपणन में सुधार

3676. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्रीमती कृष्णा तीरथ:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 7 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में कृषि विकास हेतु कृषि विपणन, भू-नीति में सुधार पर चर्चा करने हेतु कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिये गए; और

(ग) इसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) कृषि विपणन सुधारों संबंधी अंतरमंत्रालयीय कार्य बल द्वारा सुझाए गए सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए, कृषि मंत्रालय ने एक मॉडल राज्य कृषि उत्पाद विपणन

(विनियमन विकास), अधिनियम प्रतिपादित किया है, जिसमें निजी मंडियों की स्थापना, सीधे विपणन, ठेका कृषि, मण्डी शुल्कों को युक्ति संगत बनाने आदि के प्रावधान हैं। इन पर उपरोक्त सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। राज्य मोटे तौर पर इन सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हैं। निजी मंडियों की स्थापना के संबंध में, कुछ राज्य सरकारों द्वारा सुझाव दिए गए थे कि इसके लिए पहले बागवानी उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों और निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में प्रयास किया जा सकता है।

कृषि विकास हेतु भूमि नीति के संबंध में राज्यों ने आम तौर पर भूमि में पट्टा बाजारों को खोलने, कृषि में लैण्ड शेयर कम्पनी की स्थापना और गरीब किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों को उनका अया स्तर बढ़ाने के लिए वास भूमि–सह–बागान प्लाट्स आंवटित करने के संबंध में सुझावों का स्वागत किया।

(ग) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से लगातार कहा जा रहा है कि वे सुझावित उपायों को कार्यान्वित करें। माननीय केन्द्रीय कृषि एवं उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 7 जुलाई 2004 को सभी राज्य कृषि मंत्रियों से समग्र राष्ट्रीय/राज्यों के हित और इससे भी अधिक किसानों के हित में ए. पी. एम. सी. अधिनियम को उचित रूप से संशोधित करके कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया।

ठेका कृषि और भूमि निति से संबंधित मामले पर सचिवों की एक स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया, जिसने निर्णय लिया कि कृषि में ज्वाइंट स्टाक कंपनियों तथा भूमि को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को छोड़ दिया जाना चाहिए। मॉडल ठेका कृषि करार के संबंध में, राज्य सरकारों जहां ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी, को उनके अपने विधान के माधयम के किसानों के लिए उचित संरक्षी उपाय करने चाहिए। भूमि पर किसानों के हित और अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के पश्चात केवल मॉडल ठेका कृषि करार (एमसीएफए) के अधीन ही फसलन और वनीकरण हेतु परती भूमि विकास किया जाना चाहिए।

ईआईए एवं सीआरजेड अधिसूचनाओं में संशोधन

3677. श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई आई ए) और तटीय विनियमन जोन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए हैं और हाल ही में माह जुलाई, 2004 में नई अधिसूचनाएं जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके अन्तर्गत किस प्रकार की और कौन-कौन सी परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाना है;

(घ) लंबित परियोजनाओं को मंजूरी देने में संशोधन कितने सहायक हैं;

(ङ) क्या ई आई ए की नई अधिसूचना के अन्तर्गत प्लिंथ स्तर तक पूरा नहीं हो पाए निर्माण कार्य के लिए मंजूरी लेना अपेक्षित होगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) औद्योगिक, घरेलू, जैव-चिकित्सीय पुनर्वास कालोनियों और अस्पतालों आदि जैसे विभिन्न अवशिष्ट स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने औद्योगिक इस्टेटों से होने वाले अशोधित मलजल एवं बहिस्रावों के निस्तारण द्वारा नदियों एवं जल निकायों के निरंतर प्रदूषण को ध्यान में रखकर 7 जुलाई, 2004 को एक अधिसूचना जारी की है जिसका उद्देश्य नई निर्माण परियोजनाओं और नई औद्योगिक इस्टेटों के निर्धारित अवसीमा स्तरों को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 की सीमा के भीतर लाना है।

(ग) दिनांक 07.07.2004 को जारी अधिसूचना में, अन्य बातों के साथ ही साथ नए टाऊनशिप, औद्योगिक टाऊनशिप, पुनर्वास कालोनियों, व्यावसायिक परिसरों, होटल परिसरों, अस्पतालों, कार्यालय परिसर जो 1000 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के लिए होगा या जहां 50,000 लीटर प्रतिदिन या इससे अधिक मलजल का निस्तारण होगा या 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक का निवेश किया गया होगा और 50 हैक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र की नई औद्योगिक संपदाओं, जिनका क्षेत्र कितना भी क्यों न हो यदि उनकी प्रदूषण क्षमता अधिक होगी, निर्माण से संबंधित नई निर्माण परियोजनाएं शामिल होंगी।

(घ) दिनांक 7 जुलाई 2004 का संशोधन लंबित परियोजनाओं की मंजूरी के प्रयोजन के लिए नहीं है।

(ङ) और (च) नई निर्माण परियोजनाएं, जिन्हें इस अधिसूचना के अन्तर्गत अपेक्षित मंजूरी के बिना शुरू किया गया था और जहां निर्माण कार्य प्लिंथ स्तर तक नहीं हुआ है, के लिए इस

अधिसूचना के अन्तर्गत 7 जुलाई 2004 अथवा इसके प्रकाशन की तारीख से मंजूरी लेना अपेक्षित होगा।

(छ) विभिन्न अपशिष्ट स्रोतों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय/किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय नीचे दिए अनुसार हैं:

(i) प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानून एवं नियम बनाना और खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन एवं हथालन।

(ii) उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित करना एवं उनका प्रवर्तन।

(iii) सामान्य परिवेशी वायु एवं जल गुणता मानकों की अधिसूचना और उनका प्रवर्तन।

(iv) खतरनाक अपशिष्टों के लिए शोधन, भंडारण एवं निपटान सुविधाओं की स्थापना।

(v) संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण।

नेशनल कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट

3678. श्री संजय धोत्रे:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री मिलिन्द देवरा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नेशनल कोस्टम प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट (एनसीपीपी) शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का चरण-वार ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या विदेशी एजेंसियों द्वारा भी परियोजना का वित्तपोषण किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र और राज्य सरकारों सहित वित्तपोषण करने वाली एजेंसियों के हिस्से का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र और अन्य समुद्रवर्ती राज्यों द्वारा वित्तपोषण में कितने हिस्से का वहन किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं, राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एनसीपीपी) को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जाली राशन कार्ड

3679. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस मामले में किसी कर्मचारी अथवा राशन डीलर की संलिप्तता का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है जिसमें राज्य लाभभोगियों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए उनका वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य प्रणाली को सुचारु बनाने और इसे ज्यादा प्रभावकारी और जवाबदेह बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया था। इस आदेश के तहत राज्य सरकार निरंतर रूप से अपात्र और जाली राशन कार्डों और राशन कार्डों में दर्ज जाली यूनिटों की छंटाई करने के लिए राशनकार्डों की आवधिक जांच करेंगी ताकि आवश्यक वस्तुओं के विपथन को रोका जा सके। इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन आपराधिक मामला होगा। जाली राशन कार्डों की पहचान, इसमें कर्मचारी अथवा राशन डीलर की संलिप्तता और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के राज्य-वार ब्यौरे केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

बौद्ध स्थलों का विकास

3680. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन के दृष्टिकोण से बौद्ध स्थलों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन स्थलों के लिए किन-किन देशों ने वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी; और

(ङ) उक्त विदेशी सहायता स्थल-वार किस प्रकार खर्च की गई थी ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) बौद्ध स्थल महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण हैं और तद्नुसार वैशाली, नालंदा, राजगीर, बोधगया, नागार्जुनसागर, अजंता-एलोरा, आदि में विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।

(घ) और (ङ) अजंता-एलौरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना (चरण-1) के लिए ओवरसीज इकॉनोमिक कोऑपरेशन फंड ऑफ जापान से 3745 मिलियन येन की ऋण सहायता प्राप्त हुई थी। परियोजना मार्च, 2002 में पूरी हो गई थी। जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अजंता-एलोरा संरक्षण तथा पर्यटन विकास परियोजना (चरण-2) के लिए, लगभग 3731 मिलियन येन की ऋण सहायता देने के लिए, सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। इसके अंतर्गत आने वाले स्थल/स्मारक-अजंता-एलौरा, पिथालखोरा गुफाएं, औरंगाबाद गुफाएं, बीबी का मकबरा, दौलताबाद किला, पटनादेवी, लोनार, नासिक, पुणे, एलीफेंटा गुफाएं, भज और बेदसा, शिवनेरी, मालसेज और कोलवम महाराष्ट्र में हैं।

खरीद केन्द्रों का खोला जाना

3681. श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसान पर्याप्त खरीद केन्द्रों के अभाव में अपने खाद्यान्नों को सस्ती दरों पर बेचने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र अथवा बाजार स्थलों के निकट उक्त केन्द्रों को खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान किए गए उपायों के परिणामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र तथा बाजार के स्थानों के निकट पर्याप्त संख्या में वसूली केन्द्र खोलते हैं।

(ग) खरीफ और रबी विपणन मौसमों के लिए विगत दो वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार तथा उनकी एजेंसियों द्वारा प्रचालित वसूली केन्द्र संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

खरीफ विपणन मौसम 2002-03 से 2003-04 के दौरान धान की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा प्रचालित किए गए वसूली केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

राज्य	2002-03				2003-04			
	भा.खा.नि.	संयुक्त रूप से	राज्य एजेंसी	जोड़	भा.खा.नि.	संयुक्त रूप से	राज्य एजेंसी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	391	164	908	1463	357	156	945	1458
हरियाणा	25	35	162	222	22	36	165	223
उत्तर प्रदेश	-	-	1500	1500	-	-	1562	1562
दिल्ली	2	-	-	2	2	-	-	2
राजस्थान	12	-	-	12	12	-	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	125	-	175	300	167	-	171	338
मध्य प्रदेश	43	-	331	374	205	-	233	438
बिहार	100	-	853	953	100	-	600	700
उड़ीसा	20	-	-	20	40	-	42	82
हिमाचल प्रदेश	4	-	-	4	4	-	-	4
महाराष्ट्र	-	-	749	749	-	-	886	886
जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	2	-	-	2
छत्तीसगढ़	-	-	1443	1443	-	-	1443	1443
उत्तरांचल	-	-	50	50	-	-	50	50
गुजरात	-	-	-	-	-	-	20	20
तमिलनाडु	-	-	347	347	-	-	571	571
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-		630	630
झारखंड	-	-	-	-	8	-	-	8
अंडमान व निकोबार	-	-	-	-	-	-	5	5
जोड़	722	199	6518	7439	919	192	7323	8434

विवरण II

रबी मौसम 2002-03 और 2003-04 के दौरान भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा प्रचालित खरीद केन्द्रों की सूची

क्षेत्र	2002-2003			2003-2004		
	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	जोड़	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	584	1068	1652	556	964	1520
हरियाणा	116 अपना 66 संयुक्त 50	222	338	105 अपना 59 संयुक्त 46	236	341
उत्तर प्रदेश	-	4490	4400	-	4400	4400

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	26	74	100	20	38	58
मध्य प्रदेश	167 (सहयोग से)	728	895	166	766	932
छत्तीसगढ़	-	32	32	-	-	-
दिल्ली	2	-	2	2	-	2
बिहार	41	756	797	100	उ.न.	100
हिमाचल प्रदेश	4	-	4	4	-	4
गुजरात	-	-	-	-	-	-
उत्तरांचल	27	177	204	27	175	202
जोड़	967	7457	9434	980	6579	7559

कपास का उत्पादन

3682. योगी आदित्यनाथ:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कपास की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कपास के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कपास उत्पादकों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान उत्पादित कपास की मात्रा विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्तमान वर्ष, अर्थात् 2004-05 में कपास के उत्पादन में किसी भारी वृद्धि की इस स्थिति में भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। तथापि, अगस्त, 2004 के मध्य में अखिल भारतीय स्तर पर कपास के अधीन क्षेत्र लगभग 6 लाख है॰ है, जो पिछले वर्ष के तदनुरूपी क्षेत्र से अधिक है। कपास के अधीन क्षेत्र मुख्यतया आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब राज्यों में है तथा इन राज्यों में उत्पादकता अखिल भारतीय स्तर की उत्पादकता से सामान्यतया अधिक है। अतः वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 में कापस के अधिक उत्पादन की आशा करना उचित है।

(घ) कपास के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने और उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार कपास प्रौद्योगिकी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है जो वर्ष 2000-01 में क्रियारूप में आया। 2004-05 के दौरान कपास प्रौद्योगिकी मिशन 13 राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य पदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में क्रियान्वित किया जा रहा है। कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-2 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए हैं :-

* पिछले 15 वर्षों के दौरान निर्मुक्त किस्मों/संकर के प्रमाणित बीजों का उत्पादन/आपूर्ति।
* खेतों पर प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण।
* सीड डिलिटिंग संयंत्र की स्थापना।
* पादप रक्षण उपाय।
* स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसे जल बचत यंत्रों की आपूर्ति।

विवरण

कपास के उत्पादन पर राज्य-वार अनुमान

राज्य	उत्पादन (170 कि॰ग्रा॰ प्रत्येक की '000 गांठें)		
	2001-02	2002-03	2003-04*
आंध्र प्रदेश	1877.0	1086.0	1891.0
असम	1.0	0.7	6.0
छत्तीसगढ़	0.4	0.6	#
गुजरात	1702.7	1684.6	4360.0
हरियाणा	722.0	1038.0	1405.0
कर्नाटक	612.4	367.0	321.0
केरल	3.9	4.8	5.0
मध्य प्रदेश	394.3	397.3	658.0
महाराष्ट्र	2689.6	2596.1	2678.0
मेघालय	7.9	7.8	#
मिजोरम	1.0	0.2	#
नागालैण्ड	2.9	2.9	#
उड़ीसा	54.7	47.0	84.0
पंजाब	1307.0	1083.0	1478.0
राजस्थान	280.8	252.4	709.0
तमिलनाडु	326.1	153.2	180.0
त्रिपुरा	1.9	1.4	#
उत्तर प्रदेश	4.6	6.9	1.0
पश्चिम बंगाल	4.5	1.8	#
पांडिचेरी	2.2	2.1	#
अन्य			12.0
अखिल भारत	9996.9	8715.8	13788.0

*5.8.2004 को निर्मुक्त चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार।

अन्य में शामिल किया गया।

[अनुवाद]

भारतीय वन सेवा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

3683. श्री विष्णु देव साय: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में मंत्रालय के कुछ भारतीय वन सेवा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ग) इनमें से कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया तथा उनके नाम क्या हैं;

(घ) उन अधिकारियों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है; और

(ङ) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें पदोन्नत किया गया है और इनमें से कितने अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही सूचना उपलब्ध होगी इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन

3684. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
मो॰ मुकीम:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का पृथक-पृथक राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान देश में चीनी उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में चीनी उत्पादन क्षमता में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों में चीनी मिलों का पृथक-पृथक राज्य-वार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2003-2004 के दौरान वार्षिक चीनी उत्पादन के संदर्भ में चीनी उत्पादन की क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। तुलनात्मक वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

क्रम सं.	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1.	176.8469	184.0382	188.0227

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

देश में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की चीनी मिलों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण (31.7.2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4
1.	पंजाब	-	7
2.	हरियाणा	-	3
3.	राजस्थान	1	1
4.	उत्तर प्रदेश	33	59
5.	उत्तरांचल	2	4
6.	मध्य प्रदेश	2	4
7.	महाराष्ट्र	-	20
8.	बिहार	15	13
9.	असम	-	1
10.	उड़ीसा	-	4
11.	पश्चिम बंगाल	1	1
12.	आंध्र प्रदेश	1	26
13.	कर्नाटक	3	22
14.	तमिलनाडु	3	19
15.	पांडिचेरी	-	1
16.	केरल	-	1
17.	नागालैंड	1	-

विवरण II

वर्ष 2003-2004 के दौरान देश में चीनी उत्पादन की क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण (31.7.04 की स्थिति के अनुसार)

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	संस्थापित क्षमता
1.	पंजाब	6.8423
2.	हरियाणा	5.3572
3.	राजस्थान	0.2320
4.	उत्तर प्रदेश	44.1066
5.	उत्तरांचल	4.1168
6.	मध्य प्रदेश	1.5450
7.	छत्तीसगढ़	0.2230
8.	गुजरात	10.7070
9.	महाराष्ट्र	69.3499
10.	बिहार	4.8488
11.	असम	0.1840
12.	उड़ीसा	1.0180
13.	पश्चिम बंगाल	0.0670
14.	आंध्र प्रदेश	9.0810
15.	कर्नाटक	14.4603
16.	तमिलनाडु	15.2420
17.	पांडिचेरी	0.3830
18.	केरल	0.1020
19.	गोवा	0.0930
20.	नागालैंड	0.0640

[अनुवाद]

अफ्रो-एशियाई खेल

3685. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अफ्रो-एशियाई खेल आंध्र प्रदेश में हुए थे और सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने इन्हें अंशत: वित्तपोषण करने का वादा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा वादा की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और अभी तक इसमें से कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) इसमें कमी के क्या कारण हैं और बची हुई धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) प्रथम एफ्रो-एशियाई खेल 24 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2003 तक हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। इस संबंध में सरकार ने कुल 103.00 करोड़ रुपये के बजट को अनुमोदित किया था। 63.00 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे और शेष 40.00 करोड़ रुपये आयोजन समिति द्वारा प्रायोजक और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की इकाईयों के अंशदान के माध्यम से एकत्रित किए गए थे तथापि भारत सरकार ने आयोजन समिति के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ इस मुद्दे को उठाया, ताकि वे अपने अधीन सरकारी क्षेत्र की इकाईयों को खेलों के आयोजन के लिए योगदान देने के लिए तैयार कर सकें। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 23.6 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गई जिसमें 13.66 करोड़ रुपये का अंशदान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र इकाईयों द्वारा जैसा कि विवरण-I में दर्शाया गया है और 9.94 करोड़ रुपये भारतीय ओलंपिक संघ/राज्य सरकार के मार्केटिंग प्रयासों द्वारा एकत्रित किया गया।

आयोजन समिति और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वे सरकार द्वारा जारी की गई 63.00 करोड़ रुपये के अनुदान लेखा परीक्षित लेखों और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

विवरण I

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	जारी की गई राशि
1	2	3
1.	चेन्नई पेट्रो	50.00
2.	बोंगाई गांव	50.00
3.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	50.00
4.	ओ॰एन॰जी॰सी॰	100.00
5.	भारत पेट्रोलियम	100.00
6.	पी॰ई॰सी॰ लिमिटेड	10.00
7.	मिनरल एण्ड मेटल्स	25.00
8.	एस॰टी॰सी॰ ऑफ इंडिया	25.00
9.	एन॰एम॰डी॰सी॰	25.00
10.	राष्ट्रीय केमिकल	25.00
11.	नेशनल फर्टिलाइजर्स	25.00
12.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स	25.00
13.	नेशनल एल्युमिनियम	50.00
14.	कोच्चि रिफाइनरी	50.00
15.	राष्ट्रीय इस्पात निगम	50.00
16.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन	100.00
17.	इन्जिनियर्स इंडिया लिमिटेड	50.00
18.	इरकॉन इंटरनेशनल	15.00
19.	एच॰पी॰सी॰ लिमिटेड	100.00
20.	गेल (इंडिया)	100.00
21.	कॉनकोर	50.00
22.	एन॰टी॰पी॰सी॰	100.00
23.	वाटर एण्ड पॉवर कॉन	5.00
24.	आई॰वी॰पी॰क॰ लिमिटेड	50.00
25.	ड्रैडगिंग कारकॉन	25.00
26.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	10.00
27.	मैंगनीज ओर (आई॰) लिमिटेड	1.00
28.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन	50.00
29.	पावर ग्रिड कारपोरेशन	50.00
	कुल	1366.00

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

3686. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 राज्यों में स्थित 380 सिंचाई परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना में भेजे जाने के कारण परियोजना क्रियान्वयन लागत में 98,089 करोड़ रु. की भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि मौसम पर अत्यधिक निर्भर न रहे यह सुनिश्चित करके मौसम से अप्रभावित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इन परियोजनाओं को तैयार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) 75,482 करोड़ रुपये की शेष लागत वाले 383 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया है।

(ख) और (ग) देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुख भूमिका है और इसका विकास और स्थायित्व अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई के माध्यम से मौसम के उतार-चढ़ाव संबंधी निर्भरता में कमी के साथ संभव है। सिंचाई परियोजनाओं के पूरा न होने के विभिन्न कारण हैं जो मुख्यत: निधि की कमी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापना और पुनर्वास, ठेकेदारी समस्याएँ और अन्तर-राज्यीय मुद्दों का समाधान न होने से है।

(घ) सरकार अब सभी निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को 3-4 वर्षों के अन्दर पूरा करने पर विचार कर रही है। केन्द्र सरकार निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के माध्यम से निधि उपलब्ध करा रही है।

लंबित निवेश प्रस्ताव

3687. डा॰ रामेश्वर उरांव:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
श्री जे॰एम॰ आरून रशीद:

क्या खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के पास लंबे समय से बड़ी संख्या में कई करोड़ रुपयों के निवेश प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) आमतौर पर प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं औद्योगिक (विकास एवं विनियिम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के दायरे के बाहर हैं। विपुल पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ऋण देने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और इन यूनिटों में निवेश करने के लिए मंत्रालय से कोई अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।

यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए भी योजनाबद्ध सहायता उपलब्ध कराता है। ऐसे मामलों में, उद्यमी सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं। निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाली तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य यूनिटों को सहायता स्वीकृत की जाती है।

[हिन्दी]

रोजगार की वृद्धि दर में कमी

3688. श्री बीर सिंह महतो:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री चन्द्रशेखर दूबे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्थव्यवस्था की लाभप्रद रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने की वर्तमान क्षमता की तुलना में श्रम शक्ति त्वरित गति से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों की तुलना में वर्तमान रोजगार की दर कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और अलाभप्रद रोजगार के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं और सरकार ने इस दिशा में क्या रणनीति बनाई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) और(ग) रोजगार की वृद्धि दर वर्ष 1988-1994 के दौरान 2.43 प्रतिशत प्रति वर्ष की तुलना में वर्ष 1994-2000 के दौरान लगभग 0.98 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

(घ) और (ङ) 10वीं योजनावधि के दौरान लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन हेतु योजना आयोग द्वारा गठित विशेष दल द्वारा देश में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति की समीक्षा की गई। अपनाई गई कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल हैं :-

* सकल घरेलू उत्पाद में 8% वृद्धि।
* विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम।
* कृषि, सिंचाई, कृषि-वानिकी, लघु एवं मझौले उद्यम, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन एवं अन्य सेवाओं पर विशेष बल।

फूड सब्सिडी में कमी

3689. **श्री नीतीश कुमार:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्न पर दी जाने वाली राजसहायता में कमी किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी आई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राक्कलित गेहूं, चावल और अन्य मोटे खाद्यान्नों की आर्थिक लागत कितनी है; और

(घ) खाद्यान्नों पर चालू वर्ष के दौरान वस्तु-वार कितनी राजसहायता दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) 2003-04 के दौरान रिलीज की गई कुल खाद्य राजसहायता 25,160 करोड़ रुपए थी। वर्तमान वर्ष (2004-05) के दौरान खाद्य राजसहायता की अनुमानित आवश्यकता 25,746.45 करोड़ रुपए है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष (2004-05) के लिए गेहूं और चावल की आर्थिक लागत क्रमशः 924.82 रुपए प्रति क्विंटल और 1262.51 रुपए प्रति क्विंटल होने का अनुमान लगाया है। मोटे अनाजों की आर्थिक लागत, संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वसूली करने वाले प्रत्येक राज्य के संबंध में अलग-अलग निर्धारित की जाती है।

(घ) वर्तमान वर्ष (2004-05) के दौरान चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के संबंध में क्रमशः 11.727.75 करोड़ रुपए, 7747.25 करोड़ रुपए और 340.00 करोड़ रुपए की राजसहायता मंजूर किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, बफर स्टॉक रखने की लागत और पिछले वर्ष के बकायों के लिए भी राजसहायता देय है।

खाड़ी देशों में रोजगार

3690. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी देशों में भिन्न-भिन्न रोजगारों से जुड़े सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों के कल्याण हेतु श्रम शक्ति संबंधी आंकड़ों को रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देना

3691. **श्री तूफानी सरोज:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में स्टेडियमों की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने स्टेडियमों की स्थापना की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (घ) खेलों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा कोई राज्य विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। 'खेल' राज्य का विषय है और यह उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है कि वे खेलों का संवर्धन करें तथा स्टेडियमों सहित विभिन्न खेल सुविधाएं सृजित करें। भारत सरकार "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" तथा 'विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदानों" की योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों को पूरा करती है, बशर्ते प्रस्ताव प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) ने उत्तर प्रदेश में रायबेरली, सैफई, लखनऊ (उत्कृष्टता केन्द्र भी), आगरा, इलाहाबाद, झांसी तथा बरेली में अपने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में दो विशेष क्षेत्र केन्द्र अर्थात् इलाहाबाद जिम्नास्टिक केन्द्र, इलाहाबाद तथा मेरठ में गुरुकुल तीरंदाजी अकादमी भी अपनाए हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामडोई आश्रम डिग्री कालेज, बीरसिंहपुर साया, जिला अम्बेडकर नगर में एक इंडोर स्टेडियम पूरा किया गया था। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निर्माण के लिए अनुमोदित अन्य स्टेडियम परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। ये सभी परियोजनाएं अभी पूरी होनी हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर निर्माण के लिए सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदित स्टेडियम की परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना के ब्यौरे	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता/तारीख
1.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1, इलाहाबाद	26.6.2001 को 60.00 लाख रु.
2.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, सेरसेना गांव, जिला-मऊ	11.10.2001 को 11.82 लाख रु.
3.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, दुजाना, गौतमबुद्ध नगर	14.12.2002 को 14.06 लाख रु.
4.	आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, कानपुर	8.1.2002 को 18.00 लाख रु.
5.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, गांव निहास्था, जिला रायबरेली	22.3.2002 को 11.56 लाख रु.
6.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, पहाड़गांव, जिला जालौन	11.2.2003 को 15.57 लाख रु.
7.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, गुढा गांव, जिला ललितपुर	11.2.2003 को 14.415 लाख रु.
8.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, गांव पीखोखेरा, जिला मुजफ्फरनगर	31.3.2003 को 19.50 लाख रु.
9.	आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, कालहट, जिला मिर्जापुर	30.9.2003 को 15.215 लाख रु.
10.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1, सैफई, जिला-इटावा	17.12.2003 को 60.00 लाख रु.
11.	आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, सैफई, जिला इटावा	17.12.2003 को 18.00 लाख रु.
12.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, गांव चिल्लुपुर, जिला-आजमगढ़	24.12.2003 को 20.00 लाख रु.
13.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1, गाजियाबाद	20.2.2004 को 60.00 लाख रु.

योजना का नाम : विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान

क्र.सं.	परियोजना के ब्यौरे	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता/तारीख
1.	बरेली कालेज, बरेली में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2	21.8.2001 को 19.41 लाख रुपये
2.	आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी.जी. कालेज, भाभानान में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	27.9.2001 को 18.88 लाख रुपये
3.	बुंदेल खंड विश्वविद्यालय, झांसी में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2	16.5.2002 को 25.00 लाख रुपये
4.	स्वामी सुखदेव नंद पी.जी. कालेज, शाहजहाँपुर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2	20.2.2004 को 20.00 लाख रुपये

न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की समीक्षा हेतु आर्थिक सर्वेक्षण

3692. श्री रामजीलाल सुमन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2003-04 के आर्थिक सर्वेक्षण में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार किसी अन्य वैकल्पिक प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) आर्थिक सर्वेक्षण 2003-04 में लागत आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) पर पुन:विचार की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। कृषि उत्पादों के लिए मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करना है। अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा उचित मूल्यों पर आपूर्ति मुहैया कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के दृष्टिगत, सरकार प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे दश में समान हैं। चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों/राज्यों के संबंध में भारित सी-2 लागत (नकद और वस्तु के रूप में वहन किये गये वास्तविक व्यय, पट्टे पर ली गई भूमि हेतु किराया तथा पारिवारिक श्रम की मजदूरी का नीहित मूल्य, स्वामित्व भूमि हेतु किराया और जमा पूंजी पर ब्याज) से आवश्यक रूप से अधिक नहीं होते हैं इसलिए मूल्य नीति में यह सुनिश्चित करना चाहा गया है कि ए2+एफ०एल० लागत (उत्पादन में खर्च हुआ नकद एवं वस्तुओं में सभी वास्तविक व्यय+पट्टे पर ली गई भूमि हेतु दिया गया किराया+पारिवारिक श्रम का नीहित मूल्य) को उच्च लागत/कम सम्पन्न राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा कवर किया जाये।

(ग) से (ङ) प्रणाली विज्ञान और न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में प्रणाली विज्ञान संबंधी मुद्दों पर वर्ष 2002 में नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी की संबंधित सिफारिशों की जांच करने के लिए प्रोफेसर वाई०के० अलघ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

कोयला आधारित परियोजनाओं से प्रदूषण

3693. श्री लालचन्द्र कोल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला आधारित परियोजनाएं वातावरण में प्रदूषण फैला रही हैं;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे किस प्रकार के प्रदूषणकारी तत्व फैलते हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) कोयले पर आधारित परियोजनाएं, सल्फर डाईऑक्साईड, नाइट्रोजन ऑक्साईड, निलम्बित विविक्त पदार्थ जैसे प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन और विभिन्न संयंत्रों की गतिविधियों से उत्पन्न बहिस्राव छोड़ने के कारण मुख्य रूप से वायु और जल प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। उड़न राख (फ्लाई ऐश) भी ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जित होती है।

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों से प्रदूषण, को कम करने के लिए निवारात्मक उपायों में शामिल हैं–

* विद्युत परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन;
* निर्धारित पर्यावरणीय मानदण्डों का प्रवर्तन;
* लाभकारी कोयले का उपयोग;
* उड़न राख (फ्लाई ऐश) की उपयोगिता के लिए समयबद्ध कार्य योजना; और
* आदेशों का पालन न करने वाली इकाइयों की नियमित मानीटरी और कानूनी कार्रवाई करना।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण

3694. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कुछ नए उपाए किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 8 जुलाई, 2004 को प्रमुख कर रियायतों की घोषणा की गई है। इससे उक्त क्षेत्र में निवेश के साथ-साथ नवप्रवर्तन लाने में प्रोत्साहन मिलेगा। प्रमुख कर रियायतें निम्नलिखित हैं-

(i) फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित होने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को आयकर अधिनियम के तहत 5 साल के लिए लाभ पर 100 प्रतिशत और अगले 5 सालों के लिए लाभ पर 25 प्रतिशत छूट।

(ii) डेरी मशीनरी पर लग रहे 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ उक्त क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय समर्थन देता है।

कृषि राजसहायता

3695. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने वर्षा की कमी के परिणामस्वरूप कृषि पर राजसहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों को कृषि राजसहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) कृषि क्षेत्र में किसानों को लाभ पहुंचा रही विभिन्न स्कीमों के तहत केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा राजसहायताएं दी जा रही हैं। वर्ष 1998-99 से 2002-03 तक कृषि क्षेत्र में कुल राजसहायताओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि श्रेत्र के लिए राजसहायताएं

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	मद सं.	1998-1999	1999-2000	2000-01	2002-02 (वास्तविक)	2002-03 (+)
1.	उर्वरक (कुल)	11596	13244	13800	12595	11009
	1.1 स्वदेशी उर्वरक	7473	8670	9480	8044	7499
	1.2 आयातित उर्वरक	333	74	1	47	10
	1.3 किसानों को छूट के साथ विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री	3790	4500	4319	4504	3500
2.	विद्युत**	3819	4276	6056	9342	उ.न.
3.	सिंचाई ##	11827	11487	13756	13309	12788
4.	बीजों, तिलहनों के विकास, दलहन आदि के रूप में सीमांत किसानो और कृषक सहकारी समितियों को दी गई अन्य राजसहायताएं	1182	1937	927	978	उ.न.

स्रोत : 1. उर्वरक: व्यय बजट 2003-04, केन्द्रीय सरकार का खण्ड-1

2. विद्युत एवं सिंचाई: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

उ.न. : उपलब्ध नहीं

**: विद्युत बोर्डों और निगमों को दी गयी सभी राजसहायता, केवल कृषि क्षेत्र के लिए आकलित विद्युत राजसहायता के अलग से अनुमान उपलब्ध नहीं है।

##: नीतिगत मामले के रूप में किसानों को जल आपूर्ति की दरें कम रखी जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी सिंचाई प्रणाली को घाटा होता है। सकल राजस्व की तुलना में अधिक प्रचालन लागत को आकलित सिंचाई राजसहायता माना जाता है।

+: त्वरित अनुमान

[हिन्दी]

पर्यटक विश्राम स्थलों का विकास

3696. श्री देविदास पिंगले: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटक विश्राम स्थलों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमति रेणुका चौधरी): (क) और (ख) देश में पर्यटक रिजार्टों सहित, होटल आवास के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पास परियोजना स्तर पर होटलों का अनुमोदन करने और निम्न श्रेणियों में उन्हें वर्गीकृत करने की भी एक स्वैच्छिक योजना है :-

- एक सितारा से पांच सितारा और पांच सितारा डीलक्स होटल;
- हैरिटेज (बेसिक, क्लासिक और ग्रांड);
- तीन सितारा से पांच सितारा और पांच सितारा डीलक्स में अपार्टमेंट होटल;
- हैरिटेज रिनेसां।

[अनुवाद]

बाढ़/सूखे के कारण जानवरों की मौत

3697. श्री राजेन गोहेन:
श्री चन्द्र शेखर दूबे:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक बाढ़ और सूखे के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क सहित राष्ट्रीय चिड़ियाघरों/अभ्यारण्यों में राज्य-वार और चिड़ियाघर-वार और अभ्यारण्य-वार कितने जानवरों और जीव-जंतुओं की मौत हुई है;

(ख) सरकार ने इन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उनके उपचार और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(घ) क्या आबंटित धनराशि को मांग के अनुसार समय पर वितरित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) बंगलादेशियों द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में यदि कोई अतिक्रमण किया गया था तो उसे हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) आज तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) वन्यजीवों की सुरक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों "राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विकास", "बाघ परियोजना" तथा "हाथी परियोजना" के तहत वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाती है। वन्य जीवों की भोजन की समस्या से निपटने के लिए कोई विशिष्ट धनराशि आबंटित नहीं की जाती।

(घ) और (ङ) आबंटित धनराशि के उपयोग की सूचना केन्द्र सरकार को वार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष पूर्ण होने पर दी जाती है। राज्य सरकारों द्वारा वितरण के समय का मंत्रालय द्वारा संकलन तथा मिलान नहीं किया जाता।

(च) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 3.5.2002 के पत्र सं. 7-16/2002-एफ.सी. के माध्यम से सभी राज्य/संघ शासित सरकारों को सभी अपात्र अतिक्रमणकारियों को वन भूमियों से निकालने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	सुरक्षित क्षेत्र का नाम	इस विधि के दौरान मरे पशुओं की संख्या		
			2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
1.	असम	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	63	40	106
2.	असम	ओरंग राष्ट्रीय उद्यान	शून्य	शून्य	321

1	2	3	4	5	6
3.	असम	डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान	शून्य	शून्य	35
4.	असम	बूराचपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य	शून्य	शून्य	55
5.	असम	पबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य	शून्य	शून्य	18
6.	असम	लाओखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य	शून्य	शून्य	2
7.	असम	मानस राष्ट्रीय उद्यान	शून्य	शून्य	1
	कुल		63	40	538
1.	अरूणाचल प्रदेश	पक्की बाघ रिजर्व	शून्य	शून्य	6
	कुल				6

[हिन्दी]

वर्षा बीमा योजना

3698. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 2004 के लिए खरीफ की फसल हेतु फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्षा बीमा योजना को शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने उक्त योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत कितना अनुदान उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(च) इस योजना को प्रथम चरण में किन राज्यों में शुरू किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि॰ ने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में खरीफ 2004 के दौरान पायलट आधार पर वर्षा बीमा योजना नामक एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों द्वारा वर्षा के विचलन के कारण किसानों द्वारा उठाई गई फसल हानि और क्षतिपूर्ति के बीच संबंध स्थापित किया जाता है।

[अनुवाद]

जैविक कृषि को बढ़ावा

3699. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैविक कृषि को बढ़ावा देने और किसानों को इसका लाभ प्रदान करने के लिए डा॰ कम्बलजी भाई जाधव की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त समूह द्वारा क्या निष्कर्ष निकाले गए;

(ग) क्या उक्त समूह ने एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त बोर्ड को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए पायलट योजना की शुरुआत की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। कृषि और सहकारिता विभाग ने मई, 2000 में डा॰ कुंवरजी भाई जाधव की अध्यक्षता में जैव कृषि पर एक कार्य बल की स्थापना की। कार्य बल ने निम्नलिखित मुख्य सिफरिशें की हैं:

(i) देश में जैव कृषि के प्रबंधन का निरीक्षण करने तथा सभी संबंधित अभिकरणों के साथ इन कार्यकलापों का समन्वयन करने के लिए राष्ट्र स्तरीय स्थायी बोर्ड की स्थापना करना।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैव कृषि का राष्ट्रीय मानक तैयार करना।

(iii) जैव कृषि पर विनियामक तंत्र तैयार करना।

(iv) जैविक आदान उत्पादन एककों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देना।

(v) स्वदेशी और निर्यात बाजार में जैविक उत्पादों के मण्डी विकास हेतु सरकार द्वारा सहायता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र, गाजियाबाद और इम्फाल, जबलपुर, भुवनेश्वर, बंगलौर, नागपुर और हिसार स्थित छह क्षेत्रीय केन्द्रों के जरिए क्रियान्वयन हेतु पायलट आधार पर जैव कृषि के उत्पादन, प्रवर्धन, मंडी विकास और प्रमाणीकरण के लिए सरकार द्वारा जैविक कृषि पर एक राष्ट्रीय परियोजना का अनुमोदन किया गया है।

(च) पायलट स्कीम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :-

(i) जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रणाली स्थापित करना।

(ii) सेवा प्रदाताओं द्वारा क्षमता निर्माण।

(iii) जैविक आदानों के वाणिज्यिक उत्पादन एककों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सहायता।

(iv) जैविक उत्पादों का प्रवर्धन, विस्तार और मण्डी विकास।

(छ) राज्य सरकारों को जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रयास करने की सलाह दी गई है तथा जैविक कृषि हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले ही उन्हें जुलाई, 2002 में परिचालित कर दिए गए हैं।

कृषि की बहुआयामी प्रकृति को मान्यता

3700. श्री एस॰पी॰वाई॰ रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आय, रोजगार, निर्यात, अर्जन और वायु सुरक्षा की समस्या के संदर्भ में भारतीय कृषि के बहु-आयामी प्रकृति की पहचान के संबंध में डा॰ एम॰एस॰ स्वामीनाथन द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) अर्थव्यवस्था में अनुमत्य वृद्धि उपलब्ध कराने के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) डा॰ एम॰एस॰ स्वामीनाथन के अनुसार, उनका वक्तव्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ-साथ वर्ष 2004-05 हेतु वित्त मंत्री के बजट भाषण में यथा प्रतिबिंबित कृषि क्षेत्र हेतु निर्धारित प्राथमिकता पर आधारित है। कृषि वृद्धि को बढ़ावा देने और उच्चतर आय और अधिक रोजगार सुविधाओं का सृजन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने संकेंद्रित और प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है:-

* तीन वर्षों में ग्रामीण ऋण को दोगुना करना, ऋण और अधिक ब्याज दर के बोझ को कम करना;
* बारानी खेती, बागवानी उत्पादन और जल प्रबंधन को बढ़ावा देना;
* अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं सृजित करना;
* उचित और लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों के उत्पादों के लिए विपणन सहायता;
* विभिन्न कृषि और बागवानी उत्पादन कार्यक्रमों के अधीन किसानों को सहायता;
* प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन क्षति के लिए फसल बीमा।

[हिन्दी]

वन क्षेत्र का विस्तार तथा पारिस्थितिकीय पर्यटन को प्रोत्साहन

3701. श्री शिशुपाल एन॰ पाटले:
प्रो॰ महादेवराव शिवनकर:
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन क्षेत्र का विस्तार एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने के विचार से राज्यों के वन मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत शामिल किये जाने वाले विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्मेलन में पर्यटन क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश पर विचार किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वे कौन-कौन से राज्य हैं जिनके वन-क्षेत्र उक्त योजना में शामिल किये जाने हैं तथा इस योजना में निजी क्षेत्र का पूंजी-निवेश का प्रतिशत कितना होगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा वन आवरण में वृद्धि, जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देना, वृक्षों को काटना और पारगमन नियमों को सरल बनाना, अवक्रमित वन भूमि पर वनीकरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, मानव-पशु झड़पों को कम करना आदि के बारे में 5 और 6 अगस्त, 2004 को नई दिल्ली में वन मंत्रियों, वन सचिवों, प्रधान मुख्य वन संरक्षकों और मुख्य वन्य जीव वार्डनों का एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि सम्मेलन की कार्यसूची में पारि-पर्यटन के विषय को शामिल नहीं किया गया था।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दलहनों की कीमतें

3702. श्री विजय कृष्ण: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुले बाजार में दलहनों की ऊंची कीमतों से दलहनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को उचित दरों पर दलहन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) दलहनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जोकि मुख्यत: उत्पादन और जनसंख्या पर निर्भर करती है, को 2001-02 में प्रति दिन 35.4 ग्राम की तुलना में 2002-03 में प्रति दिन 29.1 ग्राम प्रति दिन आंका गया है। 31 जुलाई, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए दलहनों हेतु थोक मूल्य सूचकांक (1993-94 = 100) तद्नुरूप विगत दो वर्षों में क्रमश: 3.3% और 6.5% की कमी की तुलना में 0.5% तक कम हो गया है। यह आयात के जरिए दलहनों की उपलब्धता में वृद्धि को दर्शाता है।

(ग) तिलहनों, दलहनों, आयल पाम तथा मक्का की समेकित स्कीम के कार्यान्वयन से दलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी को उचित दरों पर दलहन उपलब्ध हो जाएगा। घरेलू आपूर्ति-मांग के अन्तर को ध्यान में रखते हुए, उचित दरों पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दलहनों का आयात किया जाता है।

वूलर झील पर बांध निर्माण

3703. श्री गुरूदास कामत: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास झेलम नदी में पानी के प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से वूलर झील पर बांध के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा तुलबल नौवहन परियोजना का निर्माण, जिसमें वूलर झील के नीचे मुख्यत: एक नौवहन लाक और एक नियामक संरचना शामिल है, 1984 में शुरू किया गया था। झेलम नदी में श्रीनगर और बारामूला के बीच वर्ष भर नौवहन को सुगम बनाने के लिए यह परियोजना तैयार की गई है। इसमें वूलर के प्राकृतिक भंडारण से कमी का इस प्रकार से नियंत्रण किए जाने की योजना है ताकि शीत के महीनों (अक्टूबर-फरवरी) के दौरान झेलम नदी में झील के नीचे 4000 क्यूसेक (113.27 क्यूसेक) के निस्सरण के अनुरूप 4.5 फीट (1.37 मी.) का न्यूनतम जल प्रवाह बनाये रखा जा सके। इस अवधि के दौरान, नदी में सामान्यत: केवल 2,000 क्यूसेक (56.63 क्यूसेक) का बहाव होता है जो 2.5 फुट (0.76 मी.) या उससे कम की जल गहराई प्रदान करता है, जो कि नौवहन के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) और (घ) जबकि सिन्धु जल संधि झेलम मुख्य नदी के जल के नौवहन के लिए जल के नियंत्रण और उपयोग सहित पश्चिमी नदियों (सिन्धु, झेलम एवं चिनाब) के जल के गैर-खपतकारी उपयोग की अनुमति देती है। बशर्तें की जल को उसी मात्रा में उसी नदी में वापस कर दिया जाए और यह पाकिस्तान के प्रति द्वेष भाव न रखती हो, इस परियोजना के संबंध में पाकिस्तान की आपत्ति का उद्देश्य यह बताया गया है कि इसमें भंडारण शामिल है और यह कि भारत को झेलम मुख्य पर किसी भंडारण की अनुमति नहीं है और इस प्रकार इस परियोजना से सिन्धु जल संधि का उल्लंघन होता है। सरकारी स्तर पर वार्ता के लिए पाकिस्तान की पूर्व शर्त होने के कारण भारत द्वारा इस परियोजना पर 2 अक्टूबर, 1987 से कार्य बंद कर दिया गया था। यह परियोजना अब तक बंद पड़ी है।

भारत और पाकिस्तारन के बीच चल रही सचिव स्तर की संयुक्त बातचीत के एक भाग के रूप में इस परियोजना के संबंध में 29-30 जुलाई, 2004 को इस्लामाबाद में चर्चा हुई थी। सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक वातावरण में हुई वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने 1960 की सिन्धु जल संधि के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। वार्ता प्रक्रिया के अगले दौर में संधि के संगत प्रावधानों के अनुरूप इस मुद्दे का समाधान खोजने के उद्देश्य से विचार विमर्श जारी रखने पर सहमति हुई।

दुधारू पशु

3704. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने दुधारू पशुओं की उन्नत नस्लों का विकास किया है;

(ख) उक्त पशुओं के क्या नाम हैं एवं उनकी दूध देने की क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन पशुओं के दूध की उत्पादन लागत का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तहत दुधारू पशुओं की उन्नत नस्लों का विकास (i) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा तथा (ii) गोपशु परियोजना निदेशालय, मेरठ छावनी, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है।

(ख) उक्त पशुओं के नाम और दूध देने की क्षमता इस प्रकार से है :

(i) करन फ्राईज 3493 कि.ग्रा. (305 दिन)

(ii) करन स्विस 3316 कि.ग्रा. (305 दिन)

(iii) फ्रीजवाल 3069 कि.ग्रा. (300 दिन)

(ग) और (घ) एन॰डी॰आर॰आई॰ (1999) में शुरू किए गए एक सीमित अध्ययन में दुग्ध उत्पादन की लागत करन फ्राईज के दूध की 6.64 रु॰/लीटर तथा करन स्विस के दूध की 8.42 रु॰/लीटर आंकी गई थी।

चावल का खरीद लक्ष्य

3705. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004-2005 के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद बढ़ाने तथा भंडारण के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का सृजन करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) अनुमान है कि खरीफ विपणन मौसम 2004-05 के दौरान 225 लाख टन चावल की वसूली हो सकती है। राज्य-वार अनुमान विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम को लेवी चावल की वसूली करने और वसूल किए गए चावल का भंडारण करने के लिए पश्चिम बंगाल में पर्याप्त भंडारण क्षमता सृजित करने का निदेश दिया गया है।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 2004-05 के दौरान चावल की राज्य-वार अनुमानित वसूली

राज्य	अनुमानित वसूली (लाख टन)
आंध्र प्रदेश	45
बिहार	6
छत्तीसगढ़	22
हरियाणा	12
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	3
उड़ीसा	13
पंजाब	82
तमिलनाडु	5
उत्तर प्रदेश	20
उत्तरांचल	3
पश्चिम बंगाल	10
अन्य	1
	225

बाढ़ प्रभावित राज्य

3706. श्री चन्द्रशेखर दूबे:
योगी आदित्यनाथ:
श्री तूफानी सरोज:
श्री तापिर गाव:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री मनोरंजन भक्त:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री अर्जुन सेठी:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को बाढ़ के कारण कितना नुकसान हुआ है तथा इसे रोकने पर कुल कितना खर्चा किया गया;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इसका मुकाबला करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस समस्या पर काबू पाने हेतु राज्यों को राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) चालू मानसून के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

(ख) बाढ़ के कारण पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में हुई क्षति का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना एवं कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्र तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की सहायता प्रदान करता है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन से संबंधित व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। इसी तरह, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों एवं इसके उप बेसिनों के लिए मास्टर प्लान तैयार किए हैं। इन योजनाओं को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

केन्द्र सरकार गंभीर बाढ़ प्रबंधन एवं कटावरोधी कार्यों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम में धौला हाथीघुली और माजुली द्वीप में गंभीर कटावरोधी स्कीमें तथा पगलादिया बांध परियोजना आरंभ की है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बाढ़ से सुरक्षा मिलने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग 171 केन्द्रों पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है, जो राज्य के प्राधिकारियों को भेजे जाते हैं।

बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ असम एवं अन्य पड़ोसी राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव की

समस्या की जांच करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में 11.8.2004 को अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक 21 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया है।

(घ) बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त राज्यों को पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान मुहैया कराई गई केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में बाढ़ के कारण हुई क्षति

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	फसलों, आवासों एवं जन सुविधाओं की हुई कुल क्षति			
		2001	2002	2003	2004
1.	असम	एन आर	एन आर	347.04	1915.67
2.	अरूणाचल प्रदेश	एन आर	एन आर	2.486	एन आर
3.	बिहार	588.595	1215.812	58.927	1461.119
4.	गुजरात	0.480	एन आर	एन आर	0.350
5.	केरल	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
6.	हरियाणा	0.000	एन आर	0.000	एन आर
7.	मेघालय	एन आर	4.856	0.872	एन आर
8.	मिजोरम	0.000	एन आर	0.000	एन आर
9.	पंजाब	3.590	एन आर	0.000	एन आर
10.	त्रिपुरा	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
11.	उत्तर प्रदेश	एन आर	एन आर	675.877	एन आर
12.	उत्तरांचल	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर

एन आर : सूचना प्राप्त नहीं।

विवरण II

जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत जारी केन्द्रीय सहायता; गृह मंत्रालय का आपदा राहत निधि एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि; योजना आयोग द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का संसाधनों के नॉन-लेप्सेबल केन्द्रीय पूल से जारी की गई सहायता का विवरण

राशि (रुपये लाख में)

राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
असम	12892	11199	11950	14752
अरूणाचल प्रदेश	4447	3969	5023	1579
बिहार	7253	9724	6544	12338

1	2	3	4	5
गुजरात	12710	13346	16021	14714
केरल	5295	5560	5838	6130
हरियाणा	6403	6723	7059	7412
मेघालय	310	326	342	359
मिजोरम	234	246	258	271
पंजाब	10014	10496	10957	11187
त्रिपुरा	410	430	851	474
उत्तर प्रदेश	12208	12724	17438	14231
उत्तरांचल	2549	2771	2810	2950

साइलेंट वैली

3707. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साइलेंट वैली को क्षेत्र की विचित्र पारिस्थितिकीय विविधता के संरक्षण एवं अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जीवमंडल क्षेत्र का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्या होगा;

(ग) क्या यह जीवमंडल क्षेत्र अभी भी यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया जाना शेष है; और

(घ) यदि हां, तो साइलेंट वैली को यूनेस्को की मान्यता दिलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय एवं कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) केरल में स्थित साइलेंट वैली नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व का हिस्सा है जो तीन राज्यों अर्थात् केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्सों से घिरा हुआ है। उक्त जीवमंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और इसे विश्व जीवमंडल रिजर्व की सूची में स्थान दिया गया है।

सूखा प्रभावित राज्यों को धनराशि आबंटन के लिए मानदंड

3708. श्री जी.वी. हर्षकुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूखा प्रभावित राज्यों को धनराशि आबंटन करने के लिए विद्यमान मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों को धनराशि आबंटन के मानदंडों में छूट पर विचार करने के लिए उप-समूह गठित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता हेतु व्यय से संबंधित मौजूदा मानदण्डों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच.एल.सी.) द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में मौजूदा मानदण्डों में संशोधन/शिथिलता हेतु मंजूरी दी गई जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) लगातार दूसरे (अथवा इसके बाद के) वर्ष गंभीर प्रकृति की आपदाओं के कारण फसलों को हुए 50% अथवा अधिक नुकसान के लिए छोटे और सीमान्त किसानों के अलावा अन्य किसानों को 2 हेक्टेयर की सीमा के अधीन 1000/- रुपये की दर से आदान सब्सिडी का भुगतान।

(ii) प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को एक माह में 10 दिन के लिए राहत रोजगार प्रदान किया जाएगा, जहां संबंधित गांव में राहत रोजगार संबंधी अन्य स्कीमें भी चलाई जा रही हैं, लेकिन यहां ऐसी स्कीमें नहीं चलाई

जा रही हैं, वहां राहत रोजगार एक माह में 15 दिन के लिए प्रदान किया जाएगा। अकुशल मजदूरों के लिए मजदूरी संबंधित राज्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी होगी। खाद्यान्न घटक 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिवस तथा 15 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ.) होगी और संबंधित राज्य सरकारें इस अंशदान तथा न्यूनतम मजदूरी के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति अपने स्वयं के संसाधनों से करेंगी।

(iii) पशु शिविरों में पशुओं पर ध्यान देने संबंधी मानदंड बड़े पशुओं के लिए 18 रुपये प्रति दिन और छोटे पशुओं के लिए 9 रुपये प्रति दिन की दर से है।

विवरण

आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में व्यय हेतु सहायता संबंधी मानदंड तथा मदों की संशोधित सूची

(गृह मंत्रालय का पत्र सं. 32-3/2003-प्रा.आ.प्र.। दिनांक 23 अप्रैल, 2003)

क्र.सं.	मद	सी.आर.एफ. तथा एन.सी.सी.एफ. से सहायता के लिए व्यय हेतु मानदण्ड
1	2	3
1.	अनुग्रह राहत	
	(क) मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	50,000/- रुपये प्रति मृतक।
	(ख) हाथ-पैर अथवा आंख के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि	25,000/- रुपये प्रति व्यक्ति। हाथ-पैर आदि के नुकसान के लिए अनुग्रह राहत तभी दी जाए जब विकलांगता 40% से अधिक हो और किसी सरकारी चिकित्सक अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सकों के पैनल द्वारा प्रमाणित हो।
	(ग) गंभीर चोट, जिसके लिए एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में दाखिल रहना जरूरी हो।	5,000/- रुपये प्रति व्यक्ति।
	(घ) वृद्ध, विकलांग तथा निराश्रित बच्चे।	20/- रुपये प्रति वयस्क, 10/- रुपये प्रति बालक प्रति दिवस।
	(ङ) उन परिवारों के लिए कपड़े तथा बर्तन, जिनके मकान प्राकृतिक आपदा के कारण बह गए/पूर्णतः ध्वस्त हो गए हों।	प्रति परिवार कपड़ों के लिए 500/- रुपये तथा बर्तनों के लिए 500/- रुपये।
2.	पूरक पोषाहार	समेकित बाल विकास स्कीम (आई.सी.डी.एस.) के मानदण्डों के अनुसार 1.05 रुपये प्रति दिवस प्रति व्यक्ति
3.	निम्नलिखित के छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता:	
	(क) गाद निकालना आदि	छोटे तथा सीमान्त किसनों को 5000/- रुपये प्रति
	(ख) पर्वतीय क्षेत्रों को मलबा हटाना और	हेक्टेयर की सीमा के अधीन नाबार्ड के पैटर्न के आधार पर क्रमशः 25% तथा 33-$\frac{1}{3}$%
	(ग) मत्स्य फार्मों से गाद निकालना/पुनर्निर्माण/मरम्मत	

1	2	3
	(घ) जहां फसल को 50% अथवा अधिक नुकसान हुआ हो, वहां कृषि आदान सब्सिडी	
	(i) कृषि फसलों, बागवानी फसलों तथा रोपण फसलों के लिए	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए 1000/- रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्र के लिए 2500/- रुपये प्रति हेक्टेयर।
	(ii) बारहमासी फसलें	4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
	(iii) रेशमकीट पालक किसानों को सहायता	मूंगे के लिए 2000/- रुपये प्रति हेक्टेयर। इरी तथा शहतूत के लिए 1500/- रुपये प्रति हैक्टेयर
	(ङ) भूस्खलन, बर्फीले तूफान, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण भूमि का काफी अंश में नुकसान	10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर
4.	रोजगार सृजन (प्लान स्कीमें यथा जे.आर.वाई., आई.जे.आर.वाई., ई.ए.एस. आदि में उपलब्ध धनराशि के प्रयोग के बाद केवल अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु)	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मानदंडों के अनुसार
5.	छोटे तथा सीमान्त किसानों/खेतीहर मजदूरों को पशुपालन सहायता	
	(क) भारवाही पशुओं, दुधारू गोपशुओं अथवा गाड़ी खींचने वाले पशुओं के प्रतिस्थापन अथवा जीवन-निर्वाह हेतु	छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सब्सिडी पैटर्न के अनुसार
	(ख) चारे/फॉडर कांसंट्रेट के प्रावधान हेतु	बड़े पशु-12.00 रुपये प्रति दिवस छोटे पशु-6.00 रुपये प्रति दिवस
	(ग) चारे की खरीद, भण्डारण तथा परिवहन	एन.सी.सी.एम. द्वारा मूल्यांकम किया जाएगा।
	(घ) उपयोगी पशुओं को अन्य क्षेत्रों में भेजना	एन.सी.सी.एफ. के लिए एन.सी.सी.एफ. द्वारा/ सी.आर.एफ. के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
6.	मछुआरों को सहायता	
	(क) नौकाओं तथा जालों की मरम्मत/ प्रतिस्थापन तथा क्षतिग्रस्त एवं गुमशुदा -नौका -डग आऊट -कैटामारान	नौकाओं की लागत का निर्धारण भी एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत अनुमोदित लागत के संदर्भ में किया जाएगा।

1	2	3
	(ख) मत्स्य बीज फार्मों के लिए आदान सब्सिडी	2000/- रुपये प्रति हेक्टेयर
7.	हस्तशिल्प क्षेत्र में दस्तकारों को क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थान हेतु सब्सिडी के रूप में सहायता	
	(क) पारम्परिक शिल्प	
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के लिए	1,000/- रुपये प्रति व्यक्ति
	(ii) कच्चे माल के लिए	1,000/- रुपये प्रति व्यक्ति
	(ख) हथकरघा बनुकरों हेतु	
	(i) करघे संबंधी उपकरणों तथा पुर्जों की मरम्मत/प्रतिस्थापन	1,000/- रुपये प्रति करघा
	(ii) धागे तथा अन्य सामग्री की खरीद	1,000/- रुपये प्रति करघा
8.	क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/ जीर्णोद्धार के लिए सहायता	
	(क) पूर्णत: क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान	10,000/- रुपये प्रति मकान
	(ii) कच्चा मकान	6,000/- रुपये प्रति मकान
	(ख) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान	2,000/- रुपये प्रति मकान
	(ii) कच्चा मकान	1,200/- रुपये प्रति मकान
	(ग) मामूली रूप से क्षतिग्रस्त मकान	800/- रुपये प्रति मकान
9.	ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आकस्मिक आपूर्ति तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल का परिवहन	एन सी सी एफ के लिए एन सी सी एम/दल द्वारा/सी आर एफ के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
10.	महामारी की रोकथाम के लिए औषधियों, संक्रमणनाशियों, कीटनाशियों का प्रावधान	-तदैव-
11.	पशुओं तथा कुक्कुट (पोल्ट्री) को महामारी से बचाने हेतु चिकित्सा सेवा	-तदैव-
12.	प्रभावित लोगों/प्रभावित होने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना	-तदैव-
13.	तात्कालिक राहत सामग्री ले जाने तथा जान बचाने के लिए नौकाएं किराये पर लेना	-तदैव-

1	2	3
14.	प्रभावित लोगों/प्रभावित क्षेत्र से लाए गए लोगों के लिए अस्थायी आश्रय, भोजन, कपड़े तथा औषधियां आदि	एन.सी.सी.एफ. के लिए एन.सी.सी.एम./दल द्वारा सी.आर.एफ के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
15.	आवश्यक वस्तुएं हवाई हजाज से गिराना	-तदैव-
16.	संचार, विद्युत, सार्वजनिक स्वास्थ्य पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र में सामुदायिक स्वामित्व की परिसम्पत्तियों से संबंधित क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना की तात्कालिक स्वरूप की मरम्मत/पुनर्निर्माण	-तदैव-
17.	सरकारी चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों तथा गुमशुदा दवाइयों का प्रतिस्थापन	-तदैव-
18.	एम्बुलेंस सेवा, मोबाइल चिकित्सा दलों एवं अस्थायी औषधालयों की प्रचालन लागत (केवल पी ओ एल की)	-तदैव-
19.	मलबा हटाने की लागत	-तदैव-
20.	प्रभावित क्षेत्र से पानी निकालना	-तदैव-
21.	खोज तथा बचाव उपायों की लागत	-तदैव-
22.	मृत व्यक्तियों/पशुओं का दाह संस्कार	-तदैव-
23.	विशेषज्ञ बहु संकाय समूहों/विभिन्न संवर्गों/सेवाओं से बुलाए गए संकाय समूहों कर्मचारियों को प्रशिक्षण	व्यय आपदा राहत कोष से किया जाएगा।
24.	वर्ष के दौरान आपदा राहत कोष के आबंटन की 10% सीमा के तहत संचार उपकरणों सहित अनिवार्य खोज, बचाव तथा लोगों को निकालने वाले उपकरणों की खरीद	आपदा राहत कोष से संबंधित राज्य स्तरीय द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
25.	4 अंकों वाले सार्वजनिक उपयोग के कोड टेलीफोन की स्थापना (कालें मीटर नहीं की जाती)	व्यय की पूर्ति आपदा राहत कोष से की जाएगी।

एन सी सी एम - राष्ट्रीय आपदा प्रबंध केन्द्र
एन सी सी एफ - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष
पी ओ एल - पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक

विदेशों एजेंसियों के माध्यम से पर्यटन सर्किटों का विकास

3709. श्री आर॰ प्रभु: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी एजेंसियों के माध्यम से पर्यटन सर्किटों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) भारत सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता और एलोरा के संरक्षण और अवसंरचना विकास के लिए जापान सरकार से विदेशी ऋण प्राप्त किया है। इस परियोजना का चरण-I पहले ही पूरा हो गया है और चरण-II के लिए प्रारंभिक कार्य प्रक्रियाधीन है।

परियोजनाओं के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

3710. श्रीमती मेनका गांधी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या एस.ओ.60(ई) दिनांक जनवरी 27, 1994 के जरिए निर्माण कार्य शुरू करने सहित नई परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण या नई परियोजनाएं स्थापित करने पर तब तक प्रतिबंध लगा दिया है जब तक कि केन्द्र सरकार से परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति न मिल जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए कई इकाइयों या परियोजनाओं का पर्यावरणीय स्वीकृति लिए बिना विस्तार या आधुनिकीकरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने ऐसी चूककर्ता इकाइयों को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करने के संबंध में समय-सीमा 31 मार्च, 1999 एवं फिर 30 जून, 2001 एवं उसके बाद 31 मार्च, 2003 तक बढ़ा देने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) 31 मार्च, 2003 को अथवा इससे पहले पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करने वाली चूककर्त्ता इकाइयों की संख्या कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना और बाद के उसके संशोधनों के उपबंधों के अन्तर्गत नई विकासात्मक परियोजनाओं की बत्तीस श्रेणियों अथवा वर्तमान किसी परियोजना के विस्तार अथवा आधुनिकीकरण के लिए सरकार से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित है। ऐसी परियोजनाओं पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना की प्रयोज्यता के निर्णय के लिए विभिन्न वर्गों के लिए निवेश की उच्चतम सीमा को अधिसूचना में निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार जनवरी 2003 में देश में लगभग 312 यूनिटें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना चल रही थी और राज्य-वार विवरण नीचे दिए अनुसार है :

क्रम संख्या	राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	140
2.	गुजरात	43
3.	हरियाणा	10
4.	कर्नाटक	6
5.	केरल	4
6.	मध्य प्रदेश	3
7.	महाराष्ट्र	20
8.	पंजाब	9
9.	राजस्थान	4
10.	तमिलनाडु	45
11.	उत्तर प्रदेश	3
12.	पश्चिम बंगाल	25
	कुल	312

(घ) और (ङ) प्रारंभ में, दोषी यूनिटों द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने का आवेदन देने की समय-सीमा 31.3.1999 थी। बाद में समय-सीमा को 30 जून, 2001 तक बढ़ाया गया और अंत में इस बात को ध्यान में रखते हुए 31.3.2003 तक बढ़ाया गया कि दोषी यूनिटों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई करनी है और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के उपबंधों के अनुसार जन सुनवाई पूरी करनी है।

(च) सरकार को 31 मार्च, 2003 तक कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 465 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से 249 उद्योग सैक्टर और 216 खनन सैक्टर से हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में खेल सुविधाएं

3711. प्रो॰ चन्द्र कुमार:
श्रीमती प्रतिमा सिंह:
डा॰ कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में एथलेटिक्स ट्रैक, इंडोर स्टेडियम एवं खेल अकादमी के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव किस तिथि को भेजे गए थे;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस पर होने वाला अनुमानित खर्च कितना होगा ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (घ) जी, हां। ''खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों'' तथा ''सिंथेटिक खेल सतहों को बिछाने हेतु अनुदानों' की योजनाओं के अंतर्गत, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान खेल अवस्थापना संबंधी 38 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उपर्युक्त सभी प्रस्तावों का ब्यौरा तथा उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजनाओं का ब्यौरा	प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1	2	3	4
2002-2003			
1.	नाहन, सिरमौर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-II	3.5.2002	23.9.2003 को 67.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदन।
2.	गांव अमनेद, जिला हमीरपुर में फुटबाल मैदान	4.7.2002	18.11.2002 को 2.25 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदन।
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.) धर्मशाला में सिंथेटिक ट्रैक बिछाना	5.7.2002	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि स्थल की भूमि समतल कराएं तथा मृदा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
4.	समर हिल, शिमला में निशानेबाजी रेंज	5.8.2002	18.11.2002 को 30.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदन।
5.	रोहरू, शिमला में बास्केटबाल कोर्ट	11.11.2002	इसको ध्यान में रखते हुए कि समापन के लिए
6.	चम्बा में इंडोर स्टेडियम	12.12.2002	पहले ही 33 अनुमोदित परियोजनाएं लंबित थी जिनमें 8.26 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है, यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त किसी नए प्रस्ताव पर विचार न किया जाए। 27.5.2003 को निर्णय राज्य सरकार को भेज दिया गया था।
7.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दुरूब्बाल, जिला मण्डी में वालीबाल कोर्ट	21.3.2003	नए प्रस्ताव पर विचार न करने का उपर्युक्त निर्णय पुन: 24.6.2003 को राज्य सरकार को भेज दिया गया था।
8.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौंतरा, जिला मण्डी में वालीबाल कोर्ट	21.3.2003	
9.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी में वालीबाल कोर्ट	17.3.2003	
10.	राजकीय कन्या हाई स्कूल, जोगिन्दर नगर, मण्डी में वालीबाल कोर्ट	17.3.2003	
11.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (बाल), सुन्दरनगर, मण्डी में बास्केटबाल कोर्ट	17.3.2003	
12.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जोगिन्दर नगर, मण्डी में बास्केटबाल कोर्ट	17.3.2003	

1	2	3	4
13.	राजकीय (बालिका) हाई स्कूल, जोगिन्दर नगर, मण्डी में बास्केटबाल कोर्ट	17.3.2003	
14.	बौद्ध दर्शन व जनजातीय संस्कृति समिति अध्ययन संस्थान, ताबो, जिला लाहौल एवं स्पिति में बास्केटबाल कोर्ट	5.3.2003	
15.	धर्मशाला, जिला कांगड़ा में आउटडोर स्टेडियम	25.3.2003	
2003-2004			
1.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, देहर, जिला मण्डी में बास्केटबाल कोर्ट	7.4.2003	इसको ध्यान में रखते हुए कि समापन के लिए पहले ही 33 अनुमोदित परियोजनाएं लंबित थी जिनमें 8.26 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त किसी नए प्रस्ताव पर विचार न किया जाए। 24.6.2003 को निर्णय राज्य सरकार को भेज दिया गया था।
2.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हरौली, जिला ऊना में बास्केटबाल कोर्ट	7.4.2003	
3.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, धुंदला, जिला ऊना में बास्केटबाल कोर्ट	7.4.2003	
4.	पर्वतारोहण संस्थान, मनाली में इंडोर स्टेडियम	4.9.2003	चूंकि मनाली में स्की स्लोप एवं स्टोर का निर्माण पहले ही 30.316 लाख रुपये की सहायता से अनुमोदित हो चुका था, राज्य सरकार से 31.10.2003 को अनुरोध किया गया था कि पहले से चल रही उपर्युक्त परियोजना को पहले पूरा करें तथा बाद में तात्कालिक प्रस्ताव विचार हेतु नए सिरे से प्रस्तुत करें।
5.	तोंगित गोम्पा हिमालयन बौद्ध संस्कृति समिति, कजा में बास्केटबाल कोर्ट	13.5.2003	नए प्रस्ताव पर विचार न करने का पहले से ही लिया गया निर्णय पुन: 17.2.2004 को राज्य सरकार को भेज दिया गया था।
6.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बंजार, जिला कुल्लू में वालीबल कोर्ट	26.5.2003	
7.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गरसा, जिला कुल्लू में वालीबाल कोर्ट	26.5.2003	
8.	राजकीय हाई स्कूल, सोहारी, जिला हमीरपुर में बास्केटबाल कोर्ट	30.6.2003	
9.	नमहोल, जिला बिलासपुर में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
10.	सुजानपुर तिहरा, जिला हमीरपुर में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	

1	2	3	4
11.	बालद्वारा, जिलामण्डी में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
12.	लालरी, जिला ऊना में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
13.	कलेत, जिला कांगड़ा में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
14.	बाथरी, जिला चम्बा में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
15.	त्रिलोकीनाथ, जिला लाहौल व स्पिति में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
16.	कतरैन, जिला कुल्लू, में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
17.	रोहरू, जिला शिमला में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
18.	नौगांव, जिला सोलन में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
19.	नैनटिक्कर, जिला सिरमौर में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
20.	कलपा, जिला किन्नौर में बास्केटबाल कोर्ट	31.7.2003	
21.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कुथेरा, जिला बिलासपुर में बास्केटबाल कोर्ट	3.12.2003	
22.	सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सेहरा थाना, जिला कांगड़ा में वालीबाल कोर्ट	16.3.2004	
23.	रिहाला, जिला हमीरपुर में फुटबाल मैदान	29.3.2004	

आवास हेतु बीड़ी-कार्मिकों को राजसहायता

3712. श्री पारसनाथ यादव:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री रूपचन्द मुर्मू:
श्री गणेश सिंह:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में बीड़ी कामगारों की संख्या कितनी है और इन कामगारों में से बिना आवास वाले कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने बीड़ी कामगारों के लिए आवास राजसहायता दोगुनी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) बीड़ी कामगार कल्याण कोष से कितने बीड़ी-कामगारों को राज्य-वार एवं स्थान-वार आवास, उपचार एवं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देने हेतु राजसहायता प्रदान की गई;

(ङ) आज की तिथि के अनुसार ऐसी सब्सिडी के लिए कितने आवेदन लंबित हैं;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव इन कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कदम उठाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) देश में लगभग 45,34,250 कामगार बीड़ी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। आश्रय स्थल विहीन कामगारों के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) एकीकृत आवास योजना के अंतर्गत बीड़ी कामगारों को उपलब्ध वित्तीय सहायता को 1 जुलाई, 2004 से बीड़ी कामगार द्वारा मकान बनाने के लिए 20,000/- रुपये से बढ़ाकर 40,000/- रुपये अथवा वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) बीड़ी कामगारों, लाभार्थियों की संख्या जिन्हें आवास, छात्रवृत्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई; उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा उपचार मुहैया करवाया गया तथा लंबित आवेदन-पत्रों से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) श्रम और रोजगार मंत्रालय इन कामगारों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत आवास, शिक्षा, चिकित्सा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	राज्य का नाम	पिछले वर्ष के दौरान आवास, छात्रवृत्तियां संबंधी वित्तीय सहायता तथा चिकित्सा उपचार संबंधी व्यक्तियों की संख्या			बीड़ी कामगारों की अनुमानित कुल संख्या (संख्या)	मंत्रालय (श्र.क.म.नि.) में लंबित आवेदन (संख्या)
			मंत्रालय द्वारा दी गई संस्वीकृति (मकानों की संख्या)	उपचार वालों की संख्या (लाखों में)	छात्रवृत्तियों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	481	2.57	6426	4,50,000	शून्य
2.	कल्याण आयुक्त भीलवाड़ा	राजस्थान	06	1.85	3170	1,00,000	शून्य
3.		गुजरात	शून्य	1.16	5843	51,986	
4.	कल्याण आयुक्त, भुवनेश्वर	उड़ीसा	242	3.56	17900	1,85,889	2793
5.	कल्याण आयुक्त, बंगलौर	कर्नाटक	1591	6.10	65247	3,60,876	शून्य
6.		केरल	584	0.88	14,386	1,36,416	
7.	कल्याण आयुक्त, जबलपुर	मध्य प्रदेश	1021	2.67	25,854	8,27,194	शून्य
8.		छत्तीसगढ़	287	0.11	859		
9.	कल्याण आयुक्त, कर्मा	बिहार	शून्य	2.00	3872	3,30,500	शून्य
10.		झारखंड	शून्य	0.48	1737	61,000	
11.	कल्याण आयुक्त, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	538	3.97	34518	4,97,758	शून्य
12.		असम	शून्य	0.30	299	7,725	
13.		त्रिपुरा	शून्य	0.11	928	5,000	
14.	कल्याण आयुक्त, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	2018	11.97	4,97,595	6,25,050	शून्य
15.		तमिलनाडु	शून्य		4,98,468	6,41,188	1500
16.	कल्याण आयुक्त, नागपुर	महाराष्ट्र	175	2.96	48,931	2,56,000	581
17.		गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग पर कृतिक बल

3713. **प्रो॰ एम॰ रामदासः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जैव-प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधी उपयोगों पर कृतिक बल की मुख्य अनुशंसाएं क्या हैं;

(ख) कृतिक बल की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) देश में कृषि-विकास पर इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास, अनुप्रयोग को निर्देश प्रदान करने संबंधी सिफरिशें, जैव प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण, जेनेटिक विविधता केन्द्रों के संरक्षण तथा सुरक्षा, जैव कृषि जानों के प्रोत्साहन, विभिन्न राज्यों में जैव प्रौद्योगिकी पार्कों का सृजन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया को तेज करने तथा उत्पादों, दायित्व और क्षतिपूर्ति की निर्मुक्ति, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण (एन.बी.आर.ए.) की स्थापना तथा जैव-प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

(ख) कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर कृतिक बल की सिफारिशों के संबंध में वर्तमान में अन्तर-मंत्रालयी परामर्श चालू है।

(ग) कृतिक बल की सिफारिशों के कार्यान्वयन से विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों हेतु किसानों को श्रेष्ट गुणवत्ता बीजों का व्यापक विकल्प प्रदान होगा तथा उत्पादों की निमुक्ति और मूल्यांकन की प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से नियामक/अनुमोदन तंत्र को मुख्य धारा में लाया जाएगा।

[हिन्दी]

खाली पड़े आरक्षित पद

3714. **श्री लालमणि प्रसाद:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय एवं उनके अधीन विभागों में विभाग-वार कुल सृजित पदों की संख्या कितनी है;

(ख) इन विभागों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या नियुक्तियां अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार की गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उपरोक्त वर्गों के लिए आरक्षण कोटे के कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(च) आरक्षण कोटा नहीं भरने वाले उत्तरदायी प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कोई विभाग नहीं है। दिनांक 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार इस मंत्रालय जिसमें फल एवं सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय और भुगतान एवं लेखा कार्यालय शामिल हैं, में समूह-वार सृजित पदों की कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू होने के बाद भर्ती किया गया) के कर्मचारियों की समूह-वार अलग-अलग कुल संख्या नीचे दी गई हैं :-

समूह	सृजित किए गए कुल पदों की संख्या	भरे गए पद	निम्नलिखित श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या		
			अ.जा.	अ.जा.जा.	अ.पि. वर्ग
क	56	45	5	1	2
ख	72	57	9	3	4
ग	77	72	16	1	7
घ	34	33	12	1	1
जोड़	239	207	42	6	14

(ग) से (ङ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के अनुसार, रिक्ति आधारित रोस्टर को पद आधारित रोस्टर में बदल दिया गया है। परिवर्तन इस तरह किया गया है कि संवर्ग में संबंधित श्रेणियों में अधिकता/कमी, यदि कोई है तो, को भावी नियुक्तियों के जरिए समायोजित किया जा सके।

पद आधारित रोस्टर इस मंत्रालय में और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में शुरू किए गए हैं। नए रोस्टर के अनुसार आरक्षण बिन्दुओं को, इस विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार परिचालित किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन

3715. श्री सांताश्री चटर्जी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) बोनस के लिए पात्रता की सीमा को 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किये जाने तथा गणना की अधिकतम सीमा को 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये किये जाने हेतु बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन किये जाने से संबंधित एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। इसी बीच, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिसमें सिफारिश की गई है कि बोनस की पात्रता तथा गणना के लिए अधिकतम सीमा को उपयुक्त रूप से बढ़ाकर क्रमशः 7500 रुपये और 3500 रुपये कर दिया जाए। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है, क्योंकि बोनस के लाभों को निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (केन्द्रीय और राज्य दोनों के), केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों एवं स्वायत्त संगठनों को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा जिससे सरकार के राजकोष पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ेगा।

[हिन्दी]

बंजर भूमि

3716. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों को देश में बंजरभूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस वित्तीय सहायता से किये गये कार्य की मॉनिटरिंग एवं पुनरीक्षण करने पर सरकार के निष्कर्ष क्या रहे; और

(ग) वित्तीय सहायता की समग्र एवं उपयुक्त उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) बंजर भूमि, परती भूमि की एक श्रेणी जिसे खुले खड़े पर्वत, रेगिस्तान, बर्फ से आच्छादित क्षेत्र आदि के रूप में समझा जाता है जिसको कम लागत पर खेती के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। ऐसी भूमि के विकास के लिए भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

चीनी पर अनुसंधान के लिए धनराशि

3717. डा॰ राजेश मिश्रा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अनुसंधान एवं विकास के लिए चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को ऋण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पिछले वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से ऋण के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन्हें कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार चीनी उद्योग के किसी अन्य पहलू के संवर्द्धन तथा विकास पर केन्द्रित अनुसंधान करने के लिए चीनी उद्योग से जुड़े स्थापित शर्करा संस्थाओं (और न कि चीनी मिलों को) को सहायता अनुदान के भुगतान के लिए प्राधिकृत करती है न कि ऋण के भुगतान के लिए।

(ग) पिछले वर्ष के दौरान अनुसंधान तथा विकास के लिए उत्तर प्रदेश की किसी चीनी मिल से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य

3718. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। पंजाब सरकार ने राज्य के कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। आदान लागत में वृद्धि को ध्यान में रखकर, पंजाब सरकार ने धान, कपास और गेहूं के लिए उच्चतर एम.एस.पी. की मांग की है।

सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2004-05 मौसम के खरीफ फसलों के लिए हाल ही में मूल्य नीति की घोषणा की है जिसमें सभी संगत कारकों पर ध्यान रखा गया है, जिसमें आदान लागत में वृद्धि शामिल है और जिसके परिणामस्वरूप पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) वर्ष 2003-04 मौसम की फसलों की तुलना में उच्च स्तर पर निर्धारित की गई है। हाल के वर्षों में घोषित प्रमुख कृषि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(फसल वर्ष के अनुसार)

2003-04 की तुलना में (रुपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिंस	किस्म	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	विशेषसूखा राहत मूल्य	2003-04	2004-05	2003-04 की तुलना में 2004-05 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	धान	सामान्य	440	490	510	530	530	20	550	560	10(1.8)
		श्रेणी 'ए'	470	520	540	560	560	20	580	590	10(1.7)
2.	ज्वार		390	415	445	485	485	5	505	515	10(2.0)
3.	बाजरा		390	415	445	485	485	10	505	515	10(2.0)
4.	मक्का		390	415	445	485	485	5	505	525	20(4.0)
5.	रागी		390	415	445	485	485	5	505	515	10(2.0)
6.	गेहूं		550	580	610	620	620	10	630		
7.	जौ		385	430	500	500	500	5	525		
8.	चना		895	1015	1100	1200	1220	5	1400		
9.	अरहर (तुर)		960	1105	1200	1320	1320	5	1360	1390	30(2.2)
10.	मूंग		960	1105	1200	1320	1320	5	1370	1410	40(2.9)
11.	उड़द		960	1105	1200	1320	1330	5	1370	1410	40(2.9)
12.	मसूर (लेंटिल)*		-	-	1200	1300	13200	5	1500	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	गन्ना@		52.70	56.10	59.50	62.05	69.50	-	73		
14.	कपास एफ 414/ एच-777/जे-34		1440	1575	1625	1675	1675	20	1725	1760	35(2.0)
	एच-4		1650	1775	1825	1875	1875	20	1925	1960	35(1.8)
15.	मूंगफली		1040	1155	1220	1340	1355	20	1400	1500	100(7.1)
16.	पटसन	टी डी-5	650	750	785	810	850	-	860	890	30(3.5)
17.	सरसों/तोरिया		1000	1100	1200	1300	1330	10	1600		
18.	सूरजमुखी		1060	1155	1170	1185	1195	15	1250	1340	90(7.2)
19.	सोयाबीन	काली	705	755	775	795	795	10	840	900	60(7.1)
		पीली	795	845	865	885	885	10	930	1000	70(7.5)
20.	कुसुम		990	1100	1200	1300	1300	5	1500		
21.	तोरिया		965	1065	1165	1265	1295	10	1565		
22.	तंबाकू (वीएफसी) काली मृदा (एफ2 जी आर)		22.50	25.00	26.00	27.00	28.00	-	31.00		
	(रु. प्रति कि.ग्रा.) हल्की मृदा (एल2 जीआर)		25.50	27.00	28.00	29.00	30.00	-	33.00		
23.	कोपरा (कलैण्डर वर्ष)	मिलिंग	2900	3100	3250	3300	3300	-	3320	3500	180(5.4)
		बॉल	3125	3325	3500	3550	3550	-	3570	3750	180(5.0)
24.	तिल		1060	1205	1300	1400	1450	5	1485	1500	15(1.0)
25.	रामतिल		850	915	1025	1100	1120	-	1155	1180	25(2.2)

@ सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5% की मूल वसूली से जुड़ा है जिसमें उस स्तर से ऊपर की वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए समानुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था है। वर्ष 2002-03 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सी॰ए॰सी॰पी॰ द्वारा संस्तुत 5 रुपये प्रति क्विंटल का एक बारगी सूखा राहत शामिल है।

* मसूर (लेंटिल) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2000-01 से निर्धारित किया गया है।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

जूट का उत्पादन

3719 : श्री डी. विट्ठल राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जूट का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चालू मौसम के दौरान जूट के उत्पादन में काफी कमी आई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान 180 किलोग्राम प्रत्येक गांठ के रूप में पटसन का उत्पादन क्रमशः 105.84 लाख गाठें तथा 103.40 लाख गाठें होने का अनुमान है। दिनांक 5.8.2004 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान पटसन का उत्पादन 102.65 लाख गाठें होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) नब्बे के दशक तथा 2000-01 के दौरान पटसन का उत्पादन 180 किलोग्राम प्रत्येक की 100 लाख गाठों से काफी कम रहा। तथापि, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, 2001-02 से 2003-04 के दौरान पटसन का अनुमानित उत्पादन 100 लाख गाठों के स्तर से अधिक रहा। चालू मौसम अर्थात 2004-05 के दौरान, जुलाई माह में असामान्य मानसून के कारण पटसन की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र वर्ष 2003-04 के तदनुरूप क्षेत्र से कम रहा। तथापि अगस्त माह में मानसून में सुधार हो जाने से पटसन के क्षेत्र के अन्तर्गत आई कमी पूरी हो जाने की सम्भावना है।

गुरूवयूर मंदिर के निकट अवसंरचना का विकास

3720. श्री सी०के० चन्द्रप्पन: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुरूवयूर मंदिर को तीर्थ पर्यटन का केन्द्र घोषित करके अवसंरचना विकास हेतु राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके निकट के समुद्री किनारे को विकसित करने का है ताकि तीर्थयात्री केरल के सौंदर्य का आनंद ले सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी):(क) पर्यटन स्थलों/रुचि के स्थानों का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापित, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, तीर्थ केन्द्रों सहित, विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास के लिए, स्थल दौरों/संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श के आधार पर निधियां मुहैया कराता है।

(ख) और (ग)वर्ष 1992-93 में पर्यटक लॉज के निर्माण की परियोजना हेतु 49.50 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2003-04 के दौरान, कोचीन- कलाडी -मलयासूर - अथीरापल्ली-त्रिसूर-गुरूवयूर-मालापुरम-कोजीकोड को शामिल करते हुए, केरल में केन्द्रीय यात्रा परिपथ के एकीकृत विकास के लिए 500.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की एक परियोजना स्वीकृत की गई है जिसमें 21.55 लाख रुपए की राशि गुरूवयूर में पर्यटक सुविधायें उपलब्ध कराने और सूचना कार्यालय का निर्माण कराने हेतु शामिल है।

काली इलायची की फसल

3721. श्री नकुल दास राई: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम में पिछले कई वर्षों से काली इलायची की फसल एक बीमारी से संक्रमित है जिसके परिणामस्वरूप फसल को भारी मात्रा में हानि पहुंच रही है/नष्ट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) किसानों को उनकी काली इलायची की फसल को बचाने के लिए इस बीमारी को रोकने हेतु क्या निवारात्मक/सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान परिसर, क्षेत्रीय केन्द्र, गंगटोक, सिक्किम बड़ी इलायची पर अनुसंधान कार्य कर रहा है। बड़ी इलायची के रोग संबंधी समस्या के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ दल ने 17-19 सितंबर, 2003 के दौरान सिक्किम में बड़ी इलायची के बागानों का दौरा किया था। विशेषज्ञ दल ने ''सिक्किम में बड़ी इलायची की खेती में समस्याओं'' पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट जनवरी, 2004 के दौरान बागवानी विभाग, सिक्किम सरकार को इस फसल को प्रभावित करने वाले गंभीर नाशीजीवों तथा रोगों के विरुद्ध अपनायी जाने वाली प्रबंध प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुत की गई थी। विशेषज्ञ दल ने बड़ी इलायची पर रोग की रोकथाम/उपचार करने के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि कार्यक्रमों को अपनाने के लिए कहा था।

(घ) तत्काल उपाय में शेड रेगुलेशन, मल्चिंग तथा निकासी को अपनाना शामिल है। पर्णीय स्प्रे के रूप में बोरडेक्स मिश्रण (1 प्रतिशत) के उपयोग की सिफारिश की जाती है। सिक्किम में बड़ी इलायची सहित फसलों के लिए कीट व्याधि तथा रोगों के नियंत्रण के लिए समेकित नाशीजीव प्रबंध हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 55.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास

3722. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गाँधी नहर परियोजना की ऊंचाई बढ़कर 110.64 मीटर करने से जलमग्न हुए गाँवों और प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन लोगों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने इनके पुनर्वास के लिए कितनी राशि निर्धारित की है तथा अब तक कितनी वास्तविक राशि खर्च की जा चुकी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) संभवतः माननीय सदस्य नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना (गुजरात) की बात कर रहे हैं। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में स्तर (ईएल) 100.00 मीटर से ईएल 110.64 मीटर वृद्धि कर दिए जाने के कारण गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जलमग्न गांवों और प्रभावित परिवारों की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	गांवों की संख्या	परिवारों की संख्या
गुजरात	14	811
महाराष्ट्र	28	729
मध्य प्रदेश	104	5168
कुल	146	6708

(ख) और (ग) नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट और इन राज्यों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आर एंड आर) नीतियों में किए गए प्रावधान के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों की (पीएएफएस) की पुनर्स्थापना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा की गई है। इन राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बांध की ऊंचाई ईएल 110.64 मीटर के अनुरूप तीनों राज्यों में परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्स्थापना कार्य पूरा हो गया है। बांध की ऊंचाई ईएल 100.00 मीटर और ईएल 110.64 मीटर के बीच जलमग्नता से प्रभावित परिवारों के लिए अब तक संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई पुनर्स्थापना और पुनर्वास के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

पुनर्स्थापित किए जाने वाले परियोजना प्रभावित परिवार (संख्या)	पुनर्वासित परियोजना प्रभावित परिवार (संख्या)		
	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	गुजरात
811	-	-	811
729	-	596	133
5168	4194	-	974

(घ) तीन राज्यों में पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास की अनुमानित लागत 2120.03 करोड़ रुपये (1996-97 मूल्य स्तर) है जिसकी तुलना में जून, 2004 तक 952.09 करोड रुपये की राशि खर्च की गई है।

खरीद जिम्मेदारियों का हस्तांतरण

3723. श्री चेंगरा सुरेन्दन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न की खरीद के अधिकार को भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.आई.) से लेकर किसी निजी एजेंसी को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त हस्तांतरण से भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को किस प्रकार क्षतिपूर्ति देने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय खेल 2005

3724. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2005 के राष्ट्रीय खेल असम में निर्धारित समय पर आयोजित किए जाएँगे;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि का आवंटन किया जाएगा तथा राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी जाएगी;

(ग) अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा खेलों के लिए वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) राष्ट्रीय खेल संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय ओलंपिक

संघ द्वारा राज्य ओलंपिक संघ को आबंटित किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने सूचित किया है कि खेल 12 से 23 नवम्बर, 2005 तक आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं।

(ख) से (घ) जहाँ तक राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का संबंध है, कोई विशिष्ट धनराशि आबंटित नहीं है। तथापि, सरकार की विद्यमान योजनाओं के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकार विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मांग सकती है।

सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए विभिन्न अवस्थापना परियोजनाओं के निर्माण के लिए संसाधनों के समाप्त न होने वाले केन्द्रीय पूल में से जारी करने के लिए 55.10 करोड़ रुपये की धनराशि के अनुमानों के लिए अपना अनुमोदन संप्रेषित कर दिया है। इसमें से 22.00 करोड़ रुपये की धनराशि असम राज्य सरकार को जारी की गई है।

सरकार ने असम सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान 8.83 करोड़ रुपये की लागत से खेल अवस्थापना के निर्माण को सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदित भी कर दिया है जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। असम सरकार को इस धनराशि का 25 प्रतिशत अपने हिस्से के रूप में पहले खर्च करना है।

विवरण

2000-2001 से 2004-2005 तक (18.8.2004 की तारीख के अनुसार) अनुमोदित असम की सरकारी परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम/स्थान	तारीख सहित सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित धनराशि	तारीख सहित जारी की गई धनराशि	शेष देय
1.	ललितचंद्र राजखोवा स्टेडियम जगद्वार टियोक जिला जोरहाट, असम	18.63 (3.10.2001)	-	18.63
2.	सोनारी, जिला शिबसागर में जिला खेल परिसर	144.43 (29.9.2003)	30.00 1.7.2004	114.43
3.	गोलाघाट जिला गोलाघाट में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-2	67.50 (29.9.2003)	-	67.50
4.	गुवाहाटी में जिला स्तरीय खेल परिसर	391.23 (29.9.2003)	-	391.23
5.	हाफ्लांग, जिला एन सी हिल्स में जिला खेल परिसर	109.58 (9.10.2003)	42.08 19.7.2004	67.50
6.	गोलाघाट, जिला गोलाघाट में डी.एल.एस.सी.	150.00 (29.7.2004)	-	150.00

कोलकाता में चीन के शिष्टमंडल का दौरा

3725. **श्री डी० नरबुला** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन के एक शिष्टमंडल ने कोलकाता की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिष्टमंडल, पश्चिम बंगाल में पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में पर्यटन क्षेत्र में किस सीमा तक निवेश का उपयोग किए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) पर्यटन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार युन्नान प्रोविंस के.मि.शाओ कुईवई, वाइस गर्वनर के नेतृत्व में 51 प्रतिनिधियों वाले एक चीनी शिष्टमंडल ने हाल ही में कोलकाता

की यात्रा की। उन्होंने 6 अगस्त, 2004 को ''इंडिया-चाइना बिजनेस कनक्लेव'' नामक एक सेमिनार में भाग लिया, जिसका आयोजन कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्री (सी आई आई) द्वारा किया गया। भारत और युन्नान, चीन के प्रोविंस के मध्य व्यापार एवं आर्थिक संबंध सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, सी आई आई और चाइना काउंसिल फॉर द प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (सी सी पी आई टी) के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सिंचाई योजनाएँ

3726. श्री ए.के. मूर्ति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या दो वर्ष पहले केन्द्र की सहायता से मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई त्वरित कार्यक्रम शुरू किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितनी योजनाएँ पूरी की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फरवरी, 2002 में फास्ट ट्रैक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई 5 परियोजनाओं/परियोजना घटकों को पूरा कर लिया गया है।

प्रोजेक्ट टाइगर

3727. श्री बी. विनोद कुमार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में ''प्रोजेक्ट टाइगर'' की स्थापना की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है;

(ग) क्या इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार ऐसी प्रत्येक परियोजना द्वारा हासिल सफलता का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) उन राज्यों की सूची, जहां बाघ रिजर्व स्थित है और इसके साथ ही पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक बाघ रिजर्व के लिए आवंटित की गई निधियां विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) बाघ परियोजना का उद्देश्य देश में बाघों की जीवनक्षम संख्या को सुनिश्चित करना और इनका रखरखाव करना तथा लोगों के शिक्षा लाभ और मनोरंजन के लिए जैविक महत्व वाले सदाबहार क्षेत्रों की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में रक्षा करना है। इस परियोजना के अंतर्गत बाघ रिजर्वों में बाघों की जीवनक्षम संख्या का सफलतापूर्वक रखरखाव किया जा रहा है, जैसा कि विवरण-II में इसका विवरण है। परियोजना बाघ रिजर्वों के रूप में राष्ट्रीय जैविक सम्पदा का सफलतापूर्वक संरक्षण कर रही है और इसलिए इसे वन्य जीवन संरक्षण के लिए रोल माडल माना गया है।

विवरण I

''बाघ परियोजना रिजर्वों'' वाले राज्यों की सूची और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आवंटित धनराशि

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत			(लाख रुपये)
		2001-02	2002-03	2003-04	चालू वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	21.10	21.00	22.89	शून्य
2.	बिहार	50.00	25.00	50.00	शून्य
3.	झारखंड	75.63	18.00	35.99	50.00
4.	केरल	50.00	63.75	120.68	40.00
5.	महाराष्ट्र	209.231	621.79	228.45	210.00
6.	मध्य प्रदेश	472.18	786.44	1103.40	330.00

1	2	3	4	5	6
7.	उड़ीसा	126.81	32.88	151.91	75.00
8.	उत्तरांचल	181.825	168.00	200.91	शून्य
9.	राजस्थान	170.319	294.92	158.33	75.00
10.	छत्तीसगढ़	35.00	32.48	80.25	शून्य
11.	उत्तर प्रदेश	67.40	32.75	173.585	105.50
12.	कर्नाटक	181.494	289.56	269.32	75.00
13.	पश्चिम बंगाल	142.176	168.33	225.17	110.00
14.	तमिलनाडू	16.00	125.00	35.00	शून्य
15.	असम	46.00	65.70	75.00	शून्य
16.	अरुणाचल प्रदेश	82.76	35.875	68.75	35.00
17.	मिजोरम	20.495	98.32	67.56	60.00

विवरण II

बाघ रिजर्वों में राज्यों द्वारा सूचित बाघों की संख्या

क्र.सं.	रिजर्व का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1995	1997	2001-02*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बान्दीपुर (कर्नाटक)	10	39	53	50	66	74	75	82
2.	कार्बेट (उत्तरांचल)	44	84	90	91	123	128	138	137
3.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	43	71	109	97	100	97	114	127
4.	मानस (असम)	31	69	123	92	81	94	125	651
5.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	27	63	80	77	72	71	73	73
6.	पलामू (झारखंड)	22	37	62	55	44	47	44	32
7.	रणथम्भौर (राजस्थान)	14	25	38	44	36	38	32	35
8.	सिम्लीपाल (उड़ीसा)	17	65	71	93	95	97	98	99
9.	सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल)	60	205	264	269	251	242	263	245
10.	पेरियार (केरल)	-	34	44	45	30	39	40	36
11.	सरिस्का (राजस्थान)	-	19	26	19	24	25	24	22
12.	बक्सा (पश्चिम बंगाल)	-	-	15	33	29	31	32	31
13.	इन्द्रावती (मध्य प्रदेश)	-	-	38	28	18	15	15	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश)	-	-	65	94	44	34	39	67
15.	नामदाफा (अरुणचल प्रदेश)	-	-	43	47	47	52	57	61
16.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	-	-	-	90	94	98	104	761
17.	कालाकड़ (तमिलनाडु)	-	-	-	22	17	16	28	27
18.	वाल्मिकी (बिहार)	-	-	-	81	49	एन आर	53	53
19.	पेंच (मध्य प्रदेश)	-	-	-	-	39	27	29	40
20.	ताड़ोवा (महाराष्ट्र)	-	-	-	-	34	36	42	38
21.	बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	-	-	-	-	41	46	46	56
22.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	-	-	-	-	25	22	22	31
23.	दम्फा (मिजोरम)	-	-	-	-	7	4	5	4
24.	पेंच (महाराष्ट्र)	-	-	-	-	-	10 (1994)	-	14
25.	भद्रा (कर्नाटक)	-	-	-	-	-	-	34	35
26.	पखुई-नामेरी (अरुणाचल प्रदेश-असम)	-	-	-	-	-	-	43 नामेरी	26 नामेरी
27.	बोरी-सतपूरा-पंचमारी (मध्य प्रदेश)	-	-	-	-	30	-	-	35
	कुल	268	711	1121	1327	1366	1333	1575	1576

*जांच की जा रही है।
एन आर—राज्य द्वारा सूचित नहीं किया गया।

कोस्टल शेल्टर बेल्ट पौधरोपण कार्यक्रम

3728. श्री परशुराम मांझी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में कोस्टल शेल्टर बेल्ट पौधरोपण कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है, और

(ख) योजना आरंभ होने के बाद से उड़ीसा तथा अन्य तटवर्ती राज्यों को राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा चुकी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पाण्डिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोस्टल शेल्टर बेल्ट पौधरोपण परियोजना कार्यान्वित की गई है।

(ख) उड़ीसा सहित ऊपर दिए गए राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता नीचे की सारणी में दी गई है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	रखरखाव के लिए 9वीं योजना में जारी धनराशि	रखरखाव के लिए 10वीं योजना में जारी धनराशि	कुल जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	184.96	-	184.96
2.	गुजरात	415.00	195.58	610.58
3.	कर्नाटक	42.65	-	42.65

1	2	3	4	5
4.	केरल	264.85	-	264.85
5.	उड़ीसा	607.25	321.13	928.38
6.	पाण्डिचेरी	20.12	-	20.12
7.	तमिलनाडु	184.55	75.62	260.17
8.	पश्चिम बंगाल	23.82	5	23.82
	कुल	1743.20	592.33	2335.53

राष्ट्रीय सहकारी नीति

3729. श्री तापिर गाव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने सहकारिताओं के बहुमुखी विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय नीति को गठन किया है। राष्ट्रीय नीति का बल सहकारिताओं के व्यवसायिक, प्रजातांत्रिक और स्वायत्तशासी क्रियाकलापों पर केन्द्रित है ताकि आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य संगठनों के रूप में उनका विकास हो सके जिससे उनके सदस्यों को विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में उन्नत पहुंच और सामूहिक कार्य के लाभ मिल सके। मददकर्ता के रूप में सरकार को सहकारी समितियों को आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है ताकि वे दिये गये उद्देश्य को महसूस कर सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टूना मछली की खोज

3730. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार टूना मछली की खोज के लिए वर्ल्ड टूना डेवलेपमेंट इंटरनेशनल के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति मांगी है तथा केन्द्र सरकार को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार को अनुमति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो अनुमति कब तक दे दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी संचालनों के लिए सरकार द्वारा जारी नवम्बर, 2002 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संयुक्त उद्यम पद्धति शामिल नहीं है। अत: प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

बायो-टेक कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों का क्लिनिकल परीक्षण

3731. श्री अतीक अहमद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बायो-टेक कंपनियां जेनेटिक अप्रूवल इंजिनियरिंग कमेटी (जी.ए.ई.सी.) से अनुमति लिए बिना मानवों पर अपने उत्पादों के क्लिनिकल परीक्षण कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे मामलों में कई मौतें हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है; और

(ग) सरकार ने बायो-टेक कंपनियों द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए क्या ठोस उपाय किए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) ऐसे कुछ मामले जेनेटिक इंजिनियरिंग अप्रूवल कमेटी के ध्यान में लाए गए हैं। ऐसे मामलों में जी.ई.ए.सी. की नीति को गुणदोष के आधार पर मामला-दर-मामला देखा जाता है। यदि किसी कम्पनी द्वारा जी जी.ई.ए.सी. की मंजूरी को जानबूझ

कर नजरअंदाज करने की कोशिश के प्रमाण मिलते हैं और इससे उसे अनुचित लाभ प्राप्त होते हैं तो मामले पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय कार्रवाई आरम्भ की जाती है। तथापि यदि कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता तो कार्य विधिक चूक जो जी.ई.ए.सी. द्वारा माफ किया जा सकता है। यह उल्लेख किया जाता है कि उत्पाद को बाजार के लिए प्राधिकृत करने से पहले उनकी सुरक्षा एवं प्रभावीकरण निर्धारित करने के लिए उनका क्लिनिकल परीक्षण आवश्यक है और इन परीक्षणों को ड्रग कन्ट्रोलर जलरल आफ इंडिया और ह्युमैन एथिक्स कमेटी के विधिवत अनुमोदन के साथ ड्रग एंड कास्मेटिक नियमावली, 1945 के अंतर्गत ड्रग कन्ट्रोलर जनरल आफ इंडिया द्वारा निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकोलों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। जी.ई.ए.सी. द्वारा इन सभी पहलुओं पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विचार किया जाता है।

(ग) पुन: संमिश्रित दवा उत्पादों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के साथ ही ड्रग एंड कास्मेटिक नियम 1945 के अंतर्गत खतरनाक सूक्ष्मजीवों/जेनेटिक इंजीनियई सूक्ष्मजीव या सैल के निर्माण, प्रयोग/आयात/निर्यात और भण्डारण नियमावली, 1989 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इन नियमों के उत्पाद का अनुसंधान, विकास, क्लिनिकल परीक्षण और वाणिज्यिक प्रयोग शामिल है। इन नियमों में नियमावली के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकरणों और ऐसे प्राधिकरणों के प्रशामन को भी परिभाषित किया गया है। प्री क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए विस्तृत मानदण्ड ड्रग एंड कास्मेटिक नियमावली 1945 की सूची "वाय" के अंतर्गत दिए गए हैं। बायोटैक्नोलोजी विभाग ने भी एक अच्छे क्लिनिकल अभ्यासों पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3732. डॉ. सत्यनारायण जटिया: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के परिकलन में किन घटकों को शामिल किया गया है;

(ख) विभिन्न प्रमुख शहरों के नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े क्या हैं;

(ग) परिकलन के लिए आधार वर्ष में किन वर्षों में परिवर्तन हुआ और उस समय के मूल्य सूचकांक का अधिकतम स्तर क्या था; और

(घ) गरीबी रेखा के लिए अधिकारिक रूप से निर्धारित अधिकतम आय के परिकलन तथ गरीबी रेखा के परिकलनों की आय के लिए अद्यतन मूल्य सूचकांक की तुलना में तत्कालीन मूल्य सूचकांक के अनुसार नवीनतम आधार वर्ष कब निर्धारित किया गया था?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए तीन कारक अर्थात् भारण रेखाचित्र, आधार मूल्य तथा वर्तमान मूल्य है।

(ख) औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय अद्यतन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) के साथ जून, 2004 के लिए चार महानगरों अर्थात् चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई के सूचकांक क्रमश: 512, 548, 583, 562 तथा 601 है।

(ग) आधार 1949=100 के साथ औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो जुलाई 1968 तक प्रचलन में था, की पुरानी शृंखलाओं के स्थान पर अगस्त, 1968 से आधार 1960=100 के साथ नयी शृंखलाओं को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। पुराने आधार (1949=100) पर जुलाई, 1968 में सूचकांक 213 था।

इसी प्रकार, 1960 की शृंखलाओं, जो सितम्बर, 1968 तक प्रचलन में थीं, के स्थान पर अक्टूबर, 1988 में जारी किये गये सूचकांक के साथ माह दिसम्बर, 1982 में आधार 1982=100 की नयी शृंखलओं को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। आधार 1960=100 पर सितम्बर, 1988 में सूचकांक 806 अंक था।

(घ) योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गयी गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर आधारित है, जैसा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए मानदंड निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 1973-74 में विद्यमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति उपभोग मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रतिमाह नियत किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 के. कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 के. कैलोरी प्रतिव्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता के मानदंड पर आधारित वस्तुओं तथा सेवाओं की जरूरत के अनुरूप है। जिस अद्यतन वर्ष के लिए आधिकारिक गरीबी रेखा उपलब्ध है वह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यय 327.56 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 454.11 रुपये के साथ 1999-2000 है।

1973-74 में राज्य विशेष के लिए गरीबी रेखाओं को बाद में वर्षों में प्रयोग हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खेतिहर श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करके कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा (अंतर्निहित) का निर्धारण व्यक्तियों के व्यय के श्रेणी-वार वितरण तथा अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी के अनुपात से किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी का अनुपात राज्य-वार गरीबी के अनुपात के भारित औसत के रूप में प्राप्त होता है।

राजस्थान में पर्यटन स्थलों का विकास

3733. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) द्वारा राजस्थान में पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए कोई योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के पास, राजस्थान में पर्यटक स्थलों के परिरक्षण और विकास के लिए कोई योजना नहीं है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम को राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं सौंपी हैं:-

परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	तक पूरी हो जाने सम्भावना
पुष्कर में घाटों का संरक्षण और पुन: विकास	2.61	मार्च, 2005
पर्यटक गंतव्य के रूप में मेवाड़ का विकास और चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	2.06	नवम्बर, 2004
कुम्भलगढ़ किला, कुम्भलगढ़ में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	1.95	मार्च, 2005

[अनुवाद]

कार्बनिक कृषि के लिए प्रकोष्ठ

3734. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ/विभागों द्वारा किन-किन कृषि तथा बागवानी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कुछ भागों में कार्बनिक कपास, तिल आदि की एग्रोसेल के नाम से खेती की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कार्बनिक कृषि उत्पादों के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण एजेंसी गठित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 2003-2004 के दौरान निर्यात किए गए कार्बनिक कृषि उत्पादों की कुल मात्रा कितनी है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जैव उत्पादों के उत्पादन, संवर्धन, विपणन विकास तथा प्रमाणन हेतु 'जैव कृषि संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' नामक एक नई स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग में एक जैव कृषि प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

(ख) ताजे और प्रसंस्कृत सब्जियों तथा फलों जैसे कई बागवानी उत्पादों तथा चाय, कॉफी, मसालों, कपास, तिलहनों और दलहनों, आदि को भी इस परियोजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

(ग) सरकार को ऐसी कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) घरेलू तथा निर्यात बाजारों के लिए जैव फार्म उत्पादों की जांच के लिए प्रमाणित और निरीक्षण एजेंसियां नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना के अन्तर्गत प्रावधान है। वर्तमान में एपेडा ने प्रत्यायन एजेंसी होने की वजह से निर्यात उद्देश्यार्थ जैव उत्पादों के प्रमाणन के लिए 6 प्रमाणन और निरीक्षण एजेंसियां नियुक्त की है।

(च) 2003-04 के दौरान निर्यात किए गए जैव उत्पादों की कुल मात्रा अनुमानत: 6792 मी. टन है जिसमें ताजे और प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, अखरोट, शहद, चाय, कॉफी, मसाले, मूंगफली तथा कपास सूत शामिल है तथा विदेशी मुद्रा में जैव उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य अनुमानत: 71 करोड़ रुपए हैं।

संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर

3735. श्री जसुभाई दानाभाई बारड : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में बेरोजगार लोगों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार बेरोजगार तथा अर्ध-नियोजित लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान किए गए नवीनतम पंचवर्षीय सर्वेक्षण से उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, देश में संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार जोकि वर्ष 1993-94 में लगभग 39.4 करोड़ था, 1999-2000 में बढ़कर 37.7 करोड़ हो गया। फिर भी, वर्ष 2000-2002 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार (नवीनतम उपलब्ध) में कमी का रुझान दिखाई देता है।

(ग) रोजगार एवं बेरोजगारी पर पिछला पंचवर्षीय सर्वेक्षण 1999-2000 के दौरान किया गया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मजदूरों के लिए आदर्श अस्पताल

3736. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मजदूरों को अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आदर्श अस्पतालों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अस्पतालों के निर्माण पर कितनी धनराशि के खर्च होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) सरकार श्रमिकों को अतिविशिष्ट उपचार उपलब्ध करने के लिए किसी मॉडल अस्पताल की स्थापना पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) से (ग)उक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मत्स्य आश्रय योजना

3737. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य आश्रय योजना के अंतर्गत 5000 मकानों के निर्माण हेतु 209.00 लाख रुपए के शेष केन्द्रीय हिस्से को जारी करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रथम किशत के रूप में 1.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और क्या शेष राशि प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या 34,875 लाख रुपए की शेष राशि को जारी करने के अनुरोध हेतु केन्द्र सरकार को 113.48 लाख रुपए की राशि का उपयोग प्रमाण-पत्र भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस राशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के तहत, कर्नाटक सरकार के लिए 1999-2000 में 1500.00 लाख रुपए की लागत से 5000 घरों की स्वीकृति दी गई थी जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 50:50 आधार पर वहन किया जाना था। राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर 750.00 लाख रुपए का केन्द्रीय अंशदान किश्तों में जारी किया गया है। कर्नाटक सरकार को 34.875 लाख रुपए की पिछली और अंतिम किश्त 8 जुलाई, 2004 को मंजूर की गई थी।

फार्म और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से पौधारोपण

3738. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के अनुसार वर्तमान औसत मृदाहानि प्रतिवर्ष 16 टन प्रति हेक्टेयर से

अधिक है जो कि सामान्य हानि की कम से कम तीन और पांच गुणा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन आवरण शुष्क और अर्धशुष्क भूमि में खाद्य उत्पादन हेतु मृदा और जल आधार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बंजर-भूमि वाली गरीब जनजातियों को स्व:सहायता वन उपयोगकर्ता समूह में संगठित करने के लिए पहचान की है ताकि उच्च गुणवत्ता वाली इमारती लकड़ी उगाई जा सके;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन करने हेतु फार्म और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से पौधारोपण करने हेतु गरीब जनजातियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु जनजातियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ऐसी कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं की है।

(ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रावधान हैं। यद्यपि, जनजातीय कार्य मंत्रालय में जनजातियों के लिए फार्म और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के लिए कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है, तथापि बागवानी का विकास, जल विभाजक (वाटरशेड्स) पारिस्थितिकी, पर्यावरण, वन और वन के निकट ग्रामों और मृदा और नमी संरक्षण, जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.टी.एस.पी.) के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियों में अनुमित गतिविधियां हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीमें जनजातियों सहित लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी प्रावधान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत सामाजिक वानिकी एक निदर्शी गतिविधि है।

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस. सी.ए.टी.एस.पी.) के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण दिया गया है।

विवरण

जनजातिय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातिय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जारी की गई निधियां

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई निधियां (लाख रुपये)			
		2001-02	2002-03	2003-03	2004-05 (18-08-04 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2732.80	2732.80	2459.52	1229.76
2.	असम	3058.99	3058.99	2753.09	1376.54
3.	बिहार	556.56	556.56	500.90	250.45
4.	गुजरात	3930.91	3930.91	3743.09	1768.91
5.	हिमाचल प्रदेश	643.53	643.53	612.79	289.59
6.	जम्मू और कश्मीर	971.94	971.94	925.50	437.38
7.	कर्नाटक	771.33	771.33	694.19	347.10
8.	केरल	273.70	273.70	260.62	123.17

1	2	3	4	5	6
9.	मध्य प्रदेश	7833.22	7833.22	7458.93	3524.95
10.	महाराष्ट्र	3723.83	3723.83	3351.45	1675.72
11.	मणिपुर	761.96	761.969	725.55	342.88
12.	उड़ीसा	6495.30	6495.30	6184.94	2922.88
13.	राजस्थान	3649.56	3649.56	3284.60	1642.30
14.	सिक्किम	108.02	108.02	102.86	48.61
15.	तमिलनाडु	323.32	323.32	290.99	145.49
16.	त्रिपुरा	1041.03	1041.03	991.29	468.47
17.	उत्तर प्रदेश	32.10	32.10	30.57	14.44
18.	पश्चिम बंगाल	2202.57	2202.57	1982.31	991.15
19.	झारखंड	5870.24	5870.24	5283.22	2641.61
20.	छत्तीसगढ़	4626.18	4626.18	4405.12	2081.78
21.	उत्तरांचल	92.91	92.91	88.47	41.81
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	230.85	200.85	0.00	0.00
23.	दमन और द्वीव	99.15	99.15	0.00	0.00
	कुल	50030.00	50000.00	46130.00	22364.99

जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3739. श्री सुग्रीव सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा राज्यों को क्या दिशा-निर्देश भेजे गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है, जिसमें केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वसूली, भण्डारण और ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है तथा राज्य उपभोक्ताओं की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए उनका वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं। पहाड़ी, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के प्रयोजनार्थ नियमित समीक्षा करना और सुधारात्मक उपाय शुरू करना सतत् प्रक्रिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं-

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने और इसे अधिक प्रभावकारी और जवाबदेह बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया था। आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन आपराधिक मामला बनता है।

(2) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से कहा गया है कि वे सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में उचित दर दुकानों के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के

लिए पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करें।

(3) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को देखने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान स्तरों पर सतर्कता समितियाँ गठित करें।

(4) उपभोक्ताओं के पास पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएँ कुशलतापूर्वक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा अपनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक मॉडल सिटीजन चार्टर जारी किया गया है।

(5) पहचान किए गए क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जाँच करने के लिए एक कार्यबल दल गठित किया गया है। कार्यबल दल द्वारा ध्यान में लाई गई कमियों/अनियमितताओं को संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है।

उपभोक्ता अदालतों की संख्या

3740. श्री कैलाश मेघवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विशेषकर राजस्थानों में कितनी उपभोक्ता आदलतें कार्य कर रही हैं और यह कहां-कहां हैं;

(ख) क्या इन अदालतों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इन अदालतों के कार्यकरण को सुचारू करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में उपभोक्ता मंचों की संख्या इस प्रकार है:-

(i) नई दिल्ली में अवस्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में अवस्थित 35 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।

(iii) जिला मुख्यालयों में अवस्थित 582 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच। देश में जिला मचों के राज्य-वार ब्यौरे और राजस्थान में उनकी अवस्थिति विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन उपभोक्ता मंचों में दायर कुल 23,32,935 मामलों में से 19,72,193 (84.54%)मामलों का निपटान कर दिया गया है जिसको संतोषजनक माना जाता है।

(घ) उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:-

(i) उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के आधार ढांचे को मजबूत करने के राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 61.80 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया गया;

(ii) राष्ट्रीय आयोग के जरिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों के कार्य की निगरानी की जाती है।

(iii) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों में अध्यक्ष/सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्परता से कदम उठाने और अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का पैनल तैयार रखने का अनुरोध किया गया है।

(iv) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में मुख्य रूप से उपभोक्ता मंचों की क्षमता का विस्तार करके, उनको अधिक शक्तियां देकर मजबूत करके, प्रक्रिया को सरल बनाकर तथा अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके शिकायतों के तुरत निपटान को सुकर बनाने के लिए 2002 में संशोधन किए गए।

(v) राष्ट्रीय आयोग की दूसरी खण्डपीठ स्थापित कर ली गई है जिसने 24 सितंबर, 2003 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

विवरण

(i) देश में जिला मंचों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला मंचों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25
2.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	13

1	2	3
4.	असम	23
5.	बिहार	37
6.	चण्डीगढ़	2
7.	छत्तीसगढ़	16
8.	दमण और दीव	1
9.	दादरा और नगर हवेली	1
10.	दिल्ली	9
11.	गोवा	2
12.	गुजरात	19
13.	हरियाणा	19
14.	हिमाचल प्रदेश	12
15.	जम्मू और कश्मीर	2
16.	झारखण्ड	22
17.	कर्नाटक	30
18.	केरल	14
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	45
21.	महाराष्ट्र	34
22.	मणिपुर	8
23.	मेघालय	7
24.	मिजोरम	8
25.	नागालैण्ड	8
26.	उड़ीसा	31
27.	पांडिचेरी	1
28.	पंजाब	17
29.	राजस्थान	33
30.	सिक्किम	4
31.	तमिलनाडु	30
32.	त्रिपुरा	3
33.	उत्तर प्रदेश	70
34.	उत्तरांचल	13
35.	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	582

(ii) राजस्थान में जिला मंचों की अवस्थिति:

राजस्थान के 32 जिलों के जिला मुख्यालयों में 33 जिला मंच अवस्थित हैं, अर्थात् (1) अजमेर (2) अलवर (3) बांसवाड़ा (4) बारन (5) बाडमेर (6) भरतपुर (7) भीलवाड़ा (8) बीकानरे (9) बूंदी (10) चित्तौड़गढ़ (11) चुरू (12) दौसा (13) धौलपुर (14) डुंगरपुर (15) हनुमानगढ़ (16) झालवाड़ (17) जयपुर-1 (18) जयपुर-2 (19) जैसलमेर (20) जालौर (21) झुनझुनु (22) जोधपुर (23) करौली (24) कोटा (25) नागौर (26) पाली (27) राजसमुंद (28) सवाई माधोपुर (29) सीकर (30) सिरोही (31) श्रीगंगानगर (32) टोंक, और (33) उदयपुर।

दिल्ली के चिड़ियाघर में टिकटों की बिक्री में हेराफेरी

3741. श्री महेश कनोडीया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चिड़ियाघर में टिकटों की बिक्री में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) :(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि और पशुपालन क्षेत्र में रोजगार के अवसर

3742. श्री किरिप चालिहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और पशुपालन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने की भारी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आज तक प्रत्येक राज्य में इन क्षेत्रों में सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इरादा दसवीं योजना के शेष समय के दौरान इस दिशा में अपने प्रयास तेज करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कृषि और पशुपालन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की काफी संभावना है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन. एस.एस.ओ.) द्वारा रोजगार और बेरोजगारी के बारे में कराए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण (55वें चक्र का सर्वेक्षण 1999-2000) के अनुसार कृषि और संवर्गी क्षेत्र में लगे हुए कामगारों की अनुमानित संख्या 190.94 मिलियन थी। इसी सर्वेक्षण के अनुसार पशुपालन क्षेत्र में कामगारों की अनुमानित संख्या 19.37 मिलियन थी। दसवीं योजना में पांच वर्षों (2002-07) में 50 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें से वर्षा सिंचित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना, बागवानी एग्रीक्लिनिक बीज उत्पादन आदि के जरिए दसवीं योजना में कृषि क्षेत्र में 9.47 मिलियन रोजगार का सृजन होगा।

[हिन्दी]

रात्रि बाजार

3743. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को लुभाने के लिए सभी महानगरों में रात्रि बाजार स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) एक अनोखा भारतीय अनुभव सृजित करने के उद्देश्य से, भारतीय संस्कृति/कला/हस्तशिल्प तथा शापिंग के तत्वों को अभिमुख करते हुए रात्रि बाजारों की शुरूआत करने की योजना है। यह ध्यान रखा गया है कि रात्रि बाजार पारिस्थितिकी-मैत्रीपूर्ण होंगे और सतत् पर्यटन विकास पर आधारित होंगे। पहला रात्रि बाजार दिल्ली में शुरू करने की योजना है। इसके संकल्पना ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आई०सी०ए०आर० के क्रियाकलाप

3744. श्री के० सी० पलानिसामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में आई. सी. ए. आर. के क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई.सी.ए.आर. ने गत तीन वर्षों के दौरान धान और गन्ने के विकास हेतु कोई अनुसंधान/अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में कृषि और बागवानी उत्पादन में सुधार हेतु तमिलनाडु सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या आई. सी. ए. आर. को तमिलनाडु में अपने क्रियाकलापों हेतु केन्द्र सरकार से पर्याप्त धनराशि प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया) : (क) कृषि तथा संबद्ध विषयों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) की गतिविधियों को तमिलनाडु स्थित संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों तथा क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा चलाया जा रहा है। भा.कृ.अ.प. राज्य कृषि तथा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के जरिए कृषि शिक्षा देने में सहायता भी करती है। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में भा.कृ.अ.प. द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रौद्योगिकी के सुधार तथा अग्रपंक्ति के प्रदर्शन से संबंधित गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। विवरण में ब्यौरा संलग्न है।

(घ) जैसाकि उपरोक्त (क) और (ख) में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। कृषि अनुसंधान के प्राथमिकीकरण तथा पुनःअभिमुखीकरण के अनुसार योजना आयोग से आवंटित निधियां तमिलनाडु में परिषद की अनुसंधान, विस्तार तथा शिक्षा गतिविधियों को संचालित करने के लिए पर्याप्त हैं।

विवरण

तमिलनाडु में धान और गन्ने के विकास के लिए किए जा रहे कृषि अनुसंधान कार्यों का विवरण

धान : धान से संबंधित अनुसंधान कार्य अखिल भारतीय धान समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत 2 केन्द्रों नामतः आधुथराई और कोयम्बटूर में किए जाने हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के लिए चावल की जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण किस्मों/संकर किस्मों का विवरण निम्नलिखित है:

(i)	ए डी टी (आर) 45	सीधे बुआई और प्रत्यारोपण स्थितियों के लिए
(ii)	टी आर वाई (आर) 2	लवणीय और क्षारीय क्षेत्रों के लिए
(iii)	धनराशि	उथली निचली भूमि के लिए
(iv)	आर एच 204 (संकर किस्म)	सिंचित स्थितियों के लिए
(v)	सी ओ आर एच 2 (संकर किस्म)	सिंचित स्थितियों के लिए
(vi)	ए डी टी आर एच 1 (संकर किस्म)	सिंचित स्थितियों के लिए
(vii)	पी एच बी 71 (संकर किस्म)	सिंचित स्थितियों के लिए

गन्ना: तमिलनाडु राज्य में गन्ना अनुसंधान से संबंधित संगठन गन्ना सुधार, उत्पादन और संरक्षण के लिए मूलभूत, नीतिगत एवं संबद्ध अनुसंधान से संबंधित कार्य कर रहा है। इसे विकसित की गई आशाजनक प्रौद्योगिकियों के खेत परीक्षणों द्वारा पूरा किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने के विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं।

* तमिलनाडु राज्य में 15 चीनी मिलों के उन्नत किस्मों की 134.60 टन बीज सामग्री की आपूर्ति।

* गन्ना उद्यमियों के लाभ के लिए उत्तक संवर्धन से उत्पन्न सामग्री की आपूर्ति।

* बहु-स्थानिक परीक्षणों के लिए 96 को-केन्स की पहचान/विकास/आपूर्ति।

* पौद उगाने के लिए रोयां (फ्लफ) की सप्लाई और अनुसंधान केन्द्रों द्वारा वांछित जीनोटाईप का चयन।

* तमिलनाडु में कोयम्बटूर के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्में निम्नलिखित हैं: को 85004 को 86032 को 86249एको 87025 और 91010।

वृक्षों की तस्करी

3745. श्री के.एस. रावः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक वृक्षारोपण के अंतर्गत आने वाली वनभूमि के भूखंड वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई के बाद पट्टे पर दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिनांक 8 अगस्त, 2004 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पट्टेधारी व्यक्ति पट्टे का इस्तेमाल वन में वैध प्रवेश पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद पट्टे पर दी गई भूमि से बेकार लकड़ी और जड़ों को हटाने की आड़ में वृक्ष काट रहे हैं और उनकी तस्करी कर रहे हैं।

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा इस प्रकार कितने मूल्य के वृक्ष जब्त किए गए; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। उत्तरांचल राज्य के तराई क्षेत्र में वाणिज्यिक वृक्षारोपण, जैसे सफेदा तथा पोपलर के तहत आने वाले वन भूमि के कुछ भूखंडों को वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई के पश्चात दो से तीन वर्ष की लघु अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वानिकी पौधे जब तक खरपतवार का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ऊंचाई हासिल कर ले तब तक खरपतवार को दबाया जा सके।

(ख) 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की दिनांक 8 अगस्त, 2004 की रिपोर्ट के बारे में उत्तरांचल राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया गया है तथा यह वास्तविकता पर आधारित नहीं पाई गई। इस संबंध में 13.8.2004 को समाचार-पत्र में एक प्रत्युत्तर प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकार का अन्य कोई मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य/संघ शासित सरकारें वनों तथा वन्यजीव की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इस उद्देश्य से क्षति निवारण/नियंत्रण के लिए उनके कर्मचारियों द्वारा निरंतर चौकसी रखी जाती है।

बच्चों में उपभोक्ता जागरूकता

3746. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता कल्याण और सुरक्षा क्रियाकलापों के लिए बच्चों के स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी हां, सरकार ने देश में उपभोक्ता जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु वर्ष 2003-2004 के दौरान उपभोक्ता क्लबों की एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के उद्देश्य बच्चों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में यथा वर्णित उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, युवाओं में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की भावना पैदा करके उनको प्रेरित करना और देश में उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूत करना हैं। स्कीम के अनुसार किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध मिडिल/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज में एक उपभोक्ता क्लब स्थापित किया जाएगा और उसके न्यूनतम 50 सदस्य होंगे। प्रत्येक उपभोक्ता क्लब का प्रभारी संबंधित स्कूल का एक सक्रिय शिक्षक होगा। एक या भौगोलिक रूप से जुड़े हुए एक से अधिक जिलों में ऐसे उपभोक्ता क्लबों के एक समूह, जिसमें 20 से कम और 50 से अधिक उपभोक्ता क्लब नहीं होंगे, को एक समन्वय एजेंसी द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। किसी सुस्थापित शैक्षणिक संस्था, गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठन या व्यावसायिक निकाय को समन्वय एजेंसी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। प्रति स्कूल 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है।

(घ) उपभोक्ता क्लब स्कीम 2003-2004 में शुरू की गई थी। 2003-04 से जारी की गई मंजूरी के ब्यौरे (राज्य-वार) इस प्रकार है:

2003-2004		(लाख रुपए में)
दिल्ली	-	5.00
आंध्र प्रदेश	-	72.70
त्रिपुरा	-	02.70
2004-2005		
जम्मू व कश्मीर	-	15.30
पश्चिम बंगाल	-	40.00
महाराष्ट्र	-	50.00
उड़ीसा	-	05.00

तटीय विनियमन क्षेत्र के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन

3747. श्री अधीर चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय विनियमन क्षेत्र भारत के सर्वाधिक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1991 में लागू हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या अब सरकार का विचार तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर गैर-प्रदूषणकारी और सेवा उद्योगों को अनुमति देने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या पर्यावरणविदों ने सरकार से तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर विशेष आर्थिक जोन स्थापित न करने का अनुरोध किया है जिससे अंतर्देशीय औद्योगिक विकास और तटीय विकास के बीच का अंतर कम हो;

(घ) यदि हां, तो उनकी अन्य मांगों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारतीय तटों की सुंदरता को बचाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के दिनांक 21 मई, 2002 के संशोधन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों और विशेष आर्थिक क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में अन्य सेवा उद्योगों की स्थापना की पहले ही व्यवस्था है।

(ग) दिनांक 11 जनवरी, 2002 के प्रारूप संशोधनों में मांगे गए सुझाव/आपत्तियों के जवाब में संशोधनों के लिए जनसाधारण से प्राप्त सुझावों/आपत्तियों में साथ ही साथ तटीय विनियमन क्षेत्र के बाहर विशिष्ट आर्थिक जोन की स्थापना भी शामिल है।

(घ) दिनांक 11 जनवरी, 2003 की अधिसूचना में निहित प्रारूप संशोधनों को सभी सुझावों/आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त दिनांक 21 मई, 2002 की अधिसूचना के तहत अंतिम रूप दिया गया है।

(ङ) समय-समय पर यथा संशोधित तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के उपबंधों को भारतीय तटों के सौन्दर्य की रक्षा के लिए लागू किया जाता है।

जनजातीय भूमि का संरेखण

3748. श्री सुरेश कुरूप:
श्री डी. विट्ठल राव:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 19 जुलाई, 2004 के "द हिंदू" में प्रकाशित समाचार के अनुसार तिरूवनंतपुरम वन क्षेत्रीय मंडल में 28 जनजातीय बस्तियों में फैली 500 हेक्टेयर जनजातीय भूमि का संरेखण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे बड़े पैमाने पर संरेखण को रोकने हेतु क्या उपाए किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) तिरूवनंतपुरम वन क्षेत्रीय मंडल में 500 हेक्टेयर जनजातीय भूमि के स्वामित्व परिवर्तन के संबंध में 19 जुलाई 2004 के "द हिंदू" में प्रकाशित समाचार तथ्यों पर आधारित प्रतीत नहीं होता। तथापि, इस मण्डल में पानीकाकाला और कोचुक्लिककोडु बस्तियों में 7.38 एकड़ भूमि के स्वामित्व परिवर्तन के ऐसे 20 मामले राज्य वन विभाग के ध्यान में आए हैं। यह स्वामित्व परिवर्तन अवैध है चूंकि आदिवासियों का भूमि पर स्वामित्व अधिकार नहीं है। जैसाकि राज्य वन विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि इन अवैध स्वामित्व परिवर्तन के पीछे मुख्य उद्देश्य पैसा प्रतीत होता है।

(ग) जिलाधिकारी को केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध और स्वामित्व परिवर्तित प्रत्यावर्तन) अधिनियम 1975 के अंतर्गत इस तरह की स्वामित्व परिवर्तित भूमियों को वापस कब्जे में लेने का अधिकार है।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

3749. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार देने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) :(क) व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, 4971 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र क्रमश: राज्य सरकारों/निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित किए जाते एवं चलाए जाते हैं।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) केंद्र सरकार का देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

30.6.2004 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सीट क्षमता सहित सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों की क्षेत्र-वार संख्या दर्शाता विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी औ.प्र.स. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी औ.प्र. केंद्रों की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ.प्र. सं/औ.प्र. केंद्र	कुल सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
1.	हरियाणा	80	13381	25	1428	105	14809
2.	हिमाचल प्रदेश	55	5377	8	932	63	6309
3.	जम्मू व कश्मीर	38	4332	0	32	38	4364
4.	पंजाब	109	14191	60	3516	169	17707
5.	राजस्थान	90	9072	33	2860	123	11932
6.	उत्तर प्रदेश	184	38596	124	12852	308	51448
7.	चंडीगढ़	2	1016	0	0	2	1016
8.	दिल्ली	14	9316	47	2084	61	11400
9.	उत्तरांचल	56	5928	16	1592	72	7520
	उप योग	628	101209	313	25296	941	126505
दक्षिणी क्षेत्र							
1.	आंध्र प्रदेश	91	23679	464	85282	555	108961
2.	कर्नाटक	118	19948	547	34608	665	54556
3.	केरल	82	15616	467	43785	549	59401
4.	तमिलनाडु	67	23772	614	61487	681	85259
5.	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
6.	पांडिचेरी	7	1256	8	440	15	1596
	उप योग	366	84367	2100	225602	2466	309969
पूर्वी क्षेत्र							
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	368	0	0	2	368
2.	असम	24	4536	3	84	27	4620
3.	बिहार	29	10496	23	3576	52	14072

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	झारखंड	14	2564	20	2244	34	4808
5.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
6.	मेघालय	5	622	2	320	7	942
7.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
8.	नागालैंड	3	404	0	0	3	404
9.	उड़ीसा	27	6720	150	15300	177	22020
10.	सिक्किम	1	140	0	0	1	140
11.	त्रिपुरा	4	416	0	0	4	416
12.	प. बंगाल	48	11924	16	900	64	12824
13.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	220	0	0	1	220
	उप योग	166	39244	214	22424	380	61668
पश्चिमी क्षेत्र							
1.	गोवा	11	2652	4	420	15	3072
2.	गुजरात	135	69508	119	16114	254	85622
3.	मध्य प्रदेश	136	19538	30	2604	166	22142
4.	छत्तीसगढ़	77	8536	56	5784	133	14320
5.	महाराष्ट्र	347	65694	266	29346	613	95040
6.	दादर व नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
7.	दमन व दीव	2	388	0	0	2	388
	उप योग	709	166544	475	54268	1184	220812
	कुल-योग	1869	391364	3102	327590	4971	718954

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि हेतु विशेषज्ञ पैनल

3750. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निधि के बेहतर प्रतिफल देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की धनराशि को जोखिम रहित निवेशों में लगाने हेतु मुद्रा प्रबंधन तकनीक सुझाने के लिए विशेषज्ञों का पैलन गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पैनल के कब तक गठित होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग)उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वन भूमि पर अतिक्रमण के कारण वन्य जीवों को खतरा

3751. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विभिन्न वनों में वन भूमि पर अतिक्रमण से संकटापन्न वन्य प्रजातियों के लिए खतरा पैदा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अतिक्रमण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पश्चिम बंगाल में 13834.536 हेक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण किया गया है जो विभिन्न वन्य जीवों की प्रजातियों के पर्यावास के लिए खतरा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 3.5.2002 के अपने पत्र संख्या 7-16/2002-एफ सी के द्वारा, सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को, वन भूमियों से अपात्र अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पश्चिम बंगाल में नेहरू युवा केन्द्र

3752. श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में नेहरू युवा कैंद्रों और इन केंद्रों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केंद्रों पर केन्द्र-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा किए गए कार्य और क्रियाकलाप क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में नए नेहरू युवा केंद्र खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के क्षेत्र-वार जिला नेहरू युवा केन्द्रों की व्यय की गई राशि के विवरण सहित सूची विवरण में दी गई है। एक जिला केन्द्र सम्पूर्ण जिले को कवर करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :

नियमित कार्यक्रम :

(1) युवा क्लब विकास कार्यक्रम

(2) खेल संवर्धन कार्यक्रम

(3) जागरूकता अभियान

(4) कार्यशाला और सेमिनार

(5) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(6) सांस्कृतिक कार्यक्रम

(7) कार्यशिविर

(8) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय दिवस/सप्ताह का आयोजन

(9) साहसिक संवर्धन कार्यक्रम

विशेष कार्यक्रम :

एड्स पर ग्रामीणों से बातचीत (वी.टी.ए.)

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के नेहरु युवा केन्द्रों की स्थिति और व्यय की गई राशि का विवरण

जिला केन्द्र और स्थिति	2001-02 रुपये	2002-03 रुपये	2003-04 रुपये
1	2	3	4
बारासत (24 उत्तर परगना)	1002482	1083064	789500
बर्धमान	8987920	981868	829736

1	2	3	4
मुर्शिदाबाद	760768	823849	822058
दार्जिलिंग	751901	829628	894211
बारुईपुर	696556	782400	755121
जलपाईगुड़ी	651423	653567	625905
मिदनापुर	1047153	850562	711632
पुरुलिया	722147	709918	705798
कोलकाता (उत्तर)	846788	1013661	914458
कूच बिहार	936498	814189	1031155
उत्तर दिंनाजपुर	613747	759848	674073
बांकुरा	709452	818179	690955
बीरभूम	616321	996821	751595
हुगली	901454	965950	829825
नाडिया	726345	885438	858015
हावड़ा	914527	1129696	969648
मालदा	650795	685555	701098
*दुर्गापुर (वर्धमान 2)	706162	750222	534309
डायमंड हार्बर (24 दक्षिण परगना)	984566	1534474	1352958
तमलुक	736166	644045	878953
कोलकाता	766582	1005076	1011772
रघुनाथपुर (पुरुलिया)	623124	707017	526002
कुल	17263877	19425027	17858777

* दुर्गापुर केन्द्र 2004-05 के दौरान दक्षिण दिनाजपुर में स्थानान्तरित हो रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में गोल्फ कोर्स और पर्यटन परिसर की स्थापना

3753. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानक के गोल्फ कोर्स और पर्यटन परिसर की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) इस संबंध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु सोसाइटियों को वित्तीय सहायता

3754. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज तक गठित पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण सोसाइटियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) देश में अब तक 307 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण सोसायटियों का गठन किया गया है। राज्य-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान इनको प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है।

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण को सोसाइटियों द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. पशु कल्याण को प्रोत्साहन।
2. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण।
3. जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा पशुओं से संबंधित इसी तरह के अन्य अधिनियमों के तहत अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना।
4. आश्रय स्थलों एवं इनके रखरखाव के लिए आधारिक संरचना का प्रावधान।
5. व्यथित पशुओं के लिए एम्बूलेन्स सेवा का प्रावधान।
6. आवारा कुत्तों का बन्ध्यीकरण एवं टीकाकरण।
7. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं की देखभाल।
8. पशु चिकित्सालयों/मोबाइल क्लीनिकों का रखरखाव।
9. पशु कल्याण एवं जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण के बारे में आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मानवीय शिक्षा।

विवरण

देश में (राज्य-वार) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण सोसायटियों की कुल संख्या तथा गत तीन वर्षों के दौरान जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण सोसायटियों की कुल संख्या	जारी की गई धनराशि (लाख रुपए)		
			2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17	42.974	13.340	8.700
2.	असम	3	0.000	0.000	0.000
3.	बिहार	7	0.000	0.000	0.000
4.	दिल्ली	1	0.000	0.000	0.000
5.	गोवा	1	20.835	1.380	1.275
6.	गुजरात	6	6.980	9.247	2.450
7.	हरियाणा	17	0.750	0.200	0.500
8.	हिमाचल प्रदेश	7	0.00	7.100	0.590
9.	जम्मू व कश्मीर	2	2.00	10.214	0.950

1	2	3	4	5	6
10.	झारखंड	1	0.000	0.000	0.000
11.	कर्नाटक	9	0.000	0.000	0.100
12.	केरल	12	0.250	0.450	0.750
13.	मध्य प्रदेश	29	0.000	0.100	0.000
14.	महाराष्ट्र	32	12.187	10.125	15.906
15.	मेघालय	2	0.000	0.000	0.000
16.	मणिपुर	2	0.000	0.000	0.000
17.	नागालैंड	1	0.000	0.240	0.000
18.	उड़ीसा	19	0.000	0.100	0.000
19.	पाण्डिचेरी	1	0.000	0.000	0.000
20.	पंजाब	17	0.638	0.200	0.000
21.	राजस्थान	26	1.750	0.770	0.250
22.	सिक्किम	1	15.399	0.000	11.250
23.	तमिलनाडु	24	4.875	5.860	4.100
24.	त्रिपुरा	1	0.000	0.000	0.000
25.	उत्तरांचल	1	0.000	0.000	0.000
26.	उत्तर प्रदेश	64	12.562	0.620	0.800
27.	पश्चिम बंगाल	1	1.813	0.350	1.100
28.	दमन और दीव	1	0.000	0.000	0.000
29.	दादर व नगर हवेली	1	0.000	0.000	0.000
30.	चंडीगढ़	1	0.570	0.570	5.668

[अनुवाद]

मंगलौर मत्स्यग्रहण पत्तन

3755. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मंगलौर मत्स्यग्रहण पत्तन द्वितीय चरण हेतु कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 144.67 लाख रुपए का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस राशि के कब तक जारी होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 75 लाख रुपए की लागत से मंगलौर स्थित मौजूदा मत्स्य बंदरगाह के चरण-2 के रूप में विस्तार के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को सितम्बर, 1997 में मंजूरी दी थी। दिए गए विस्तार के अनुसार परियोजना को सितम्बर, 2003 तक पूरा किया जाना था। राज्य सरकार को परियोजना लागत की 50 प्रतिशत की केन्द्रीय हिस्सेदारी दो किश्तों में जारी की गई थी, 30 लाख रुपए की पहली किश्त जुलाई, 2000 में और 7.50 लाख रुपए की दूसरी किश्त जून, 2003 में जारी की गई थी। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित लागत अनुमान प्रस्ताव की जांच करने पर यह पाया गया है कि परियोजना में लागत बढ़ोत्तरी मुख्यत: अनुमोदित डिजाइनों से हटने, नई मदों/सुविधाओं को जोड़ने तथा अधिक निविदा लागत के कारण हुई है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह उक्त के लिए पर्याप्त औचित्य भेजें।

झींगे की मांग

3756. डा. एम. जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में टाइगर झींगे की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगे की विशेषत: जापान, यू.के. और अमेरिका में बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए और उच्च किस्म के झींगे का उत्पादन करने के तरीकों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जलकृषि के जरिए झींगा उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। कृषकों में सतत् झींगा पालन की संकल्पना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, कृषक सम्मेलनों, अभियानों इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है। रोग मुक्त झींगा पालन को सुनिश्चित करने के लिए नई कृषि प्रणालियों को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए झींगा फार्मों से उत्पादन में सुधार लाने के साथ-साथ पाले गए झींगा की गुणवत्ता में सुधार लाने के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा धनराशि दिया जाना

3757. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री विजय कृष्ण :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण प्रखण्ड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लड़के और लड़कियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्यों को धनराशि देता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दी गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं; और

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आवंटित धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के पास ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर लड़के और लड़कियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्यों को धन उपलब्ध कराने संबंधी कोई योजना नहीं है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं को एजेन्सी आधार पर कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत ब्लाक जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होती है।

1. अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट (ए.आई.आर.एस.टी.)
2. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव (एन.एस.एफ. डब्ल्यू.)
3. पूर्वोत्तर खेल महोत्सव (एन.ई.एस.एफ.)

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार एवं योजना-वार उपलब्ध करायी गई निधियों के ब्यौरे विवरण में हैं।

(ग) इन प्रतियोगिताओं से पता लगाये गये प्रतिभावान प्रशिक्षणार्थियों को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित खेल संवर्धनकारी योजनाओं में प्रवेश दिया जाता है:

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस.टी.सी.)
2. सेना बाल खेल कम्पनी (ए.बी.एस.सी.)
3. विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)
4. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)
5. उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)

वर्ष 2003-04 के दौरान, उपर्युक्त संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने पिछले राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल एवं एफ्रो-एशियाई खेलों सहित 1026 राष्ट्रीय पुरस्कार और 197 अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।

(घ) धनराशियों के दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में नहीं लाया गया है।

विवरण

1. गत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02 से 2003-04 तक के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट को निचले स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों को जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2001-02 (राशि रुपयों में)	2002-03 (राशि रुपयों में)	2003-04 (राशि रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	असम	1,50,000 (1999-2000)	-	3,00,000 (2001-02)
		3,00,000 (2000-01)		3,00,000 (2003-04)
2.	आंध्र प्रदेश	2,70,000 (1999-2000)		
3.	बिहार	1,50,000 (98-99)	2,40,000	2,40,000
		3,00,000 (2000-01)		
		2,40,000		
4.	हरियाणा		2,10,000	
5.	जम्मू व कश्मीर	3,00,000 (2000-01)	2,70,000	3,00,000
		2,70,000		
6.	हिमाचल प्रदेश	1,20,000	1,20,000	
7.	पंजाब		3,00,000	3,00,000
8.	अण्डमान व निकोबार			
9.	केरल	3,00,000 (1999-2000)	3,00,000	
10.	राजस्थान	3,00,000	3,00,000	3,00,000
11.	नागालैंड		1,50,000 (2001-02)	1,50,000
12.	गुजरात			
13.	सिक्किम			
14.	गोवा		1,50,000	2,10,000
15.	मध्य प्रदेश	3,00,000 (1999-2000)		
16.	उड़ीसा	3,00,000 (1999-2000)	3,00,000	3,00,000
		3,00,000		
17.	कर्नाटक		3,00,000	3,00,000

1	2	3	4	5
18.	त्रिपुरा	3,00,000	3,00,000	3,00,000
19.	तमिलनाडु	2,10,000	2,10,000 (99-2000) 2,10,000	2,10,000
20.	उत्तर प्रदेश	3,00,000 (2000-01) 3,00,000	3,00,000	3,00,000
21.	महाराष्ट्र	3,00,000 (2000-01)	1,80,000	
22.	मिजोरम			
23.	प. बंगाल			
24.	उत्तरांचल		1,80,000	2,70,000
25.	लक्षद्वीप		60,000	
26.	चंडीगढ़		60,000	
27.	छत्तीसगढ़	3,00,000		
28.	पांडिचेरी			3,00,000
	कुल	53,10,000	41,40,000	38,10,000

2. गत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02 से 2003-04 तक के लिए महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव को निचले स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

(राशि रुपयों में)

क्र.स.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	असम	2,59,000 (1999-2000)		2,09,000
2.	बिहार	2,74,000 (2000-01)	4,40,800 (2001-02)	4,46,000
3.	छत्तीसगढ़	1,45,600	1,45,600	
4.	गोवा			22,600
5.	हिमाचल प्रदेश	91,000	91,000	91,000
6.	हरियाणा	1,33,600		1,33,600
7.	जम्मू व कश्मीर	85,600		
8.	मध्य प्रदेश	4,68,000 (1999-2000) 3,32,800		

1	2	3	4	5
9.	मेघालय	40,360		
10.	राजस्थान	2,48,200	2,48,200 (2000-01)	2,48,200
11.	केरल	1,43,200 (2000-01)		
12.	उड़ीसा	2,88,000 (2000-01) 1,00,000	1,00,000	
13.	पंजाब		1,43,200	
14.	त्रिपुरा	45,000 (2000-01) 45,000	45,000	45,000
15.	कर्नाटक		1,96,000	
16.	प. बंगाल			
17.	मिजोरम			
	कुल	28,42,560	14,09,000	11,95,400

3. पूर्वोत्तर खेल महोत्सव

	2001-02	2002-03	2003-04
पूर्वोत्तर खेल महोत्सव के आयोजन के लिए जारी की गई वित्तीय सहायता	16.00 लाख रुपये	13.52 लाख रुपये	12.07 लाख रुपये

[हिन्दी]

निजी पर्यटक एजेन्सियां

3758. श्री के.सी. सिंह "बाबा": क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों की सूचना और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही निजी पर्यटक एजेन्सियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसी एजेन्सियां सरकार से लाइसेंस के अंतर्गत कार्य करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) सूचना विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) क्वालिटी, स्टैंडर्ड और सेवा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, पर्यटन विभाग, भारत सरकार की, अनुमोदित टूअर आपरेटर, ट्रेवल एजेंसी, पर्यटक परिवहन प्रचालक और साहसिक टूअर आपरेटर के रूप में, अलग-अलग श्रेणी में निर्धारित दिशा निर्देशों में दी गई शर्तों को उनके द्वारा पूरा करने की शर्त पर, मान्यता प्रदान करने की एक योजना है। यह एक स्वैच्छिक योजना है, जो सभी प्रामाणिक एजेंसियों के लिए खुली है।

विवरण

क्रम सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टूअर आपरेटर्स	ट्रेवल एजेंसीज	पर्यटक परिवहन आपरेटर्स	साहसिक टूअर आपरेटर्स
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	2	6	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
3.	असम	3	–	1	–
4.	बिहार	1	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–
6.	गोवा	4	1	2	1
7.	गुजरात	–	3	2	–
8.	हरियाणा	7	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4	1	–	–
11.	झारखंड	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	4	11	10	–
13.	केरल	14	2	17	–
14.	मध्य प्रदेश	1	1	2	–
15.	महाराष्ट्र	34	40	13	–
16.	मणिपुर	–	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–
19.	नागालैण्ड	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	3	–	–	–
21.	पंजाब	1	2	3	–
22.	राजस्थान	6	–	6	–
23.	सिक्किम	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	11	21	18	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	5	4	5	–
27.	उत्तरांचल	1	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	9	10	–	1
29.	अंडमान एवं निकोबार	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6
30.	चण्डीगढ़	-	1	3	-
31.	दादरा एवं नागर हवेली	-	-	-	-
32.	दमन एवं दीव	-	-	-	-
33.	दिल्ली	248	96	69	11
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
35.	पांडिचेरी	-	3	2	-
	कुल	358	199	159	13

[अनुवाद]

खतरनाक कचरा प्रबन्धन और सम्भलाई नियमों का कार्यान्वयन

3579. श्री अजय माकन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए खतरनाक कचरा प्रबन्धन और सम्भलाई नियमों के कार्यान्वयन के लिए आदेश पारित किया है और उन इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया है जिन्होंने इन नियमों के अंतर्गत अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में खतरनाक कचरा उत्सर्जित करने वाली सभी इकाइयों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उन्हें सूचीबद्ध किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली में बहुत छोटे आकार वाली इकाइयों को भी खतरनाक कचरा उत्सर्जित इकाइयों के तौर पर पहचाना गया है जबकि अन्य कई राज्यों में इसी प्रकार की छोटे आकार वाली इकाइयों की पहचान खतरनाक कचरा उत्सर्जित इकाइयों के तौर पर नहीं की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) खतरनाक कचरा उत्सार्जित करने वाली इकाइयों के क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(छ) क्या इस मानदण्ड को सभी राज्यों में एक समान रूप से लागू किया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के 1995 की रिट याचिका (सिविल) 657 के मामले में दिनांक 14.10.2003 के दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) संशोधन नियमावली, 2003 (खतरनाक अपशिष्ट नियमावली) के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट जनन की सूची बनाना अपेक्षित है और सूची रिपोर्टें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं। अब तक 13 राज्यों के अर्थात् राजस्थान, छतीसगढ़, हरियाणा, उत्तरांचल, झारखंड, केरल, गुजरात, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और 04 संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् पांडिचेरी, चण्डीगढ़, दमन एवं दीव, दादर नागर हवेली एवं दिल्ली की प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने खतरनाक अपशिष्ट जनन पर सूची तैयार कर ली है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार इनके सत्यापन और उनकी राष्ट्रीय सूची तैयार करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) और (ङ) खतरनाक अपशिष्ट नियमावली के उपबंधों के अंतर्गत लघु या बड़ी इकाइयों के बीच कोई अन्तर नहीं है। नियमावली के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट जनन करने वाली इकाइयां सूची-I और सूची-II में शामिल हैं; सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ऐसी खतरनाक अपशिष्ट जनन करने वाली इकाइयों को अभिनिर्धारित करना और सूची बनाना अपेक्षित है।

(च) और (छ) अपनाए जाने वाले मानदण्ड, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) संशोधन नियमावली, 2003 जिसका सभी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों

द्वारा एक रूप से अनुसरण और कार्यान्वयन किया जाना अपेक्षित है, के नियम-3(14) में परिभाषित हैं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

धान की खेती हेतु योजना

3760. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004 को अन्तर्राष्ट्रीय धान वर्ष के रूप में मनाने के लिए धान की खेती को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष योजना या परियोजना की परिकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में धान की खेती पर बल देने के लिए कोई "धान मानचित्र" तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार देश में चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष मानने के रूप में कई क्रियाकलाप कर रही है। इसमें विभिन्न राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के संबंध में जागरूकता, चावल दिवस एवं बैठकों आदि के आयोजन के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विचार-संगोष्ठी, सेमीनार, कानफ्रेन्स, प्रशिक्षण और प्रचार का आयोजन करके स्कूली बच्चों के लिए भारत में चावल पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और प्रतियोगिता का आयोजन करना शामिल है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान परियोजनाएं

3761. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 2002-03 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि क्षेत्र में धनराशि प्रदत्त अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक के लिए निर्धारित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए 2003-04 के दौरान कर्नाटक को कितनी राशि जारी की गयी है;

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान कर्नाटक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कितनी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी; और

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा कितनी तदर्थ परियोजनाओं को धनराशि दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे विरण-II में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान भा.कृ.अ.प. द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या वही है जो विवरण-II में दी गई है।

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान कर्नाटक सरकार की आर्थिक सहायता से भा.कृ.अ.प. में कोई तदर्थ परियोजनाएं नहीं है।

विवरण I

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/ परियोजना निदेशालयों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और उनके क्षेत्रीय केन्द्रों/अनुसंधान केन्द्रों की राज्यवार सूची

राज्य का नाम	संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का नाम	स्थान
1	2	3
अंडमान एवं निकोबार	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पोर्ट ब्लेयर
द्वीप समूह	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	पोर्ट ब्लेयर

1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	राजामुन्द्री
	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी	हैदराबाद
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद
	राष्ट्रीय तेल-ताड़ अनुसंधान केन्द्र	पेदावेगी
	राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद
	तिलहन अनुसंधान परियोजना निदेशालय	हैदराबाद
	चावल अनुसंधान परियोजना निदेशालय	हैदराबाद
	मुर्गी पालन अनुसंधान परियोजना निदेशालय	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना - शुष्क क्षेत्र कृषि	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना - ज्वार	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना - तम्बाकू	राजामुन्दी
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना - अलसी	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना - तिल और रामतिल	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना - कृषि मौसम विज्ञान	हैदराबाद
	नेटवर्क - आर्थिक पक्षी विज्ञान	हैदराबाद
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	एलूरू
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान	विजयवाड़ा
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान - ओ. आर. पी. केन्द्र	कांकिपडु
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान	गूंटूर
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	काकीनाडा
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	विशाखापत्तनम
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	काकीनाडा
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	विशाखापत्तनम
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	गूंटूर
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	जीलूगुमिल्ली
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	कंडुकूर

1	2	3
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	हैदराबाद
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कावूर
अरूणाचल प्रदेश	राष्ट्रीय याँक अनुसंधान केन्द्र	दीरांग
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	उ.पू.पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	पश्चिमी सियांग
असम	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	गेरूआ
	केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	बामरा
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	गुवाहाटी
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कोहिकुच्ची
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	जोरहाट
बिहार	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	पटना
	जल प्रबंध परियोजना निदेशालय	पटना
	राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केन्द्र	दरभंगा
	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र	मुजफ्फरपुर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय ताजा जल जन्तु संस्थान - ओ.आर.पी. केन्द्र	रांची
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	पटना
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	हजारीबाग
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	पूसा
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	रांची
	राष्ट्रीय पौध आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो	रांची
	गन्ना प्रजनन संस्थान	मोतीपुर
चण्डीगढ़	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	चण्डीगढ
छतीसगढ़	अ.भा.स.अ.प./नेटवर्क परियोजनाओं के उप केन्द्र	
	अ.भा.स.अ.प. - अरण्डी	रायपुर
	अ.भा.स.अ.प. - अलसी	

1	2	3
	अ.भा.स.अ.प. - तोरिया सरसों	
	अ.भा.स.अ.प. - मुलार्प	
	अ.भा.स.अ.प. - चावल	
	अ.भा.स.अ.प. - मक्का	
	अ.भा.स.अ.प. - अल्पदोहित पौधें	
	अ.भा.स.अ.प. - पुशु ऊर्जा का उपयोग (यू.ए.ई.)	
	अ.भा.स.अ.प. - कटाई के पश्चात प्रौद्योगिकी	
	अ.भा.स.अ.प. - कृषि वानिकी	
	अ.भा.स.अ.प. - फसल प्रणाली अनुसंधान	
	अ.भा.स.अ.प. - जल प्रबंध	
	अ.भा.स.अ.प. - खरपतवार	
	अ.भा.स.अ.प. - कृषि मौसम विज्ञान	
	अ.भा.स.अ.प. - मृदा, परीक्षण फसल अनुक्रिया	
	अ.भा.स.अ.प. - दीर्घ अवधि उर्वरक प्रयोग	
	अ.भा.स.अ.प. - ताड़	
	अ.भा.स.अ.प. - मसाले	
	अ.भा.स.अ.प. - काजू	
	अ.भा.स.अ.प. - सब्जी	
	अ.भा.स.अ.प. - एन.एस.पी.	
	अ.भा.स.अ.प. - खुम्बी	
	अ.भा.स.अ.प. - कंद फसलें	
	अ.भा.स.अ.प. - आलू	
	नेटवर्क कार्यक्रम-पशु उत्पादन में भ्रूण स्थानांतरण प्रोद्यौगिकी	
	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान	
	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	
	राष्ट्रीय बीज परियोजना फसलें (प्रजनक बीज उत्पादन)	
	नेटवर्क परियोजना - जनजातीय फसलें	
	कीट-कीटनाशी घटनाओं के विरुद्ध पारम्परिक अनाज भंडारण का मूल्यांकन एवं विकास	

1	2	3
	सीमित जल आपूर्ति के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का मूल्यांकन	
गोवा	गोवा के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	ऐला, ओल्ड गोवा
गुजरात	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र	जूनागढ़
	राष्ट्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौधे अनुसंधान केन्द्र	आनन्द
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – मूंगफली	जूनागढ़
	अखिल भारतीय समन्वित अनंसुधान परियोजना – औषधीय तथा सगंधीय पौधें	आनन्द
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	भुज
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	वडोदरा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	सूरत
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	वेरावल
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	वेरावल
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	वलसाड
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	आनन्द
	केन्द्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	गोधरा
	कृषि विज्ञान केन्द्र	
	दीसा, बनासकांठा	दीसा
	वघही, दांगस	वघही
	देवगढ़, बरिया, दहोद	दहोद
	देवराज (सोजित्रा), खेड़ा	देवराज (सोजित्रा)
	रंधेजा, गांधीनगर	रंधेजा
	अम्बेटी आश्रम, वलसाद	वलसाद
	बढ़ौच	बढ़ौच
	बड़ोदरा	बड़ोदरा
	सिद्धपुर, महसाना	महसाना
	मुन्दरा, कच्छ	मुन्दरा
	अमरेली	अमरेली
	साबरकांठा	साबरकांठा

1	2	3
	भावनगर	भावनगर
	सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर
	अहमदाबाद	अहमदाबाद
	जामनगर	जामनगर
	पाटन	पाटन
	पोरबन्दर	पोरबन्दर
	आनन्द	आनन्द
	दहोद	दहोद
	नवसारी	नवसारी
	नर्मदा	नर्मदा
हरियाणा	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	हिसार
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	करनाल
	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	करनाल
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	करनाल
	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (रा.डे.अ.सं. का हिस्सा)	करनाल
	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र	हिसार
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना -शुष्क फल	हिसार
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	करनाल
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-ब्लड प्रोटेस्टा	हिसार
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-भैंस	हिसार
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-मधुमक्खी	हिसार
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-लवण प्रभावित मिट्टियों और खारे पानी का उपयोग प्रबंध	करनाल
	देशी दुग्ध उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता	करनाल
	जल निकासी जल प्रबंधन पर इंडो-डच ओ.आर.पी.	करनाल
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	करनाल
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	हिसार

1	2	3
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	सिरसा
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	सिरसा
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	रोहतक
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	करनाल
	गन्ना प्रजनन संस्थान	करनाल
हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिमला
	राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र	सोलन
	अ.भा.स.अ.प.-सूक्ष्म जैविकीय विघटन	पालमपुर
	अ.भा.स.अ.प.-खुम्बी	सोलन
	अ.भा.स.अ.प.-आलू	शिमला
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	कुफ्री
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	गर्सा, कुल्लु
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	कुल्लु
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कटराइन
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	टुटीकंडी, शिमला
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थन	अमरतारा, शिमला
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	पालमपुर
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	पालमपुर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	शिमला
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	शिमला
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	लाहुल
जम्मू व कश्मीर	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान	श्रीनगर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	सापोर, श्रीनगर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	श्रीनगर
झारखण्ड	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान	रांची
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	रांची

1	2	3
कर्नाटक	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान	बंगलौर
	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र	पुत्तूर
	जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय	बंगलौर
	पशु रोग एवं निगरानी प्रबोधन परियोजना निदेशालय	बंगलौर
	अ.भा.स.अ.प.-उष्ण कटिबंधीय फल	बंगलौर
	अ.भा.स.अ.प.-पान	बंगलौर
	अ.भा.स.अ.प.-काजू	विट्टल
	अ.भा.स.अ.प.-गौण अनाज	बंगलौर
	नेटवर्क-कृषि एक्रोलोजी	बंगलौर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	बंगलौर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	करवाड़
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मंगलौर
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	हीरेहल्ली
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	विट्ठल
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	उत्तर कन्नड़
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	बेल्लारी
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	हंसुर
	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	चेत्ताहल्ली
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	भारतीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	बंगलौर
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	जामखंडी

1	2	3
केरल	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	कोचीन
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	कोचीन
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कासरगोड
	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	तिरूवन्नतपुरम
	केन्द्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान	कालिकट
	अ.भा.स.अ.प.–ताड़	कासरगोड़
	अ.भा.स.अ.प.–मसालें	कालिकट
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	एलप्पुजाह
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान ओ.आर.पी. केन्द्र	कोलमपरमबी
	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	नरक्कल
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	कालिकट
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	विझिंजम
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कयानकुलम
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	अपनगला
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	त्रिचूर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कन्नानौर
लक्षद्वीप	**क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र**	
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मिनीकॉय
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	मिनीकॉय
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	भोपाल
	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान	भोपाल
	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र	इंदौर
	राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र	जबलपुर
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.-फार्म उपस्कर मशीनरी	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.-मानव अभियांत्रिकी एवं सुरक्षा अध्ययन	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.-सूक्ष्म गौण पोषण	भोपाल

1	2	3
	अ.भा.स.अ.प.-पॉवर टिलर	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.-नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.-मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.-सोयाबीन	इंदौर
	अ.भा.स.अ.प.-पशु ऊर्जा का उपयोग	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.-खरपतवार नियंत्रण	जबलपुर
	अ.भा.स.अ.प.-सफेद सूंडी	दुर्गापुर
	आर एन ए एम-चरण-VI	भोपाल
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	होशंगाबाद
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान	अकोला
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान-ओ.आर.पी. केन्द्र	बालघाट
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	पावरखेड़ा
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संसीान	होशंगाबाद
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	ग्वालियर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	दतिया
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	इंदौर
	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	भोपाल
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	आई जी के वी, अम्बिका नगर
महाराष्ट्र	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	मुंबई
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	मुंबई
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	नागपुर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर
	राष्ट्रीय नीबू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र	नागपुर
	राष्ट्रीय द्राक्ष अनुसंधान केन्द्र	पुणे
	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र	गोधरा, नासिक
	अ.भा.स.अ.प.-कपास	नागपुर
	अ.भा.स.अ.प.-बाजरा	पुणे
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान-ओ.आर.पी. केन्द्र	बान्द्रा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	नागपुर

1	2	3
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	मुंबई
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मुंबई
	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पुणे
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	शोलापुर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	अकोला
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	अमरावती
मणिपुर	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	इम्फाल
	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर (क्षेत्रीय केन्द्र)	इम्फाल
मिजोरम	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर (क्षेत्रीय केन्द्र)	कोलासेब
मेघालय	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	बड़ापानी
	क्षेत्रीय केन्द/अनुसंधान केन्द	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिलांक
	उ.पू.पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	पश्चिमी गारो पहाड़ियां
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	शिलांग
नागालैण्ड	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र	झरनापानी
	उ.पू.पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर (क्षेत्रीय केन्द्र)	खन्नाख्रुरू
राष्ट्रीय राजधानी	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
क्षेत्र दिल्ली	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि संबंधी सूक्ष्मजीव ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय डी.एन.ए. फिंगर प्रिटिंग अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	मक्का अनुसंधान परियोजना निदेशालय	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि उप-उत्पाद	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि जल निकासी	नई दिल्ली

1	2	3
	अ.भा.स.अ.प.-शुष्क फलियां	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-जैविक नेत्रजन निर्धारण	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-सक्षम भूमि के लिए अभियांत्रिक नापतोल एवं जल प्रबंध	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-पुष्प विज्ञान	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-सूत्रकृमि	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-कुओं के जरिए भूजल का इष्टतम प्रयोग	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-कीटनाशी अपशिष्ट	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-कम प्रयोग और कम दोहित पौधें	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-गृह विज्ञान	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.-भारतीय मृदाओं का जुताई प्रबंध	नई दिल्ली
	समेकित कृषि विज्ञान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय बीज परियोजना	नई दिल्ली
	नेटवर्क स्कीम - सूक्ष्म पोषक तत्व	नई दिल्ली
	नेटवर्क स्कीम - भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी	नई दिल्ली
	इंडो-इजरायल प्रदर्शन परियोजना (भा.कृ.अ. संस्थान)	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.)	नई दिल्ली
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	ईसापुर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नई दिल्ली
उड़ीसा	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	भुवनेश्वर
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	कटक
	कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	भुवनेश्वर
	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र	भुवनेश्वर
	अ.भा.स.अ.प.-कंद वर्गीय फसलें	भुवनेश्वर
	खारे जल में पदार्थ अपघटन की प्रक्रिया एवं उपयोग पर ओ.आर.पी.	भुवनेश्वर

1	2	3
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थन	बुर्ला
	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	पुरी
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशें अनुसंधान संस्थान	बमरा
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कोरापुट
	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	कटक
पंजाब	केन्द्रीय कटाई के पश्चात की अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	लुधियाना
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	लुधियाना
	अ.भा.स.अ.प.-कटाई एवं कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	लुधियाना
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	लुधियाना
	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	नाभा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	लुधियाना
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	जालंधर
	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	लुधियाना
राजस्थान	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जोधपुर
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	अविकानगर
	राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर
	राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसों अनुसंधान केन्द्र	भरतपुर
	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र	अजमेर
	अ.भा.स.अ.प.-भेड़	अविकानगर
	अ.भा.स.अ.प.-बाजरा	जोधपुर

1	2	3
	अ.भा.स.अ.प.-तोरिया एवं सरसों	भरतपुर
	अ.भा.स.अ.प.-कृंतक नियंत्रण	जोधपुर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	पाली
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जैसेलमेर
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	श्रीगंगानगर
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कोटा
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केन्द्र	अविकानगर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	आर.ए.यू.मंडौर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	उदयपुर
सिक्किम	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र	ताडोंग
	उ.पू.पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर (**क्षेत्रीय केन्द्र**)	गंगटोक
तमिलनाडु	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	चेन्नई
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कायम्बटूर
	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र	तिरूचिरापल्ली
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	कायम्बटूर
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मंडपम
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	तुतीकोरिन
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	चेन्नई

1	2	3
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	उधगमंडलम
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	कोडीकनाल
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	मन्नावुनुर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	उदगमंडलम
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	वेदासुंडर
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	वेलिंग्टन
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अदुतुरइ
त्रिपुरा	क्षेत्रीय केन्द/अनुसंधान केन्द्र	
	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	लम्बूचेरा
उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	मखदूम
	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान	लखनऊ
	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान	कानपुर
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	लखनऊ
	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान	वाराणसी
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	लखनऊ
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	झांसी
	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का हिस्सा	इज्जतनगर
	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र	झांसी
	फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय	मोदीपुरम
	मवेशी अनुसंधान परियोजना निदेशालय	मेरठ
	खुरपका एवं मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय	इज्जतनगर
	अ.भा.स.अ.प.-चना	कानपुर
	अ.भा.स.अ.प.-गैस्टोइनटैस्टीनल पेरासाइटिज्म	इज्जतनगर

1	2	3
	अ.भा.स.अ.प.-बकरी	मखदूम
	अ.भा.स.अ.प.-हीमोरहैजिक सेप्टिसीमिया	इज्जतनगर
	अ.भा.स.अ.प.-गुड़ एवं खांडसारी	लखनऊ
	अ.भा.स.अ.प.-सूअर	इज्जतनगर
	अ.भा.स.अ.प.-अरहर	कानपुर
	अ.भा.स.अ.प.-दालें (मूलार्प)	कानपुर
	अ.भा.स.अ.प.-गन्ना	लखनऊ
	अ.भा.स.अ.प.-सब्जी अनुसंधान	वाराणसी
	अ.भा.स.अ.प.-दियाराभूमि सुधार प्रबंध	मोदीपुरम
	अ.भा.स.अ.प.-उपोष्ण फल	लखनऊ
	अ.भा.स.अ.प.-चारा फसलें	झांसी
	सब्जी बीज परियोजना (राष्ट्रीय बीज परियोजना)	वाराणसी
	नेटवर्क योजना - फसल आधारित पशु उत्पादन प्रणाली	झांसी
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	इलाहाबाद
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान-ओ.आर.पी. केन्द्र	इलाहाबाद
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	चिन्हट
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	मोदीपुरम
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	प्रतापगढ़
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	आगरा
	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	
	चन्द्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	कानपुर
	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	फैजाबाद
	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	मोदीपुरम, मेरठ
	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थान	वाराणसी

1	2	3
उत्तरांचल	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	देहरादून
	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अल्मोड़ा
	राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र	भीमताल (नैनीताल)
	परियोजना निदेशालय-खुरपका तथा मुंहपका रोग	मुक्तेश्वर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान	मुक्तेश्वर
	राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र	चम्पावत
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	भुवाली
पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर
	राष्ट्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	कोलकाता
	अ.भा.स.अ.प.-पटसन	बैरकपुर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मालदा
	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	कोलकाता
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	रहारा
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	कल्याणी
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान-ओ.आर.पी. केन्द्र	कोलकाता
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	कोलकाता
	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	काकद्वीप
	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान	मालदा
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	जलपाइगुड़ी
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	बुदबुद
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	केनिंग टाऊन
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	दिनहाटा

1	2	3
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कलिमपोंग
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	कोलकाता
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	कोलकाता
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	कल्याणी
	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान संस्थान	दार्जिलिंग

रा.अ.के. राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र
प.नि. परियोजना निदेशालय
अ.भा.स.अ.प. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

विवरण II

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान अंतिम व्यय/जारी की गई राशि और कर्नाटक राज्य में स्थित भा.कृ.अ.प. की अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण

		जारी राशि/ अंतिम व्यय
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर	1748.81
राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान	बंगलौर	480.20
राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र	पुत्तूर	232.84
जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय	बंगलौर	163.12
पशु रोग एवं मॉनीटरिंग निगरानी परियोजना निदेशालय	बंगलौर	39.37
अ.भा.स.अ.प. परियोजना - उष्ण कटिबंधीय फल	बंगलौर	202.06
अ.भा.स.अ.प. परियोजना - पान	विट्ठल	62.00
अ.भा.स.अ.प. परियोजना - काजू	बंगलौर	58.09
अ.भा.स.अ.प. परियोजना - छोटे मोटे अनाज	बंगलौर	160.25
नेटवर्क - एक्रोलॉजी	बंगलौर	90.33

(भा.कृ.अ.प. किसी राज्य सरकार को निधि आवंटित नहीं करता है, फिर भी विभिन्न राज्यों में स्थित भा.कृ.अ.प. के संस्थानों को निधियां जारी की जाती हैं। चूंकि वर्ष 2003-04 के लिए वार्षिक लेखा संकलन प्रक्रिया के तहत है इसलिए अंतिम व्यय के आंकड़े ऊपर दिए गए हैं।)

राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों/जैविकीय वन क्षेत्रों की स्थापना

3762. श्रीमती अर्चना नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों/जैविकीय वन क्षेत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वन जीवन के संरक्षण के लिए अधिक राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जैविकीय वन क्षेत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें किन राज्यों में स्थापित किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत विद्यमान राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की विद्यमान श्रेणियों के अतिरिक्त सुरक्षित क्षेत्रों की दो अतिरिक्त श्रेण्यियों अर्थात्, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व का सृजन किया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) में सुरक्षित क्षेत्र कवरेज को वर्तमान लगभग 4.8 प्रतिशत से बढ़ाकर देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10 प्रतिशत तक करने का विचार किया गया है। इसकी प्राप्ति मुख्यत: संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों की स्थापना के माध्यम से की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जैव मंडल रिजर्वों के लिए पहचान किए गए कई संभावित स्थल संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकारों से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोधा किया गया है।

विवरण

जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के लिए संभाव्य स्थलों के रूप में पहचाने गए स्थलों की सूची

क्र. सं.	जैव मंडल रिजर्व का नाम	राज्य
1.	नामदफा	अरुणाचल प्रदेश
2.	थार मरुस्थल	राजस्थान
3.	लिटिल रन ऑफ कच्छ	गुजरात
4.	काजीरंगा	असम
5.	अंडमान के उत्तरी द्वीप समूह	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
6.	कोल्ड डेजर्ट	जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश
7.	सेसॉचालम	आंध्र प्रदेश
8.	चिन्तापल्ली	आंध्र प्रदेश
9.	अमरकंटक	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़
10.	कान्हा	मध्य प्रदेश
11.	अबुजमारह	छत्तीसगढ़
12.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप

खाद्यान्नों की अनुपलब्धता

3763. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम अपने लखीमपुर, असम स्थित डिपो में आवश्यक खाद्यान्न भंडार नहीं रख रहा है जिससे बाढ़ का संकट होने के बावजूद लखीमपुर और धीमाजी जिलों की ग्रामीण विकास एजेंसियों के लिए आपूर्ति प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उपयुक्त क्षेत्रों में मद-वार भंडार की स्थिति क्या है और खाद्यान्न की मांग के मुकाबले कितनी मात्रा में खाद्यान्न वितरित किया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और अन्य एजेंसियों पर कितनी मात्रा बकाया है; और

(ङ) लखीमपुर में पर्याप्त भंडार रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि लखीमपुर तथा धीमाजी में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में वर्तमान स्टॉक स्तर कम है तथापि भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार को लखीमपुर तथ धीमाजी के राजस्व जिलों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का स्टॉक उपलब्ध करा रहा है। न्यू बोंगाई गाँव में अपर्याप्त 'ट्रांस शिपमेंट' होने के कारण स्टॉक को 'मीटर गेज रेल' से भेजा जाता है और इनका संचलन सड़क मार्ग द्वारा भी अनुपूरति किया जाता है।

(ग) विवरण विवरण-I में दिया गया है।

(घ) विवरण विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) खाद्यान्नों की आपूर्ति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे तथा राज्य सरकार के साथ बराबर समन्वय बनाए रखा गया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटनों के प्रति राज्य सरकार के नामितियों को भारतीय खाद्य निगम के नागाँव स्थित जिला कार्यालय के तहत डिपुओं से स्टॉक उठाने की अनुमति देने के अलावा भारतीय खाद्य निगम जिला नागाँव से खाद्यान्नों की आपूर्ति भी की गई है।

विवरण I

वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान लखीमपुर और धीमाजा डिपुओं पर जारी किए गए खाद्यान्नों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(टन में)

भारतीय खाद्य निगम डिपो	जारी की गई मात्रा	
	2002-03	2003-04
लखीमपुर	67501	63017
धीमाजी	14709	11435

विवरण II

वर्ष 2002-03 और 2003-04 (31.7.2004 की स्थिति के अनुसार) के लिए उत्तरी लखीमपुर और धीमाजी जिलों हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के आवंटन और शेष बकाया को दर्शाने वाला विवरण

(टन मे)

वर्ष	राजस्व जिला	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कुल आवंटन	लम्बित शेष
2002-03	उत्तरी लखीमपुर	15532	3060
	धीमाजी	15828	0
2003-04	उत्तरी लखीमपुर	16014	14433*
	धीमाजी	19418	11044*

* 2003-04 की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 31.03.2005 तक वैध है।

अंडमान में आवश्यक वस्तुओं की कमी

3764. श्री मनोरंजन भक्त : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है;

(ख) क्या सरकार ने उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल सहित सभी आवश्यक वस्तुओं को वितरित/आपूर्ति करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालब में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में आवश्यक जिंसों की कोई कमी नहीं है।

(ख) से (घ) अण्डमान और निकोबाद द्वीप समूह प्रशासन ने उचित दर की दुकानों के जरिए मानदण्डों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केवल राशन कार्ड धारियों को वस्तुओं अर्थात् चावल, चीनी, गेहूँ और मिट्टी के तेल का वितरण करने के लिए पग उठाए हैं।

दालों और खाद्य तेल सहित अन्य सभी आवश्यक जिसें निजी व्यापारियों द्वारा बेची जाती हैं।

दलहन और तिलहन का भंडार

3765. श्री जुएल ओराम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तिलहन और दलहन का वर्तमान बफर स्टॉक कितना है;

(ख) क्या दलहन और तिलहन का 'बफर स्टॉक' घरेलू आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हां, तो दलहन और तिलहन की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) देश में खाद्य तेलों और दालों का कोई बफर स्टॉक नहीं रखा जाता। तथापि, दालों और तिलहनों का घरेलू उत्पादन उनकी घरेलू जरूरतों से कम है।

(ग) और (घ) तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार तिलहन और दालें उगाने वाले 14 प्रमुख राज्यों में 'तिलहन, दालें, ऑयल पॉम और मक्के के लिए समेकित स्कीम' नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत प्रजनक बीज की खरीद, फाउंडेशन बीज के उत्पादन, प्रामाणित बीज के उत्पादन और वितरण, बीज के वितरण, पौध संरक्षण रसायन का वितरण आदि के लिए सहायता दी जाती है। किसानों के बीच उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकीयों के संबंध में सूचना के प्रसार के लिए राज्य कृषि विभाग के जरिए ब्लॉक प्रदर्शन और समेकित नाशी कीट प्रबंधन प्रदर्शन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जरिए फ्रन्ट लाईन प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

इसके अलावा, जरूरतों को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

[हिन्दी]

रोजगार गारन्टी योजना

3766. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री नीतीश कुमार :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार गारन्टी योजना शुरू की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राज्यों के नाम क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र में निवेश में कमी

3767. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश में लगातार कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 में 20024 करोड़ रुपये से वर्ष 2000-01 में 19809 करोड़ रुपये तक कृषि में निवेश में कमी हुई है। जबकि, वर्ष 2001-02 में 20458 करोड़ रुपये से वर्ष 2002-03 में 21867 करोड़ रुपये तक कृषि में निवेश बढ़ा है।

(ग) और (घ) कृषि में निवेश को बढ़ाने के विचार से ताकि कृषि उत्पादन और उत्पादनकता में वृद्धि की जा सके, सरकार ने विशेष और प्राथमिकता के आधार पर स्थान देने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है:

– कर्ज के बोझ और उच्च ब्याज दर को सरल बनाकर तीन वर्षों में ग्रामीण क्रेडिट को दुगुना करना;

– शुष्क भूमि कृषि, बागवानी उत्पादन और जल प्रबन्धन का संवर्धन;

– अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्थाओं का सृजन;

– उचित एवं लाभकारी मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए कृषक उत्पाद को बाजार समर्थन;

– विभिन्न कृषि और बागवानी उत्पादन कार्यक्रम के तहत किसानों को सहायता;

– प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले उत्पादन क्षति के बदले फसल बीमा।

[अनुवाद]

नेहरू युवा केन्द्र

3768. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी :**
श्री संतोष गंगवार :
श्री देविदास पिंगले :
श्री विष्णु देव साय :
श्री कुलदीप बिश्नोई :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान, देश में नेहरू युवा केन्द्रों को राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कुछ नए नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और स्थान क्या हैं;

(घ) इन केन्द्रों द्वारा की गयी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में ये किस प्रकार कार्य कर रहे हैं;

(च) क्या इन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ज) क्या इन केन्द्रों ने उनको सौंपे गए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार युवा मामले की परिवर्तित पृष्ठभूमि के मद्देनजर इन केन्द्रों के कार्यकरण को आमूल-चूल ढंग से परिवर्तित करने का है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान इन केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ की गई थी।

नियमित कार्यक्रम:

युवा क्लब विकास कार्यक्रम

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

जागरूकता अभियान

कार्य शिविर

खेल संवर्धन कार्यक्रम

कार्यशालाएं और संगोष्ठियाँ

सांस्कृतिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस/सप्ताह का आयोजन

साहसिक संवर्धन कार्यक्रम।

विशेष कार्यक्रम:

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - एक ग्रामीण युवा पहल

कश्मीरी ग्रामीण युवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

पूर्वोत्तर स्कूली छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम

उत्सव पूर्वांचल।

(ङ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन पूरे देश में ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए स्थापित 500 जिला नेहरू युवा केन्द्रों के नेटवर्क के साथ निचले स्तर का सबसे बड़ा संगठन है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों/गतिविधियों को प्रशिक्षित जिला युवा समन्वयकों, राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों और 230600 युवा क्लबों/महिला मंडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

(च) और (छ) जी, हां। समय-समय पर निरीक्षण, रिपोर्टों, विवरण के माध्यम से इन केन्द्रों के कार्य निष्पादन का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। इन केन्द्रों का कर्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया है।

(ज) जी, हाँ।

(झ) ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ञ) जी, नहीं।

(ट) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2004-2005 के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी की गई धनराशि (रुपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11393500
2.	असम	8031300
3.	बिहार	14050500
4.	छत्तीसगढ़	2147800
5.	गुजरात	6535150
6.	हरियाणा	4969600
7.	हिमाचल प्रदेश	3788200
8.	झारखण्ड	4258600
9.	जम्मू व कश्मीर	4684900
10.	कर्नाटक	664600
11.	केरल	5065750
12.	मध्य प्रदेश	14691200

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	10373500
14.	मणिपुर	2798650
15.	मेघालय	1581250
16.	नागालैण्ड	2216950
17.	उड़ीसा	5764550
18.	पंजाब	4549900
19.	राजस्थान	9680500
20.	सिक्किम	1362400
21.	तमिलनाडु	10280650
22.	त्रिपुरा	1053550
23.	उत्तर प्रदेश	20866150
24.	उत्तरांचल	3246025
25.	पश्चिम बंगाल	6074700
26.	अरूणाचल प्रदेश	1263400
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1791100
28.	चण्डीगढ़	408850
29.	दिल्ली	989550
30.	गोवा	654700
31.	लक्षद्वीप	327850
32.	पांडिचेरी	990550
33.	मिजोरम	909550
34.	दादर व नगर हवेली	381850
35.	दमन व दीव	618700

विवरण II

वर्ष 2003-04 के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा की गई गतिविधियों की उपलब्धियों के ब्यौरे

नियमित कार्यक्रम

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लाभार्थी		
			पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6
1. युवा क्लब विकास कार्यक्रम					
2003-04	1500	1385	32663	12420	45083
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम					
2003-04	2000	6469	357732	135154	170886
3. जागरूकता अभियान					
2003-04	1500	4103	191191	81173	272366
4. कार्य शिविर					
2003-04	1500	1463	39509	7237	46746
5. खेलों का संवर्धन कार्यक्रम					
2003-04	1500	1812	315398	60920	376325

1	2	3	4	5	6
6. कार्यशालाएं और संगोष्ठियाँ					
2003-04	500	546	57328	41145	98473
7. सांस्कृतिक कार्यक्रम					
2003-04	1500	1814	333017	169627	502644
8. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और सप्ताहों का आयोजन					
2003-04	6000	10493	1086149	670024	1755173
9. साहसिक संवर्धन कार्यक्रम					
2003-04	1000	985	30858	7050	37908

वन्यजीवन और पक्षियों का संरक्षण

3769. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पक्षियों के संरक्षण के मद्देनजर उनकी गणना करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो पक्षियों की उन प्रजातियों के नाम क्या हैं जिन्हें पक्षी गणना में शामिल किया गया है;

(ग) वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीणों को वन्यजीवों के आतंक और आक्रमण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पक्षियों की सुरक्षा राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार इस प्रयोजन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। पक्षियों की नियमित गणना नहीं की जा सकती क्योंकि अधिकतर प्रजातियां स्थलीय एवं जलीय प्राकृतिक परितन्त्रों का उपयोग करते हैं तथा इनके वास स्थलों में मानव गतिविधियों के कारण क्षेत्रों में हुए संशोधनों के कारण से स्थानीय अथवा दूरस्थ स्थानों पर आश्रय ले लेते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा वन्यजीव सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:-

(i) वन्यजीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत जंगली जानवरों के शिकार तथा व्यावसायिक शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) जंगली पशुओं की कई दुलर्भ तथा संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल किया गया है इसके फलस्वरूप इन्हें उच्चतम दर्जे की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iii) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को संशोधित किया गया है और इसे और अधिक सख्त बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजा को बढ़ाया गया है। अधिनियम, वन्यजीवों के विरुद्ध अपराध में इस्तेमाल किए गए किसी भी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान रखता है।

(iv) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को, वन्यजीवों के विरुद्ध अपराध करने वालों को गिरफ्तार करने व उन पर मुकदमा चलाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(v) भारत सरकार ने वन्य जीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए देश के प्रमुख निर्यात व व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण के लिए क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(vi) राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(vii) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जनवरी 2002 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 अंगीकार की गई। योजना में देश में वन्यजीवों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए कार्यनीति की रूपरेखा दी गई है।

(viii) भारत सरकार, वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात के जैव विविधता संरक्षण और अवैध व्यापार के नियंत्रण से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों में एक हस्ताक्षरकर्ता है।

(घ) वन्य जीवों के आंतक और हमले से ग्रामवासियों को सुरक्षित करने के लिए किए गए उपयों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:-

(i) सुरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के साथ-साथ वास-स्थलों का सुधार।

(ii) एहतियाती उपाय अपनाने के लिए ग्रामवासियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना।

(iii) मानव जीवन तथा संपत्ति के लिए खतरा बन जाने वाले जंगली जानवरों का शिकार किए जाने के लिए वन्यजीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत प्रावधान।

(iv) वन्य पशुओं द्वारा मारे गए व्यक्तियों के संबंधियों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी।

खानों में बच्चों का शोषण

3770. श्री सीताराम सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 2004 के "हिन्दुस्तान" में "राजस्थान की खानों में काम करने वाले बच्चों का शोषण" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त खानों के स्वामियों और प्रबन्धन के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "राजस्थान की खानों में काम करने वाले बच्चों का शोषण" शीर्षक से "हिन्दुस्तान" में दिनांक 20.6.2004 को प्रकाशित खबर जयपुर के हैल्थ एनवायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट कंशर्टियम द्वारा प्रकाशित "टेलस ऑफ वो" नामक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें जोधपुर और मकराना क्षेत्र की खानों में बाल श्रम के बारे में लिखा गया है। कंशर्टियम द्वारा किए गए अध्ययन की अवधि और खानों और बच्चों के ब्यौरे रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं। इसलिए, इस संबंध में कोई खास कार्रवाई नहीं की जा सकी। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा नागौर और जोधपुर जिले के खानों के निरीक्षण के दौरान खानों में बच्चों के नियोजन का कोई मामला नहीं पाया गया। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों के प्रवर्तन को नियमित रूप से मॉनीटर करती हैं।

खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता

3771. प्रो० महादेवराव शिवनकर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों की कुल भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्यान्न खराब रख-रखाव के कारण नष्ट हुए हैं जिससे सरकार को घाटा हुआ है;

(ग) घाटे के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसे घाटे से बचने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है/तैयार करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 1.5.2004 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में उपलब्ध कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सामान्यतः ढके हुए भंडारण में खाद्यान्न क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। पीक वसूली अवधि के दौरान जहाँ कहीं ढकी हुई क्षमता तुरन्त उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ खाद्यान्नों को कभी-कभी वैज्ञानिक रूप से बनाई गई ढकी हुई और प्लिंथ (कैप) भंडारण में रखा जाता है। कभी-कभी कैप में भंडारित खाद्यान्न का कुछ प्रतिशत अप्रत्याशित वर्षा/बाढ़ चक्रवात आदि जैसी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान कैप के तहत भंडारित क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा और उनकी कीमत निम्नानुसार है:

वर्ष	कैप भंडारण में कुल क्षतिग्रस्त मूल्य स्टॉक (अनुमानित) (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2001-002	0.11	11.30
2002-03	0.13	13.64
2003-04	0.13	14.33

(घ) क्षति को न्यूनतम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण I

1.5.2004 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भांडागारण निगमों के पास उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता (ढकी/कैप) के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य का नाम	कुल भंडारण क्षमता (ढकी/कैप)		
	भारतीय खाद्य निगम	केन्द्रीय भण्डारण निगम	राज्य भांडागारण निगम
1	2	3	4
बिहार	4.89	0.92	2.26
उड़ीसा	6.25	1.88	4.06
पश्चिम बंगाल	10.48	6.26	2.62
सिक्किम	0.11	0.00	0.00
झारखंड	1.03	0.34	0.00
असम	2.60	0.47	2.58
अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.30	0.24	0.00
मणिपुर	0.18	0.00	0.00
नागालैण्ड	0.27	0.13	0.00
मिजोरम	0.18	0.00	0.00
मेघालय	0.19	0.00	0.11
दिल्ली	3.70	1.37	0.00
हरियाणा	24.11	4.59	20.48
हिमाचल प्रदेश	0.25	0.07	0.00
जम्मू व कश्मीर	1.03	0.00	0.00
पंजाब	94.77	8.11	72.75
चण्डीगढ़	1.36	0.14	0.00
राजस्थान	10.40	3.36	6.91
उत्तर प्रदेश	26.31	11.28	28.01
उत्तरांचल	2.03	0.76	0.00
आन्ध्र प्रदेश	33.71	13.40	22.62
केरल	5.46	1.19	1.88

1	2	3	4
कर्नाटक	5.63	4.21	6.58
तमिलनाडु	6.55	6.79	6.25
पांडिचेरी	0.42	0.14	0.00
गुजरात	5.30	5.97	1.52
महाराष्ट्र	15.43	13.32	11.60
गोवा	0.15	0.30	0.00
मध्य प्रदेश	5.82	6.78	11.41
छत्तीसगढ़	6.64	2.59	6.30
सकल जोड़	275.73*	94.61	207.94

*भारतीय खाद्य निगम की क्षमता में केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराए पर ली गई 14.04 लाख टन और राज्य भंडारण निगमों से किराए पर ली गई 71.25 लाख टन की क्षमता शामिल है।

विवरण II

(क) ढके हुए गोदामों में खाद्यान्न स्टॉक को सुरक्षित रखने के लिए किए गए उपाय:

1. भारतीय खाद्य निगम के गोदाम वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए हैं, जो मूषक और नमी रोधी हैं।

2. आवधिक जाँच और खाद्यान्नों के समुचित रख-रखाव के लिए योग्य और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित स्टॉफ को तैनात किया गया है।

3. स्टॉक को कीटों से मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से जन्तु-बाधा उपाय किए जाते हैं।

4. रोगनिरोधी और रोगहर उपचार के लिए प्रत्येक डिपु/भंडारण केन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में रसायनों को रखने का प्रबंध किया गया है।

(ख) कैप गोदामों में खाद्यान्न स्टॉक को सुरक्षित रखने के लिए किए गए उपाय :

1. स्टॉक को लकड़ी की क्रेटों पर रखा जाता है और विशेष रूप से तैयार की गई कम घनत्व वाले काले पॉलीथीन के कवरों से ढका जाता है, जो वाटरप्रूफ होते हैं, ताकि वर्षा से खाद्यान्नों की रक्षा की जा सके।

2. पॉलीथीन के कवरों को उचित रूप से बाँधने के लिए नाइलॉन की रस्सियाँ मुहैया कराई जाती हैं, ताकि तेज हवा आदि के दौरान कवरों को उड़ने से होने वाली क्षति को रोका जा सके।

3. कैप में भंडारण की मात्रा को कम करने के लिए पर्याप्त ढका हुआ स्थान बनाया जा रहा है।

4. पॉलीथीन कवरों, मोनोफिलामेंट जाल, कवर टेपों आदि को पहले ही खरीद लिया जाता है, ताकि कैप में रखे गए स्टॉक को मौसम के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

5. मौजूदा कैप भंडारणों की क्षेत्रीय/आंचलिक/मुख्यालय तथा मंत्रालय के दलों द्वारा की गई औचक जाँच के अतिरिक्त स्थानीय पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा आवधिक आधार पर भी अक्सर निरीक्षण किया जाता है।

6. खुले में भंडारित स्टॉक के निपटान को प्राथमिकता दी जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी

3772. श्री तथागत सत्पथी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्हा और पेंच स्थित थीम पार्क को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की वन और वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गयी है जैसाकि 26 जुलाई, 2004 के "द हिन्दू" में खबर प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संरक्षित क्षेत्रों में और इसके आसपास पर्यटकों के अत्यधिक बोझ से वन्यजीव और पारिस्थितिकीय संतुलन पर गंभीर खतरा उत्पन्न होगा;

(घ) यदि हां, तो इससे कितना खतरा उत्पन्न होगा; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा वहां पारिस्थितकी और वन्यजीव के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) :(क) और (ख) यद्यपि, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कान्हा तथा पेंच में थीम पार्क विकसित किए जाने संबंधी प्रस्ताव की रिपोर्ट मीडिया में आई है लेकिन इस मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव या आलोचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ)राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में पर्यटकों के दौरों की संख्या को उस क्षेत्र की वहन क्षमता के भीतर सीमित करने के लिए नियामक उपाय विद्यमान हैं ताकि पारिस्थितिकी और वन्यजीवों के खतरों के विरुद्ध सुरक्षा की जा सके। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में पर्यटन के विनियमन के उद्देश्य से राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, 2002 के दायरे में भीतर समय-समय पर मानकीय दिशानिर्देश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

अपर्याप्त भंडारण सुविधा

3773. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीद केन्द्रों के निकट अपर्याप्त भंडारण सुविधा के कारण खरीदे गए खाद्यान्नों को लंबी दूर तक ढोना पड़ता है;

(ख) यदि हां, भंडारण के लिए दूर स्थित स्थानों तक कितनी मात्रा में खाद्यान्न ढोया गया और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) सरकार द्वारा खरीद केन्द्रों के निकट गोदामों के निर्माण हेतु क्या कार्रवाई की गई और इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पार्कों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना

3774. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने हाथियों की मृत्यु संबंधी घटनाओं के मद्देनजर राष्ट्रीय पार्कों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और उन्हें पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए केन्द्र सरकार के पास कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात्, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास, बाघ परियोजना तथा हाथी परियोजना के तहत राष्ट्रीय उद्यानों में हाथियों सहित सभी जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक संचालन योजनाओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तथापि, पिछले कुछ वर्षो के दौरान हाथियों की मृत्यु के मद्देनजर राष्ट्रीय उद्यानों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा पर्यटकों के लिए उन्हें आकर्षक बनाने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण

3775. श्री उदय सिंह :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र ने राजधानी में डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी शीघ्र समीक्षा परिस्थिति की मांग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या वायु और वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दूसरे चरण के सुधार लाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यविधि अपनाई गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री: (क) और (ख) विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सी.एस.ई) ने 'एयर क्वालिटी गेन्स फ्रोम फर्स्ट जनरेशन रिफार्म्स एंड चैलेन्जेज ऑफ सेकेन्ड जेनरेशन प्रोब्लम्स इन दिल्ली'' पर जुलाई, 2004 में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में दिल्ली में डीज़ल पैसेंजर कारों के पंजीकरण में वृद्धि पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। सी.एस.सी. ने दर्शाया है कि 1998-99 से लेकर पेट्रोल कारों के 12 प्रतिशत की तुलना में इनमें 106 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी हुई है। कारों के कुल पंजीकरण में डीजल कारों की हिस्सेदारी 2003 में 16 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है जो 1999 में 4 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) सरकार ने अक्तूबर, 2003 में दिल्ली सहित चुनिंदा प्रमुख शहरों समेत देश के लिए ऑटो फ्यूल पॉलिसी तथा वायु और वाहन जनित प्रदूषण को कवर करते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए रोड मैप को अनुमोदित किया है।

(ङ) और (च) सेकेन्ड जेनरेशन के कुछ सुधारों में, जो क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है, सार्वजनिक यातायात योजनाएं, वाणिज्यिक डीजल तथा सी.एन.जी वाहनों के लिए केन्द्रीकृत वाहन निरीक्षण कार्यक्रम तथा गैर-गन्तव्य यातायात वाहनों का दिल्ली में बाई-पास के माध्यम से गुजरना शामिल है।

गन्ना अनुसंधान संस्थान

3776. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था जिसके लिए भवन निर्माण और अन्य कार्य पहले की पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संस्थान के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) इस संस्थान का कार्य शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) खाद्य मंत्रालय द्वारा मऊ में एक गन्ना एवं चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी।

(ख) से (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिनांक 1 जून, 2004 से राष्ट्रीय गन्ना एवं चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ से संबंधित समस्त चल और अचल परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक यूनिट राष्ट्रीय कृषि संबंधी महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो (एन.बी.ए.आई.एम.) नई दिल्ली को इस भवन में स्थापित किया गया है। ब्यूरो ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों की गुणवत्ता

3777. श्री राम कृपाल यादव :
श्री गिरिधारी यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच और रख-रखाव कार्य में लगे अधिकारियों की कमी/लापरवाही का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) समय पर निरीक्षण करने में असफल रहने, बिना निरीक्षण के प्रमाणपत्र जारी करने, अनुचित खाद्यान्न गुणवत्ता नियंत्रण उपाय करने और भंडारण प्रबंधन योजना की कमी के क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान अब तक किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सप्तकोषी और सनकोषी नदियों पर बांध का निर्माण

3778. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार और भारत सरकार ने सप्तकोषी और सनकोषी नदियों पर बांध के निर्माण के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर बिहार की नदियों और नदियों पर बांध निर्माण के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) भारत और नेपाल के बीच सप्तकोसी उच्च बांध बहुतउद्देश्यीय परियोजना तथा सनकोसी भंडारण व डाइवर्जन स्कीम का क्षेत्र अन्वेषण करने तथा संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए समझौता हुआ है। क्षेत्र अन्वेषण करने और संयुक्त डीपीआर तैयार करने के कार्य के लिए 17 अगस्त, 2004 को नेपाल में संयुक्त परियोजना कार्यालय खोला गया है।

(ग) और (घ) सप्तकोसी उच्च बांध बहुतउद्देश्यीय परियोजना और सनकोसी भंडारण-व-डाइवर्जन स्कीम के सम्बन्ध में क्षेत्र अन्वेषण करने तथा संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य 30 माह की अवधि में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। कमला और बागमती नदियों पर क्रमश: कमला एवं बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में नेपाल के साथ विचार-विमर्श भी जारी है।

मत्स्यन को लाभप्रद व्यापार बनाने हेतु उठाए गए कदम

3779. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल तेल के मूल्य में लगातार वृद्धि के मद्देनजर मत्स्ययन अब लाभप्रद व्यापार नहीं रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कुछ वर्षों से डीजल के मूल्य में वृद्धि ने मत्स्यन प्रचालन लागत को बढ़ा दिया है। घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मछली और मत्स्य उत्पादों के मूल्य वृद्धि से बढ़ी हुई प्रचालन लागत का प्रतिकरण हो गया है। तथापि, डीजल मूल्य में वृद्धि के कारण सरकार ने मछुआरों के हित में नौंवी योजना में एचएसडी तेल पर 0.35 रुपए प्रति लीटर की छूट को दसवीं योजना में बढ़ाकर 1.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया है।

पर्यटन विकास के लिए राज्यों को पैकेज

3780. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री डी० नरबुला :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु और अधिक पैकेज देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों द्वारा कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) उन राज्य सरकारों के नाम क्या है जिन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार के पास अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(घ) सरकार का विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक धनराशि और सुविधाएं प्रदान करने एवं उनके बीच विश्वास बहाल करने हेतु कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) पर्यटन का विकास मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय भी प्रत्येक वर्ष, उनके परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले दो वर्षों के दौरान, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान ली जाने वाली पर्यटन परियोजनाओं के अभिनिर्धारण की प्रक्रिया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से, प्रगति पर है।

(घ) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों हेतु सुविधाओं के सृजन हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में पर्यटकों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करें।

विवरण

वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान स्वीकृत की गई राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(रुपये लाखों में)

क्रं सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	1454.00	1091.44
2.	असम	12	1081.59	931.91
3.	अरुणाचल प्रदेश	11	1085.90	732.5
4.	बिहार	14	1524.42	1418.89
5.	छत्तीसगढ़	15	1313.00	462.50
6.	गोवा	3	37.26	35.26
7.	गुजरात	10	1117.63	874.95
8.	हरियाणा	24	1547.63	1190.23
9.	हिमाचल प्रदेश	34	961.64	845.38
10.	जम्मू व कश्मीर	8	989.38	984.47
11.	झारखण्ड	2	1109.00	774.6
12.	कर्नाटक	20	1835.15	1418.00
13.	केरल	17	1469.86	1394.01
14.	मध्य प्रदेश	28	1333.08	969.30
15.	महाराष्ट्र	18	1555.29	1460.83
16.	मणिपुर	3	87.68	27.35
17.	मेघालय	5	110.57	46.12
18.	मिजोरम	11	708.86	235.21
19.	नागालैण्ड	9	1071.50	544.23
20.	उड़ीसा	7	467.05	154.25
21.	पंजाब	5	119.00	26.9
22.	राजस्थान	27	2743.51	2510.45
23.	सिक्किम	21	1497.33	951.25

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	19	1898.82	1166.63
25.	त्रिपुरा	11	666.30	202.94
26.	उत्तरांचल	7	778.44	621.94
27.	उत्तर प्रदेश	10	1410.80	1211.26
28.	पश्चिम बंगाल	15	918.54	444.34
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	5	17.75	14.63
31.	दादर एवं नगर हवेली	2	8.07	6.46
32.	दिल्ली	31	3820.28	3671.15
33.	दमन एवं द्वीव	4	314.57	255.46
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	3	253.04	79.85
	जोड़	419	35306.94	26754.69

नौकरियां दिलाने से संबंधित अवैध गिरोह

3781. श्री किंजरपु येरननायडु : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में विदेशों में नौकरियां दिलाने से संबंधित अवैध गिरोह फल-फूल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो नौकरियां दिलाने से संबंधित ऐसे अवैध गिरोहों को रोकन हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा मुआवजा दिया जाना

3782. श्री काशीराम राणा :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी माननीय न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को न केवल बंद किया जाना चाहिए बल्कि उनको मुआवजा देने के लिए भी कहा जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त कदमों को उठाए जाने के पश्चात् क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने वैल्लोर सिटीजन फोरम बनाम भारत संघ एवं अन्य की रिट याचिका (सी) सं. 914/1991 में दिनांक 28.08.1996 के अपने आदेश में कहा है कि एहतिहाती सिद्धांत तथा प्रदूषक द्वारा अदायगी का सिद्धान्त देश के पर्यावरण कानून के भाग हैं और केन्द्र सरकार को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत तमिलनाडु राज्य के लिए एक प्राधिकरण के गठन का निर्देश दिया है। प्राधिकरण को उपर्युक्त दो सिद्धान्तों के कार्यान्वयन तथा प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषक उद्योगों के कारण पारिस्थिति/पर्यावरण को हुई क्षति का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को प्रदूषक उद्योगों से

पर्यावरण को हुई क्षति की बहाली की लागत के रूप में वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का निर्देश दिया।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायलय के आदेश की अनुपालना में, सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थिति एवं पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन करने तथा क्षतिपूर्ति के लिए व्यक्तियों एवं परिवारों को पहचानने हेतु तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकी क्षति (निवारण तथा क्षतिपूर्ति भुगतान) प्राधिकरण का गठन किया है। प्राधिकरण ने विस्तृत अध्ययन के पश्चात् प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति का निर्णय किया।

समेकित डेयरी विकास परियोजना

3783. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की समेकित डेयरी विकास परियोजना से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) इस समय, इस मंत्रालय में आईडीडीपी के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार व्यक्ति

3784. श्री बीर सिंह महतो :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं, विशेषकर वे जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हैं;

(ख) क्या उनको रोजगार प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) 1999-2000 के लिए उपलब्ध सूचनानुसार लगभग 5.3 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं जिनमें से लगभग 3.86 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में तथा 1.48 करोड़ शहरी क्षेत्र में हैं। इनमें से अधिकतर लोग यद्यपि कार्य कर रहें हैं, परंतु गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तथापि देश में सामान्य स्थिति आधार पर खुली बेरोजगारी लगभग 90 लाख थी।

(ख) और (ग) सरकार ने पूंजी-सृजक लोक निर्माण कार्यक्रम आरंभ करते हुए प्रत्येक निर्धन परिवार के कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए न्यूनतम दर पर प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों के रोजगार हेतु कानूनी गारंटी प्रदान करने की एक योजना की घोषणा की है।

[हिन्दी]

नई प्रौद्योगिकी प्रणाली

3785. श्री नीतीश कुमार :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसंधान और विकास में लगे किसी संस्थान को खाद्यान्नों और फसल उत्पादन के बाद के कृषि उत्पादों की हानि को रोकने के लिए नई प्रौद्योगिकी/प्रणाली की खोज का कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस तिथि को यह कार्य सौंपा गया;

(ग) देश में नई उन्नत प्रौद्योगिकी/प्रणाली के कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रौद्योगिकी/प्रणाली की खोज करने हेतु कोई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सस्योत्तर अभियांत्रिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना तथा केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल को खाद्यान्नों और फसल उत्पादन के बाद के कृषि उत्पादों की हानि को रोकने के लिए नई प्रौद्योगिकी/प्रणाली के विकास का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना अपने 34 सहयोगी केन्द्रों के जरिए फसल कटाई के बाद के नुकसानों को कम करने पर बहुस्थानिक क्षेत्रीय विशिष्ट अध्ययन करती है। फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अल्पावधि अनुसंधान परियोजनाएं भी कार्य कर रही हैं।

(ख) केन्द्रीय सस्योत्तर अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। (फसल कटाई के उपरान्त प्रौद्योगिकी) पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना वर्ष 1972 में शुरू की गई थी।

(ग) केन्द्रीय सस्योत्तर अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना तथा फसल कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के सहयोगी केन्द्रों ने कई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जिसका उपभोक्ताओं द्वारा प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा रहा है। खाद्यान्नों, तिलहनों तथा कृषि उत्पाद में फसल कटाई उपरान्त नुकसानों को कम करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु आगे अनुसंधान चालू है। इस क्षेत्र में विकसित प्रौद्योगिकी/उपकरण की सूची विवरण में संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

विवरण

विकसित उपकरण तथा प्रौद्योगिकियाँ

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी/उपकरण	सी आई पी एच ई टी/सी आई ए ई/ए आई सी आर पी परियोजनाओं के सहकारी केन्द्र में विकसित
1	2	3
(क)	**खेत स्तर की सफल प्रौद्योगिकियां**	
1.	सब्जियां धोने की मशीन	पी ए यू, लुधियाना
2.	सुपारी के लिए बैच टाईप ड्रायर	यू ए एस, बंगलौर
3.	कृषि अपशिष्ट फायर्ड ड्रायर	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
4.	टमाटर से जूस निकालने की मशीन	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
5.	मिर्च के बीज निकालने वाली मशीन	पी के वी, अकोला
6.	रैडियल हनी निकालने वाली मशीन	पी ए यू, लुधियाना
7.	पी के वी मिनी दाल मिल	पी के वी, अकोला
8.	सी आई ए ई दाल मिल	सी आई ए ई, भोपाल
9.	कृषि प्रसंस्करण केन्द्र	सी आई ए ई, भोपाल, पी ए यू, लुधियाना एवं यू ए एस, बंगलौर
10.	मूंगफली का पौड ग्रेडर	सी आई पी एच ई टी, लुधियाना
11.	लैक स्क्रैपर व ग्रेडर	सी आई पी एच ई टी, लुधियाना
12.	एवापॅरेटिव कूल रूम	सी आई पी एच ई टी, लुधियाना
13.	किन्नों का फल तुड़ाई उपरांत प्रबंधन	सी आई पी एच ई टी, लुधियाना
14.	टमाटर के लिए हानि कम करने वाली प्रौद्योगिकियां	सी आई पी एच ई टी, लुधियाना
15.	चावल के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम के गोदाम में संग्रहण क्षतियों का मूल्यांकन	सी आई पी एच ई टी, लुधियाना
16.	प्याज एवं लहसुन के खेत पर भंडारण ढांचा	सी आई पी एच ई टी, लुधियाना

1	2	3
(ख)	विकसित किए गए अन्य उपयोगी उत्पादन, प्रक्रियाएं एवं डेटाबेस	
1.	संग्रहित अनाज रोगाणुनाशियों के आधार पर पौध सामग्री	जी बी पी यू ए एंड टी, पंतनगर
2.	विभिन्न फसलों में फसल कटाई उपरांत की क्षतियों का मूल्यांकन	सभी केन्द्रों में
3.	विभिन्न क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों संबंधी डेटाबेस	सभी केन्द्रों में
4.	कम लागत वाला अनाज संक्रमण डिटैक्टर	सी आई ए ई, भोपाल
5.	संतरा और आलू के लिए वाष्पीकृत शीत संग्रह ढांचे	पी के वी, अकोला
6.	रौटरी स्क्रीन ग्रेन प्री-क्लीनर	पी ए यू, लुधियाना
7.	पैडी विन्नोवर	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
8.	दलहनों के लिए संग्रहण प्रौद्योगिकी	जे एन के वी वी, जबलपुर
9.	पान के पत्ते को शीघ्र ही रोगमुक्त करना	ओ यू ए टी, भुवनेश्वर
10.	ट्रोली व बैच टाइप ड्रायर	पी ए यू, लुधियाना
11.	पैडी हस्क फायर्ड फर्नेस	जी बी पी यू ए एंड टी, पंतनगर
12.	बीजों के लिए सौर ऊष्मा उपचार वाली मशीन	आर ए यू, उदयपुर
13.	इलायची का शुष्कक	यू ए एस, बंगलौर
14.	अर्गट-बाजरा पृथक्करण की प्रक्रिया	आर ए यू, उदयपुर
15.	सौर शुष्कक एवं पादप गृह	जी ए यू, जूनागढ़
16.	घरेलू धान उसनना यूनिट	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
17	खाद्यान्नों के सुरक्षित भण्डारण हेतु चित्तौड़ स्टोन की बिन	आर ए यू, उदयपुर
18.	उपयोगित बिटूमन ड्रम से कम लागत की बीज भण्डारण बिन	सी आई ए ई, भोपाल
19.	खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु जी आई शीट मैटल की बिन	सी आई ए ई, भोपाल
20.	भण्डारित अनाज के कीटों के असंक्रमण के लिए बायोगैस का प्रयोग	पी ए यू, लुधियाना
21.	सोयाबीन के दानों का सुरक्षित भण्डारण	सी आई ए ई, भोपाल
22.	अनाज सुरक्षा के रूप में एकोरस कैलेमस का प्रयोग	जे एन के वी वी, जबलपुर
23.	प्राकृतिक वायु वातन प्याज भंडारण की संरचना	सी आई ए ई, भोपाल
24.	अनाज सुरक्षा के लिए एक्टीवेटिड क्ले का प्रयोग	जे एन के वी वी, जबलपुर
25.	इनफ्रारेड बीज ट्रीटर	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
26.	बीज के लिए मैग्नेटिक ट्रीटर	पी के वी, अकोला
27.	शैल्फलाइफ बढ़ाने के लिए केले की पैकेजिंग	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
28.	आम की पैकेजिंग	जी ए यू, जूनागढ़

1	2	3
29	मूंगफली का स्ट्रीपर	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
30.	स्ट्रा के लिए अल्काली ट्रीटर	जी बी पी यू ए एंड टी, पंतनगर
31.	4-रोलर वाला गन्ने का क्रेसर	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
32.	नारियल का डिहस्कर	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
33.	कसावा का चीपर	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
34.	ज्वार के लिए पर्लर	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
35.	शक्ति चालित मूंगफली का छिलका उतारने वाला यंत्र	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
36.	धान उसनना प्रक्रिया	आई आई टी, खडगपुर
37.	खेत स्तर पर धान उसनना टैंक	सी आर आर आई, कटक
38.	हल्दी का सस्योत्तर प्रबन्धन	ओ यू ए टी, भुवनेश्वर
39.	मिनी दाल मिल	टी एन ए यू, कोयम्बटूर
40.	पैरों से चालित दाल मिल	जी बी पी यू ए एंड टी, पंतनगर
41.	चावल मिल बहि:स्राव के लिए ट्रिकिंग फिल्टर रिएक्टर	आई आई टी खडगपुर ; पी ए यू, लुधियाना

लुप्तप्राय पशु-पक्षी

3786. श्री जसवंत सिंह बिशनोई : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार पक्षियों और पशुओं की कितनी संकटापन्न प्रजातियां हैं;

(ख) क्या उनकी रक्षा हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पक्षियों सहित पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों का ब्यौरा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची- I से IV में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में दुर्लभ पक्षियों व पशुओं को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्य-जीवों और पक्षियों का शिकार प्रतिबन्धित किया गया है।

(ii) वन्य-जीवों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के संवेदनशील वास-स्थनों को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुछ प्रमुख नम भूमियों को भी रामसा स्थलों (साईट) और विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों (वर्ल्ड नेचुरल हेरीटेज साईट्स) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(iii) वन्य जीवों का अवैध शिकार और उनके उत्पादों का अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र की नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र की नियमित गश्तें लगाई जाती हैं। इस संबंध में अन्य प्रवर्तन अभिकरणों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग भी लिया जाता है।

(iv) वन्यजीवों की बेहतरी के लिए वैज्ञानिक तरीकों से वन्यजीव वासस्थलों का प्रबंधन किया जाता है।

(v) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(vi) विभिन्न प्रजातियों की संख्या की मानीटरी करने के लिए और विभिन्न प्रजातियों के स्व-स्थाने और बाह्य-स्थाने संरक्षण के लिए कार्यनीतियां विकसित करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान।

(vii) प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से फील्ड प्रबंधकों को वन्यजीव प्रबंधन तकनीकों की सूचना प्रदान करना।

(viii) वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

(ix) राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना, 2002-16 और वन्यजीव संरक्षण कार्यनीति, 2002 तैयार की गई और जनवरी, 2002 में अपनाई गई।

विदेश में भारतीय श्रमिक

3787. **प्रो. रासा सिंह रावत :**
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री वाई. जी. महाजन :
मो. मुकीम :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खाड़ी देशों सहित अन्य देशों में राज्य-वार कितने भारतीय श्रमिक कायर्श कर हैं;

(ख) धोखेबाज एजेंटों और श्रमिकों के अवैध उत्प्रवासन को रोकने हेतु सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार को अन्याय और शोषण के संबंध में श्रमिकों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) सरकार ऐसे आंकड़े नहीं रखती। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश में रोजगार के लिए उत्प्रवास अनुमति प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नवत है:

2003	–	4.66 लाख
2002	–	3.68 लाख
2001	–	2.79 लाख

(ख) सरकार अवैध उत्प्रवास के साथ कड़ाई से निपटती है। ऐसे सभी मामले पुलिस प्राधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं ताकि वे अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भी अनुरोध किया गया है कि वे पुलिस प्राधिकारियों को अवैध उत्प्रवास में लगे अपंजीकृत एजेंटों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के अनुदेश दें।

(ग) और (घ) विदेश में श्रमिकों के साथ अन्याय और शोषण संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर, भारतीय मिशन/स्थानीय एजेंटों से अनुरोध किया जाता है। निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित सरकारों/प्रायोजकों की सहायता से मामले को निपटाएं। यदि भर्ती एजेंट सरकार के निदेशों का पालन नहीं करते, तो उसके पंजीकरण को निलंबित/रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाती हैं। रोजगार शर्तों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नियोक्ताओं को 'अनुमोदन पूर्व श्रेणी'/काली सूची में डाल दिया जाता है।

वन्यजीवों के संरक्षण के लिए समिति का गठन

3788. **श्री देविदास पिंगले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए कोई विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार समिति में कुछ विशेषज्ञों को नियुक्त करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक उचित कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा के दीर्घावधि मुद्दों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-16) तैयार की है। इस प्रयोजनार्थ एक नई विशेषज्ञ समिति के गठन के बारे में विचार नहीं किया गया है।

असम में बराक और गेरुकामुख बांध

3789. **श्री राजेन गोहेन :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार बराक और गेरुकामुख बांधों पर चल रहे कार्य की स्थिति क्या है; और

(ख) असम में बराक और गेरुकामुख बांध परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) मणिपुर में बराक नदी पर

तिपाईमुख जल विद्युत बहुउद्देश्यीय परियोजना (1500 मेगावाट) को दिसम्बर 2002 के मूल्य स्तर पर आई डी सी सहित 5163.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02.07.2003 को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। चूँकि विद्युत को पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर भेजने की आवश्यकता होगी इसलिए संप्रेषण लागतों को जोड़ने के बाद इसे व्यावसायिक रूप में व्यवहार्य और विक्रय योग्य बनाने की दृष्टि से शुल्क को कम करने के संबंध में कदम उठाए गए हैं। इसी बीच, अभी हाल में नीपको को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी आकड़ों को अद्यतन करने सहित परियोजना स्थल के वास्ते क्षेत्र अध्ययनों को पूरा करने के लिए कहा गया है। इस परियोजना का निर्माण निवेश स्वीकृति की तारीख से 87 महीनों के अंदर किया जाना अपेक्षित है।

सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) गेरुकामुख के प्रतिप्रवाह पर असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है जिसे राष्ट्रीय जलविद्युत निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना को सितम्बर, 2010 में प्रारंभ किया जाना निर्धारित है। निम्नलिखित कार्यों के लिए ठेके दे दिए गए हैं और उनके लिए संसाधन जुटा लिए गए हैं।

(i) डायावर्जन टनेल्स, काफर बाँधों कंक्रीट ग्रैविटी बाँध, प्लंज पूल और कट आफ दीवार संबंधी सिविल कार्यों के लिए लाट (एस एस आई-1) ठेका देना।

(ii) हेड रेस टनेल (एच आर टी) इनटेक संरचनाओं, एच आर टी, सर्ज चैम्बर, प्रसेर शाफ्टस, टेल रेस चैनल, एडिट्स एण्ड सर्फेस पावर हाउस संबंधी सिविल कार्यों के लिए लाट (एस एस आई-2) ठेका देना।

गुजरात में मछली के उत्पादन में गिरावट

3790. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात में मछली के उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात में, विशेष रूप से सौराष्ट्र और कच्छ में मछली उत्पादन बढ़ाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राज्य में कुल मछली उत्पादन में कमी आयी है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(मात्रा टन में)

वर्ष	अन्तर्देशीय	समुद्री	कुल
2002-03	34267	743638	777905
2003-04	45479	609100	654579

यह कमी समुद्री मछली उत्पादन में गिरावट के कारण आयी है जिसे मुख्यत: पकड़ी गयी प्रति यूनिट मछली में कमी के कारण बताया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार कैप्चर और पाली गयी मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, सरकार समुद्री संसाधनों की भरपाई के उद्देश्य से मानसून अवधि के दौरान प्रतिवर्ष समुद्री मात्स्यिकी के लिए बंद मौसम भी क्रियान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

पर्यटन केन्द्र

3791. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में नए पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जहां सरकार पर्यटन केन्द्रों की स्थापना पर विचार कर रही है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्यमंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटक केन्द्रों का विकास मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय भी उनके परामर्श से, अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है। 2004-05 के दौरान ली जाने वाली पर्यटन परियोजनाओं के अभिनिर्धारण के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श की प्रक्रिया प्रगति पर है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002

3792. श्री लोनाप्पन नम्बाडन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 की विभिन्न पक्षों से, विशेषकर संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के मुद्दों पर कड़ी आलोचना हो रही है क्योंकि अधिनियम में एक विशेष खंड है जो जैव चोरी को प्रोत्साहित कर सकता है और देश के किसानों को अपने संसाधनों से दूर कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने परंपरागत जानकारी स्रोतों के दस्तावेज बनाने को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) अधिनियम के प्रावधानों विशेषकर जैव संसाधनों और उससे संबंधित परम्परागत ज्ञान से होने वाले लाभों की उचित और समान हिस्सेदारी से संबंधित उपबंधों का उद्देश्य हमारे आनुवंशिक संसाधनों पर मुक्त पहुंच कर प्रतिबंध लगाना और परस्पर सहमत शर्तों पर लाभ हिस्सेदारी व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। अधिनियम का कोई प्रावधान संयुक्त अनुसंधान को हतोत्साहित नहीं करता और जैव चोरी एवं देश के किसानों को उनके संसाधनों से दूर करने को प्रोत्साहित नहीं करता।

(ग) और (घ) सरकार ने परम्परागत ज्ञान के दस्तावेज बनाने के लिए संबंधित संस्थानों जैसे नेशनल इनस्टीच्यूट आफ साइंस, कम्युनिकेशन एंड इनफोर्मेशन रिर्सोसेज (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक संस्थान) और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साईंस के माध्यम से कदम उठाए हैं।

पारिस्थितिकीय दृष्टि से दलदली भूमि का संरक्षण

3793. श्री ए. साई प्रताप : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पारिस्थितिकीय दृष्टि से दलदली भूमि क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी अवधारणा को कोई सांविधिक प्रावधान के रूप में तैयार कर रही है जैसा कि 5 जुलाई, 2004 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र की सीमा कितनी है; और

(घ) यह प्रस्ताव कब तक लागू होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं। 5 जुलाई, 2004 के 'हिन्दू' में दी गई खबर के अनुसार पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों के संरक्षण के पहलू को कोई वैधानिक व्यवस्था देने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

घटिया गुणवत्ता वाला चावल

3794. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ.सी.आई. के द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे पाए गए चावल की खरीद की जाती है और मिल मालिकों से निर्धारित मानकों के चावल को स्वीकार करने की जिम्मेदारी गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों की है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1999-2000 और 2000-01 के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न खेपों की जांच के दौरान बहुत से मामलों में चावल घटिया स्तर के पाए गए थे;

(ग) यदि हां, तो सतर्कता दल ने यह पाया था कि घटिया स्तर के.बी.आर.एल. चावल तत्कालीन तकनीकी सहायक ग्रेड-I से जिला प्रबंधक के स्तर के कर्मचारियों की मिल मालिकों के साथ मिली भगत से स्वीकार किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो इस चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित/की-गई-कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई जांच के दौरान 1999-2000 में वसूल किए गए चावल का 0.82 प्रतिशत भाग और 2000-01 में वसूल किए गए चावल का 0.60 प्रतिशत भाग ही घटिया गुणवत्ता वाला पाया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) त्रुटि के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है:-

I. की गई कार्रवाई (श्रेणी-I) :

(क) बर्खास्तगी/निष्कासन अनिवार्य रूप से सेवा निवृत	–	2
(ख) रैंक में कमी	–	2

(ग) वेतन के समय-मान में कमी	–	2
(घ) वेतन वृद्धि पर रोक	–	1
(ङ) निन्दा	–	4
(च) हिदायत दी गई	–	1

II. की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई :

(क) बड़ा दंड लगाया जाना	–	1
(ख) छोटा दंड लगाया जाना	–	1

[हिन्दी]

हजारीबाग में स्टेडियम निर्माण

3795. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग जिला मुख्यालय में एक स्टेडियम निर्माणधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार से कितना धन प्राप्त हुआ है और इस स्टेडियम पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) क्या उक्त स्टेडियम के निर्माण में भ्रष्टाचार के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) और (ख) हजारीबाग में जिला स्तरीय खेल परिसर के निर्माण को एक करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ अनुमोदित कर दिया गया है। तथापि कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है क्योंकि योजना के मानदंडों के अनुसार प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। 6.7.2004 को झारखंड सरकार ने यह सूचना दी है कि उपर्युक्त परियोजना पर अभी तक 97.46 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बूचड़खानों का स्थानान्तरण

3796. श्रीमती मेनका गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईदगाह बूचड़खाने को स्थानान्तरित किया जा रहा है और आधुनिक बूचड़खाना बनने तक इसे अस्थाई इमारत में चलाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस अस्थाई अवस्थापना की क्षमता कितनी है; और

(ग) इस अवस्थापना में प्रतिदिन काटे जाने वाले जानवरों की संख्या कितनी होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) झटका के लिए 500 भेड़ तथा बकरियाँ, हलाल के लिए 1500 भेड़ तथा बकरियाँ, हलाल के लिए 500 भैंसे।

(ग) 2000 भेड़ तथा बकरियाँ तथा 500 भैंसें।

[हिन्दी]

कृषकों के लिए कृतिक बल

3797. श्री शिशुपाल एन. पाटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक कृतिक बल गठित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यह कृतिक बल कब तक गठित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संगठित निजी क्षेत्र में सृजित रोजगार

3798. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री विजय कृष्ण :
श्री आनन्दराव बिठोवा अडसूल :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी उपक्रमों तथा संगठित निजी क्षेत्र में कुल कितना रोजगार सृजित किया गया;

(ख) निजी क्षेत्र को संगठित निजी क्षेत्र घोषित करने के मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) संगठित निजी क्षेत्र के रूप में पंजीकृत एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) 31 मार्च 1999, 2000, 2001 तथा 2002 को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अनुसार देश में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, अर्ध-सरकारी (केन्द्रीय), अर्ध-सरकारी (राज्य) तथा संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार (नवीनतम उपलब्ध) विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) संगठित निजी क्षेत्र में 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के समस्त गैर-कृषीय प्रतिष्ठान शामिल हैं।

(ग) संगठित निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

संगठित क्षेत्र	1999	2000	2001	2002
केन्द्र सरकार	33.13	32.73	32.61	31.95
राज्य सरकार	74.58	74.60	74.25	73.84
योग सरकार	107.71	107.33	106.86	105.79
अर्ध-सरकारी (केंद्र)	34.72	34.13	32.91	31.95
अर्ध-सरकारी (राज्य)	29.14	29.12	29.01	28.24
स्थानीय निकाय	22.59	22.55	22.61	21.75
अर्ध-सरकारी एवं स्थानीय				
निकायों का योग	86.45	85.80	84.53	81.94
योग सार्वजनिक क्षेत्र	194.15	193.14	191.38	187.73
योग निजी क्षेत्र	86.98	86.46	86.52	84.32
योग	281.13	279.60	277.89	272.06

स्रोत : श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का ई.एम.आई कार्यक्रम।

टिप्पणी : ई.एम.आई. कार्यक्रम में ये शामिल नहीं हैं:

(क) असंगठित क्षेत्र में रोजगार।

(ख) स्व-रोजगार।

(ग) अंशकालिक रोजगार।

(घ) कृषीय तथा संबद्ध प्रतिष्ठानों में रोजगार, जोकि ऐच्छिक आधार पर ही रोजगार विवरणी प्रस्तुत करते हैं।

(ङ) निजी क्षेत्र में 10 कामगारों या उससे कम को नियोजित करने वाले घरेलू क्षेत्र तथा गैर-कृषीय प्रतिष्ठानों में रोजगार।

(च) रक्षा बलों में रोजगार।

(छ) विदेशों में भारतीय दूतावासों तथा मिशनों में रोजगार।

विवरण II

क्र. संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31.3.2002 को संगठित निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की संख्या (वास्तविक संख्या)
1	2	3
1.	हरियाणा	35181
2.	पंजाब	3494
3.	हिमाचल प्रदेश	531
4.	चंडीगढ़	634
5.	दिल्ली	6230
6.	राजस्थान	5440
7.	जम्मू व कश्मीर	141
8.	मध्य प्रदेश	2037
9.	छत्तीसगढ़	491
10.	उत्तर प्रदेश	8597
11.	उत्तरांचल	539
12.	असम	1704
13.	मेघालय	221
14.	मणिपुर	76
15.	मिजोरम	5
16.	नागालैण्ड	160
17.	त्रिपुरा	110
18.	बिहार	2940
19.	झारखंड	*
20.	उड़ीसा	1517
21.	पश्चिम बंगाल	6655
22.	गुजरात	15120
23.	महाराष्ट्र	14441
24.	गोवा	516
25.	दमन व दीव	370
26	आंध्र प्रदेश	7171
27.	कर्नाटक	8445
28.	केरल	12209
29.	पांडिचेरी	137
30.	तमिलनाडु	13258
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	57
	योग	116827

*राज्य संबंधी आंकड़े मूल राज्य में शामिल है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन को धन

3799. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार स्थापित किए गए नेहरू युवा के न्द्र संगठन की शाखाओं/कार्यालयों की संख्या कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा केन्द्र संगठनों को राज्य-वार आबंटित निधि कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में हुए आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) 500 जिला नेहरू युवा केन्द्रों की राज्य-वार सूची अनुबंध-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गई थी:-

नियमित कार्यक्रम :

युवा क्लब विकास कार्यक्रम

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

जागरूकता अभियान

कार्य शिविर

खेलों का संवर्धन कार्यक्रम

कार्यशालाएं और संगोष्ठियाँ

सांस्कृतिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और सप्ताहों का आयोजन

साहसिक संवर्धन कार्यक्रम

विशेष कार्यक्रम :

ग्रामीणों से एड्स पर बातचीत (वी.टी.ए.);

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ग्रामीण युवा पहल;

दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना परियोजना;

तेनजिंग नोर्गे साहसिक शिविर;

कश्मीरी ग्रामीण युवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम;

लेह (जम्मू व कश्मीर) में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर :

तंबाकू से मुक्ति के लिए दक्षिण-पूर्वी एशियाई मशाल (सीएट फ्लेम);

विश्व तंबाकू निषेध दिवस;

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग पाठ्यक्रम;

मानव संसाधन विकास में गरीबी उन्मूलन पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण तथा अनौपचारिक शिक्षा में युवा स्वास्थ्य संबंधी विषय को शामिल करना;

विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम;

पूर्वोत्तर दूरदर्शन संगीत उत्सव;

उत्सव पूर्वांचल।

(ग) राज्य-वार सूचना विवरण-I में दी गई है।

(घ) सूचना विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

नेहरु युवा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य को आबंटित निधियों का ब्यौरा

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या	निधियों का आबंटन		
			2000-01	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	2,76,000	2,76,000	2,76,000
2.	असम	23	2,76,000	2,76,000	2,76,000
3.	बिहार	34	4,08,000	4,08,000	4,08,000
4.	छत्तीसगढ़	08	96,000	96,000	96,000
5.	गुजरात	19	2,28,000	2,28,000	2,28,000
6.	हरियाणा	16	1,92,000	1,92,000	1,92,000
7.	हिमाचल प्रदेश	12	1,44,000	1,44,000	1,44,000
8.	झारखण्ड	16	1,92,000	1,92,000	1,92,000
9.	जम्मू व कश्मीर	14	1,68,000	1,68,000	1,68,000

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	20	2,40,000	2,40,000	2,40,000
11.	केरल	14	1,68,000	1,68,000	1,68,000
12.	मध्य प्रदेश	40	48,000	48,000	48,000
13.	महाराष्ट्र	23	3,60,000	3,60,000	3,60,000
14.	मणिपुर	09	1,08,000	1,08,000	1,08,000
15.	मेघालय	05	60,000	60,000	60,000
16.	नागालैण्ड	07	84,000	84,000	84,000
17.	उड़ीसा	16	1,92,000	1,92,000	1,92,000
18.	पंजाब	14	1,68,000	1,68,000	1,68,000
19.	राजस्थान	30	3,60,000	3,60,000	3,60,000
20.	सिक्किम	04	48,000	48,000	48,000
21.	तमिलनाडु	29	3,48,000	3,48,000	3,48,000
22.	त्रिपुरा	03	36,000	36,000	36,000
23.	उत्तर प्रदेश	55	6,60,000	6,60,000	6,60,000
24.	उत्तरांचल	09	1,08,000	1,08,000	1,08,000
25.	पश्चिम बंगाल	22	2,64,000	2,64,000	2,64,000
26.	अरूणाचल प्रदेश	04	48,000	48,000	48,000
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	06	72,000	72,000	72,000
28.	चण्डीगढ़	01	12,000	12,000	12,000
29.	दिल्ली	03	36,000	36,000	36,000
30.	गोवा	03	36,000	36,000	36,000
31.	लक्षदीप	01	12,000	12,000	12,000
32.	पांडिचेरी	04	48,000	48,000	48,000
33.	मिजोरम	03	36,000	36,000	36,000
34.	दादर व नगर हवेली	01	12,000	12,000	12,000
35.	दमन व दीव	02	24,000	24,000	24,000
	कुल	500	60,00,000	60,00,000	60,00,000

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों तथा प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा

नियमित कार्यक्रम

	वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लाभार्थी		
				पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	युवा क्लब विकास कार्यक्रम					
	2001-02	36	25	479	282	761
	2002-03	36	36	693	388	1381
	2003-04	36	42	2144	503	2647
2.	व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम					
	2001-02	48	87	446	1563	2009
	2002-03	48	92	249	1646	1895
	2003-04	48	165	361	2627	2988
3.	जागरूकता अभियान					
	2001-02	36	27	3215	3099	6314
	2002-03	36	36	3251	1977	5228
	2003-04	36	137	3084	2734	5818
4.	कार्य शिविर					
	2001-02	36	31	1444	893	2337
	2002-03	36	35	677	399	1076
	2003-04	36	39	727	407	1134
5.	खेलों का संवर्धन कार्यक्रम					
	2001-02	36	42	3414	781	4195
	2002-03	36	39	4017	405	4422
	2003-04	36	43	4239	265	4504
6.	कार्यशालाएं और संगोष्ठियाँ					
	2001-02	12	17	855	629	1484

1	2	3	4	5	6	7
	2002-03	12	13	1154	923	2077
	2003-04	12	15	579	482	1061
7.	सांस्कृतिक कार्यक्रम					
	2001-02	36	30	2098	1693	3791
	2002-03	36	37	2281	2179	4420
	2003-04	36	41	1741	2425	4166
8.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और सप्ताहों का आयोजन					
	2001-02	144	116	7095	5073	12168
	2002-03	144	146	4220	2717	6937
	2003-04	144	315	12830	14541	27371
9.	साहसिक संवर्धन कार्यक्रम					
	2001-02	24	18	269	158	427
	2002-03	24	26	394	172	566
	2003-04	24	27	464	161	625
			विशेष कार्यक्रम			
10.	वर्ष 2002-03 के दौरान ग्रामीण से एड्स पर बातचीत (वी.टी.ए.)					
1.	युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम	18	18	325	215	540
2.	जागरूकता सृजन कार्यक्रम	36	36	5466	5700	10166
3.	फोकस समूह चर्चा	27	27	8207	4589	12796
4	प्रदर्शनी	36	36	15605	5550	21155

[हिन्दी]

गंगाजल में प्रदूषण का खतरा

3800. **श्री पुन्नू लाल मोहले :**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी के जल का नाभिकीय विकिरण से प्रदूषित होने की संभावना है जैसाकि दिनांक 2 जुलाई, 2004 के "दैनिक भास्कर" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे रोकने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) मंत्रालय को नाभिकीय विकिरणों के कारण गंगा नदी के प्रदूषित होने से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, हम संबंधित स्रोतों के माध्यम से स्थिति के मूल्यांकन का प्रयास कर रहे हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एफ.पी.आई. हेतु मसौदा नीति

3801. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु मसौदा नीति तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है जिसमें मोटे तौर पर कच्ची सामग्री की उपलब्धता, बैकवर्ड लिंकेज, फसलोत्तर बुनियादी सुविधा समेत प्रसंस्कृत सुविधाएं, पैकेजिंग, खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा, उत्पादों का देश में विपणन और निर्यात, प्रसंस्कृत खाद्यों के बारे में जागरूकता और राजकोषीय प्रोत्साहनों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

(ग) विभिन्न पणधारियों के साथ व्यापक परामर्श समेत अनुसरण की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, इस नीति को अपनाने और उसके कार्यान्वयन में लगने वाली विशिष्ट समय-सीमा का उल्लेख करना कठिन है।

[अनुवाद]

कृषकों हेतु राहत पैकेज

3802. श्री पी. करूणाकरन :
श्री अंनत कुमार :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से, विशेषत: केरल, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक से कृषकों की समस्याओं संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश के निर्धन कृषकों हेतु राहत पैकेज घोषित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषधीय पौधों की बागवानी

3803. श्री महावीर भगोरा :
श्री धनसिंह रावत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास औषधीय पौधों विशेषत: जनजातीय बहुल दक्षिण राजस्थान में बाल युवान की बागवानी के द्वारा आर्थिक विकास करने संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग कार्य योजना के जरिए राज्य प्रयासों के सम्पूरण/अनुपूरण-कृषि में वृहत् प्रबन्ध पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत औषधीय और सुगन्धित पौधों की खेती के लिए राजस्थान सहित राज्यों को सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड भी औषधीय पौधों की खेती के लिए सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयूष विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार औषधीय पौधों की प्राथमिकता सूची में औषधीय पादप बाल युवान को शामिल नहीं किया गया है।

वन्य जीव और वानिकी पर्यटन

3804. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के वन्य जीव और वानिकी पर्यटन की क्षमता से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में वन्य जीव और वानिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस उद्देश्यार्थ दसवीं योजना के दौरान राज्य सरकार को निर्धारित/जारी धनराशि कितनी है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय नीति 2002 ने देश में वन्य जीव पर्यटन की अधिक संभावना पर बल दिया है। वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय पार्कों की, भारतीय पर्यटन उत्पाद के एक एकीकृत भाग के रूप में एकीकृत करने की आवश्यकता है और पार्कों को प्राथमिकता देने के पश्चात प्रमुख पार्कों के लिए स्थल और आगन्तुक प्रबंधन योजनाओं की तैयारी को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर धनराशि रिलीज की जाती है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड की राज्य सरकारों को स्वीकृत एवं रिलीज की गई धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(लाखों रुपये में)

क्रं सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	उड़ीसा	467.05	154.25
2.	छत्तीसगढ़	1313.00	462.50
3.	झारखण्ड	1109.00	774.60

[हिन्दी]

खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में असफलता

3805. डा. राजेश मिश्रा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में अक्षम रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण है; और

(ग) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों का मद-वार भंडार कितना था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के संबंध में खाद्यान्नों का आवंटन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के विहित मानदंड के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 249.12 लाख टन चावल का और 260.39 लाख टन गेहूं का स्टाक था।

फलों और सब्जियों का खराब होना

3806. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मशीनों के अत्यधिक अभाव, अपर्याप्त भण्डारण और प्रसंस्करण सुविधाओं और ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में अन्य तकनीकी समस्याओं की वजह से बहुत सारे फल और सब्जियां खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मशीनों की क्षमताओं को बढ़ाने/स्थापित करने, भण्डारण और उत्पादकों को बेहतर तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) दसवीं योजना के लिए फसलोत्तर प्रबंधन, विपणन एवं निर्यात संबंधी उप-कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार फसल कटाई के बाद ढुलाई के विभिन्न चरणों पर 8 से 37 की दर से फल एवं सब्जियों की बरबादी होती है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत नई यूनिट की स्थापना या मौजूदा यूनिट के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इस मंत्रालय की अन्य स्कीमें भी बुनियादी विकास, गुणवत्ता आश्वासन, मानव संसाधन विकास आदि के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का संवर्धन करती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी अन्य एजेंसियाँ भी अपनी-अपनी स्कीमों के तहत सहायता देती हैं।

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत, यूनिटों की स्थापना/मौजूदा यूनिटों के विस्तार/आधुनिकीकरण

हेतु इस मंत्रालय द्वारा 6.35 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

ड्रमस्टिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

3807. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तमिलनाडु के पलानी में वेला कोइल में वृहत स्तर पर ड्रमस्टिक उगाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार वेला कोइल में ड्रमस्टिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टी.एन.ए.यू.) कोयम्बटूर इस फसल पर अनुसंधान कर रहा है तथा इसके अनुसंधान परिणामों को विश्वविद्यालय की प्रसार मशीनरी तथा राज्य के कृषि एवं बागवानी विभाग द्वारा प्रसारित किया जाता है। तथापि, भा.कृ.अ.प. भी इस फसल के अनुसंधान कार्यक्रमों को तदर्थ परियोजना स्वीकृत करके सहायता दे रही है। इसलिए अलग से एक ड्रमस्टिक अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं है।

नदियों की निकासी क्षमता

3808. **श्री दुष्यन्त सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में गंगा नदी की निकासी क्षमता क्षय होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) ऐसी नदियों/बेसिन की निकासी क्षमता में होने वाली कमी से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी स्कीमों की आयोजना, तैयारी और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार की जाती है।

जल के बढ़ने और घटने की प्रक्रिया जिससे नदी चैनल की जलनिकास क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, दोनों ही क्रियाएं प्राकृतिक और गतिमान घटनाएं हैं जो समय और स्थान पर निर्भर करती हैं। तदनुसार, किसी नदी की जल निकास क्षमता में समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। गंगा नदी की जल निकास क्षमता की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में किसी बेसिन राज्य से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

नदियों में गाद की समस्या का अध्ययन करने के लिए गठित मित्तल समिति ने भी उपर्युक्त पहलू की जाँच की थी। समिति ने यह सिफारिश की थी कि उतार/चढ़ाव की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए नदियों की संवाहक क्षमता की नियमित रूप से मानीटरी की जानी चाहिए। समिति की सिफारिशें राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

एथलीटों हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधा

3809. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) देश के विभिन्न हिस्सों में प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण का वित्त पोषित कर रही है, जिससे खिलाड़ियों और एथलीटों को प्रशिक्षण देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवस्थापना संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये सुविधाएं भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्रों पटियाला, बंगलौर, कोलकाता तथा गांधी नगर और लखनऊ के उपकेन्द्र में उपलब्ध हैं।

विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विदेशी/भारतीय प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं।

इसके अलावा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान" तथा "सिंथेटिक खेल सतह की स्थापना हेतु अनुदान" की योजना के अंतर्गत खेल अवस्थापना के सृजन के लिए सुविधाएं जैसे सिंथेटिक, एथलेटिक ट्रेक/हाकी सतह को बिछाना,

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल स्टेडियम इत्यादि के लिए राज्य सरकारों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/कालेजों इत्यादि को भी केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

आई.डी. अधिनियमों के अन्तर्गत जन उपयोगिता सेवा

3810. श्री डी. विट्टल राव : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला गैस एवं प्राकृतिक गैस जैसी ईंधन गैसों के क्षेत्रों में कार्यरत उद्योगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत जन उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने ईंधन गैस (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस तथा ऐसे अन्य गैस) की प्रोसेसिंग या उत्पादन में लगे उद्योग को छह माह के लिए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सां.आ. 1518 दिनांक 15.6.2004 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है।

कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु परिवर्तित करना

3811. श्री आर. प्रभु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु वृहत स्तर पर परिवर्तन को रोकने के लिए कोई कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु परिवर्तित धान के खेतों में पुनः धान की खेती करने हेतु उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई पारिस्थितिकीय समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भूमि राज्य का विषय है, अतः कृषि भूमि का परिवर्तन गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए करने पर रोक लगाने संबंधी राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति संबंधी रूपरेखा (एन०एल०पी०ओ०) सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित कर दी है। राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति संबंधी रूपरेखा में एक कार्य बिन्दु अत्यधिक उत्पादक भूमि का परिवर्तन गैर-कृषि प्रयाजनों के लिए करने पर रोक लगाने के संबंध में है। इसके अलावा, भारत सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। इस संबंध में कुछ राज्यों के पास कानूनी अधिदेश हैं तो कुछ अन्य राज्यों के पास कार्यपालक अनुदेश हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निवल बुआई क्षेत्र वर्ष 1970-71 में 140.27 मिलियन हेक्टेयर से वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 141.23 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार इस अवधि में कुल मिलाकर निवल बुआई क्षेत्र में मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) धान के अन्तर्गत क्षेत्र 2000-01 में 44.71 मिलियन हेक्टेयर तथा 2001-02 में 44.9 मिलियन हेक्टेयर था। देश के प्रमुख राज्यों में दो वर्षों (2000-01 तथा 2001-02) के दौरान धान के अन्तर्गत राज्य-वार क्षेत्र संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। कुछ राज्यों में धान के क्षेत्र में परिवर्तन वर्षा में हुए परिवर्तन के कारण आया है, क्योंकि खरीफ धान वर्षा पर निर्भर होता है। यह कुल मिलाकर इस अवधि में धान की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में मामूली वृद्धि दर्शाता है।

विवरण I

देश में प्रमुख राज्यों में वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान धान के खेती के अन्तर्गत क्षेत्र

(क्षेत्र हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य	2000-01	2001-02
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4243.00	3824.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	118.60	119.50
3.	असम	2646.30	2537.00
4.	बिहार	3656.30	3552.30
5.	छत्तीसगढ़	3769.70	3810.10
6.	गुजरात	583.60	667.90
7.	हरियाणा	1054.00	1028.00
8.	झारखण्ड	1481.00	1520.60
9.	कर्नाटक	1483.40	1417.80

1	2	3	4
10.	केरल	347.50	322.40
11.	मध्य प्रदेश	1707.60	1776.40
12.	महाराष्ट्र	1511.40	1514.20
13.	उड़ीसा	4434.00	4500.00
14.	पंजाब	2611.00	2487.00
15.	तमिलनाडु	2080.00	2060.00
16.	त्रिपुरा	241.10	246.70
17.	उत्तर प्रदेश	5907.10	6071.00
18.	उत्तरांचल	312.70	298.90
19.	पश्चिम बंगाल	5435.20	6069.10
20.	अन्य	1088.50	1080.30
	कुल	44712.00	44904.00

खरीफ फसलों का उत्पादन

3812. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान खरीफ फसलों के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या विद्यमान सूखे और बाढ़ की स्थिति से खरीफ फसल का उत्पादन प्रभावित होगा ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस वर्ष के दौरान खरीफ फसलों का कितना उत्पादन अपेक्षित है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सम्पूर्ण कृषि वर्ष जुलाई, 2004 से जून, 2005 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

(मिलियन टन)

फसल	लक्ष्य
चावल	93.50
गेहूं	79.50
मोटे अनाज	36.80
दलहन	15.30
कुल खाद्यान्न	225.10
तिलहन	26.20

कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ खाद्यान्न 52% है। खरीफ तिलहन का हिस्सा कुल तिलहन उत्पादन का 63% है।

(ख) और (ग) जून, 2004 के अन्तिम सप्ताह में और जुलाई, 2004 के दौरान मानसून कमजोर था। तथापि, अगस्त, 2004 में इसमें फिर तेजी आई। देश के कई भागों में अल्प / अत्यधिक वर्षा का प्रभाव जैसा कि गत वर्ष की तुलना में खरीफ फसल के तहत बुआई क्षेत्र में कमी प्रदर्शित होती है, अल्प वर्षा के क्षेत्रों में मानसून के पुन:आगमन से और देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की फिर से बुआई से स्थिति संभलती नजर आ रही है। नवीनतम आकलन के अनुसार, उत्पादन में कमी प्राय: मोटे अनाजों और दलहनों तक सीमित है। रबी मौसम के दौरान अनुकूल मौसम की स्थितियों को देखते हुए, वर्ष 2004-05 के दौरान कुल उत्पादन हानि बहुत कम होने की आशा है।

(घ) यह देखते हुए कि मानसून वर्षा में आगे कोई विचलन नहीं होगा, यह आशा करना तर्क संगत है कि वर्ष 2004-05 के दौरान खरीफ खाद्यान्न उत्पादन लगभग 106 मिलियन टन होगा।

तटवर्ती क्षेत्रों में आवासों का निर्माण

3813. प्रो. एम. रामदास: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटवर्ती क्षेत्रों के 500 मीटर के भीतर भवन निर्माण की अनुमति न देने वाली सी० आर० जैड० अधिसूचना का उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर मछुआरों को सी० आर० जैड० अधिसूचना के क्षेत्राधिकार से बाहर आवासों के निर्माण की छूट देने का है क्योंकि वे औद्योगिक अथवा वायु प्रदूषण छोड़कर क्षेत्र को प्रदूषित नहीं करते; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) तटीय विनियमन जोन में भवन निर्माण पर किसी प्रकार का व्यापक प्रतिबंध नहीं है। तथापि इसे क्षेत्र की पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता के आधार पर विनियमित किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में डेयरी विकास परियोजना

3814. श्री परसुराम माझी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विशेषकर के०बी०के० जिलों में कोई केन्द्र प्रायोजित डेयरी विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और इसके बाद इस योजना के अन्तर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारत सरकार ने 631.00 लाख रुपये के कुल परिव्यय से उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगिर तथा फुल्बानी जिलों में क्रियान्वयन के लिए 'एकीकृत डेयरी विकास परियोजना' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1993-94 के दौरान एक डेयरी विकास परियोजना को मंजूरी दी थी। परियोजना को अब पूरा कर लिया गया है। उसके बाद 1998-99 के दौरान एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के तहत एक दूसरी परियोजना को मंजूरी दी गई थी जिसमें 621.84 लाख रुपए की कुल लागत से केबीके जिलों सहित उड़ीसा के 14 जिलों को कवर किया गया था। इसमें से, भारत सरकार ने अब तक 493.83 लाख रुपए जारी किए हैं।

मई, 2004 तक इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 41484 किसानों की सदस्यता के साथ 649 डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु उपग्रह सुविधा

3815. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फार सेल्युलर एंड मोलिक्युलर बॉयोलाजी, हैदराबाद ने संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु उपग्रह सुविधा स्थापित करने की परियोजना पर काम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से इस प्रयोजनार्थ प्रयोगशाला हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, हां। सेन्टर फार सेल्युलर एंड मोलिक्युलर बॉयोलाजी, हैदराबाद ने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, बायोटैक्नोलोजी विभाग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर हैदराबाद में संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करने की परियोजना आरम्भ की है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बायोटैक्नोलोजीकल बाधाओं पर अनुसंधान करना है।

(ग) से (ङ) जी, हां। 1 अगस्त, 2003 से पांच वर्षों के लिए 746.787 लाख रुपए की कुल वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है इसके लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, बायोटैक्नोलोजी विभाग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषण किया जाएगा। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने अपने हिस्से के 360.00 लाख रुपये से पहले ही 180.00 लाख रुपए जारी कर दिए हैं।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिक बीमा और पेंशन योजना, 2001

3816. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि श्रमिक और बीमा पेंशन योजना, 2001 किन-किन जिलों में लागू की गई है और प्रत्येक जिले में सेक्टर-वार कितने व्यक्तियों का बीमा किया गया है;

(ख) उक्त योजनाओं हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है और उक्त योजनाओं के विस्तार हेतु कार्ययोजना क्या है; और

(ग) कृषि मजदूरों के कल्याण हेतु अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी) से प्राप्त सूचना के अनुसार कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001 के अंतर्गत 2,53,168 कृषि कामगारों को कवर किया जा चुका है। जिला-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) जैसे ही कोई सदस्य अपना नामांकन कर अपने अंशदान का भुगतान करता है, इस योजना के अंतर्गत सरकार का अंशदान जारी कर दिया जाता है। यह योजना फरवरी, 2004 से बंद कर दी गई है और अत: नए नामांकन नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) सरकार ने असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2004 आरम्भ की है। इस योजना में कवर किए जाने वाले व्यवसायों में, अन्य व्यवसायों के साथ-साथ, कृषि भी शामिल है। इसके अलावा, गरीबी रेखा के नीचे और थोड़े से ऊपर व्यक्तियों के लिए जनश्री बीमा योजना, सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाएं विद्यमान हैं और गावों के गरीब लोगों के लिए जिनमें कृषि श्रमिक शामिल हैं, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा गरीबी कम करने संबंधी रोजगार सृजक योजनाएं लागू की जा रही हैं।

विवरण

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001 के अंतर्गत कवर जिलों और कृषि कामगारों की सूची

क्रं सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चुने गये जिलों की संख्या	जिले का नाम	31.10.03 तक कवर किए गए कामगारों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	गुन्टुर	-
			पूर्व गोदावरी	13370
			पश्चिम गोदावरी	9004
			कृष्णा	103
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	पूर्व सियाँग	120
3.	असम	1	नौगांव	5114
4.	बिहार	3	मधेपुरा	110
			गया	1969
			सहरसा	2130
5.	छत्तीसगढ़	2	रायपुर	6623
			बिलासपुर	5436
6.	गुजरात	2	खेड़ा	7069
			सूरत	8288
7.	हरियाणा	1	हिसार	-
8.	हिमाचल प्रदेश	1	कांगड़ा	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1	जम्मू	2499

1	2	3	4	5
10.	झारखण्ड	2	पलामू	700
			सिंहभूमि	2021
11.	कर्नाटक	2	धरवाड़	700
			रायचूर	181
12.	केरल	1	पाल्लकड़	11120
13.	मध्य प्रदेश	3	पश्चिम निमार	6843
			जबलपुर	13978
			उज्जैन	5840
14.	महाराष्ट्र	4	जलगांव	12590
			यवतमाल	1829
			सोलापुर	20000
			धुले	1160
15.	मणिपुर	1	इंफाल	-
16.	मेघालय	1	पूर्व खासी हिल	600
17.	नागालैंड	1	कोहिमा	185
18.	उड़ीसा	2	कोरापुट	9584
			सम्भलपुर	13371
19.	पंजाब	1	अमृतसर	1699
20.	राजस्थान	2	श्रीगंगानगर	5033
			उदयपुर	13693
21.	सिक्किम	1	पूर्व सिक्किम	4314
22.	तमिलनाडु	4	कुडालोरे	9579
			क्षेजावुर	3252
			त्रिचिरापल्ली	3092
			मदुरै	12696
23.	त्रिपुरा	1	पश्चिम त्रिपुरा	26838
24.	उत्तर प्रदेश	2	इलाहाबाद	6311
			बदायूँ	1249
25.	उत्तरांचल	2	नैनीताल	1073
			देहरादून	145

1	2	3	4	5
26.	पश्चिम बंगाल	2	मेदनीपुर	802
			बर्दवान	571
27.	गोवा	1	नार्थ गोवा	284
28.	मिजोरम	1	ऐजवाल	-
	कुल	50		2,53,168

[अनुवाद]

मछुआरों की सुविधाएं

3817. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में मछली का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार गुजरात में मछुआरों को रियायती दरों पर डीजल तथा मिट्टी तेल देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में मछुआरों को अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कया कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :-

वर्ष	पंजीकृत मत्स्य निर्यात (टन में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपये में)
2000-2001	440473	6443.89
2001-2002	424470	5957.05
2002-2003	467297	6881.31

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार 20 मीटर से कम लम्बाई की छोटी यांत्रिकृत नौकाओं को चलाने वाले मछुआरों को खपत किए गए एचएसडी आयल पर 1.50 रुपए प्रति लीटर की दर से विकास राहत दे रही है।

(ङ) यांत्रिकृत यानों के मोटरीकरण के लिए राजसहायता की उच्च दर के अलावा, माध्यमिक यानों को शुरू करने, मछुआरों के लिए समुद्री सुरक्षा और संसाधन विशिष्ट गहन समुद्र मात्स्यिकी जलयानों को परिवर्तित करने संबंधी नए घटक अन्य वे सुविधाएं हैं जो मछुआरों को दी जाती हैं।

[हिन्दी]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र को धनराशि

3818. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) राज्य सरकारों को यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004-2005 के लिए 2800 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। योजना आयोग द्वारा निर्धारित अनन्तिम सीमा के अनुसार वर्ष के दौरान दो समान किस्त में केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) के रूप में इन निधियों को जारी किए जाने का प्रस्ताव है (विवरण संलग्न)। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के तहत राज्यां को केन्द्रीय ऋण सहायता जारी करना उनको पहले से जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता के उपयोग और अगली किस्त को जारी करने संबंधी प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

विवरण

(रुपय करोड़ में)

क्र सं.	राज्य	वर्ष 2004-05 के सीएलए की सीमा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	170.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.00
3.	असम	35.00
4.	बिहार	75.00
5.	छत्तीसगढ़	75.00
6.	गोवा	5.00
7.	गुजरात	630.00
8.	हरियाणा	25.00
9.	हिमाचल प्रदेश	15.00
10.	जम्मू व कश्मीर	40.00
11.	झारखण्ड	31.00
12.	कर्नाटक	250.00
13.	केरल	20.00
14.	मध्य प्रदेश	330.00
15.	महाराष्ट्र	222.00
16.	मणिपुर	18.00
17.	मेघालय	4.00
18.	मिजोरम	5.00
19.	नागालैंड	8.00
20.	उड़ीसा	150.00
21.	पंजाब	25.00
22.	राजस्थान	275.00
23.	सिक्किम	1.50
24.	तमिलनाडु	5.00
25.	त्रिपुरा	20.00
26.	उत्तर प्रदेश	275.00
27.	उत्तरांचल	30.50
28.	पश्चिम बंगाल	40.00
	कुल	2800.00

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

3819. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू० डी०पी०आर०ए०) लागू होने से क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : समेकित पनधारा प्रबन्ध तथा दीर्घकालीन कृषि प्रणालियों की द्विअवधारणा के आधार पर 1990-91 में 28 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०) शुरू की गई थी।

शुरूआत से 2003-04 तक 2162.57 करोड़ रुपये के व्यय पर देश में 7.49 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया गया है।

भूमि और दूर संवेदी तकनीकों दोनों के जरिए किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों में दर्शाया है कि एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए० हस्तक्षेपों के कारण निम्न हुआ:-

भू-जल रिचार्ज में वृद्धि,

कुओं और जल निकायों की संख्या में वृद्धि,

फसलीकरण प्रबलता में वृद्धि,

फसलीकरण पद्धति में परिवर्तन,

फसलों की उच्चतम पैदावार तथा मृदा हानि में कमी।

[अनुवाद]

कच्छ वनस्पति (मैनग्रोव) वनों का संरक्षण

3820. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कच्छ वनस्पति वनों के संरक्षण हेतु क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) कच्छ वनस्पति वनों हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता हेतु महाराष्ट्र में किन-किन क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है;

(च) क्या सरकार ने दलित वर्ग के उन लोगों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है जो इस परियोजना के क्रियान्वयन से प्रभावित हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) ऐसे लोगों के पुनर्वास हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हाँ। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के वन मंत्रियों, वन सचिवों, प्रधान मुख्य वन संरक्षकों और मुख्य जीव वार्डनों का 5 से 6 अगस्त 2004 को नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में वनावरण के बढ़ने, वनभूमि और गैर-वन काष्ठ उत्पादों के संबंध में जनजातियों के अधिकार, निजी भूमि पर उगने वाले पेड़ों को काटने और लाने ले जाने के लिए नियमों को सरल बनाना, अवक्रमित वन भूमियों के वनीकरण के लिए निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए जन निजी भागीदारी, वन्यप्राणी सुरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबन्ध योजना, मानव पशु झड़पें, एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम, वन विकास एजेन्सियाँ, संयुक्त वन प्रबन्ध स्टाफ की क्षमता निर्माण, वन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और वानिकी आंकड़े, राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना, फ्रंटलाइन स्टाफ के रिक्त पदों की स्थिति, गैर-वन सरकारी भूमि पर वृक्ष रोपण, वन उत्पाद और गैर-इमारती वन उत्पाद के संबंध में डाटा बेस का विकास, नए जीवमण्डल रिजर्वो का अभिनिर्धारण, कच्छ वनस्पति, नमभूमियों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि और प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार ने देशव्यापी आधार पर गहन संरक्षण और प्रबन्ध के लिए 35 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया है। महाराष्ट्र में अभिनिर्धारित कच्छ वनस्पति क्षेत्रों सहित राज्य-वार विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) कच्छ वनस्पति स्कीम में परियोजना के कार्यान्वयन से लोगों के किसी तरह के विस्थापन की परिकल्पना नहीं की गई है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कच्छ वनस्पति क्षेत्र
1	2
पश्चिम बंगाल	1. सुन्दर वन
उड़ीसा	2. भितारकनिका, 3. महानदी, 4. सुवर्णरेखा, 5. देवी, 6. धर्मा, 7. कच्छ वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केन्द्र, 8. चिल्का
आंध्र प्रदेश	9. कोरिंगा, 10. पूर्वी गोदावरी, 11. कृष्णा
तमिलनाडु	12. पिछावरम, 13. मुथुपेट, 14. रमानद, 15. पुलीकट, 16. कजुवेली
अंडमान एवं निकोबार	17. उत्तरी अंडमान, 18. निकोबार
केरल	19. वेमबनाद
कर्नाटक	20. कुंदापुर, 21. दक्षिण कन्नड़/होनावार, 22. करवार
गोवा	23. गोवा
महाराष्ट्र	24. अचरा-रत्नागिरी, 25. देवगृह-विजयदुर्ग, 26. वेलदूर, 27. कुण्डालिका-रेवदानदा, 28. मुम्बा-दीवा, 29. विकरोली, 30. श्रीवर्धन, 31. वैतरणा, 32. वसई-मनौरी, 33. मालवन
गुजरात	34. कच्छ की खाड़ी, 35. खम्बाट की खाड़ी

पर्यावरणीय परियोजनाओं हेतु निधियों का उपयोग

3821. श्री अधीर चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान पर्यावरणीय परियोजनाओं के विकास और इसके संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संबंधित राज्य सरकारों विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए धन का पूर्णत: उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सरकार द्वारा पर्यावरणीय परियोजनाओं के विकास और प्रोन्नति के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण और सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई और संबंधित राज्य सरकारों विशेषरूप से पश्चिम बंगाल द्वारा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	पिछले दो वर्षों के दौरान जारी/आबंटित की गई धनराशि	पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य द्वारा प्रयोग की गई निधि
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश	0.00	454.45
	(एन आर सी पी)	बिहार	25.00	152.35
		झारखंड	0.00	45.59
		गुजरात	3054.00	3977.18
		गोवा	246.00	0.00
		हरियाणा	237.00	590.73
		कर्नाटक	1200.00	2047.76
		केरल	75.00	0.00
		मध्य प्रदेश	2175.00	2792.37
		महाराष्ट्र	3714.50	3996.28
		उड़ीसा	295.00	420.14
		पंजाब	4890.00	4913.87
		राजस्थान	0.00	65.65
		तमिलनाडु	12590.00	20683.61
		उत्तर प्रदेश	6464.00	5077.06
		उत्तरांचल	527.00	548.45
		पश्चिम बंगाल	4161.00	7630.74
		दिल्ली	9185.00	7900.74

1	2	3	4	5
2.	सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र को बढ़ावा देना (सीईटीपीएस)	आंध्र प्रदेश	30.00	30.00
		गुजरात	193.20	193.20
		महाराष्ट्र	499.30	499.30
		पंजाब	4.00	4.00
		तमिलनाडु	10.50	10.50
3.	राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम	असम	97.58	50.00
		जम्मू व कश्मीर	132.65	61.13
		गुजरात	20.00	20.00
		हिमाचल प्रदेश	83.35	60.34
		केरल	84.73	0.00
		मणिपुर	50.00	50.00
		उड़ीसा	212.15	152.15
		पंजाब	82.90	0.00
		राजस्थान	85.98	30.00
		तमिलनाडु	22.16	22.16
		त्रिपुरा	0.00	0.00
		पश्चिम बंगाल	52.70	47.95
4.	नौंवी योजना में एकीकृत वनसुरक्षा (दावानल नियंत्रण और प्रबंधन के रूप में जानी जाती है)	आंध्र प्रदेश	229.00	229.00
		झारखंड	211.17	211.17
		गुजरात	125.00	125.00
		गोवा	119.42	119.42
		हरियाणा	129.22	129.22
		हिमाचल प्रदेश	132.40	132.40
		जम्मू व कश्मीर	184.03	184.03
		कर्नाटक	152.00	152.00
		केरल	233.50	233.50
		मध्य प्रदेश	298.50	298.50
		महाराष्ट्र	238.92	238.92

1	2	3	4	5
		उड़ीसा	200.00	200.00
		पंजाब	0.00	0.00
		राजस्थान	55.00	55.00
		तमिलनाडु	210.00	210.00
		उत्तर प्रदेश	220.00	220.00
		उत्तरांचल	248.07	248.07
		पश्चिम बंगाल	220.00	220.00
		असम	5.6.60	5.6.60
		अरूणाचल प्रदेश	426.02	426.02
		मणिपुर	0.00	0.00
		मेघालय	0.00	0.00
		मिजोरम	841.90	841.90
		नागालैण्ड	607.47	607.47
		सिक्किम	460.63	460.63
		त्रिपुरा	692.13	692.13
		छत्तीसगढ़	250.00	250.00
5.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी)	आंध्र प्रदेश	1879.00	1879.00
		अरूणाचल प्रदेश	725.00	725.00
		असम	558.00	558.00
		बिहार	188.00	188.00
		जम्मू व कश्मीर	1266.00	1266.00
		झारखंड	1063.00	1063.00
		छत्तीसगढ़	1609.00	1609.00
		गुजरात	760.00	760.00
		गोवा	64.00	64.00
		हरियाणा	1834.00	1834.00
		हिमाचल प्रदेश	755.00	755.00
		कर्नाटक	3124.00	3124.00

1	2	3	4	5
		केरल	453.00	453.00
		मध्य प्रदेश	2473.00	2473.00
		महाराष्ट्र	1678.00	1678.00
		मणिपुर	748.00	748.00
		मिजोरम	2471.00	2471.00
		नागालैण्ड	1745.00	1745.00
		उड़ीसा	1910.00	1910.00
		पंजाब	199.00	199.00
		राजस्थान	1001.00	10001.00
		सिक्किम	782.00	782.00
		तमिलनाडु	2246.00	2246.00
		त्रिपुरा	715.00	715.00
		उत्तर प्रदेश	4135.00	4135.00
		उत्तरांचल	815.00	815.00
		पश्चिम बंगाल	781.00	781.00
6.	बाघ परियोजना	आंध्र प्रदेश	43.99	43.99
		अरूणाचल प्रदेश	104.63	104.63
		असम	140.70	140.70
		बिहार	75.00	75.00
		झारखंड	53.99	53.99
		छत्तीसगढ़	112.73	112.73
		कर्नाटक	558.97	558.97
		केरल	184.43	184.43
		मध्य प्रदेश	1889.85	1889.85
		महाराष्ट्र	850.24	850.24
		मिजोरम	165.88	165.88
		उड़ीसा	184.79	184.79
		राजस्थान	453.25	453.25

1	2	3	4	5
		तमिलनाडु	160.00	160.00
		उत्तर प्रदेश	206.34	206.34
		उत्तरांचल	368.94	368.94
		पश्चिम बंगाल	393.50	393.50
7.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास के लिए सहायता	आंध्र प्रदेश	172.04	83.24
		अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20.75	0.00
		अरूणाचल प्रदेश	256.09	61.01
		असम	255.82	48.25
		बिहार	24.65	0.00
		चण्डीगढ़	14.00	14.00
		झारखंड	84.51	29.89
		छत्तीसगढ़	887.97	91.17
		दादर एवं नागर हवेली	15.25	8.69
		गोवा	36.46	0.00
		गुजरात	142.51	29.04
		हरियाणा	43.59	29.14
		हिमाचल प्रदेश	262.81	74.67
		जम्मू व कश्मीर	238.72	62.10
		कर्नाटक	1293.02	225.79
		केरल	387.35	240.60
		मध्य प्रदेश	540.68	195.72
		महाराष्ट्र	333.45	169.51
		मणिपुर	122.30	64.50
		मेघालय	133.32	57.64
		मिजोरम	467.44	201.42
		नागालैण्ड	150.54	76.00

1	2	3	4	5
		उड़ीसा	269.82	92.26
		पंजाब	0.00	0.00
		राजस्थान	581.09	208.76
		सिक्किम	241.68	119.16
		तमिलनाडु	275.87	118.41
		त्रिपुरा	347.14	71.28
		उत्तर प्रदेश	301.73	118.28
		उत्तरांचल	174.38	61.21
		पश्चिम बंगाल	437.84	235.29
8.	भारतीय पारि विकास परियोजना	गुजरात	1113.33	1184.00
		कर्नाटक	1042.33	578.76
		झारखंड	448.23	672.55
		मध्य प्रदेश	685.58	1008.37
		केरल	165.67	466.69
		राजस्थान	861.52	779.11
		पश्चिम बंगाल	403.67	629.57
9.	हाथी परियोजना	आंध्र प्रदेश	1.5.00	92.27
		अरूणाचल प्रदेश	113.00	122.22
		असम	250.10	199.45
		झारखंड	138.00	136.00
		कर्नाटक	242.66	274.84
		केरल	300.16	285.50
		मेघालय	105.00	104.64
		मिजोरम	5.00	0.00
		नागालैण्ड	91.00	91.00
		उड़ीसा	224.49	190.22
		तमिलनाडु	188.26	164.92
		त्रिपुरा	19.00	3.00

1	2	3	4	5
		उत्तरांचल	236.00	211.29
		पश्चिम बंगाल	206.42	211.41
10.	जैव मंडल रिजर्व	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	49.99	0.00
		अरूणाचल प्रदेश	35.00	0.00
		असम	24.96	15.00
		कर्नाटक	125.86	123.86
		केरल	114.25	98.61
		मेघालय	41.05	41.05
		उड़ीसा	122.30	80.90
		सिक्किम	92.23	92.17
		तमिलनाडु	46.23	46.23
		उत्तरांचल	133.60	133.60
		पश्चिम बंगाल	122.80	122.80

नोट : कुछ वर्षों के कोषों का अधिक उपयोग पिछले वर्षों में खर्च न की गई राशि को आगे लाने हैं और कुछ मामलों में राज्य सरकार का हिस्सा भी शामिल करने के कारण हैं।

तमिलनाडु में चीनी का उत्पादन

3822. श्री के. सी. पलनिसामी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चीनी उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार कुछ राज्यों में सूखे और बाढ़ के कारण चीनी का आयात करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के गन्ना किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ङ) क्या तमिलनाडु की किसी चीनी सहकारी मिल ने और निधियां प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से संपर्क किया है; और

(च) यदि हां, तो इन निधियों को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गत तीन वर्षों (अक्तूबर - सितम्बर) में प्रत्येक वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि 2003-2004 (चीनी मौसम) में देश में घरेलू खपत के लिए चीनी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है, इसलिए चीनी का आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) केन्द्र सरकार गन्ना किसानों को प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। तथापि, सरकार तमिलनाडु सहित देश में गन्ने की पैदावार तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1995-96 से गन्ने पर आधारित फसल पद्धति क्षेत्र (सुबैक्स) का कार्यान्वयन कर रही है।

1	2	3	4	5
		उड़ीसा	269.82	92.26
		पंजाब	0.00	0.00
		राजस्थान	581.09	208.76
		सिक्किम	241.68	119.16
		तमिलनाडु	275.87	118.41
		त्रिपुरा	347.14	71.28
		उत्तर प्रदेश	301.73	118.28
		उत्तरांचल	174.38	61.21
		पश्चिम बंगाल	437.84	235.29
8.	भारतीय पारि विकास परियोजना	गुजरात	1113.33	1184.00
		कर्नाटक	1042.33	578.76
		झारखंड	448.23	672.55
		मध्य प्रदेश	685.58	1008.37
		केरल	165.67	466.69
		राजस्थान	861.52	779.11
		पश्चिम बंगाल	403.67	629.57
9.	हाथी परियोजना	आंध्र प्रदेश	1.5.00	92.27
		अरूणाचल प्रदेश	113.00	122.22
		असम	250.10	199.45
		झारखंड	138.00	136.00
		कर्नाटक	242.66	274.84
		केरल	300.16	285.50
		मेघालय	105.00	104.64
		मिजोरम	5.00	0.00
		नागालैण्ड	91.00	91.00
		उड़ीसा	224.49	190.22
		तमिलनाडु	188.26	164.92
		त्रिपुरा	19.00	3.00

1	2	3	4	5
		उत्तरांचल	236.00	211.29
		पश्चिम बंगाल	206.42	211.41
10.	जैव मंडल रिजर्व	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	49.99	0.00
		अरूणाचल प्रदेश	35.00	0.00
		असम	24.96	15.00
		कर्नाटक	125.86	123.86
		केरल	114.25	98.61
		मेघालय	41.05	41.05
		उड़ीसा	122.30	80.90
		सिक्किम	92.23	92.17
		तमिलनाडु	46.23	46.23
		उत्तरांचल	133.60	133.60
		पश्चिम बंगाल	122.80	122.80

नोट : कुछ वर्षों के कोषों का अधिक उपयोग पिछले वर्षों में खर्च न की गई राशि को आगे लाने हैं और कुछ मामलों में राज्य सरकार का हिस्सा भी शामिल करने के कारण हैं।

तमिलनाडु में चीनी का उत्पादन

3822. श्री के. सी. पलनिसामी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चीनी उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार कुछ राज्यों में सूखे और बाढ़ के कारण चीनी का आयात करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के गन्ना किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ङ) क्या तमिलनाडु की किसी चीनी सहकारी मिल ने और निधियां प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से संपर्क किया है; और

(च) यदि हां, तो इन निधियों को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गत तीन वर्षों (अक्तूबर - सितम्बर) में प्रत्येक वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि 2003-2004 (चीनी मौसम) में देश में घरेलू खपत के लिए चीनी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है, इसलिए चीनी का आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) केन्द्र सरकार गन्ना किसानों को प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। तथापि, सरकार तमिलनाडु सहित देश में गन्ने की पैदावार तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1995-96 से गन्ने पर आधारित फसल पद्धति क्षेत्र (सुबैक्स) का कार्यान्वयन कर रही है।

राज्यों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए अक्तूबर 2000 से अन्य स्कीमों के साथ इस स्कीम को 'मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर' में शामिल किया गया है। गत तीन वर्षों (2002-2003 से 2004-2005 तक) के दौरान इन स्कीमों के लिए राज्यों को आवंटित तथा रिलीज की गई एकमुश्त राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	आवंटित राशि (लाख रुपये में)	रिलीज की गई राशि	खर्च
1	2	3	4
2002-2003	4200.00	3360.00 @अ.शे. 611.75	3971.75
2003-2004	4200.00	4275.00	4081.50
2004-2005	4300.00	2105.00 प्रथम किस्त	उ० न०

@ अ.शे. - अव्ययित शेष राशि

(ङ) मैसर्स चेय्यार को-ओपरेटिव शुगर मिल्स लि०, अनक्कापुर, थेंडलम, चेय्यार, जिला टी.वी. मलय, तमिलनाडु ने कार्यशील पूंजी सहायता के लिए ऋण को स्वीकृत करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) से सम्पर्क किया है।

(च) यह सोसाइटी 620.00 लाख रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत करने के लिए पात्र पाई गई है तथा इस राशि को रिलीज करना सोसाइटी द्वारा प्रतिभूति के सर्जन पर निर्भर करेगा।

विवरण

गत तीन चीनी मौसमों तथा वर्तमान चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का राज्य-वार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	चीनी मौसम 2000-2001	चीनी मौसम 2001-2002	चीनी मौसम 2002-2003 (अ)	चीनी मौसम 2003-2004 (अ) 07.07.2004 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
पंजाब	4.96	5.93	5.11	3.25
हरियाणा	5.86	6.24	5.99	5.16
राजस्थान	0.06	0.05	0.00	0.10
उत्तरांचल	-	4.44	4.59	3.02
उत्तर प्रदेश	47.55	52.59	58.74	49.80
मध्य प्रदेश	0.93	0.71	0.85	0.77
छत्तीसगढ़	-	-	0.01	0.11
गुजरात	10.73	10.56	12.38	10.84
महाराष्ट्र	67.05	55.88	61.64	32.67
बिहार	2.88	3.39	4.21	2.59
असम	0.03	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.34	0.25	0.37	0.16
पश्चिम बंगाल	0.03	0.05	0.03	0.03

1	2	3	4	5
नागालैण्ड	-	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	10.22	10.48	11.88	6.96
कर्नाटक	16.04	15.50	17.98	10.11
तमिलनाडु	17.81	18.39	17.04	8.91
पांडिचेरी	0.38	0.39	0.32	0.19
केरल	0.07	0.05	0.05	0.00
गोवा	0.16	0.08	0.13	0.10
अखिल भारत	185.10	184.98	201.32	134.76

अ-अनन्तिम

पश्चिम बंगाल में समुद्री और नदी कटाव

3823. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र और नदी कटाव से पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में परिस्थितिकीय संतुलन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है:

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक खर्च की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सुन्दरवन क्षेत्र में नदी तटों और समुद्र के कुछ खण्ड कटाव के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।

(ख) और (ग) कटाव-रोधी कार्यों की आयोजना एवं उनके कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना (एनसीपीपी) में शामिल करने के लिए समुद्र तट की सुरक्षा और नदी के ज्वारीय खण्डों में तट सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 256.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र के संकटपूर्ण खण्ड शामिल हैं। चूंकि राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना की आयोजना विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए की गई है इसलिए तटीय संरक्षण संबंधी एक दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार किया गया और इस पर विचार करने के लिए तथा उपयुक्त विदेशी वित्तपोषण अभिकरणों की पहचान करने के वास्ते आर्थिक कार्य विभाग को भेजने हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया।

किसानों द्वारा आत्महत्या

3824. श्री पी॰सी॰ थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने तथा उनके सामने आ रही भारी कठिनाइयों के बारे में जुलाई, 2004 में कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार से प्राप्त दिनांक 24.7.2004 के ज्ञापन के अनुसार फसल चौपट होने तथा ऋण ग्रस्तता के कारण वायानाड जिले में आत्महत्या के लगभग 48 मामले सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त यह सूचना मिली है कि राज्य के अन्य जिलों से कई और मामले प्रकाश में आ रहे हैं। प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए दस करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई है। ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य तेलों, रबड़, चाय तथा काफी, काजू, कॅयर, नारियल, सुपारी, काली मिर्च से संबंधित समस्याओं

पर भी प्रकाश डाला गया है। सरकार ने इस संबंध में केरल के वायानाड जिले का दौरा करने हेतु एक बहु-अनुशासनात्मक केन्द्रीय दल प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

अक्षरधाम मंदिर के निर्माण का पर्यावरण पर प्रभाव

3825. श्री मोहन सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में निजामुद्दीन पुल के पास यमुना नदी के किनारे 25 एकड़ जमीन पर अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और इसको आबंटित करने वाले संगठन का नाम तथा तत्संबंधी प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या यमुना नदी के बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उक्त निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से न्यायसंगत है;

(घ) यदि हां, तो किस हद तक; और

(ङ) पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) द्वारा दिल्ली में यमुना नदी के किनारे निजामुद्दीन सेतु के निकट 'अक्षरधाम' मंदिर के निर्माण के लिए बोचनवासी अक्षर पुरषोत्तम संस्थान को 23.5 हैक्टेयर क्षेत्र आबंटित किया गया था और यह मंदिर निर्माणधीन है।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा मंदिर के निर्माण की अनुमति राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा किए गए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पर आधारित पर्यावरण प्रभावों की जांच और केन्द्रीय जल आयोग की यमुना स्थायी समिति से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही प्रदान की गई। परंतु पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय ने उक्त मंदिर के निर्माण के प्रभावों का कोई पर्यावरणीय मूल्यांकन आयोजित नहीं किया है।

शहतूस शॉल व्यापारियों का पुनर्वास

3826. सुश्री महबूबा मुफ्ती : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में उत्पादित शहतूत शॉलों का ब्यौर क्या है;

(ख) शहतूस उत्पादन एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का क्या कारण है;

(ग) क्या मृत पशु रेशों से उत्कृष्ट शहतूत शॉल के उत्पादन के बारे में किसी विशेषज्ञ से राय मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास ऐसे शॉलों के प्रभावित शिल्पकारों एवं व्यापारियों के पुनर्वास हेतु कोई योजना/प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) तिब्बत एंटीलोप के बालों से बने शहतूस के शालों के उत्पादन तथा व्यापार पर वन्य-जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत प्रतिबंध है। इस पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा भी जम्मू एवं कश्मीर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1978 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले दशक के दौरान केन्द्र सरकार तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने किसी व्यक्ति को विनिर्माण तथा व्यापार के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया है। इसका उत्पादन तथा व्यापार अवैध है तथा चोरी-छिपे होता है और केन्द्र सरकार कोई सूची का रख-रखाव नहीं करती।

(ख) तिब्बतन एंटीलोप से बनी वस्तुओं के उत्पादन तथा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के निम्नलिखित कारण हैं:

(i) जंगली प्राणीजात तथा वनस्पतिजात की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइटस) ने तिब्बत एंटीलोप (पैंथोलोप्स होडग्सोनी) को परिशिष्ट-I में शामिल किया है। इस प्रकार इसके व्यापार को 166 सदस्य देशों में सख्ती से नियमित किया जाता है।

(ii) चूंकि तिब्बतन एंटीलाप अत्यधिक संकटग्रस्त है। अत: इसे वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है इसलिए पशुओं के शिकार तथा इसके अंगों और उतपादों के व्यापार पर प्रतिबंध है।

(iii) तिब्बतन एंटीलोप को जम्मू एवं कश्मीर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1978 में अप्रैल, 2002 में संशोधन के मध्यम से अनुसूची-I में शामिल किया गया है, तदनुसार पशुओं के शिकार तथा इसके अंगों और उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध है।

(iv) भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति के तहत शहतूस ऊन से बनी वस्तुओं के निर्यात एवं आयात की मनाही है।

(ग) और (घ) दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर विशेषज्ञों ने मत दिया है कि शहतूस शाल के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली ऊन तिब्बत एंटीलोप को मारे जाने के बाद प्राप्त की जाती है। फॉरेंसिक रिपोर्टों से भी शहतूस शालों में तिब्बतन एंटीलोप के बालों की मौजूदगी साबित हुई है।

(ङ) केन्द्र सरकार के पास प्रभावित हुए दस्तकारों तथा व्यापारियों के पुन: स्थापन के लिए कोई विशिष्ट स्कीम/प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

3827. श्री मुन्शी राम :
श्री पारसनाथ यादव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश उद्योगों में श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है जैसाकि दिनांक 11 अगस्त, 2004 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) सरकार को राज्य-वार आज तक कितने राज्यों से श्रम कानूनों के उल्लंघन की रिपोर्ट मिली है;

(ग) सरकार ने अब तक कुल कितनी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध राज्य-वार कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में औद्योगिक इकाइयों को कोई दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थपित होती है।

पूर्वाह्न : 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजना के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थागित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब विपक्ष के नेता बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम आपसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मर्यादा बनाए रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारणतया इस समय में कोई अन्य बात नहीं कहता, लेकिन आज जो कुछ हुआ है, वह असाधारण है। हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए जाए। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि इस प्रकार से मुझे गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस आ रही है तो उन्होंने तुरंत एनाउंस किया कि मैं उससे पहले अपना त्याग-पत्र राज्यपाल को दे दूंगी और इस समय वह राज्यपाल की प्रतीक्षा कर रही हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : राज्यपाल वहां पहुंच गए है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर पहुंच गए हैं तो वह त्याग पत्र देने वाली होंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में तालमेल होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आपके नेता को भी सुनना चाहिए। दोनों पक्षों को एक दूसरे को सुनना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी के बोलने के बाद आपको मौका देंगे। अभी आप बैठ जाइए। आडवाणी जी को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रदेश की पुलिस का आचरण जितना गलत है, उतना ही सही उदाहरण मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत शीघ्र समाप्त करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से निवेदन करना चाहूंगा। कल जब उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रही हूं तब यह कहा गया कि यह नाटक है, वह तो केवल अपने अध्यक्ष को भेज दिया है, क्योंकि वह उम्मीद कर रही हैं कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने न केवल अपना इस्तीफा दिया है, साथ-साथ उन्होंने अपने नये नेता के चुनाव की भी व्यवस्था की है, जो इस समय वहां हो रहा होगा।

मेरा निवेदन है कि इसमें दो इश्यु उठते हैं कि अब तक दागी मंत्रियों के बारे में यहां जो सवाल उठाया था, उसके बारे में कहा कि इस प्रकार का उदाहरण नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अवसर नहीं दिया है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी आप सब बैठ जाइए। हम आडवाणी जी के बोलने के बाद आपको मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके लीडर बोल रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं, इसलिए हमने उन्हें पहले मौका दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा तालमेल होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, उमा भारती पर जो आरोप हैं, वह तो गर्व की बात है।...*(व्यवधान)* तिरंगा झंडा लहराने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। ...*(व्यवधान)* तिरंगा झंडा लहराने के अपराध में उनके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए गए। ... *(व्यवधान)* उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस घटना के घटने के बाद, जिनके खिलाफ भी नान-बेलेबल वारंट है, एक मंत्री हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी आपने आपकी बात कर दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, दागी मंत्रियों को सरकार से तुरंत हटा देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी तरफ ध्यान न दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये सदन में बैठें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये न। यह क्या बात हुई।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, मैं आपसे बैठने के लिए अनुरोध करता हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता वक्तव्य देना चाहते थे। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : लेकिन वे बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके लीडर को हमने बुलाया तो रूलिंग पार्टी के लोगों की बात भी सुनिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये ना।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना काम कीजिए। ऐसा करना मेरा काम है। आप हस्तक्षेप न करें। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही सभा पुनः समवेत हुई मैंने विपक्ष के नेता को बोलने के लिए बुलाया। उनका वक्तव्य समाप्त होने के बाद जो सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो आप उन्हें सुनिए।

(...व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने बोला है। हम सब के लिए बोल रहे हैं।

(...व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि आप मुझे सभा के सभी पक्षों से जुड़ा हुआ समझेंगे। मैंने आपको उचित सम्मान दिया है। श्री आडवाणी अपना वक्तव्य पूरा कर लेते हैं तो कृपया दूसरे की बात भी सुनिए कि उसे क्या करना है। यह मेरी आप सबसे पुरजोर अपील है।

आप बोलिए और दूसरों को भी सुनिए।

(...व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, क्या आपने बात पूरी कर ली हैं?

(...व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली): इनके बयान के बाद आप इनसे इस्तीफा देने के लिए कहिये। जब तक दागी मंत्री इस्तीफा न दें, तब तक हाउस कैसे चल सकता है। उमा भारती के इस्तीफे के बाद दागी मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.08 बजे

(इस समय श्रीमती किरण माहेश्वरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रघुनाथ झा। जो कुछ श्री रघुनाथ झा कहते हैं वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जल्दी-जल्दी करिये।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रघुनाथ झा : माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि यह एक अनहोनी घटना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक सरकार की पुलिस चली गई...*(व्यवधान)* लेकिन जिस समय शिबू सोरेन केन्द्र सरकार के मंत्री थे तो उनको गिरफ्तार करने के लिए जब झारखण्ड की पुलिस आई तो नेता प्रतिपक्ष बहुत खुश हो रहे थे और उस समय यह मांग कर रहे थे।...*(व्यवधान)* मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बाकी रहा दागी मंत्रियों का मामलना तो यह सदन दागी मंत्रियों के मुद्दे पर सात दिन तक नहीं चला, जब बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष दागी थे, सुश्री उमा भारती दागी थीं, ...*(व्यवधान)* श्री मुरली मनोहर जोशी दागी थे, ये सारे तब लोक सभा के मैम्बर थे। तब के प्रधानमंत्री ने प्रणव दाँ की बगल से खड़े होकर कहा कि हम इसे नहीं मानते, जब तक कोर्ट से सजा न हो जाये। ...*(व्यवधान)* दूसरी बात यह है कि यदि दागी मंत्रियों का मामला है तो उसमें फर्क है। उमा भारती पर दंगा फैलाने का चार्ज थी। ...*(व्यवधान)* यह नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य। जो कुछ भी बसुदेव आचार्य बोलें केवल वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, विपक्ष के नेता ने यह उल्लेख नहीं किया कि श्री शिबू सोरेन के मामले में झारखंड पुलिस ने क्या किया जो उस समय केन्द्रीय मंत्री थे। कुमारी उमा भारती ने देश के कानून और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने केवल कानून का ही उल्लंघन नहीं किया बल्कि वह जानबूझ कर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वहां गयी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

झण्डा फहराने के लिए नहीं गई थी दंगा फैलाने कि लिए गई थी ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.09 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री शीश राम ओला।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2004 जो 29 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 184 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2004 जो 29 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 559/04]

(2) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 181 जो 29 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ स्टेट काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन के संबंध में अधिसूचना में यथा उल्लिखित व्यावसायिक परीक्षण/परीक्षा और व्यवसाय/विषय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)

[गंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 560/04]

(3) अंतर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन द्वारा जेनेवा में 19 जून, 2003 को आयोजित अपने 91वें सत्र में स्वीकृत आईएलओ कन्वेंशन 185 कन्वेंशन जिसके द्वारा सीफेरर्स आइडेंटिटी डाक्युमेंटस कन्वेंशन 1958 में संशोधन किया गया है, के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 561/04]

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) (एक) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2002-03 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा रिवर बोर्ड झांसी के वर्ष 2002-03 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 562/04]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल में रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) कर्नाटक मीट एण्ड पोलट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2000-01 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पोलट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2000-01 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 563/04)

(ख) (एक) कर्नाटक मीट एण्ड पोलट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पोलट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2001-02 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 564/04]

(ग) (एक) कर्नाटक मीट एण्ड पोलट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2002-03 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पोलट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2002-03 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखारीक्षित लेखे तथ उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 565/04]

(घ) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवंतपुरम का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखारीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखारीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 566/04]

(ङ) (एक) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्लेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखो तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 567/04]

(च) (क) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखो तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 568/04]

(छ) (एक) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 569/04]

(ज) (क) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 570/04]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सुख्या का.आ. 807 (अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20क के अंतर्गत नीम कोटेड यूरिया को अनंतिम उर्वरक के तौर पर दो वर्ष की अवधि के लिए वाणिज्यिक परीक्षण के लिए अधिसूचित किया जाने वाला आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 571/04]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2004 जो 3 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 94(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 9 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 107(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 572/04]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का0आ0 525 (अ) जो 23 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथ जिसके द्वारा 23 अप्रैल, 2004 से प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंध तथा योजना प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 573/04]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 203(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना जो 22 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 44(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि.0 228(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना जो 29 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 के उपबंधों के अनुसार वर्ष 2003-04 के शुगर सीजन के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य अधिसूचित किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 438(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 के उपबंधों के अनुसार वर्ष 2003-04 के शुगर सीजन के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य अधि सूचित किया गया है।

(चार) सा.का.नि.191 (अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी जो 12 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 8 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 17(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(पांच) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2004 जो 22 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सा.का.नि. 204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 574/04]

(2) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-01 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 575/04]

अपराह्न 2.11 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

पहला से चौथा प्रतिवेदन

श्री एम०एम० पल्लम राजू (काकीनाड़ा) : मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2004-2005)" संबंधी पहला प्रतिवेदन ;

(2) डाक विभाग से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2004-2005)" संबंधी दूसरा प्रतिवेदन ;

(3) दूरसंचार विभाग से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2004-2005)" संबंधी तीसरा प्रतिवेदन; और

(4) सूचना और प्रसारग मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2004-2005)" संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.11½ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : मैं, शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करना हूं :

(1) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी पहला प्रतिवेदन; और

(2) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन ।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष माहेदय : आप जाइए और वहां बैठ जाइए। मैं आपका नाम पुकारूंगा।

अपराह्न 2.12 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : मैं, जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी पहला प्रतिवेदन (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करना हूं।

अपराह्न 2.12½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

एक सौ नौवां और एक सौ दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी एक सौ नौवां प्रतिवेदन; और

(2) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी एक सौ दसवां प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गणेशन, आप बोलना चाहते थे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के पट्टाली मक्कल काची के संस्थापक नेता को तमिलनाडु में अवैध शराब की बिक्री में बाधा पहुंचाने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है *(...व्यवधान)* हम सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे नेता जिन्होंने ताड़ी और शराब की दुकानें खोले जाने का विरोध किया था, को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया *(...व्यवधान)* उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। हम माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और उन्हें तत्काल रिहा कराने का प्रयास करें। उन्हें आज प्रातः गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

अब, श्री पवन कुमार बंसल आप बोलना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, तिरंगा झंडा हमारी राष्ट्रीयता का एक पवित्र प्रतीक है।...*(व्यवधान)* लेकिन यह नहीं कि उस झंडे की आड़ में लोग गैरकानूनी काम करें। ...*(व्यवधान)* कानून के तहत कोई भी आदमी बेशक वह मंत्री या मुख्यमंत्री ही क्यों न हों, अगर कहीं ऐसा काम करता है जिससे दंगा हो, तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ...*(व्यवधान)* अगर कोई एक प्रांत का मुख्यमंत्री दूसरे प्रांत में ऐसा करें तो उसका मतलब यह नहीं कि पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे।...*(व्यवधान)*ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि एक प्रांत की पुलिस दूसरे प्रांत में गयी हो। हाल ही में झारखंड की पुलिस केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेकर दिल्ली पहुंच गयी थी जबकि उसके खिलाफ केस को वापिस लेने का मसला कचहरी में चल रहा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जिनको मैं बुलाता हूं केवल उन्ही के भाषणों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे इस बात पर ताज्जुब है कि श्री आडवाणी जैसे वरिष्ठ सदस्य भी दो तरह की बातों को मिलाकर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने सदन में साफ-साफ कहा कि सुश्री उमा भारती पर जो आरोप लगे हैं, वे गौरव के विषय हैं। सुश्री उमा भारती पर दंगा फैलाने का आरोप है, साम्प्रदायिकता फैलाने का आरोप है, हत्या का सिलसिला बढ़ाने का आरोप है।...*(व्यवधान)* क्या यह गौरव की बात है?...*(व्यवधान)* संसदीय इतिहास में यह अजीब स्थिति पैदा हो गयी है।...*(व्यवधान)* यह असाधारण स्थिति जरूर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या झारखंड की पुलिस केन्द्रीय मंत्री श्री शिबू सोरेन जी के मामले में दिल्ली प्रदेश नहीं गयी थी?...*(व्यवधान)* क्या यह असाधारण स्थिति नहीं थी? ...*(व्यवधान)* यह दोहरा मापदंड चल रहा है।...*(व्यवधान)* विपक्ष के नेता दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* किसी का भी ईदगाह में जाकर इस तरह से तिरंगा झंडा फहराना क्या यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं है?...*(व्यवधान)* यह सब आचरण देश के संविधान के विरुद्ध है। जहां तक दागी मंत्रियों का सवाल है, एनडीए में पहले भी दागी मंत्रियों की भरमार रही है।...*(व्यवधान)* डॉ. मुरली मनोहर जोशी, सुश्री उमा भारतीय और आडवाणी जी पर भी आरोप थे। ...*(व्यवधान)*

विषम परिस्थिति यह है कि सुश्री उमा भारती ने नौ सालों से अदालत का सम्मान नहीं किया। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट है। उनको अदालत का सम्मान करना चाहिए। उनको न्याय प्रक्रिया में जाना चाहिए। उन्हें अपना इस्तीफा राज्यपाल को देना चाहिए न कि श्री वैंकेया नायडू को देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में जाना चाहिए। उन्हें अपना इस्तीफा राज्यपाल को देना चाहिए न कि श्री वैंकेया नायडू को देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह पर्याप्त है। कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.15 बजे

दिनांक 12.07.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

(एक) जल की कमी।

(दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं.-11 पर विचार करेगी। श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

...*(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं पानी की कमी के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 84 (प्राथमिकता सं.-4) के उत्तर में 12.7.2004 को लोक सभा के पटल पर रखे गए विवरण के साथ संलग्न परिशिष्ट को प्रतिस्थापित करना हूं। परिशिष्ट को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) के प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध हो गए हैं।

सभा स्थगित हो जाने के कारण 22.7.2004 तथा 23.7.2004 को वक्तव्य नहीं दिया जा सका।

माननीय सदस्यों को हुई असुविधा के लिए खेद है। ...*(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) के सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अन्तर्गत शामिल क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा।

*(दिनांक 12.7.2003 के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. *+ 84 के उत्तर में अनुलग्नक)*

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या		ब्लॉकों की संख्या		क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में	
		डीपीएपी	डीडीपी	डीपीएपी	डीडीपी	डीपीएपी	डीडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11	1	94	16	99218	19136
2.	बिहार	6	-	30	-	9633	-
3.	छत्तीसगढ़	8	-	29	-	21801	-
4.	गुजरात	14	6	67	52	43938	55424
5.	हरियाणा	-	7	-	45	-	20542
6.	हिमाचल प्रदेश	3	2	10	3	3319	35107
7.	जम्मू और कश्मीर	2	2	22	12	14705	96701
8.	झारखंड	14	-	100	-	34843	-
9.	कर्नाटक	15	6	81	22	84332	32295
10.	मध्य प्रदेश	23	-	105	-	89101	-
11.	महाराष्ट्र	25	-	149	-	194473	-
12.	उड़ीसा	8	-	47	-	26178	-
13.	राजस्थान	11	16	32	85	31969	198744

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	तमिलनाडु	16	-	80	-	29416	-
15.	उत्तर प्रदेश	15	-	60	-	35698	-
16.	उत्तरांचल	7	-	30	-	15796	-
17.	पश्चिम बंगाल	4	-	36	-	11594	-
	कुल	182	40	972	235	745914	457949

अपराह्न 2.15½ बजे

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रबड़ की कीमतों में गिरावट

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद सं. 12-ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी का ध्यान अविलंबनीय महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और यह अनुरोध भी कर रहा हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें;

"रबड़ की कीमतों में गिरावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वाणिज्य और उद्योग मंत्री अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ) : अध्यक्ष महोदय, मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं...*(व्यवधान)*

* माननीय अध्यक्ष महोदय घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमतें वर्ष 1998 से 2002 तक के लम्बे समय में कम रही थीं। एक समय ये कीमतें गिरकर 30 रुपए प्रति कि.ग्रा. से भी कम हो गयी थीं। घरेलू कीमतों का रुख अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार रहता है।

सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में मार्च, 2002 से आंशिक रूप से सुधार होना शुरू हुआ था और उसके बाद पर्याप्त सुधार देखा गया है। पिछले आठ महीनों के दौरान कीमतें 50 रुपए कि.ग्रा. से अधिक रही है जो जून में औसतन लगभग 63 रुपए प्रति कि.ग्रा. जुलाई, 2004 में लगभग 65 रुपए प्रति कि.ग्रा. थी। अगस्त, 2004 में यह कीमत 55 से 58 रुपए प्रति कि.ग्रा. के बीच रही है। यह प्रवृत्ति न्यूनाधिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप चलती रहती है।

मार्च, 2002 से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें सामन्यतौर पर घरेलू कीमतों से मामूली अधिक चल रही थी। अप्रैल-जून, 2003 में और पुन: जून-जुलाई, 2004 में घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक थीं। इस समय घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से थोड़ी सी कम हैं।

केरल में रबड़ उपजकर्ता क्षेत्र में व्याप्त मौसम की असामन्य स्थितियों के कारण भी हाल में घरेलू कीमतों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई थी। मई-जुलाई, 2004 में अनुमानित उत्पादन की तुलना में कम उत्पादन हुआ। अगस्त, 2004 में बाजार में माल पहुंचने में सुधार हुआ है।

प्राकृतिक रबड़ के आयात को दिसम्बर, 2001 से केवल कोलकाता और विशाखापत्तनम के दो पत्तनों तक प्रतिबंधित कर दिया गया था जिसे 6.8.2004 से समाप्त कर दिया गया है। पत्तन प्रतिबंध लागू करने के समय प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमतें कम थीं और प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में सुधार हो जाने तथा उपभोक्ता उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राकृतिक रबड़ के आयात पर से पत्तन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है।

इस समय पिछले वर्ष की इसी समय की कीमतों से अधिक कीमतें हैं और ये लगभग 55 रुपए प्रति कि.ग्रा. के काफी अच्छे स्तर पर चल रही है।

महोदय, हम रबड़ की कीमतों पर निरंतर निगरानी रखेंगे। यदि घरेलू कीमतों में कोई गिरावट आती है तो सरकार स्थिति से निपटने के लिए हस्तक्षेप करके उचित कार्रवाई करेगी।* ...*(व्यवधान)*

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 2.16 बजे

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधियां (निरसन) विधेयक *–पुरःस्थापित

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मुझे कतिपय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "कतिपय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करत हूं.**...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.16-1/2 बजे

नियम 377 के अधीन मामले@

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा।

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 'जरावाओं' के हितों का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं अंडमान और निकोबार में हो रही घटनाओं जिनके बारे में वस्तुतः जनता को ज्ञात नहीं है, के बारे में केन्द्र सरकार एवं देश की जानता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना तक ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था एवं उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी अंडमान को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है। पहले लोग नाव/जहाज से यात्रा करते थे एवं कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब समुद्र तूफानी होता है, जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों को उल्टी होती थी एवं बिना सोए रात गुजरानी पड़ती थी। यह सड़क जरवा जनजाति क्षेत्र से गुजरती है। जारवा जनजरति ने दुश्मनी की भावना छोड़ दी है एवं पिछले दो वर्षों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जारवा जनजाति को उनके तथाकथित शुभचिंतकों द्वारा मानव नहीं समझा जाता है और वे जारवाओं को संग्रहालय की वस्तुएं बनाना चाहते थे। ये जारवा जनजाति के लोग भूखें रह रहे हैं क्योंकि आजकल अंडमान के वनों में खाने को कुछ भी नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से देश के सर्वोत्तम हित में अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार का ध्यान दिल्ली की 1500 से अधिक अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 30 लाख से अधिक गरीब एवं निम्न मध्यम श्रेणी के नागरिकों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। दिल्ली की कुल आबादी का पांचवां भाग बुनियादी नागरिक सुविधाओं के अभाव में और अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता की स्थिति में जी रहा है। इस दयनीय स्थिति से 30 लाख नागरिकों को मुक्ति दिलाना सरकार का नैतिक एवं मानवीय दायित्व तो है ही, संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक दायित्व भी है। मेरा सम्मानित सदन एवं सरकार से आग्रह है कि दिल्ली की निर्वाचित विधान सभा द्वारा दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में घोषित वर्ष 1976-77 की नियमन नीति के आधार पर नियमित करने के तर्कसंगत एवं लोक-स्वीकार्य, सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार किया जाए और नियमन प्रक्रिया प्रारंभ की जाये।

(तीन) राजस्थान में राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यता

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, गाड़ी नं. 2916 अप आश्रम एक्सप्रेस दिल्ली से सायं 4.00 बजे रवाना होकर अलवर-जयपुर हो हुए अहमदाबाद जाती है और गाड़ी नं. 2915 डाउन आश्रम एक्सप्रेस अहमदाबाद से इसी रास्ते होते हुए लौटकर दिल्ली आती है। यह गाड़ी जाते समय लगभग सांय 6.13 बजे अलवर और दौसा के बीच पड़ने वाले राजगढ़ स्टेशन पर से गुजरती है और गाड़ी नं. 2915 डाउन प्रातः 6.30 बजे भी राजगढ़ स्टेशन से गुजरती है। वर्तमान में इस गाड़ी का ठहराव राजगढ़ पर नहीं है। राजगढ़ से दिल्ली की ओर जाने वाले सैंकड़ों यात्रियों, व्यापारियों एवं अलवर-दिल्ली में नौकरी करने वाले यात्रियों के लिए इस गाड़ी का ठहराव न होने से वहां की जनता को भारी असुविधा रहती है।

एक तथ्य यह भी है कि लगभग 90 प्रतिशत ऐसा होता है कि पूजा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग के लिए इस गाड़ी को राजगढ़ में ठहरना भी पड़ता है।

@ सभा पटल पर रखे माने गए।

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 23.8.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि इस गाड़ी का 2 मिनट का ठहराव राजगढ़ (अलवर) में करवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चार) जम्मू और कश्मीर में ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को बेहतर वेतन और सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह (ऊधमपुर) : यह बहुत ही चिंता का विषय है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के हजारों युवकों ने स्वैच्छा से निर्दोष ग्रामीणों के जीवन की रक्षा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ग्राम सुरक्षा समिति (वीडीसी) एसपीओ में शामिल हुए हैं। वे राज्य के विभिन्न भागों में जारी आतंकवादी हमलों से अत्यधिक दबाव महसूस कर रहे हैं। इस तथाकथित कृतिक बल ने न केवल अपनी क्षमता प्रदर्शित की है बल्कि उनकी क्षमता/विश्वसनीयता अन्य किसी सुरक्षा बल से कहीं अधिक रही है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते समय कईयों को या तो गंभीर चोट आती है या मुठभेड़ में अपनी जान न्यौछावर कर दी है उनके सच्चे प्रयासों को हमारा देश भुला नहीं सकता है।

यही भी सच है कि उनके पास हथियारों के सीमति संसाधान से वे हमेशा आतंकवादी हमलों से लड़ने को तैयार रहते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अत्याधुनिक हथियारों के उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है एवं सरकार की ओर से हथियार, वर्दी, जूते उपलब्ध कराने के लिए प्रयास होने चाहिए एवं उनका हौसला ऊंचा रखने के लिए वर्तमान में दी जा रही 460 रुपये की टोकन मनी को 1500 रुपये की जाए।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह एस आर ओ 43 के अधीन दिवंगत के निकटम रिश्तेदार को अनुकम्प के आधार पर नौकरी-सुरक्षा प्रदान करें। मैं आगे यह भी मांग करता हूं कि उनका वेतन कम से कम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बराबर तक बढ़ाया जाए ताकि उनके सच्चे प्रयासों की अनदेखी न हो।

(पांच) गौड़सरगिगुड़ा गांव में बंद पड़ी चीनी मिल का अधिग्रहण करने तथा उसे चालू करने के लिए उड़ीसा के कालाहांडी जिले में नवगठित चीनी सहकारिता को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : वेस्टन इंडिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने कालाहांडी जिला के जूनागढ़ प्रखण्ड के अंतर्गत गौडसरगीगुड़ा गांव में 2500 मीट्रिक टन क्षमता वाली एक चीनी मिल की स्थापना की थी। यह चीनी मिल चार वर्षों तक चलने के बाद बंद हो गई तथा गन्ना उत्पादकों की अकांक्षाएं व आशाएं चकनाचूर हो गयीं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस चीनी मिल को पुनः चालू करने हेतु कदम उठाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि गन्ना उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी होने की वजह से लोग धान की जगह गन्ने का उत्पादन करके फसल विविधीकरण तरीकों को अपना रहे हैं। इस चीनी मिल को चलाने हेतु आसान शर्तों पर ऋण सुविधा की व्यवस्था करने के अलावा इसका मूल्य-ह्रास कीमत पर अधिग्रहण करने के लिए एक नवगठित चीन कॉपरेटिव मालंकेश्वरी शुगर कॉपरेटिव को बढ़ावा दिया जाए। खाद्य मंत्रालय से प्राप्त होने वाली सभी निधियां जैसे चीनी विकास निधि को भी उन्हें मुहैया कराया जाना चाहिए।

(छह) मध्य प्रदेश में बेतुल और हरदा जिलों में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल सेवा के कार्यकरण को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के बेतूल एवं हरदा जिले में बीएसएनएल की मोबाइल सेवा की हालत बहुत खराब है। बेतूल में दो राष्ट्रीय राजमार्ग औबेदुलागंज से नागपुर (एनएच 69) एवं इंदौर से बेतूल (एनएच 59ए) जुड़ते हैं। घोषित नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों को मोबाइल सेवा दी जानी है। परन्तु अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग 59ए पर बहुत कम स्थानों पर यह सेवा चालू है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 69 (औबेदुलागंज-नागपुर) पर इटारसी से मुलताई के बीच कई जगहों पर सेवा नहीं मिलती है। साथ ही मुलताई एवं इसके बाद यह सेवा अभी भी चालू नहीं है। इस सुविधा का लाभ लोगों को प्राप्त हो सके, इसके इंतजाम किये जायें। बीएसएनएल की प्रीपेड सिम पिछले 8-10 माह से नहीं मिल रही है, जिसके कारण लोग सुविधा से वंचित हैं। सरकार इस पर भी ध्यान देकर सिम उपलब्ध कराये।

(सात) मैक्सी-इंदौर-दाहौद-गोधरा रेल लाइन पर कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल प्रदेश है। प्रदेश की विकास की दृष्टि से मक्सी-इंदौर-दाहोद-गोधरा रेल लाईन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंदौर से धार झाबुआ से लेकर गोधरा तक का इलाका पूर्णतया आदिवासी क्षेत्र है। जहां के लोगों ने रेलवे आज तक देखी भी नहीं है।

1985 में मक्सी-देवास-इंदौर-दाहोद-गोधरा रेलवे प्रोजेक्ट बनाया गया जो करीब 375 करोड़ का था। समय पर कार्य न होने के कारण आज केवल इंदौर सरदारपुर हिस्से की लागत करीब 900 करोड़ हो गयी है। प्रतिवर्ष केवल अत्यल्प राशि इस प्रोजेक्ट को

आवंटित होती है, जिस कारण गत 15-17 साल में केवल मक्सी देवास एक छोटे हिस्से में ही कार्य संपन्न हो सका और आगे पूरा आदिवासी क्षेत्र आज भी रेलवे तथा विकास की राह देख रहा है। अत: प्रोजेक्ट में जितना विलंब होता है लागत भी उतनी ही बढ़ जाती है।

अत: मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लिया जाए।

(आठ) रोजगार सृजन कार्यक्रमों को चलाने के लिए कमजोर वर्गों को सुलभ ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की सस्ती दरों पर ऋण और अनुदान देने की योजनाओं को व्यापक और कारगर रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत वित्त निगमों से लघु-वित्त योजनाओं को लागू करने के विशेष उपाय करने की जरूरत है।

इसके लिए कमजोर वर्ग के लोगों को जानकारी देना तथा सरलता से ऋण उपलब्ध कराने की पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

(नौ) देश में समन्वित बाल विकास योजना के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को देय मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी.सतीदेवी (बडागरा) : वर्ष 1975 में शुरू की गयी समेकित बाल विकास योजना अभी तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी है। इस योजना के क्रियान्वयन में खामियों की वजह से परिकल्पित लाभ लक्षित समूहों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु इस योजना के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाओं की कमी है। इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में एकरूपता नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों को आवंटित कार्य की प्रकृति और समय सीमा में एकरूपता होनी चाहिए तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्य के बोझ पर विचार करते हुए उनके मानदेय की राशि बढ़ायी जानी चाहिए।

(दस) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थानीय युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से वहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्तिवर्धन सिंह (गोण्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह जिला प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यहां के बेरोजगार लोग रोजगार जुटाने हेतु महानगरों एवं अन्य शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। महोदय, इस जिले में बड़ी मात्रा में झीलें और वन सम्पदा है लेकिन आजादी की 56 वर्षों के बावजूद इनका समुचित उपयोग नहीं हो पाया है।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस जिले को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये जिससे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पदा का सही ढंग से इस्तेमाल हो सके। ऐसा करने से एक ओर सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, दूसरी ओर इस क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, जनपद उन्नाव तथा जनपद फतेहपुर के बीच सीधा रास्ता आज तक नहीं बन सका है। जिसमें आवागमन में भारी असुविधा हो रही है व व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि गंगा नदी पर बक्सर के पास पुल बनवाने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव मंगवा कर पुल बनवाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(बारह) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के पेंशनभोगियों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के रेगुलर वर्क एस्टिबलिशमेंट के अन्तर्गत कार्यरत कामगारों को 1.7.1996 से पेंशन योजना के तहत लगाया गया था। पूर्व में वे मार्च 1971 से जून 1986 तक कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत 'पारिवारिक पेंशन' में अंशदान कर रहे थे। टी.एन.ई. की पेंशन योजना में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप पूर्व में कामगारों के वेतन से वसूल किए गए और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को विप्रेषित किए गए अंशदान को उन्हें वापिस किया जाता है। कामगारों ने प्रपत्र 10-सी में अपने दावों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु

को उचित माध्यम से प्रस्तुत किया है परन्तु किन्हीं कारणों से उनकी बकाया धनराशि उन्हें वापस नहीं की गई है।

पांचवें वेतन आयोग ने परिवर्तित पेंशन को 12 वर्षों में पुर्नबहाल करने की सिफारिश की थी जिसे केरल और कर्नाटक में बहाल किया गया है। सेनानिवृत्ति पर प्राप्त परिवर्तित पेंशन को 11 वर्षों की अवधि के अन्दर फिर से भुगतान किया जाता है। परन्तु परिवर्तित पेंशन के एक अंश का 15 वर्षों की अवधि तक कटौती किया जाना जारी रहता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कर्मिक और पेंशन और लोक शिकायत मंत्री से पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुसार परिवर्तित पेंशन की अवधि को 12 वर्ष तक पुनर्बहाल करने का अनुरोध करता हूं।

मैं भारत सरकार से, विशेषकर माननीय श्रम मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन में अंशदान करने वाले तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के कामगारों से कटौती की गई अतिरेक धनराशि को उन्हें कृपया यथाशीघ्र वापस किया जाए।

[हिन्दी]

(तेरह) महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में धान का समर्थन मूल्य एक हजार रुपये प्रति क्विंटल घोषित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में एवं देश में धान की खेती में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। लगातार अकाल से भी धान उत्पादक किसानों को जूझना पड़ता है। वह किसान कर्जे से लदा है। उत्पादन खर्च ज्यादा है तथा उसे धान बेचकर बहुत कम रुपया मिलता है। इसलिए उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। इसलिये धान उत्पादक किसानों को एक हजार रुपये प्रति क्विंटल सपोर्ट प्राईज दी जाए जो लाभकारी मूल्य हो एवं केन्द्र सरकार खरीदने की व्यवस्था करे।

(चौदह) टेलीफोन कनेक्शनों के लम्बित मामलों को निपटाने के लिए बिहार के सारण जिले में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रांत के सरण जिला अंतर्गत एकमा, पन्नापुर, दुरौंदा, महाराजगंज, नबीगंज एवं भगवानपुर प्रखंडों के क्रमशः जमनपुरा बाजार, कोन-भगवानपुर, बुर्जवॉ जलालपुर, रजनपुरा बाजार, किनरथू डुमरा बाजार एवं माधर क्षेत्र के हजारों उपभोक्ता वर्षो से दूरभाष कनैक्शन हेतु प्रतीक्षारत हैं, परन्तु एक्सचेंज की कमी एवं केबल आपूर्ति की कमी की वजह से उपरोक्त उपभोक्ताओं को कनैक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

आम जनता को हो रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं कि एकमा प्रखंड के अंतर्गत जमनपुरा बाजार, पन्नापुर प्रखंड अंतर्गत कोन-भगवानपुर, दुरौंदा प्रखंड अंतर्गत, बुर्जवा जलालपुर, महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत रजनपुरा बाजार, नबीगंज प्रखंड अंतर्गत किनरथू डुमरा बाजार एवं भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत माधर में नया दूरभाष एक्सचेंज खोला जाए ताकि आम जनता की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

(पन्द्रह) उत्तर बिहार में गढ़हारा (बरौनी) में रेलवे स्पेयर पार्ट्स फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सूरज सिंह (बलिया, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत गढ़हारा स्थित रेलवे की हजारों एकड़ खाली पड़ी जमीन की ओर सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बिहार विभाजन के बाद उत्तर बिहार का गढ़हारा (बरौनी) एकमात्र ऐसा स्थल है, जहां औद्योगिक वातावरण, सुगम संचार, परिवहन एवं विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। पूर्व में इस खाली पड़ी जमीन के उपयोग एवं क्षेत्र के समुचित विकास हेतु एक कल-पुर्जा कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव भी रेल बजट में शामिल किया गया था।

सदन के माध्यम से मेरा आग्रह है कि उत्तर बिहार की इस औद्योगिक नगरी, गढ़हारा (बरौनी) के इस विशाल खाली पड़ी जमीन पर एक अविलम्ब रेल कल-पुर्जा निर्माण कारखाना स्थापित किया जाये ताकि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके एवं रेल सम्पत्ति का समुचित उपयोग रेल हित, राज्य हित एवं राष्ट्र हित में हो।

अपराह्न 2.17 बजे

रेल बजट, 2004-2005-अनुदानों की मांगें

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा वर्ष 2004-2005 हेतु बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण जिनके वर्ष 2004-2005 हेतु बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांगें के कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो 15 मिनट के अन्दर जिस कटौती प्रस्ताव को वे रखना चाहें उस कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या को दर्शाते हुए पर्चीं भेज सकते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को रखा हुआ माना जाएगा।

रखे गए माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची को तुरन्त ही नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। यदि कोई सदस्य सूची में कोई विसंगति पाता है, तो इसे तत्काल अधिकारी के ध्यान में लाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

कटौती प्रस्ताव*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01-01.02.01) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

झकपुरा-बनासपानी रेल लाइन के कार्य को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने में असफलता। (164)

रेल और यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के मामले में उड़ीसा राज्य की उपेक्षा (165)

नई रेलगाड़ियों को शुरू करने, नई रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण और विद्युतीकरण आदि के मामलों में उड़ीसा की उपेक्षा (166)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01.-01.02.01) में 100 रुपए कम किए जाएं।

नई दिल्ली से भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता को सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन किए जाने की आवश्यकता। (167)

ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल में कटक रेलवे स्टेशन का विकास और विस्तार किए जाने की आवश्यकता (168)

कटक रेलवे स्टेशन को एक माडल स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता (169)

कटक और मुम्बई, बरास्ता संभलपुर, के बीच नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (170)

पुरी और पुट्टापर्ती के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (171)

भुवनेश्वर और सूरत के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (172)

दिल्ली से पुरी बरास्ता सम्बलपुर द्वितीय वातानुकूलित डिब्बे वाली और अधिक रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (173)

बोंडामुंडा रेलवे स्टेशन और उसके आस-पास के क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व रेल के क्षेत्राधिकार से ईस्ट कोस्ट रेल के क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता। (174)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.01-04.03.01) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कटक रेलवे स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए चर्चा। (175)

कटक के गोपालपुर-बालिकुडा में रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (176)

ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत कटक के समीप काठाजोड़ी और कुआखै नदी पर दोहरे रेलवे पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (177)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01-01.02.01) को कम करके 1 रुपया किए जाएं।

ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत महानदी पर दूसरे रेल पुल के कार्य को पूरा करने के अधिक निधि उपलब्ध कराए जाने में असफलता। (200)

खुर्दा रोड-पुरी रेल लाइन के दोहरीकरण की चल रहीं रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराये जाने में असफलता। (201)

उड़ीसा राज्य में चल रहीं रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने में असफलता। (202)

उड़ीसा में प्राथमिकता के आधार पर रेलवे की अवसंरचना को विकसित करने में असफलता। (203)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01-01.02.01) में 100 रुपए कम किए जाएं।

ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत पुरी और मालतीपटपुर के बीच रेलवे स्टेशन पर रेलों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (204)

---

* अध्यक्ष महोदय के निदेशों के निदेश 43 के अन्तर्गत कटौती प्रस्ताव (संख्या 164-177 और 200-215) सभा द्वारा अस्वीकृत किया गया माना गया।

उड़ीसा में दाईतारी–बनसपानी रेल लिंक को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता। (205)

खुर्दा रोड-बोलनगीर रेल लिंक के कार्य को पूरा करने के लिए अधिक निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (206)

ईस्ट कोस्ट जोन, भुवनेश्वर को पूर्णत: कार्य करने के लिए अधिक निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता । (207)

कटक और हैदराबाद के बीच नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (208)

कि परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.01-16.02.03) को कम करके 1 रुपए किये जाये।

नई रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण, सर्वेक्षण और विद्युतीकरण के लिए निधि उपलब्ध न करा कर उड़ीसा राज्य की उपेक्षा। (209)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.01-16.02.03) को कम करके 100 रुपया किया जाए।

उड़ीसा में पुरी-भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सत्यबदी के निकट एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (210)

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर नाचुनी और बालूगांव के निकट एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (211)

ईस्ट कोस्ट रेलवे के राज-अथागढ़ रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (212)

ईस्ट कोस्ट रेलवे के जनकदाईपुर रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (213)

ईस्ट कोस्ट रेलवे के घंटीकल-निधिपुर रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (214)

ईस्ट कोस्ट रेलवे के साखीगोपाल रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (215)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 2004-2005 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) को मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ-2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशि के लिए कार्यसूची के स्तम्भ-5 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2004-05 के लिए रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

क्रम संख्या	मांग का नाम	3.2.04 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांग की राशि	14.7.04 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3	4	5
1.	रेलवे बोर्ड	24,11,67,000	13,40,83,000	37,52,50,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	84,66,67,000	42,33,33,000	127,00,00,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	573,30,17,000	301,27,08,000	874,57,25,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यो की मरम्मत और अनुरक्षण	1121,41,98,000	505,06,99,000	1626,48,97,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	576,56,22,000	258,03,61,000	834,59,82,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	1141,42,45,000	588,88,72,000	1730,31,17,00000
7.	संयत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	630,75,89,000	302,31,95,000	933,07,83,000

* अध्यक्ष महोदय के निदेशों के निदेश 43 के अन्तर्गत कटौती प्रस्ताव (संख्या 164-177 और 200-215) सभा द्वारा अस्वीकृत किया गया माना गया।

1	2	3	4	5
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	938,62,74,000	478,48,37,000	1417,11,10,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	2953,83,79,000	2431,28,95,000	1739,88,54,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	2760,66,58,000	1377,54,79,000	4138,21,37,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	470,05,62,000	219,86,31,000	689,91,92,000
12.	विधि संचालन व्यय	576,57,67,000	279,65,83,000	856,23,50,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	2186,51,14,000	1043,25,57,000	3229,76,71,000
14.	निधियों में विनियोग	3206,66,67,000	1863,33,33,000	5070,00,00,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	24,45,22,000	12,22,60,500	3616,06,17,500
16.	परिसंपत्तियां अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव			
	राजस्व	11,66,67,000	5,83,33,000	17,50,00,000
	अन्य व्यय			
	पूंजी	6514,64,28,000	3423,32,14,000	9937,96,41,000
	रेलवे निधियां	1084,765,67,000	674,88,33,000	1759,65,00,000
	रेलवे संरक्षा निधि	133,66,67,000	66,83,33,000	200,50,00,000
	विशेष रेलवे संरक्षा निधि	1081,96,67,000	609,98,33,000	1691,95,00,000
	जोड़	26096,35,44,000	14497,83,72,500	40525,33,26,500

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने चर्चा करने का अवसर खो दिया। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.19 बजे

* विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2004

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

...(व्यवधान)

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 2 दिनांक 23.8.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी अब इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप अपनी-अपनी जगहों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्रीजी विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 24 अगस्त 2004 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 अगस्त, 2004/2 भाद्रपद, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न की संख्या
1	2	3
1.	श्री अजय चक्रवती श्री गुरूदास दासगुप्त	382
2.	श्री बिक्रम केशरी देव श्री अधीर चौधरी	383
3.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	384
4.	श्री रामदास बंडु आठवले श्री काशीराम राणा	385
5.	श्रीमती करूणा शुक्ला डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	386
6.	श्री सुरेश कुरूप श्री पी.सी.थामस	387
7.	श्री के.सी.सिंह 'बाबा'	388
8.	श्री सुग्रीव सिंह	389
9.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	390
10.	श्री अजय माकन	391
11.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्री अनंत नायक	392
12.	श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	393
13.	श्री एन.एन.कृष्णदास	394
14.	श्री जी.एम.सिद्दीश्वर	395
15.	श्रीमती अर्चना नायक	396
16.	श्री अवतार सिंह भडाना श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	397
17.	श्री जुएल ओराम	398
18.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड्	399
19.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	400
20.	श्री सीताराम सिंह श्री किन्जरपु येरननायडु	401

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न की संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	3687
2	आदित्यनाथ, योगी	3682, 3706
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	3705
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3618, 3678, 3738, 3798, 2820
5.	अहमद, श्री अतीक	3617, 3671, 3731
6.	अनंत कुमार, श्री	3802
7.	आठवले, श्री रामदास बंडु	3736, 3818
8.	बाबा, श्री के.सी. सिंह	3758
9.	बैस, श्री रमेश	3608
10.	बारड्, श्री जसुभाई दानाभाई	3735, 3817
11.	बर्मन, श्री हितेन	3638
12.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	3604
13.	भगोरा, श्री महावीर	3655, 3803
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	3667, 3706, 3764
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3658, 3753
16.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3786
17.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3768
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3706
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3751, 3823
20.	चालिहा, श्री किरिप	3623, 3742
21.	चन्देल, श्री सुरेश	3664
22.	चन्द्र कुमार, प्रो.	3711
23.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3720
24.	चटर्जी, श्री सांताश्री	3715
25.	चव्हाल, श्री हरिचंद्र	3682

1	2	3
26.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3656, 3659, 3754, 3778
27.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	3671, 3767
28.	चौधरी, श्री अधीर	3643, 3677 3747, 3821
29.	दरबार, श्री छतर सिंह	3654, 3783
30.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	3642, 3757
31.	देवरा, श्री मिलिन्द	3602, 3678
32.	धोत्रे, श्री संजय	3678
33.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	3665, 3688, 3697, 3706
34.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3678
35.	गढ़वी, श्री पी. एस.	3646, 3790
36.	गांधी, श्रीमती मेनका	3710, 3796
37.	गंगवार, श्री संतोष	3768
38.	गाव, श्री तापिर	3613, 3706, 3729
39.	गोहेन, श्री राजेन	3697, 3789
40.	गोडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3660, 3755
41.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3687
42.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	3688, 3708, 3809
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	3628, 3756
44.	जैन, श्री पुष्प	3626
45.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3621, 3732, 3816
46.	जयप्रदा, श्रीमती	3785
47.	झा, श्री रघुनाथ	3630
48.	कामत, श्री गुरूदास	3628, 3703
49.	कनोडिया, श्री महेश	3632, 3741
50.	करूणाकरन, श्री पी.	3631, 3802
51.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3651, 3750
52.	खारवेनथन, श्री एस. के.	3599, 3802 3806, 3807
53.	कोल श्री लालचन्द्र	3693
54.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3622, 3666 3668, 3733, 3819
55.	कोया, डा. पी.पी.	3648
56	कृष्ण, श्री विजय	3702, 3757, 3798
57.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	3760
58.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	3694
59.	कुरूप, श्री सुरेश	3748
60.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3680
61.	कुसमारिया, डा. रामकृष्ण	3635
62.	'ललन', श्री राजवी रंजन सिंह	3668, 3766
63.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3640, 3743
64.	महाजन, श्री वाई.जी.	3787
65.	महतो, श्री बीर सिंह	3688, 3716 3784, 3801
66.	महताब, श्री भर्तुहरि	3674
67.	माझी, श्री परसुराम	3612, 3718, 3814
68.	माकन, श्री अजय	3759
69.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	3642, 3746, 3757
70.	माने, श्रीमती निवेदिता	3704, 3746, 3798
71.	मनोज, डा. के.एस.	3601
72.	मेघवाल, श्री कैलाश	3607, 3665, 3698, 3740
73.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3699
74.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3645, 3795
75.	मैन्या, डा. टोकचोम	3649
76.	मिश्रा, डा. राजेश	3717, 3805

1	2	3
77.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	3625, 3750
78.	मोहले, श्री पुन्नू लाल	3663, 3677, 3800
79.	मुकीम, मो.	3684, 3787
80.	मोहिते, श्री सुबोध	3670
81.	मूर्ति, श्री ए. के.	3605, 3726
82.	मुफ्ती, सुश्री महबूबा	3626
83.	मुन्शी राम, श्री	3653, 3827
84.	मूर्मू, श्री हेमलाल	3673, 3706, 3769
85.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3657, 3712, 3752
86.	नरबुला, श्री डी.	3725, 3780
87.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3684
88.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	3707, 3792
89.	नायक, श्री अनन्त	3804
90.	नायक, श्रीमती अर्चना	3762
91.	निखिल कुमार, श्री	3672
92.	नीतीश कुमार, श्री	3689, 3766, 3785
93.	ओराम, श्री जुएल	3765
94.	उरांव, डा. रामेश्वर	3687
95.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	3730, 3815
96.	पलनिसामी, श्री के.सी.	3634, 3744, 3822
97.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3606, 3706, 3752, 3774
98.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3603
99.	पटैरिया, श्रीमती नीता	3666
100.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3800
101.	पाटील, श्री श्रीनिवास	3620, 3806
102.	पाटले, श्री शिशुपाल एन.	3701, 3797
103.	पिंगले, श्री देविदास	3696, 3768, 3788

1	2	3
104.	प्रभु, श्री आर.	3709, 3811
105.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3644
106.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3679, 3776
107.	प्रसाद, श्री लालमणि	3714
108.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3661, 3690
109.	राई, श्री नकुल दास	3721
110.	राजगोपाल, श्री एल.	3661
111.	राजभर, श्री चन्द्र देव प्रसाद	3667
112.	राजेन्द्र कुमार, श्री	3647
113.	रामदास, प्रो. एम.	3713, 3813
114.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3685, 3779
115.	राणा, श्री काशीराम	3782
116.	राव, श्री के.एस.	3641, 3665, 3745
117.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3686, 3780
118.	राव, श्री डी. विट्ठल	3719, 3748, 3787
119.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3787
120.	रावत, श्री धनसिंह	3803
121.	रावत, प्रो. रासा सिंह	3619, 3768, 3787
122.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3768
123.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3669
124.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3662
125.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	3700
126.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3650, 3773
127.	साई प्रताप, श्री ए.	3793
128.	साय, श्री विष्णु देव	3667, 3683, 3768
128A.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3616, 3737, 3755, 3780

1	2	3
129.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3636, 3763
130.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	3609, 3679, 3776
131.	सरोज, श्री तूफानी	3691, 3706
132.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3698, 3701 3712, 3791
133.	सत्पथी, श्री तथागत	3652, 3677 3772, 3775
134.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3676
135.	सेन, श्रीमती मिनाती	3629
136.	सेठी, श्री अर्जुन	3706
137.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3614, 3688, 3716, 3784, 3801
138.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3659, 3754
139.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त)धनीराम	3665, 3711
140.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3624, 3678, 3734, 3738, 3777
141.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3675, 3701, 3771, 3797
142.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3761
143.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3718
144.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	3639
145.	सिह, श्री बृजभूषण शरण	3609, 3782
146.	सिंह, श्री चन्द्र भूषण	3695
147.	सिंह, श्री दुष्यंत	3699, 3808
148.	सिंह, श्री गणेश	3712
149.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3704, 3757
150.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3611, 3749
151.	सिंह, श्री मोहन	3825
152.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3598, 3794

1	2	3
153.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3637, 3664 3711, 3799
154.	सिंह, श्री राकेश	3666
155.	सिंह, डा. राम लखन	3614
156.	सिंह, श्री सीता राम	3770
157.	सिंह, श्री सुग्रीव	3739
158.	सिंह, श्री उदय	3677, 3775
159.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	3724
160.	सुब्बा, श्री एम. के.	3615
161.	सुमन, श्री रामजीलाल	3668, 3689, 3692
162.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3723
163.	ठक्कर, श्रीमती जया बहन बी.	3627
164.	थॉमस, श्री पी.सी.	3824
165.	तीरथ, श्रीमती कृष्णा	3600, 3676
166.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3757, 3798
167.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3681
168.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3642, 3706 3757, 3798
169.	विनोद कुमार, श्री बी.	3610, 3727
170.	वर्मा, श्रीमती उषा	3647, 3706
171.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3722, 3812
172.	विरुपाक्षप्पा, श्री के.	3633
173.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3668, 3766
174.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3773
175.	यादव, श्री गिरधारी	3614, 3777
176.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3657
177.	यादव, श्री पारस नाथ	3712, 3827
178.	यादव, श्री राम कृपाल	3614, 3777
179.	येरननायडू, श्री किन्जरपु	3781

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	388, 389, 390, 391, 393, 395, 397, 400
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	383, 385, 386, 387
पर्यावरण और वन	:	398, 399
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
श्रम और रोजगार	:	382
पर्यटन	:	394
जल संसाधन	:	384, 392, 396, 401
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3599, 3601, 3605, 3606, 3609, 3613, 3616, 3618, 3624, 36263, 3634, 3635, 3638, 3639, 3647, 3654, 3656, 3660, 3661, 3663, 3668, 3672, 3673, 3676, 3682, 3692, 3695, 3698, 3699, 3700, 3702, 3704, 3708, 3713, 3716, 3718, 3719, 3721, 3729, 3730, 3734, 3737, 3742, 3744, 3755, 3756, 3760, 3761, 3767, 3776, 3779, 3783, 3785, 3790, 3796, 3797, 3802, 3803, 3807, 3711, 3812, 3814, 3817, 3819, 3824
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3598, 3600, 3602, 3614, 3630, 3646, 3650, 3653, 3567, 3670, 3675, 3679, 3681, 3684, 3689, 3705, 3717, 3723, 3739, 3740, 3746, 3763, 3764, 3765, 3771, 3773, 3777, 3794, 3805, 3822
पर्यावरण और वन	:	3607, 3611, 3612, 3615, 3620 3622, 3623, 3625, 3627, 3632, 3636, 3643, 3644, 3645, 3651, 3655, 3659, 3677, 3683, 3693, 3697, 3701, 3707, 3710, 3727, 3728, 3731, 3738, 3741, 3745, 3747, 3848, 3751, 3754, 3759, 3762, 3769, 3772, 3774, 3775, 3782, 3786, 3788 3792, 3793, 3800, 3813, 3815, 3820, 3821 , 3825, 3826
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3610, 3648, 3667, 3687, 3694, 3714, 3801, 3806
श्रम और रोजगार	:	3603, 3617, 3621, 3628, 3629, 3633, 3641, 3642, 3652, 3662, 3671, 3688, 3690, 3712, 3715, 3732, 3735, 3736, 3749, 3750, 3766, 3770, 3781, 3784, 3787, 3798, 3810, 3816, 3827
पर्यटन	:	3608, 3640, 3658, 3665, 3666, 3669, 3680, 3696, 3709, 3720, 3725, 3733, 3743, 3753, 3758, 3780, 3791, 3804
जल संसाधन	:	3631, 3637, 3649, 3664, 3674, 3678, 3686, 3703, 3706, 3722, 3726, 3778, 3789, 3808, 3818, 3823
युवक कार्यक्रम और खेल	:	3604, 3619, 3685, 3691, 3711, 3724, 3752, 3757, 3768, 3795, 3799, 3809.

पी.एल.एस.—48/4/21/2004 (एन०)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।